



सत्यमेव जयते

वार्षिक प्रतिवेदन ANNUAL REPORT

2 0 1 5 - 1 6

2015-16

ANNUAL REPORT

सीए CAA वार्षिक प्रतिवेदन



तटीय जल कृषि प्राधिकरण COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY

(भारत सरकार / Government of India)

जीडीआर टवर, 12-ए भारती स्ट्रीट, वानुवमपेट्टई, मडिपक्कम पोस्ट
GDR Tower, 12-A Bharathi Street, Vanuvampettai, Madipakkam Post

चेन्नै / Chennai-600 091 तमिल नाडु / Tamil Nadu, भारत / India

फोन / Phone : +91 44 2260 3783, 3784, 3502

टेलीफैक्स / Telefax : +91 44 2260 3780

ई-मेल / E-mail : aquaauth@vsnl.net / aquaauth@gmail.com

वेबसाइट / Website : www.caa.gov.in



तटीय जलकृषि प्राधिकरण
Coastal Aquaculture Authority





सत्यमेव जयते

वार्षिक रिपोर्ट 2015 - 16

तटीय जलकृषि प्राधिकरण



भारत सरकार, कृषि मंत्रालय

जीडीआर टवर, 12-ए भारती स्ट्रीट

वानुवमपेट्टई, मडिप्पाक्कम पोस्ट

चेन्नै-600 091, तमिल नाडु

फोन : 91-44-2260 3783, 3784, 3502, टेलीफैक्स : 044-2260 3780

ई-मेल : aquaauth@vsnl.net / aquaauth@gmail.com

वेबसाइट : www.caa.gov.in

द्वारा प्रकाशित

अध्यक्ष

तटीय जलकृषि प्राधिकरण

संपादन और संकलन

पी. रविचन्द्रन

आर. जयरामन

एस. मणि

जी. डी. चन्द्रपाल

डी. विंसेन्ट

द्वारा मुद्रित

श्री. विग्नेश प्रिंट्स

Published by

Chairperson

Coastal Aquaculture Authority

Compilation and Editing

P. Ravichandran

R. Jayaraman

S. Mani

G. D. Chandrapal

D. Vincent

Printed by

Shri Vignesh Prints

विषय वस्तु

क्र.सं.	विषय भूमिका	पृष्ठ सं.
	प्राक्कथन	vii
I.	प्राधिकरण की संरचना, प्रचालनात्मक लक्ष्य और उद्देश्य	1
	वर्ष 2015-16 के दौरान प्राधिकरण की संरचना	1
	प्राधिकरण के लक्ष्य तथा उद्देश्य	3
	प्राधिकरण के शक्तियां तथा कार्य	3
	एसपीएफ लिटोपिनस वेन्नामई पालन का भारत में विनियमन	6
II.	लक्ष्य तथा कार्य निष्पादन	6
	वार्षिक लक्ष्य	6
	वास्तविक निष्पादन की संक्षिप्त समीक्षा	8
III.क.	कार्यकलाप व उपलब्धियां	11
	प्राधिकरण की बैठकें	11
	प्राधिकरण द्वारा गठित समिति की बैठकें (i) से (iv)	16
III.ख.	तटीय जल फार्मों का पंजीकरण/ नवीनीकरण	21
	झींगा फार्मों का पंजीकरण	21
	पंजीकरण का नवीनीकरण	24
	सीएए द्वारा जलकृषि फार्मों के पंजीकरण/ नवीकरण को बढ़ावा देने के लिए किए गए प्रयास	29
III.ग.	एसपीएफ लिटोपिनस वेन्नामई पालन	30
	एसपीएस एल. वेन्नामई बूडस्टॉक आपूर्तिकर्ताओं का चयन	30
	2015-16 में एसपीएफ एल. वेन्नामई बूडस्टॉक का आयात और बीज उत्पादन	31
	2015-2016 के दौरान एसपीएफ एल. वेन्नामई हैचरियों का निष्पादन	33
	भारत में एल.वेन्नामई हैचरियों का विकास	40
	एसपीएफ एल. वेन्नामई हैचरियों का परिसंघ	44
	एसपीएफ एल.वेन्नामई बीज उत्पादन के लिए नौपल्ली रीयरिंग केन्द्रों की स्थापना	45
	एसपीएफ एल. वेन्नामई पालन के लिए झींगा फार्मों को अनुमति प्रदान करना	45
	एल.वेन्नामई पालन का राज्यी-वार निष्पादन	47
	एसपीएफ एल. वेन्नामई का उत्पादन	54
	एसपीएफ एल. वेन्नामई का समूहों के रूप में पालन	55
	एल. वेन्नामई हैचरीज/ फार्मों की निगरानी	55
IV.	झींगा पालन के विरुद्ध विभिन्न शिकायतों पर कार्रवाई	59
	विशेष शिकायतों पर की गई कार्रवाई (i) से (v)	59
	एल.वेन्नामई बीज उत्पादन में सीएए दिशा-निर्देशों का अनुपालन नहीं करने वाली	64
	गैर पंजीकृत हैचरियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई	
	गैर प्राधिकृत एल. वेन्नामई बीज उत्पादन के विरुद्ध की गई कार्रवाई	64
V.	फिनफिश हैचरी का पंजीकरण	66
VI.	एंटीबायोटिक-मुक्त जलकृषि आदानों का पंजीकरण	66
VII.	जल गुणवत्ता निगरानी प्रयोगशाला	67
VIII.	वेबसाइट का अद्यतन	68
IX.	तटीय जलकृषि प्राधिकरण को मजबूत बनाना	69
X.	सीएए में राजभाषा (हिन्दी) का कार्यान्वयन	70
XI.	सीएए के अतिरिक्त कार्यकलाप	71
	सीएए द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन/ भागीदारी	71
	जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन/ भागीदारी	75
	कार्यशाला/ सेमिनार में भागीदारी	79
	सीएए अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम	81
	अन्य संगठनों द्वारा आयोजित बैठकों/ सेमिनारों/ गोष्ठियों में सीएए सदस्यों/ अधिकारियों की भागीदारी	81

XII.	वर्ष 2015-16 के दौरान किए जाने वाले संभावित कार्यकलाप	83
XIII.	वित्त	84
	भारत के सीएंडएजी द्वारा सीएए की कार्य निष्पादन लेखापरीक्षा	84
	वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान वास्तविक वित्तीय परिणामों और कार्यकलापों का सार	85
	वर्ष 2015-16 के लिए वार्षिक लेखों का ब्यौरा:	85
XIV.	स्टाफ और प्राधिकरण की मौजूदा संगठनात्मक रचना	86
XV.	भर्ती/सेवा निवृत्ति/ वापस भेजना	86
XVI.	सूचना का अधिकार अधिनियम	86
	2015-16 के वार्षिक लेखों के लिए अनुलग्नक	87

CONTENTS

Sl. No	Subject	Page No
	Preface	119
I.	Composition, Operational Goals and Objectives	121
	Composition of the Authority during 2015–2016	121
	Aims & Objectives of the Authority	123
	Powers and Functions of the Authority	123
	Regulation of SPF <i>Litopenaeus vannamei</i> culture in India	125
II.	Targets and Performance	126
	Annual Targets	126
	Brief review of Actual Performance	128
III.	Activities and Achievements	131
	A. Meetings of the Authority and Committees Constituted by the Authority	131
	Meetings of the Authority	131
	Meetings of Committees Constituted by the Authority (i) to (iv)	137
	B. Registration / Renewal of Coastal Aqua farms	142
	Registration of Shrimp Farms	142
	Renewal of Registrations	145
	Efforts taken by CAA to promote Registration/ Renewal of Aquafarms	150
	C. SPF <i>L. vannamei</i> Farming	151
	Selection of SPF <i>L. vannamei</i> Broodstock Suppliers	151
	Import of SPF <i>L. vannamei</i> Broodstock and Seed production in the year 2015-16	152
	Performance of SPF <i>L. vannamei</i> Hatcheries during 2015-16	154
	Growth of SPF <i>L. vannamei</i> Hatcheries in India	161
	Consortium of SPF <i>L. vannamei</i> Hatcheries	165
	Setting up of Nauplii Rearing Centres for SPF <i>L. vannamei</i> Seed production	166
	Permission to Shrimp Farms to culture SPF <i>L. vannamei</i>	166
	State-wise performance of <i>L. vannamei</i> farming	168
	Production of SPF <i>L. vannamei</i>	176
	Cluster Farming of SPF <i>L. vannamei</i>	177
	Monitoring of <i>L. vannamei</i> Hatcheries/ Farms	177
IV.	Action on Various Complaints against Shrimp Farming	181
	A. Action taken on Specific Complaints (i) to (v)	181
	B. Action taken against Registered Hatcheries for non-compliance of CAA Guidelines in <i>L. vannamei</i> seed production	186
	C. Action taken against unauthorized <i>L. vannamei</i> seed production	186
V.	Registration of Finfish Hatchery	188
VI.	Registration of Antibiotic-free Aquaculture Inputs	188
VII.	Water Quality Monitoring Laboratory	189
VIII.	Website Updation	190
IX.	Strengthening of Coastal Aquaculture Authority	191
X.	Implementation of Official Language in CAA	192

XI.	Outreach Activities of CAA	193
	Training Programmes Conducted/ Associated by CAA	193
	Awareness Programmes Conducted / Associated	197
	Participation in Workshop / Seminar	200
	Training Programmes for CAA officials	203
	Participation of CAA members / officers in meetings / seminars / symposia organized by other organizations	203
XII.	Activities likely to be taken up during 2016-17	205
XIII.	Finance	206
	Performance of Audit of CAA by C&AG of India	206
	Summary of actual financial results and activities during the financial year 2015-16	206
	Details of the Annual Accounts for the year 2015-16	207
XIV.	Staff and existing organizational structure of the Authority	207
XV.	Recruitment / Retirement / Repatriation	208
XVI.	Right to Information Act	208
	Annexure Annual Accounts for the Year 2015-16	209

न्यायमूर्ति के. रविराजा पान्डियन
अध्यक्ष

Justice K. Raviraja Pandian
Chairperson



तटीय जलकृषि प्राधिकरण
भारत सरकार, कृषि मंत्रालय
जीडीआर टवर, 12-ए भारती स्ट्रीट, वानुवमपेट्टई
मडिप्पाक्कम पी.ओ., चेन्नई-600 091
तमिल नाडु, भारत
COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY
Government of India, Ministry of Agriculture
GDR Tower, 12-A Bharathi Street, Vanuvampettai
Madipakkam P.O., Chennai - 600 091
Tamil Nadu, India

प्राक्कथन

तटीय जलकृषि प्राधिकरण (सीएए) को संसद के अधिनियम के तहत दिसंबर, 2005 में स्थापित किया गया था। इस अधिनियम का उद्देश्य तटीय क्षेत्रों में सभी जलकृषि कार्यकलापों को विनियमित करना है ताकि तटीय जल कृषि का दीर्घकालिक विकास सुनिश्चित किया जा सके और तटीय पर्यावरण को संरक्षित किया जा सके।

सीएए एसपीएफ एल. वेन्नामई ब्रूडस्टॉक का आयात करने, जैव- सुरक्षित हैचरियों में इसका बीज उत्पादन करने और ऐसे फार्मों में एसपीएफ एल. वेन्नामई का पालन करने के लिए अनुमोदन प्रदान करता है। यह पंजीकरण और उनकी नियमित रूप से निगरानी के लिए फार्मों और हैचरियों का नियमित रूप से निरीक्षण भी करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि फार्मों और हैचरियों की इफ्ल्युन्ट शोधन प्रणाली से छोड़ा गया अपशिष्ट जल सीएए द्वारा निर्धारित मानकों को पूरा करता हो।

सीएए ने फार्मों और हैचरियों के पंजीकरण और दीर्घकालिक एसपीएफ एल. वेन्नामई पालन तथा बीज उत्पादन के संबंध में राज्य स्तर और जिला स्तर के मात्स्यिकी अधिकारियों के लिए कई सुग्राही कार्यशालाएं, जागरूकता कार्यक्रम और प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए।

दीर्घकालिक तटीय जलकृषि और सीएए अधिनियम, 2005 के अनुसार तटीय जलकृषि कार्यकलापों का विनियमन करने के लिए विभिन्न कार्यकलाप किए और अनुवर्ती नियम, विनियम, अधिसूचनाएं तथा तकनीकी दिशा-निर्देश सीएए की वार्षिक रिपोर्ट 2015-16 में विस्तार में दिए गए हैं।

सीएए कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार को सतत समर्थन और तटीय जलकृषि में लगे पणधारकों को सीएए की सफल कार्य योजनाओं में दिए गए उनके समर्थन तथा सहयोग के लिए अपनी कृतज्ञता प्रेषित करता है। मैं सीएए और इसके तकनीकी कार्मिकों को अनेक बाधाओं के बावजूद अपने कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए बधाई देता हूं।

के. रविराजा पान्डियन

(न्यायमूर्ति के. रविराजा पान्डियन)
अध्यक्ष

I. प्राधिकरण की संरचना, प्रचालनात्मक लक्ष्य और उद्देश्य

तटीय क्षेत्रों में तटीय जल कृषि से संबद्ध कार्यकलापों और इससे जुड़े मामलों अथवा घटनाओं को विनिर्मित करने के लिए तटीय जल कृषि प्राधिकरण अधिनियम, 2005 के तहत तटीय जल कृषि प्राधिकरण की स्थापना की गई थी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि तटीय जल कृषि से तटीय पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचे और जिम्मेदाराना जल कृषि की अवधारणा का पालन किया जाएगा। तटीय जल कृषि का तात्पर्य तटीय क्षेत्रों में तालाबों, पेंस, संबद्ध क्षेत्रों में झींगा, प्रान, मछली अथवा खारे समुद्र अथवा अप्रवाही जल में अन्य तटीय जीवों का नियंत्रित दशाओं के तहत पालन करना है। किंतु इसमें स्वच्छ जल में जल कृषि शामिल नहीं है। तटीय क्षेत्र से तात्पर्य समुद्रों, नदियों, संकरी खाड़ियों और अप्रवाही जल की हाई टाइड लान (एचटीएल) से दो किमी. की दूरी के भीतर की भूमि के क्षेत्र से है। प्राधिकरण का मुख्य उद्देश्य जिम्मेदाराना तटीय जल कृषि पद्धतियों को अपनाते हुए तटीय पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बगैर दीर्घकालिक विकास करना और तटीय क्षेत्र में रह रहे विभिन्न पणधारकों की जीविका को।

1. वर्ष 2015-2016 के दौरान प्राधिकरण की संरचना

- | | | |
|--|-----|---------|
| (i) जस्टिस के. रविराजा पांडियन
सेवानिवृत्त न्यायाधीश, उच्च न्यायालय, मद्रास
(सेवानिवृत्त/ सिटिंग न्यायाधीश, उच्च न्यायालय) | ... | अध्यक्ष |
| (ii) डॉ. के. के. विजयन
निदेशक, केन्द्रीय खारा जल जलकृषि संस्थान, चेन्नै
(19 अक्टूबर, 2015 से प्रभावी)
(तटीय जलकृषि के क्षेत्र में विशेषज्ञ)
(जून, 2015 तक रिक्त) | ... | सदस्य |
| (iii) डॉ. आर. किरुभागरन
वैज्ञानिक 'एफ' 'राष्ट्रीय महासागरीय
प्रौद्योगिकी संस्थान, चेन्नै
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारत सरकार के प्रतिनिधि
(19 अक्टूबर, 2015 से पुनः नियुक्त)
(तटीय पारिस्थितिकी के क्षेत्र में विशेषज्ञ) | ... | सदस्य |
| (iv) डॉ. टी. बालासुब्रमणियम
पूर्व निदेशक और डीन, समुद्र जैविकी विज्ञान में
उच्च अध्ययन केन्द्र, अन्नामलाई विश्वविद्यालय,
चिदंबरम, पारंगीपेट्टई, तमिलनाडु
(19 अक्टूबर, 2015 से प्रभावी) | ... | सदस्य |

डॉ. सुश्री मंजू रैना

निदेशक (सी.पी. प्रभाग)

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार

(जून, 2015 तक)

(पर्यावरण संरक्षण/प्रदूषण के क्षेत्र में विशेषज्ञ)

- | | | | |
|--------|---|-----|-------|
| (v) | डॉ. आदित्य कुमार जोशी, आई.एफ.एस
संयुक्त सचिव (मात्स्यिकी),
पशुपालन, डेरी तथा मत्स्यपालन विभाग,
(कृषि और कृषक कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के प्रतिनिधि) | ... | सदस्य |
| (vi) | सुश्री लीना नायर, आई.ए.एस.
अध्यक्ष, समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण
श्री संतोष कुमार सारंगी, आई.ए.एस.
संयुक्त सचिव (ईपी-एमपी)
वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार,
(30 नवंबर, 2015 तक)
(वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार के प्रतिनिधि) | ... | सदस्य |
| (vii) | श्री रामशंकर नाईक, आई.ए.एस.
मात्स्यिकी की आयुक्त
आंध्र प्रदेश सरकार,
(आंध्र प्रदेश राज्य के प्रतिनिधि)
(19 अक्तूबर, 2015 से पुनः नियुक्त) | ... | सदस्य |
| (viii) | श्री विष्णुपाणा सेठी, आई.ए.एस.
सचिव, (मात्स्यिकी और पशु संसाधन विकास विभाग),
ओडिशा सरकार, (ओडिशा सरकार के प्रतिनिधि)
(19 अक्तूबर, 2015 से प्रभावी)
श्री सईद अहमद बाबा, आई.ए.एस.
प्रधान सचिव (मात्स्यिकी)
मात्स्यिकी, जलकृषि, जलीय संसाधन और मात्स्यिकी
पत्तन विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार, कोलकाता
(पश्चिम बंगाल राज्य के प्रतिनिधि)
(जून, 2015 तक) | ... | सदस्य |

- (ix) **श्री चोलेटी प्रभाकर, आई.ए.एस.** ... सदस्य
सचिव, (मात्स्यिकी)
पुदुचेरी सरकार
(पुदुचेरी के प्रतिनिधि)
(19 अक्तूबर, 2015 से प्रभावी)
- डॉ. एस विजयकुमार, आई.ए.एस.** ... सदस्य
सचिव, (मात्स्यिकी)
तमिलनाडु सरकार,
पशुपालन, डेयरी और मात्स्यिकी विभाग, चेन्नै
(तमिलनाडु के प्रतिनिधि)
(जून, 2015 तक)
- (x) **डॉ. एन एस चैनप्पा गोडवा, आई.ए.एस.** ... सदस्य सचिव
सचिव, (मात्स्यिकी)
कर्नाटक सरकार,
(कर्नाटक राज्य के प्रतिनिधि)
(19 अक्तूबर, 2015 से प्रभावी)
- श्री अरूण कुमार सोलंकी, आई.ए.एस.**
आयुक्त एवं सचिव, गुजरात सरकार
(मात्स्यिकी और पशु संसाधन विभाग)
(गुजरात राज्य के प्रतिनिधि)
(जून, 2015 तक)
- (xi) **डॉ. पी. रविचन्द्रन**
(केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त सदस्य)

2. प्राधिकरण के लक्ष्य तथा उद्देश्य

प्राधिकरण के लक्ष्य एवं उद्देश्य केन्द्र सरकार द्वारा 'तटवर्ती क्षेत्रों के रूप में' अधिसूचित क्षेत्रों से तटीय जलकृषि गतिविधियों को तथा इससे संबंधित सभी मामलों को विनियमित करना है। प्राधिकरण को तटवर्ती क्षेत्रों में जलकृषि फार्मों के निर्माण और संचालन के लिए विनियमन बनाने और फार्मों तथा हैचरियों के पर्यावरणीय प्रभाव का आंकलन करने के लिए एल. वेन्नामई हेतु फार्मों तथा हैचरियों का निरीक्षण करने, जलकृषि फार्मों और हैचरियों का पंजीकरण करने, प्रदूषण फैलाने वाले तटवर्ती जलकृषि फार्मों को हटाने अथवा नष्ट करने तथा तटीय जलकृषि में सभी तटीय जलकृषि आगतों जैसे बीज, चारा, बीजवृद्धि उपकरण, तटीय जलकृषि में प्रयुक्त रसायनों आदि के लिए मानकों को तय करने और देश में तटीय जलकृषि कार्यकलापों की समग्र निगरानी की शक्ति दी गई है।

3. प्राधिकरण की शक्तियां तथा कार्य

प्राधिकरण की शक्तियां तथा कार्य सीएए अधिनियम, 2005 के चौथे अध्याय तथा इसके तहत बनाए गए नियम एवं 2008 में अधिसूचित तटीय जलकृषि प्राधिकरण द्वारा बनाए गए विनियमों में विनिर्दिष्ट है। सीएए

अन्य बातों के साथ-साथ तटीय जलकृषि क्षेत्र के सुव्यवस्थित तथा सतत विकास के लिए विनियम बनाता है ताकि गतिविधि में संलग्न विभिन्न अंशधारकों के सामाजिक-आर्थिक लाभ के लिए पर्यावरण अनुकूल तथा समाज स्वीकृत तटीय जलकृषि की ओर उन्मुख हुआ जा सके।

तटीय जलकृषि प्राधिकरण का प्रमुख दायित्व देश में अधिसूचित क्षेत्रों के भीतर एसपीएफ झींगा बीज उत्पादन सहित तटीय जलकृषि में शामिल अथवा शामिल होने जा रहे सभी प्रकार के तटीय खारा और लवणीय जल जलकृषि फार्मों और हैचरियों का पंजीकरण, अपेक्षित जैव सुरक्षा सहित एसपीएफ झींगा कृषि के लिए फार्मों के पंजीकरण को सुनिश्चित करना है। किसानों को संवेदनशील बनाने के लिए विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों के जरिए इन लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में सभी पात्र जलकृषि फार्मों का पंजीकरण करने के लिए प्राधिकरण द्वारा कई उपाय आरंभ किए गए हैं। तटीय क्षेत्रों में जलकृषि करने वाले सभी व्यक्तियों के लिए यह अनिवार्य है कि वे तटीय जलकृषि प्राधिकरण अधिनियम और नियम में निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार अपने फर्म का तटीय जलकृषि प्राधिकरण में पंजीकरण कराएं। पंजीकरण पांच वर्षों की अवधि के लिए किए जाते हैं जो आगे समय-समय पर नवीनीकृत किए जा सकते हैं। भविष्य में तटीय जलकृषि गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए पंजीकरण प्रक्रियाओं को नए फार्मों के लिए तथा मरम्मत किए जाने वाले पुराने फार्मों के लिए जारी रखा जाएगा।

तटीय विनियम जोन के भीतर समुद्र के हाई टाइड लाइन, संकरी खाड़ियों, नदियों तथा पश्च जल से दो सौ मीटर के भीतर जलकृषि की अनुमति नहीं है। तथापि, यह शर्त तटीय जलकृषि अधिनियम के विधिकरण से पहले स्थापित मौजूदा फार्मों तथा सरकार अथवा सरकार के किसी भी अनुसंधान संस्थान द्वारा संचालित गैर-वाणिज्यिक तथा प्रयोगात्मक जलकृषि फार्मों पर लागू नहीं है। तथापि, ऐसे सभी फार्म तटीय जलकृषि प्राधिकरण के पास पंजीकृत होने चाहिए। ऐसे पंजीकरण के बिना किसी व्यक्ति द्वारा तटीय जलकृषि करने पर उसे अधिनियम के अनुच्छेद 14 में यथा-निर्धारित कारावास का दंड जिसे तीन वर्ष की अवधि तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माना अदा करना पड़ेगा जिसे एक लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है या दोनों दंड भुगतने पड़ेंगे।

तटीय जलकृषि प्राधिकरण की सीएए नियम, 2005 के प्रावधानों के तहत स्थापित राज्य स्तरीय समितियों (एसएलसी) एवं जिला स्तरीय समितियों द्वारा की जाती है, जो प्राथमिक रूप से तटीय जलकृषि फार्मों के पंजीकरण से संबंधित मामलों पर संबद्ध है। 2 हेक्टेयर जल प्रभावित क्षेत्र वाले फार्मों के मामले में, डीएलसी मानकों की अनुपालना के बारे में संतुष्ट होने पर पंजीकरण हेतु विचार करने के लिए सीएए को सीधे आवेदनों की सिफारिश करेंगे और 2 हेक्टेयर जल प्रभावित क्षेत्र से बड़े फार्मों के मामले में, डीएलसी मानकों के सत्यापन की पुष्टि करने के लिए फार्मों का निरीक्षण करेंगे और एसएलसी को आवेदनों की सिफारिश करेंगे, जो संतुष्ट होने पर, पंजीकरण के लिए सीएए को इनकी सिफारिश करेंगे।

पशुपालन, डेयरी और मात्स्यिकी विभाग (डीएचडीएंडएफ) द्वारा लाइवस्टॉक इम्पोर्टेशन अधिनियम, 1898 (लाइवस्टॉक इम्पोर्टेशन अधिनियम, 2001) के तहत जारी की गई दिनांक 15 अक्टूबर, 2008 की अधिसूचना के तहत जारी विस्तृत दिशा निर्देशों के अनुसार तटीय जलकृषि प्राधिकरण अनुमोदित विदेशी एसपीएफ ब्रूडस्टॉक आपूर्तिकर्ताओं से एसपीएफ एल. बेन्नामई का ब्रूडस्टॉक आयात करने के लिए हैचरियों को अनुमति प्रदान करने के लिए और ब्रूडस्टॉक की वार्षिक आवश्यकताओं का आबंटन करने के लिए प्राधिकृत था। इसी प्रकार, सीएए दिनांक 30-04-2009 की अधिसूचना के तहत जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार एसपीएफ एल. बेन्नामई की कृषि करने की इच्छुक फर्मों को भी अनुमति प्रदान करता है।

सीएए को इस उद्देश्य के लिए जारी दिशा-निर्देशों का सख्ती से अनुपालन कराने के लिए एसपीएफ एल. बेन्नामई हैचरियों और फार्मों की निगरानी करने की सख्ती भी है।

इसके अतिरिक्त सीएए की शक्तियां तथा कार्य निम्नलिखित हैं

- यह सुनिश्चित करना कि तटवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले तटवर्ती समुदाय की आजीविका को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से कृषि भूमि, लवण पटल जमीन, कच्छीय वन, नम जमीन, वन भूमि, गांव की आम प्रयोजन की भूमि तथा सार्वजनिक प्रयोजन की भूमि और राष्ट्रीय उद्यानों तथा मृग वनों को जलकृषि फार्मों में परिवर्तित न किया जाए;
- पारिस्थिकीय अनुकूल विकास हासिल करने के लिए उचित कार्यनीति तैयार करने के लिए देश के समूचे तटीय क्षेत्र का सर्वेक्षण करना और केन्द्र सरकार तथा राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश सरकारों को सलाह देना।
- सामान्य अवसंरचना लाइन, सामान्य जल अंतर्ग्रहण, निकासी नहर एवं सार्वजनिक बहिस्राव उपचार प्रणाली के निर्माण के लिए राज्य/संघ क्षेत्र सरकारों को सलाह एवं समर्थन देना।
- बीज, आहार, वृद्धि संवर्धकों तथा जल निकायों एवं पाले गए जीवों एवं अन्य जलजीव के रखरखाव के लिए प्रयुक्त रसायनों के लिए मानक निर्धारित करना।
- पर्यावरण संरक्षण से संबंधित अध्ययनों/योजनाओं को आरम्भ करना या अन्वेषणों को प्रायोजित करना और पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन।
- तटीय जलकृषि से संबंधित आंकड़ों एवं अन्य वैज्ञानिक तथा सामाजिक-आर्थिक सूचना एकत्रित एवं वितरित करना।
- तटीय जलकृषि के सतत विकास एवं तटीय जलकृषि के क्रियाकलापों से संबंधित सामग्री तैयार करना।
- तटीय संसाधनों के दीर्घकालिक उपयोग तथा न्याय संगत एवं उचित हिस्सेदारी के संबंध में जागरूकता अभियान चला कर प्रचार करना तथा कर्मचारियों को प्रशिक्षित करना।
- तकनीकी नियमावली के संबंध में विभिन्न तकनीकी समितियां, उप-समितियां, कार्य दल आदि गठित करना।
- तटीय पर्यावरण पर होने वाले प्रभावों को कम से कम करने के लिए आवश्यक परिवर्तन लाने के लिए फार्म के मालिकों को निर्देश देना।
- सततता को सुनिश्चित करने के लिए या पर्यावरणीय सततता को बनाए रखने के हित में एवं तटीय पर्यावरण के हित में आजीविका के संरक्षण के लिए मौसमी बंदी का आदेश देना।
- यदि कोई व्यक्ति झूठी सूचना प्रस्तुत करके पंजीकरण प्राप्त करता है अथवा पंजीकरण प्रमाणपत्र में उल्लिखित शर्तों अथवा इन नियमों के किसी प्रावधान का उल्लंघन करता है तो उसके पंजीकरण को रद्द करना।
- तटीय जलकृषि से संबंधित मसलों को निपटाना जिनमें ऐसे मसले भी शामिल हैं जिन्हें केन्द्र सरकार को संदर्भित किया जाना है।
- समय-समय पर दिशा-निर्देशों में संशोधन करने के लिए सरकार को उचित सिफारिशें देना।

4. एसपीएफ लिटोपिनस वेन्नामई पालन का भारत में विनियमन

पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार द्वारा पशुधन आयात अधिनियम, 1898 (पशुधन आयात अधिनियम, 2001 द्वारा यथा संशोधित) के तहत जारी 15-10-2008 की अधिसूचना द्वारा तटीय जलकृषि प्राधिकरण को एसपीएफ एल.वेन्नामई के ब्रूडस्टॉक के आयात के लिए अनुमति देने के लिए प्राधिकृत किया गया है। राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड (एनएफडीबी), केन्द्रीय खाराजल जलकृषि संस्थान (सीआईबीए) और समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एमपीईडीए) के परामर्श से तटीय जलकृषि प्राधिकरण द्वारा अनुवांशिकी आधार और रोग संबंधी स्थिति के आधार पर ब्रूडस्टॉक आपूर्तिकर्ता चुने गए थे। उक्त अधिसूचना में शामिल उक्त दिशा-निर्देश में संगरोध के लिए जैव सुरक्षा अपेक्षा, आयात परमिट, प्रवेश के लिए बंदरगाह, पूर्व-सरहद संगरोध अपेक्षाएं, संक्रमणयुक्त प्रक्रिया इत्यादि का विवरण दिया गया है।

तटीय जलकृषि(संशोधन) नियम, 2009 से एल.वेन्नामई की शुरूवात करने के लिए हैचरियों और फार्मों को विनियंत्रित करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए थे। इन दिशा-निर्देशों में वेन्नामई नस्ल के अनुप्रयोग के लिए मानक, तकनीकी आवश्यकताएं, एसपीएफ एल.वेन्नामई के उत्पादन और बिक्री के लिए प्रक्रिया शामिल है और फार्मों के अनुमोदन और प्रचालन के लिए मानक और विनियम विनिर्दिष्ट हैं।

हैचरी संचालकों और झींगा कृषकों के सुचारु प्रचालन के लिए, भारत सरकार ने वयस्क ब्रूडस्टॉक पालन के लिए 10 ग्राम तक एल.वेन्नामई के एसपीएफ बच्चों के आयात, अनुमति प्राप्त हैचरियों से नौपली की बिक्री, पर्याप्त. सूखा काल के बाद एक प्रजाति से दूसरे प्रजाति में पालन को बदलने के लिए अनुमति प्रदान करते हुए मार्च, 2012 में अधिसूचना के तहत सीएए नियम, 2005 में और आगे संशोधन किया है। इस अधिसूचना से अप्राधिकृत बीज उत्पादन से निपटने की निरीक्षण प्रक्रिया और सीएए के टीम निरीक्षण द्वारा अप्राधिकृत स्टॉक को नष्ट करने के जरिए एल.वेन्नामई पालन को भी सुदृढ़ किया गया।

दिनांक 16 फरवरी, 2015 को अधिसूचना जारी की गई थी जिसमें पेनीस मोनोडान के लिए पंजीकृत फार्मों को शून्य जल बदलावों को अपनाते हुए निम्न स्टाकिंग सघनता के साथ एल. वेन्नामई कृषि करने की अनुमति प्रदान करने के लिए दिशा-निर्देश भी जारी किए गए थे।

सीएए द्वारा तटीय क्षेत्रों में सभी झींगा हैचरियों (पी.मोनोडान सहित) के पंजीकरण के संबंध में सीएए नियम, 2005 के अनुलग्नक-1 के दिशा-निर्देशों में डीएचडीएंडएफ, कृषि और कृषक कल्याण मंत्रालय द्वारा नवंबर, 2015 में सीएए अधिनियम, 2015 के प्रावधानों के अनुरूप संशोधन जारी किया गया था।

तटीय जलकृषि प्राधिकरण एल.वेन्नामई पालन आरंभ करने के लिए हैचरियों एवं फार्मों को अनुमति प्रदान करने में इस उद्यम के सतत विकास के लिए संपूर्ण प्रचालन के निरीक्षण और मानिट्रिंग में सावधानीपूर्वक अनुपालन कर रहा है। बड़ी संख्या में छोड़ दिए गए झींगा फार्मों को पुनर्जीवित करने के मार्ग को प्रशस्त बनाने के लिए एसपीएफ एल. वेन्नामई को शुरू किया गया और इसके परिणामस्वरूप देश में झींगा के उत्पादन और निर्यात में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई।

II. लक्ष्य तथा कार्य निष्पादन

1. वार्षिक लक्ष्य

- क्रियान्वयन के लिए निर्णय लेने हेतु प्राधिकरण की प्रत्येक दो महीनों में कम से कम एक बैठक आयोजित करना।

- तटीय जल कृषि फार्मों का पंजीकरण तथा उनका नवीनीकरण एक सतत प्रक्रिया है जिसका विशेष रूप से लक्ष्य निर्धारित नहीं किया जा सकता है। जिला स्तरीय समितियों (डीएलसी) और राज्य स्तरीय समितियों (एसएलसी) से प्राप्त सिफारिशों के आधार पर वर्ष के दौरान अतिरिक्त 3000 तटीय जलकृषि फार्मों को पंजीकृत/नवीकृत किए जाने की संभावना।
- वर्ष 2015-16 के लिए लगभग 2000 हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र को कवर करते हुए एसपीएफ एल.वेन्नामई पालन का विस्तार जिसमें एक वर्ष में झींगा का लगभग 20,000 मेट्रिक टन प्रत्याशित अतिरिक्त उत्पादन किया जाएगा।
- तकनीकी समिति द्वारा आवश्यकता और मौजूदा ब्रूडस्टॉक आपूर्तिकर्ताओं के निष्पादन की समीक्षा पर निर्भर करते हुए ब्रूडस्टॉक आपूर्तिकर्ताओं का चयन।
- ब्रूडस्टॉक के आयात और सीएए द्वारा अनुमोदित कृषकों को आपूर्ति करने के लिए एसपीएफ बीजों के उत्पादन हेतु अनुमति प्रदान करने के लिए पर्याप्त जैव सुरक्षा सुविधाएं रखने वाले भावी हैचरी मालिकों से आवेदन-पत्र आमंत्रित करने के लिए सार्वजनिक सूचना जारी करना।
- नए फार्मों के पंजीकरण के लिए आनलाइन व्यवस्था शुरू करना।
- तकनीकी समिति द्वारा एल.वेन्नामई कृषि के लिए ब्रूडस्टॉक की वार्षिक आवश्यकता हैचरी क्षमता और एल.वेन्नामई पालन के लिए पालन क्षेत्र की सीमा के आधार पर तैयार की जाएगी।
- उन कृषकों से प्राप्त सभी आवेदन-पत्रों को प्रक्रम में लाना, जो पी.मोनोडान, एसपीएफ, एल.वेन्नामई या किसी अन्य खाराजल प्रजाति को अपने फार्म में अपेक्षित सुविधा प्रणाली सृजित करते हुए पालन करना चाहते हैं और तत्पश्चात पंजीकरण तथा/या अनुमति प्रमाण-पत्र जारी करना।
- हैचरियों और नौपल्ली रियरिंग केन्द्रों द्वारा बीज उत्पादन और एसपीएफ एल.वेन्नामई पालन के लिए प्राप्त आवेदनों की प्रक्रिया समयबद्ध तरीके से आरंभ करना।
- इस प्रयोजन के लिए अन्य सुविधाओं के साथ-साथ जैव सुरक्षा अपेक्षाओं को सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण दल द्वारा हैचरियों, नौपल्ली रियरिंग केन्द्रों और फार्मों का निरीक्षण करना।
- निरीक्षण दल द्वारा सिफारिश किए गए आवेदनों पर मंजूरी प्रदान करने के लिए प्राधिकरण द्वारा अपनी नियमित बैठक में विचार करना।
- हैचरियों, नौपल्ली रियरिंग केन्द्रों और फार्मों की निगरानी सावधिक रूप से करना और अनुमोदन की शर्तों का उल्लंघन करने पर उपयुक्त कार्रवाई करना।
- तटीय जलकृषि प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित जल गुणवत्ता मानकों को सुनिश्चित करने के लिए ईटीएस से निकलनेवाले अपशिष्ट जल की गुणवत्ता नमूने प्राप्त करना एवं परीक्षण करना।
- खाद्य सुरक्षा को बढ़ाने के उद्देश्य से बीज उत्पादन और जलकृषि में प्रयुक्त किए जाने वाले एंटीबायोटिक/मुक्त जलकृषि आदानों के पंजीकरण के विचारार्थ विनिर्माताओं/वितरकों से प्राप्त सभी आवेदन-पत्रों की छानबीन करना।
- इस क्षेत्र के दीर्घकालीन विकास के लिए बीज उत्पादन और झींगा उत्पादन आदि में बीएमपीएस के कार्यान्वयन, एसपीएफ एल. वेन्नामई सहित हैचरी बीज उत्पादन और झींगा उत्पादन के पंजीकरण के संबंध में अपनाए जाने वाले संव्यवहारों के संबंध में डीएलसीज और एसएलसीज के सदस्यों को शिक्षित करने के उद्देश्य से सभी महासागरीय राज्यों/यूटीज के मात्स्यिकी विभाग के कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम (टीटीपी) और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन।
- पालकों को हैचरियों के पंजीकरण, एसपीएफ एल.वेन्नामई पालन और क्रेब फार्मिंग तथा प्रतिबंधित दवाओं के मुद्दों और अन्य महत्वपूर्ण बातों के विषय में जागरूक बनाने के लिए जब कभी आवश्यक हो, तटवर्ती राज्यों में जागरूकता के कार्यक्रम आयोजित करना।

- तटीय जलकृषि के संबंध में दीर्घकालिक कृषि संव्यवहारों के प्रदर्शन हेतु कार्यशाला/ सेमिनारों का आयोजन अथवा संबंधित संगठन द्वारा आयोजित कार्यशालाओं/ सेमिनारों/ प्रदर्शनियों में भागीदारी।
- पणधारियों को वितरित करने के लिए स्थानीय भाषाओं में जलकृषि के अच्छे संव्यवहारों (जीएक्यूपी)/ बीएमपीज पर ब्रॉशर/ हैंडआउट तैयार करना।

2. वास्तविक निष्पादन की संक्षिप्त समीक्षा

- अप्रैल 2015 और मार्च 2016 के बीच प्राधिकरण की छः बैठकें आयोजित की गई थीं। एसएलसी/ डीएलसी से प्राप्त पंजीकरण के लिए सभी 1520 आवेदन-पत्रों पर अनुमोदित करने के लिए विचार किया गया था। प्राधिकरण में 1501 आवेदनों को अनुमोदित किया और शेष को संशोधन के लिए डीएलसी/ एसएलसी को वापस भेज दिया गया।
- सीएए द्वारा सभी 1501 फार्मों को पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी किया।
- वर्ष के दौरान प्राधिकरण ने पंजीकरण के नवीकरण के लिए 637 आवेदनों पर विचार किया है और सभी 637 फार्मों को अनुमोदित कर दिया है। अनुमोदन के बाद सभी संबंधित मूल पंजीकृत प्रमाणपत्रों को अभ्यर्पित कर दिया गया।
- निरीक्षण दल की रिपोर्ट के आधार पर 76 नई हैचरियों को निरीक्षण के बाद एसपीएफ एल.वेन्नामई के बीज उत्पादन के लिए अनुमति प्रदान कर दी गई थी और 2014-15 के दौरान 31-03-2016 तक 183 हैचरियों को अनुमति प्रदान की गई थी।
- एसपीएफ एल.वेन्नामई के पालन के लिए किसानों से प्राप्त आवेदनों की जांच और निरीक्षण दल की रिपोर्ट के आधार पर सीएए ने 361-0 हेक्टेयर जल प्रभावित क्षेत्र सहित 121 फार्मों को अनुमोदित किया गया है।
- सभी 259 हैचरियों को सीएए द्वारा सूचीबद्ध 12 ब्रूडस्टॉक आपूर्तिकर्ताओं से एसपीएफ एल. वेन्नामई के 6,05,264 ब्रूडस्टॉक के आयात के लिए अनुमति-पत्र (एलओपी) जारी किए गए थे जिसकी तुलना में वर्ष के दौरान केवल 1,69,458 ब्रूडस्टॉकों का आयात किया गया था।
- सीएए ने परिपक्वन सुविधा के बिना एसपीएफ एल. वेन्नामई बीज उत्पादन के लिए लघु स्तर की हैचरियों को प्रोत्साहित करने के लिए नौपल्ली रियरिंग केन्द्रों (एनआरसी) की अवधारणा शुरू की थी और जांच दल की रिपोर्ट के आधार पर 52 मिलियन बीज/वर्ष उत्पादन क्षमता के दो नौपल्ली रियरिंग केन्द्र वर्ष के दौरान पंजीकृत किए गए थे।
- एसपीएफ एल. वेन्नामई हैचरियों की संख्या में कार्यक्रम के प्रारंभ (जुलाई, 2009) में 9 से सतत रूप से वृद्धि हुई है। सात वर्षों की अवधि में (मार्च, 2016), सीएए ने 24,209 मिलियन बीज/वर्ष की उत्पादन क्षमता वाली 259 एल.वेन्नामई हैचरियों को अनुमोदित किया है।
- वर्ष के दौरान अनुमोदित हैचरियों द्वारा बीज उत्पादन में वर्ष 2009-10 के दौरान 310-69 मिलियन से वर्ष 2015-16 के दौरान लगभग 7,163.06 मिलियन (अनुमानित) तक और पंजीकृत झींगा किसानों को आपूर्ति में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है।
- वर्ष के दौरान उत्पादित कुल नौपल्ली से कुल पोस्ट लार्वा की औसत जीवित दर अनुमानित 35.21% थी।
- हैचरियों के पंजीकरण की प्रक्रिया को सरल बनाया गया था जिसमें जांच दल द्वारा अनुमोदन के आधार पर प्राधिकरण की बैठकों के बीच समय अंतराल के कारण निरीक्षण के तत्काल बाद अनुमोदन प्रदान किए जाते हैं। तथापि, प्राधिकरण द्वारा पूर्वव्यापी अनुमोदन प्राप्त किया गया था।

यदि, स्पष्टीकरण अपेक्षित होते हैं तो अनुमोदन प्राधिकरण के समक्ष रखने के बाद ही प्रदान किए जाते थे।

- हैचरियों को प्रत्येक वर्ष एलओपी जारी करने की व्यवस्था में तेजी लाने के लिए एकल खिड़की व्यवस्था शुरू की गई और पंजीकरण प्रमाणपत्र में यथा प्रदर्शित प्रत्येक हैचरी की संस्तुत क्षमता के अनुसार एसआईपी (डीएचडीएंडएफ द्वारा) जारी किए गए।
- ग्राम कोनापेड्डा, यू. कोटापल्ली मंडल, पूर्वी गोदावरी जिला, आंध्रप्रदेश में स्थित फिनफिश हैचरी के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया और पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी किया गया।
- वर्ष के दौरान 46 कंपनियों के कुल 258 उत्पाद 8 श्रेणियों के तहत एंटीबायोटिक-मुक्त के रूप में पंजीकृत किए गए जिनकी सूची सीएए वेबसाइट पर डाली गई। पंजीकरण को एक सतत् प्रक्रिया के रूप में जारी रखा जाता है ताकि अधिकाधिक संख्या में उत्पादों को पंजीकृत किया जा सके।
- चेन्नै में 15 अप्रैल, 2015 को सदस्य सचिव, सीएए की अध्यक्षता में एक ब्रेन स्टार्मिंग सत्र का आयोजन किया गया जिसमें एआईएसएचए, एसएपी, एमपीईडीए के प्रतिनिधि और सीएए के अधिकारी उपस्थित थे जिसमें नौपल्ली रियरिंग केन्द्रों की स्थापना को अनुमति देने के लिए प्रस्ताव, हैचरियों में स्थापित पीसीआर प्रयोगशालाओं के प्रभावी उपयोग और कुशल रोग जांच प्रयोगशालाओं की पहचान करने की आवश्यकता पर विस्तार से चर्चा की गई और उपयुक्त उपाय किए गए।
- वर्ष के दौरान एक्यूएफ की कार्यप्रणाली की देखरेख और निगरानी के लिए तकनीकी समिति की चार बैठकें की गईं और वर्ष में 4-12 लाख ब्रूडस्टॉकों के लिए जलीय क्यूविकल की क्षमता को बढ़ाने पर उपयुक्त निर्णय लिया गया, नवंबर-दिसंबर, 2015 के दौरान चेन्नै में बार-बार बाढ़ के मुद्दे के तत्काल समाधान के लिए आकस्मिक उपाय किए गए। अन्य मामले जैसे ईएचपी, ईएमएस को ओआईई सूची में “डिजीज आफ कंसर्न” के रूप में शामिल करने, ब्रूडस्टॉक से लार्वा में ईएचपी के पारेषण से बचने और उसका नियंत्रण करने के लिए हैचरी प्रचालकों के लिए सलाह तैयार करना, जलीय क्यूविकल के लिए मौजूदा प्रयोक्ता प्रभागों को जारी रखने के लिए एआईएसएचए द्वारा किए गए अनुरोध, असाधारण परिस्थितियों/वास्तविक आकस्मिक स्थितियों आदि पर एक्यूएफ से हैचरियों में ब्रूडस्टॉक को शिफ्ट करने आदि पर भी विचार-विमर्श किए गए।
- एसपीएफ एल. वेन्नामई ब्रूडस्टॉक के अतिरिक्त विदेशी आपूर्तिकर्ताओं की सूची बनाने के लिए तकनीकी मूल्यांकन समिति की दिनांक 10-07-2015 को बैठक हुई थी जिसमें दो अतिरिक्त विदेशी आपूर्तिकर्ताओं की वैयक्तिक प्रस्तुतीकरण और तथ्यों की छानबीन के पश्चात् संस्तुति की गई थी और उन्हें प्राधिकरण द्वारा दिनांक 26-08-2015 को अपनी 54वीं बैठक में अनुमोदन प्रदान कर दिया गया था।
- वर्ष के दौरान सीआईबीए के सहयोग से दो प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया जिनमें मात्स्यिकी विभाग, आंध्र प्रदेश के 40 अधिकारियों को “झींगा उत्पादन, हैचरी बीज उत्पादन और विनयमों” के संबंध में प्रशिक्षित किया गया।
- केरल राज्य के जलकृषि क्षेत्र के विभिन्न पणधारकों को लाभान्वित करने के लिए केरल मात्स्यिकी और महासागर अध्ययन विश्वाविद्यालय (केयूएफओएस) द्वारा ‘केरल में एसपीएफ लिटोपेनस वेन्नामई उत्पादन’ विषय पर पाननघाट, कोच्चिओ में 20 और 21 अगस्त, 2015 के दौरान आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में भागीदारी।
- दिनांक 14-10-2015 को गुजरात राज्य के सूरत जिले के अलपाड ग्राम में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसका समन्वय गुजरात राज्य के डीएलसीज द्वारा किया गया जिसमें लगभग

200 झींगा किसानों, हैचरी प्रचालकों और जिले के इनपुट आपूर्तिकर्ताओं के अलावा डीएलसीज से संबंधित अधिकांश अधिकारियों और राज्य के मात्स्यिकी विभाग के क्षेत्राधिकारियों ने भाग लिया।

- एसपीएफ एल. वेन्नामई हैचरी मालिकों/प्रचालकों के लिए 4 जागरूकता कार्यक्रमोंको आयोजित करने में मात्स्यिकी विभाग, आंध्र प्रदेश सरकार के साथ सहयोग जिसमें से काकीनाड़ा और विजयवाड़ा में एक-एक कार्यक्रम क्रमशः दिनांक 07-05-2015 और 25-06-2015 को तथा अन्य दो कार्यक्रम नेल्लौर में दिनांक 30-07-2015 और 13-11-2015 को आयोजित किए गए जिसमें से दो की अध्यक्षता पूर्वी गोदावरी और नेल्लौर जिले के जिलाधिकारी द्वारा की गई। तटीय आंध्र प्रदेश राज्य के मात्स्यिकी अधिकारियों, किसानों, इनपुट आपूर्तिकर्ताओं आदि सहित लगभग 900 हैचरी मालिकों/प्रचालकों, डीएलसी सदस्यों ने इसमें भाग लिया।
- सीएए द्वारा प्रोतसाहन के कारण मात्स्यिकी आदिकी विभाग, आंध्र प्रदेश सरकार ने सीएए के सहयोग से एसआईएफटी, काकीनाड़ा में दिनांक 07 जनवरी, 2016 को “झींगा हैचरियों का निरीक्षण और गुणवत्ता, निगरानी” विषय पर एक कार्यशाला आयोजित की थी जिसमें एसएलसी और डीएलसी के अधिकांश राज्य मात्स्यिकी अधिकारियों और लगभग 350 जलकृषि उत्पादकों, हैचरी प्रचालकों, इनपुट आपूर्तिकर्ताओं आदि ने भाग लिया।
- सीएए ने भी संबद्ध पणधारकों द्वारा समन्वित दो कार्यशालाओं में भागीदारी की जिसमें से एक आंध्रा विश्वविद्यालय द्वारा 8 और 9 अप्रैल, 2015 को और दूसरी जलकृषि व्यवसायी समिति द्वारा 29 और 30 जनवरी, 2016 को आयोजित की गई। दोनों कार्यशालाएं विशाखापत्तनम में आयोजित की गईं जिनमें तटीय जलकृषि प्राधिकरण दिशा-निर्देशों के माध्यम से भारतीय जलकृषि में मौजूद चुनौतियों से निबटने को रेखांकित किया गया। लगभग 550 जलकृषि व्यवसायियों, शोध छात्रों और जलकृषि वैज्ञानिकों ने कार्यशालाओं में शिरकत की।
- सीएए ने तटीय जलकृषि क्षेत्र के पणधारकों की 3 परामर्शदायी बैठकों में भाग लिया जिसमें से एक तमिलनाडु मात्स्यिकी विश्वविद्यालय द्वारा नागापट्टनम में 21-09-2015 को आयोजित की गई और अन्य बैठकें मात्स्यिकी विभाग, ओडिशा सरकार द्वारा भुवनेश्वर में 07-02-2016 को आयोजित की गईं और अन्य मात्स्यिकी विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा कोलकाता में 03-03-2016 को आयोजित की गईं और इन राज्यों में इस क्षेत्र को लाभान्वित करने के लिए एसपीएफ एल. वेन्नामई कृषि और सीएए दिशा-निर्देशों को अपनाकर दीर्घकालिक जलकृषि हेतु भावी कार्य नीतियों के संबंध में पणधारकों का मार्ग-निर्देशन किया गया।
- सीएए में राजभाषा को बढ़ावा देने के लिए हिन्दी सप्ताह और एक तीन दिवसीय हिन्दी सेमिनार का आयोजन किया गया जिसमें अधिकारियों और कर्मचारियों ने भाग लिया।
- राष्ट्रीय सूचना केन्द्र के जरिए सीएए वेबसाइट www-caa-gov-in में अपलोड किए गए डाटाबेस, चेन्नै को नई और नवीनतम सूचना से पाक्षिक तौर पर अपडेट किया जाता है। आवेदन-पत्र, पंजीकरण के निबंधन और शर्तों, पंजीकृत उत्पादों की सूची और संबंधित अधिसूचनाओं आदि सहित एंटीबायोटिक-मुक्त जलकृषि आदानों के पंजीकरण की सूचना भी प्रयोज्य अनुरूप डाउनलोड होने योग्य प्रारूप में जोड़ी जाती है।
- तमिलनाडु मुख्यालय को मजबूत करने और फार्मों तथा हैचरियों तक आसान पहुंच के लिए देश में तटीय राज्यों के समग्र क्षेत्र को कवर करने के उद्देश्य से सीएए के क्षेत्रीय केन्द्र (3) स्थापित करने के लिए अक्टूबर, 2014 के दौरान केन्द्र सरकार को प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव के अनुसरण में इसे अपेक्षित फार्मेट में गैर-योजना व्यय से संबंधित समिति के लिए पुनः प्रस्तुत किया गया था।

III. क. कार्यकलाप व उपलब्धियां

1. प्राधिकरण की बैठक और प्राधिकरण द्वारा समितियों का गठन

- चालू वर्ष अर्थात अप्रैल 2015 - मार्च 2016 के दौरान सीएए में विशिष्ट उद्देश्यों के लिए अन्य बैठकें के अलावा अपनी नियमित बैठकें की।

प्राधिकरण की बैठकें

- वर्ष के दौरान प्राधिकरण की छः नियमित बैठकें हुई थीं, बैठकों व उनमें लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों का संक्षिप्त ब्यौरा **सारणी-1** में दर्शाया गया है। पंजीकरण के लिए दिए गए आवेदनों को स्वीकृति प्रदान करने के अलावा प्राधिकरण ने कई महत्वापूर्ण मुद्दों जैसे सीएए के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वाले अनुमति प्राप्त हैचरियों/ फार्मों के कारण बताओ नोटिस/ समापन आदेश का मुद्दा, जलकृषि कार्यकलापों के कारण पैदा हुई सामाजिक समस्याओं के विरुद्ध कार्रवाई, बगैर अनुमोदन वाली हैचरियों के विरुद्ध कार्रवाई, हैचरियों के पंजीकरण की प्रक्रिया की समीक्षा और फार्मों और हैचरियों से निकलने वाले अपशिष्ट जल की निगरानी आदि पर विचार-विमर्श किया।



प्राधिकरण की बैठक



प्राधिकरण की बैठक

तालिका 1 : तटीय जलकृषि प्राधिकरण की बैठकें (अप्रैल 2015 से मार्च 2016)

बैठकें	तारीख और स्थान	बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय
52 वीं बैठक	29 अप्रैल 2015, चेन्नै	77 झींगा फार्मों के पंजीकरण को अनुमोदन प्रदान किया। 69 झींगा फार्मों के पंजीकरण के नवीकरण को अनुमोदित किया गया। - एसपीएफ एल.वेन्नामई पालन के लिए 42 झींगा फार्मों (डब्ल्यू एसए- 45-15 हेक्टेयर) को अनुमति प्रदान की गई। - पंजीकरण के लिए 12 हैचरियों हेतु पूर्वव्यापी अनुमोदन प्रदान किया गया और एलओपी जारी किया गया। - संबंधित जिला अधिकारियों को सूचित करते हुए आंध्र प्रदेश के नेल्लौर और प्रकाशम जिलों में 6 गैर-पंजीकृत हैचरियों को जारी किए गए समापन आदेश रद्द किए गए। - गैर-पंजीकृत झींगा फार्मों के प्रचालन के संबंध में मरक्कानम क्षेत्र 9 के ग्रामीणों से प्राप्ते शिकायतों के आधार पर सीएए दल द्वारा किए गए स्थल निरीक्षण के पश्चात इस क्षेत्र में गैर-प्राधिकृत फार्मों को बंद करने के अनुरोध के साथ रिपोर्ट बिल्लुपुरम जिला कलेक्टर को भेजने का संकल्प लिया गया। - प्राधिकरण द्वारा सीएए कार्यालय को नए परिसर में स्थानान्तरित करने को नोट किया गया।

बैठकें	तारीख और स्थान	बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय
53 वीं बैठक	24 जून, 2015, चेन्नै	94 झींगा फार्मों के पंजीकरण को अनुमोदन प्रदान किया गया। 28 झींगा फार्मों के पंजीकरण के नवीकरण को अनुमोदित किया गया। - पंजीकरण के लिए 19 हैचरियों हेतु पूर्वव्यापी अनुमोदन प्रदान किया गया और एलओपी जारी किया गया। - एसपीएफ एल. बेन्नामई कृषि के लिए एक झींगा फार्म (डब्ल्यू एसए - 3.85 हेक्टेयर) को मंजूरी प्रदान की गई। - एनआईसी के परामर्श से 'ऑनलाइन पंजीकरण' व्यवस्था के तहत प्रस्तावित पंजीकरण के लिए नए फार्मों हेतु एकल आवेदन-पत्र व्यवस्था को अनुमोदित किया गया। - बीज उत्पादन के दौरान अपनी हैचरी के ईटीएस का उपयोग नहीं करने के लिए तमिलनाडु में एक हैचरी को चेतावनी पत्र जारी करने का संकल्प लिया गया। - प्राधिकरण ने विशेष शर्तों के तहत नौपल्ली रियरिंग केन्द्र (एनआरसी) को स्थापित करने के प्रस्ताव से सहमति व्यक्त की। - वर्ष 2014-15 के लिए सीएए के वार्षिक खाते का सीएंडएजी की लेखा परीक्षा के लिए अनुमोदन किया गया। - कार्यालय के नए परिसरों के आस-पास के क्षेत्र में तटीय जल कृषि प्राधिकरण के लिए 5 नए बैंक खातों को खोलने का अनुमोदन किया गया। - हैचरियों के पंजीकरण और नवीनीकरण के लिए 10,000 रूपए (दस हजार रूपए मात्र) का शुल्क निश्चित करने और एलओपी जारी करने के लिए शुल्क में 10,000 रु (दस हजार रूपए मात्र) तक वृद्धि करने का संकल्प किया गया।
54 वीं बैठक	26 अगस्त, 2015, चेन्नै	443 झींगा फार्मों के पंजीकरण का अनुमोदित किया गया। 150 झींगा फार्मों के पंजीकरण के नवीकरण को अनुमोदित किया गया। - पंजीकरण के लिए 18 हैचरियों हेतु पूर्वव्यापी अनुमोदन प्रदान किया गया और एलओपी जारी किए गए। - एसपीएफ एल. बेन्नामई कृषि के लिए 11 झींगा फार्मों (डब्ल्यू एसए - 31.60 हेक्टे0) को अनुमति प्रदान की गई। - पंजीकरण संख्या अंकित करने के लिए फार्म/ किसानों को नवीनीकरण प्रमाण-पत्र जारी करने का संकल्प लिया गया। - तकनीकी मूल्यांकन समिति की सिफारिशों के आधार पर भारतीय हैचरियों को एसपीएफ एल. बेन्नामई ब्रूडस्टाक आपूर्तिकर्ताओं की सूची में दो और नए आपूर्तिकर्ताओं (एक मैक्सिको से और दूसरा यूएसए से) को कंपनियों द्वारा 10 जुलाई, 2015 को दिए गए वैयक्तिक प्रस्तुतीकरण के आधार पर शामिल करने को नोट किया गया और अनुमोदित किया गया। - वर्ष 2014-15 के लिए सीएए के वार्षिक बजट को अनुमोदित किया गया। - केन्द्रीय मात्स्यिकी शिक्षा संस्थान (सीआईएफई), काकीनाडा, आंध्रप्रदेश द्वारा प्रस्तुत फार्म के पंजीकरण के नवीनीकरण के लिए आवेदन-पत्र को सरकारी अनुसंधान संस्थान के दिशा-निर्देशों के तहत अनुमोदित किया गया। - सार्वजनिक नोटिस अनुमोदित की गई जिसमें विनिर्माताओं और वितरकों द्वारा तटीय जलकृषि में प्रयुक्त जलकृषि आदानों जैसे फीड, फीड एडिटिव्स, प्रोबायोटिक्स, रसायनों, दवाइयों आदि प्रत्येक उत्पाद के पंजीकरण के लिए 10,000 रूपए के शुल्क सहित पंजीकरण की आवश्यकता को दर्शाया गया है।

बैठकें	तारीख और स्थान	बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय
55 वीं बैठक	30 अक्टूबर, 2015, चेन्नै	• 292 झींगा फार्मों के पंजीकरण का अनुमोदित किया गया। • 107 झींगा फार्मों के पंजीकरण के नवीकरण को अनुमोदित किया गया। • पंजीकरण के लिए 06 हैचरियों हेतु पूर्वव्यापी अनुमोदन प्रदान किया गया और एलओपी जारी किए गए। • एसपीएफ एल.वेन्नामई के पालन के लिए 17 झींगा फार्मों (डब्ल्यूएसए- 106.46 हेक्टेयर) को अनुमति प्रदान की गई। • फिंगरलिंग्स के उत्पादन के लिए कोनापेट्टा ग्राम, पूर्वी गोदावरी जिला, आंध्र प्रदेश में प्रस्तावित एक फिनफिश हैचरी का अनुमोदन। • ग्राम उप्पूर, तिरुवादामी तालुक, जिला रामनाथपुरम, तमिलनाडु में पुटुक और बायोमास उत्पादन के लिए आरजीसीए के प्रस्तावित आर्टेनिया डिमांस्ट्रेशन फार्म का सरकारी अनुसंधान संस्थान के दिशा-निर्देशों के तहत पंजीकरण अनुमोदित किया गया। • केरल मात्स्यिकी और सामुद्रिक अध्ययन विश्वविद्यालय (केयूएफओएस), पालनघाट, कोच्चि के रजिस्ट्रार के उनके हैचरी का सरकारी अनुसंधान संस्थान के दिशा-निर्देशों के तहत पंजीकरण और बीज उत्पादन के लिए एसपीएफ एल. वेन्नामई ब्रूडस्टाक के आयात की अनुमति के लिए प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया। • नवसारी कृषि विश्वविद्यालय, नवसारी, गुजरात के शोध निदेशक के उनके फार्म के पंजीकरण के लिए प्रस्ताव और सीआईबीए के साथ सहयोगात्मक परियोजना के तहत एसपीएफ एल. वेन्नामई का उत्पादन करने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया। • सीएए द्वारा अनुमोदित फार्मों और हैचरियों में अपने सांविधिक कार्यों का निष्पादन करने हेतु प्रवेश करने की सभी सांविधिक प्राधिकरणों के अधिकारियों को अनुमति देने के लिए सार्वजनिक नोटिस अनुमोदित की गई। • यह निर्णय लिया गया कि सीआईबीए के एक प्रतिनिधि को एल वेन्नामई हैचरियों और फार्मों के निरीक्षण के लिए शामिल किया जाए। यह भी निर्णय लिया गया कि यही समिति फिनफिश हैचरियों का निरीक्षण करे। • यह संकल्प लिया गया कि सीएए बिना किसी विशेष वित्तीय प्रतिबद्धता के क्षेत्र से एकत्र किए गए जलकृषि आदानों के नमूनों का परीक्षण/ विश्लेषण करने के लिए सीफूड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन आफ इंडिया (एसईएआई) के साथ एक करार करे।

बैठकें	तारीख और स्थान	बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय
56 वीं बैठक	21 दिसंबर, 2015, चेन्नै	11 झींगा फार्मों के पंजीकरण का अनुमोदित किया गया। 81 झींगा फार्मों के पंजीकरण के नवीकरण को अनुमोदित किया गया। - पंजीकरण के लिए 08 हैचरियों हेतु पूर्वव्यापी अनुमोदन प्रदान किया गया और एलओपी जारी किए गए। - एसपीएफ एल.वेन्नामई के पालन के लिए 09 झींगा फार्मों (डब्ल्यूएसए-57.60 हेक्टेयर) को अनुमति प्रदान की गई। - एसपीएफ एल.वेन्नामई बीज उत्पादन के लिए नौपल्ली रियरिंग केन्द्र के पंजीकरण हेतु पूर्वव्यापी अनुमोदन। - डीएलसीज/एसएलसीज से संस्तुति प्राप्त होते ही तत्काल पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी करने का संकल्प लिया गया ताकि विलंब से बचा जा सके और इसे जांच के लिए प्राधिकरण के समक्ष अगली बैठक में रखा जाए। इस प्रकार के मामले जहां जटिलताएं और अस्पष्टता का अभाव होता है उन्हें पहले प्राधिकरण के समक्ष रखा जाए और उनके संबंध में पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्राधिकरण द्वारा अनुमोदन के पश्चात ही जारी किया जाए। - वर्ष 2014-15 के लिए अलग लेखा-परीक्षा रिपोर्ट में की गई टिप्पणियों के ड्राफ्ट उत्तर का अनुमोदन किया गया। - सीएए द्वारा तटीय क्षेत्रों में सभी झींगा हैचरियों (पी मोनोडॉन सहित) के पंजीकरण के संबंध में सीएए नियम, 2005 के अनुलग्नक-1 में निहित दिशा-निर्देशों में संशोधन को नोट किया गया। - एकल खिड़की प्रणाली के जरिए हैचरियों को प्रत्येक वर्ष एलओपी जारी करने को अनुमोदित किया गया और डीएचडीएंडएफ प्रत्येक हैचरी की संस्तुत क्षमता के अनुसार एसआईपी जारी कर सकता है जैसा कि पंजीकरण प्रमाण-पत्र में विनिर्दिष्ट होता है। पंजीकरण के 5 वर्षों की अवधि के लिए समग्र शुल्क तदनुसूची बैंक गारंटी के साथ पंजीकरण के समय ली जा सकती है।
57 वीं बैठक	17 फरवरी, 2016, चेन्नै	- पंजीकरण के लिए 582 झींगा फार्मों (एसपीएफ एल. वेन्नामई के लिए 64 और पी.मोनोडॉन के लिए 518) हेतु पूर्वव्यापी अनुमोदन प्रदान किया गया। 201 झींगा फार्मों के पंजीकरण के नवीकरण को पूर्वव्यापी अनुमोदन प्रदान किए गए। - पंजीकरण के लिए 13 हैचरियों हेतु पूर्वव्यापी अनुमोदन प्रदान किए गए और एलओपी जारी किए गए। - एसपीएफ एल.वेन्नामई के पालन के लिए 09 फार्मों (डब्ल्यूएसए- 45.42 हेक्टेयर) को पूर्वव्यापी अनुमति प्रदान की गई। - एसपीएफ एल.वेन्नामई बीज उत्पादन के लिए एक नौपल्ली रियरिंग केन्द्र के पंजीकरण हेतु पूर्वव्यापी अनुमोदन। - झींगा बीज परीक्षण के लिए मान्यता प्राप्त करने हेतु रोग नैदानिक प्रयोगशालाओं (पीसीआर प्रयोगशालाओं) के लिए सीएए की मान्यता/ अनुमोदन प्रदान करने हेतु सार्वजनिक नोटिस ड्राफ्ट अनुमोदित।

2. प्राधिकरण द्वारा गठित समिति की बैठकें

(i) हैचरियों में एनआरसीज, पीसीआर प्रयोगशालाओं की स्थापना और कुशल रोग नैदानिक प्रयोगशालाओं को चिन्हित करने की आवश्यकता के संबंध में ब्रेन स्टार्मिंग सत्र।

04 मार्च, 2015 को आयोजित अपनी 51वीं बैठक में तटीय जलकृषि प्राधिकरण द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि नौपल्ली रीमरिंग केन्द्र (एनआरसी) की स्थापना से संबंधित मुद्दे का एक ब्रेन स्टार्मिंग सत्र के माध्यम से विस्तृत अध्ययन किया जाए और इन मुद्दों पर आगे की कार्रवाई पर विचार करने से पूर्व बीज परीक्षण के लिए हैचरियों में रोग नैदानिक प्रयोगशालाओं की कार्यप्रणाली की जांच करने की इच्छा भी व्यक्त की। तदनुसार, सीएए द्वारा 15 अप्रैल, 2015 को चेन्नै में एक ब्रेन स्टार्मिंग सत्र का आयोजन किया गया। सदस्य सचिव, सीएए की अध्यक्षता में बैठक में सीएए के अधिकारियों और सीआईबीए से प्रतिनिधि शामिल हुए।

समिति ने आयात और परिपक्ववन व्यवस्था के बीज उत्पादन इकाइयों को अनुमति देने की आवश्यकता पर सहमति व्यक्त की। तथापि, बिना परिपक्ववन व्यवस्था की ऐसी हैचरियों को बीज आपूर्ति के लिए परिपक्ववन वाली पंजीकृत हैचरियों से जोड़ा जाना चाहिए। आगे यह विचार-विमर्श किया गया कि ऐसी हैचरियों और प्रस्तावित नौपल्ली रीमरिंग केन्द्रों को भविष्य में किसी ब्रूडस्टॉक कोटा की अनुमति नहीं दी जाएगी और उनके पास उनकी सुविधा के लिए किसी भी समय कोई ब्रूडस्टॉक नहीं होना चाहिए जिसे 'यदि पाया जाता है' नष्ट कर दिया जाएगा और प्रचालकों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।

पीसीआर प्रयोगशालाओं के प्रभावी उपयोग के संबंध में यह सामान्य रूप से पाया जाता है कि अधिकांश हैचरियों के पास उपस्कर को संभालने के लिए कोई योग्य तकनीकविद नहीं होता है। यद्यपि ब्रूडस्टॉक एसपीएफ है और रोग की स्थिति की पहले ही संगरोधन में जांच होती है, बीज का परीक्षण अनिवार्य होता है क्योंकि स्थानीय दशाओं में स्वदेशी वायरस जैसे डब्ल्यूएसएसवी और आईएचएनवी की उपस्थिति और फीड के माध्यम से उनके बढ़ने और ऐसी जगहों पर उनका प्रजनन होता है जहां समूह में अण्डजन की कवायद की जाती है। इसलिए बीज परीक्षण पर बल दिया जाता है ताकि रोगों के प्रसार को समाप्त किया जा सके जो उक्ते स्त्रोतों और तालाब पशक ब्रूडस्टॉक के उपयोग के माध्यम से प्रणाली में प्रवेश कर सकता है। यह महसूस किया गया कि रिंग जांच किया जाए क्योंकि अन्य माध्यमों द्वारा दी गई जांच रिपोर्टों पर विश्वास नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त प्रयोगशालाओं की कार्यप्रणाली से संबंधित निगरानी व्यवस्था में सुधार करने और इस उद्देश्य के लिए अपेक्षित जांचों को करने के लिए कुछ प्रयोगशालाओं की पहचान और डिजाइन की आवश्यकता पर संबंधित संगठनों के साथ परामर्श करके व्यापक क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के माध्यम से जोर दिया गया था।



एन.आर.सी. गठित करने तथा हैचरियों में पी.सी.आर प्रयोगशाला की प्रभाविकता पर विचार-विमर्श



एन.आर.सी. गठित करने तथा हैचरियों में पी.सी.आर प्रयोगशाला की प्रभाविकता पर विचार-विमर्श

(ii) जलीय संगरोधन सुविधा की निगरानी पर तकनीकी समिति संबंधी बैठक:

नीलानकरई में स्थापित जलीय संगरोधन सुविधा (एक्यूकएफ) की कार्यप्रणाली निरीक्षण और निगरानी के लिए सीएए द्वारा गठित तकनीकी समिति सामने आए तकनीकी अथवा प्रचालनगत मुद्दों को निपटाने और एक्यूकएफ के निर्बाध प्रचालन की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए नियमित रूप से बैठकें करती है। वर्तमान वर्ष के दौरान, तकनीकी समिति की चार बैठकें हुईं, बैठकों और लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों के ब्यौरे तालिका 2 में संक्षेप में दिए गए हैं।

तालिका 2 : वर्ष के दौरान एक्यूकएफ की निगरानी संबंधी तकनीकी समिति की बैठकें

बैठकें	तारीख और स्थान	बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय
आठवीं बैठक	05 जून, 2015, सीएए	- वर्ष के दौरान संगरोधन क्यूबिकल की क्षमता को वर्तमान 2,70,000 ब्रूडस्टाक क्षमता से 4,12,500 ब्रूडस्टाक तक बढ़ाने के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया इसे लगभग छः क्यूबिकलों में प्रारंभ किया जाएगा जिन्हें जांच पूरा होने के बाद चरणों में बढ़ाया जाएगा। - एएचपीएनडी और ईएमपी को एक्यूकएफ में रोजनकों की जांच की सूची में शामिल करने संबंधी निर्णय तकनीकी समिति द्वारा सीआईबीए से परीक्षात्मक परिणामों की जांच के बाद लिया जा सकता है। - यह दर्शाया गया था कि पांच वर्षों की अवधि के लिए एलओपी जारी करना व्यवहार्य नहीं है क्योंकि यह एल.वेन्नामई ब्रूडस्टाक के आयात के लिए मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुरूप नहीं है। तथापि, एक वर्ष की अवधि के लिए एसआईपी की वैधता की समीक्षा डीएचडीएण्डएफ के विचाराधीन है।

बैठकें	तारीख और स्थान	बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय
नवीं बैठक	03 नवंबर, 2015, सीएए	- कुछ पाकेटों के झींगा फार्मों में पैदा होने वाली तीन अतिरिक्त रोगजनकों को एक्व्यूएफ में जांची जाने वाली झींगों के रोगजनकों की सूची में शामिल करने से संबंधित मुद्दे पर विचार-विमर्श किया गया था और अंतर्राष्ट्रीय रूप से स्वीकृत प्रोटोकाल और मानकों का अनुसरण करते हुए इन रोगजनकों की जांच के लिए एक पुख्ता व्यवस्था के मानकीकरण तक इसे लंबित रखने का निर्णय लिया गया था। - यद्यपि विदेशी आपूर्तिकर्ताओं ने अतिरिक्त रोगजनकों के लिए ब्रूडस्टॉक की जांच करने के लिए अपनी इच्छा व्यक्त की है, उन्होंने अपने पास रोगजनकों को समाप्त करने के लिए उपयुक्त/ विश्वसनीय नैदानिक तरीके होने की अभिव्यक्ति की है क्योंकि इन रोगजनकों की सूचना उनके क्षेत्र में नहीं होती है। इसलिए रोगजनकों से संबंधित प्रमुख मामलों पर 100% करार पर पहुंचने तक अध्ययन और जांच को जारी रखने का निर्णय लिया गया था। - ब्रूडस्टॉक से लारवा में ईएचपी परेषण को रोकने और नियंत्रित करने के लिए सीआईवीए से हैचरी प्रचालकों हेतु एक सलाह तैयार करने का अनुरोध किया गया था।
दसवीं बैठक	15 दिसंबर, 2015, सीएए	- नवंबर-दिसंबर, 2015 के दौरान चेन्नै में अप्रत्याशित बाढ़ के कई दौर से पूर्व की बुकिंग के रद्द होने के कारण एक्व्यूएफ में संस्थान की पुनःबुकिंग की स्थिति दोबारा प्राप्त करने के लिए आकस्मिक उपाय तैयार किए गए। - निर्णय लिया गया कि एक्व्यूएफ स्टाफ के साथ परामर्श करके तकनीकी समिति के अध्यक्ष असाधारण परिस्थितियों/ वास्तविक आकस्मिक परिस्थितियों के दौरान एक्व्यूएफ से स्टॉक को कुछ अन्य हैचरी में संस्थानांतरित करने की अनुमति दे सकता है परंतु स्टॉक को स्वीकार्य करने वाली संबंधित हैचरी के पास अपनी सुविधा के लिए कोई ब्रूडस्टॉक नहीं होना चाहिए ताकि स्टॉक के सम्मिश्रण से बचा जा सके। - एक्व्यूएफ स्टाफ द्वारा यह सूचित किया गया था कि अप्रैल, 2016 और इससे आगे एक्व्यूएफ में सभी 20 क्यूबिकल अपनी भण्डारण क्षमता में 600 ब्रूडस्टॉक तक वृद्धि करने के लिए एसओपी में अपेक्षित संशोधन को मंत्रालय के साथ उठाया जाना चाहिए। - सूचीबद्ध विदेशी आपूर्तिकर्ताओं द्वारा ब्रूडस्टॉक की आपूर्ति नहीं करने की स्थिति की समीक्षा की जानी चाहिए और इसे विदेशी आपूर्तिकर्ताओं को सूचीबद्ध करने के उद्देश्य से समिति के समक्ष रखा जाना चाहिए ताकि जिन्होंने अब तक कोई ब्रूडस्टॉक आपूर्ति नहीं की है अथवा जो रोग निगरानी से संबंधित वर्तमान अपेक्षाओं को पूरा नहीं करते उन्हें सूची से निकाला जा सके।

बैठक	तारीख और स्थान	बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय
ग्यारहवीं बैठक	11 मार्च, 2016, सीएए	- एआईएसएचए ने अनुरोध किया कि मामले पर पुनः विचार किए जाने तक संगरोधन क्यूबिकल के लिए मौजूदा प्रयोक्ता प्रभागों में कोई परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए। अतिरिक्त सहायक ढांचे सहित क्यूबिकल क्षमता को 25 कि.ग्रा. तक बढ़ाने के लिए एसओपी में अपेक्षित संशोधन डीएचडीएंडएफ द्वारा किया जा रहा है। - ईएमएस के लिए ओआईई नैदानिक संहिता तैयार होने तक, ईएमएस की जांच के लिए एपी 3 और एपी 4 दोनों प्राइमरों का प्रयोग किया जाए। संगरोधन अधिसूचना में अपेक्षित संशोधन डीएचडीएंडएफ के अनुसरण में करना होता है क्योंकि आपूर्तिकर्ताओं को संशोधन जारी होने के बाद ही सूचित किया जा सकता है। - जांच सूची में ईएचपी को समाहित करने पर निर्णय परीक्षण प्रोटोकाल को संगत बनाने के लिए सीआईबीए और आरजीसीए द्वारा प्रत्येक कन्साइनमेंट से आयातित ब्रूडस्टॉक के नमूनों में से इस रोगजनक के परीक्षण के आधार पर लिया जाएगा।



ए.क्यू.एफ. की निगरानी पर तकनीकी समिति की बैठक

(iii) एसपीएफ एल. वेन्नामई ब्रूडस्टॉक के विदेशी आपूर्तिकर्ताओं की सूची बनाने के लिए समिति की बैठक:

समिति की बैठक दिनांक 10 जुलाई, 2015 को सीएए में हुई। चार आपूर्तिकर्ताओं ने भारत को एसपीएफ एल. वेन्नामई ब्रूडस्टॉक की आपूर्ति करने के लिए अपनी इच्छा व्यक्त की। तकनीकी मूल्यांकन समिति ने जेनेटिक आधार के मूल्यांकन और उनके वैयक्तिक प्रस्तुतीकरण के दौरान ब्रूडस्टॉक के रोग की स्थिति के आधार पर सूची में शामिल करने के लिए दो कंपनियों अर्थात मैसर्स ब्लू जेनेटिक्स, मैक्सिको और मैसर्स सी.प्रोडक्ट्स डेवलपमेंट ग्लोबल ब्लू टेक्नालाजीज, एएसए की संस्तुति की थी।



ब्रूड-स्टॉक सप्लाय का व्यक्तिगत प्रेषण

(iv) मंत्रालय द्वारा गठित समिति

कृषि और कृषक कल्याण मंत्रालय ने एल.वेन्नामई हैचरियों की वैज्ञानिक समीक्षा/मूल्यांकन करने और डीएलसीज की कार्यप्रणाली में सुधार लाने के लिए प्रभावी उपायों को तैयार करने के लिए सदस्य सचिव, सीएए की अध्यक्षता में एक समिति गठित की। समिति की निबंधन और शर्तों में निर्धारित मुद्दे निम्नलिखित हैं:

- एल.वेन्नामई हैचरियों की घोषित क्षमता की तुलना में उनका उत्पादन निष्पादन और एल.वेन्नामई कृषि के तहत कृषि क्षेत्र के लिए बीजों की भावी आवश्यकता के अनुरूप ब्रूडस्टॉक के आयात की समीक्षा।
- उनकी वार्षिक क्षमता के आधार पर अनुमति प्रदान की जाने वाली एल.वेन्नामई हैचरियों की संख्या अधिकतम निर्धारित करने/सीमित करने को उचित सिद्ध करने के लिए यथोचित अन्य ब्यौरों और सीएए के क्षेत्राधिकार से बाहर के क्षेत्रों में हैचरियां स्थापित करने से संबंधित मुद्दों की भी जांच करना।

- झींगा फार्मों के पंजीकरण की प्रक्रिया को तेज करने के लिए डीएलसीज की कार्यप्रणाली में सुधार। उनके संघटन में परिवर्तन करने के लिए प्रभावी उपाय तैयार करना।

III. ख. तटीय जलकृषि फार्मों का पंजीकरण/ नवीनीकरण

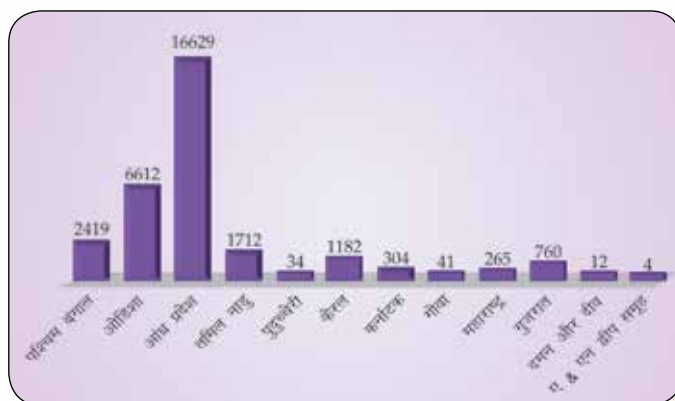
1. झींगा फार्मों का पंजीकरण

राज्य और जिला स्तरीय समितियां, जिन्हें इसी कार्य के लिए गठित किया गया है, उनकी सिफारिशों पर झींगा फार्मों का पंजीकरण कार्य सीएए द्वारा किया गया एक महत्वपूर्ण कार्य है।

- प्राधिकरण में हर दो महीने में एक बार नियमित रूप हुई अपनी बैठक में झींगा फार्मों के पंजीकरण के लिए जिला स्तरीय समितियों और राज्य स्तरीय समितियों द्वारा संस्तुत किए गए आवेदनों पर विचार किया और मार्च, 2016 तक (सीएए के आरंभ होने से) में झींगा किसानों को 29,974 प्रमाण-पत्र अनुमोदित किए गए तथा जारी किए गए।
- सभी 12 समुद्रतटीय राज्यों 4 में प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए पंजीकरण प्रमाण-पत्रों की कुल संख्या को दर्शाने वाला विवरण तालिका-3 में दिया गया है और प्राधिकरण द्वारा पंजीकृत राज्य वार और क्षेत्रवार फार्मों को दर्शानेवाला चार्ट भी चित्र 1 और चित्र 2 में दिया गया है।
- पंजीकृत फार्मों के ब्यौरे प्राधिकरण की वेबसाइट www-caa-gov-in पर भी अंत्य प्रयोक्ताओं के लिए उपलब्ध हैं और इस वेबसाइट को आवधिक रूप से अद्यतन किया जा रहा है।

तालिका 3 : 1 से 57 वीं बैठक तक (दिसंबर 2005 - मार्च 2016) तक सीएए द्वारा जारी किए गए पंजीकरण प्रमाण पत्रों के ब्यौरे

क्र.स	राज्यों के नाम	कुल क्षेत्रफल (हेक्टेयर) के तहत फार्मों की संख्या						फार्म का क्षेत्रफल	
		0 - 2.00	2.01 - 5.00	5.01 - 10.00	10.01 - 40.00	40.01 से अधिक	योग	टीएफए (हेक्टेयर)	डब्ल्यूएसए (हेक्टेयर)
1	पश्चिम बंगाल	2,248	165	6	0	0	2,419	2,638	1,776
2	ओडिशा	6,141	424	30	17	0	6,612	8,611	5,483
3	आंध्र प्रदेश	15,373	1,059	128	60	9	16,629	24,337	17,213
4	तमिल नाडु	930	631	131	19	1	1,712	5,026	3,470
5	पुदुच्चेरी	33	1	0	0	0	34	60	45
6	केरल	943	215	18	5	1	1,182	2,423	1,635
7	कर्नाटक	258	42	2	2	0	304	419	320
8	गोवा	22	15	2	2	0	41	138	97
9	महाराष्ट्र	93	123	25	18	6	265	2,075	1,305
10	गुजरात	146	603	8	1	2	760	3,450	2,461
11	दमन और दीव	0	12	0	0	0	12	60	38
12	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	3	1	0	0	0	4	22	5
	योग	26,126	3,347	351	131	19	29,974	49,259	33,848



चित्र 1 दिसंबर 2005 से मार्च 2016 तक सभी तटीय राज्यों में पंजीकृत फार्मों की संख्या (राज्य-वार)



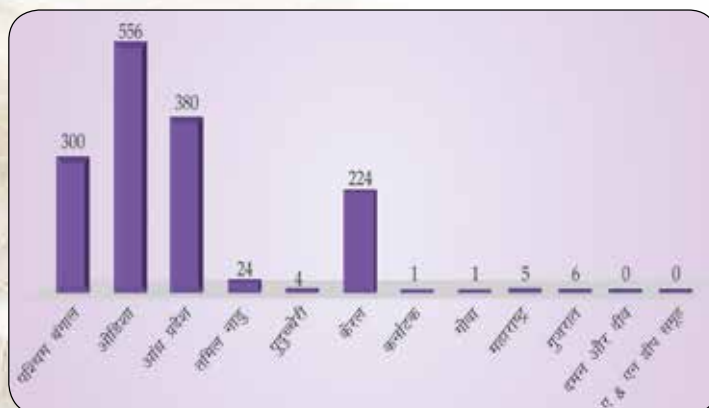
चित्र 2 दिसंबर 2005 से मार्च 2016 तक सभी तटीय राज्यों में पंजीकृत फार्मों की संख्या (क्षेत्र-वार)

- वर्ष के दौरान (अप्रैल, 2014 से मार्च, 2016) प्राधिकरण ने 1501 आवेदनों पर विचार किया और प्रमाण-पत्र जारी किए गए। पंजीकरण प्रमाण-पत्र किसानों को सीधे जारी किए गए थे और सुपुर्द न किए जाने के कारण वापस लौटे प्रमाण-पत्रों को राज्यों के एसएलसी के सदस्या संयोजकों को भेज दिया गया था, जैसा कि प्राधिकरण की 27वीं बैठक में संकल्प किया गया था।

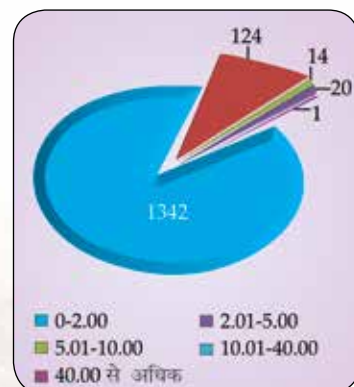
- सभी 12 तटीय राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में अप्रैल, 2015 से मार्च, 2016 के दौरान प्राधिकरण में पंजीकृत फार्मों की कुल संख्या दर्शाने वाला विवरण तालिका 4 में दिया गया है। प्राधिकरण के पास पंजीकृत फार्मों (राज्यवार और क्षेत्रवार) के ब्यौरे को दर्शाने वाली सारिणी चित्र 3 और 4 में दी गई है।

तालिका 4: चालू वर्ष के दौरान सीएए द्वारा जारी किए गए पंजीकरण प्रमाण पत्रों के ब्यौरे (अप्रैल 2015 - मार्च, 2016)

क्र.स	राज्यों के नाम	कुल क्षेत्रफल (हेक्टेयर) के तहत फार्मों की संख्या						फार्म का क्षेत्रफल	
		0 - 2.00	2.01 - 5.00	5.01 - 10.00	10.01 - 40.00	40.01 से अधिक	योग	टीएफए (हेक्टेयर)	डब्ल्यूएसए (हेक्टेयर)
1	पश्चिम बंगाल	272	28	0	0	0	300	294	201
2	ओडिशा	521	30	1	4	0	556	719	443
3	आंध्र प्रदेश	344	14	7	15	0	380	783	543
4	तमिल नाडु	23	0	1	0	0	24	49	32
5	पुदुच्चेरी	4	0	0	0	0	4	5	4
6	केरल	169	50	3	1	1	224	604	405
7	कर्नाटक	0	0	1	0	0	1	11	5
8	गोवा	1	0	0	0	0	1	2	1
9	महाराष्ट्र	2	2	1	0	0	5	22	16
10	गुजरात	6	0	0	0	0	6	14	10
11	दमन और दीव	0	0	0	0	0	0	0	0
12	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0	0	0	0	0
	योग	1,342	124	14	20	1	1,501	2,503	1,660

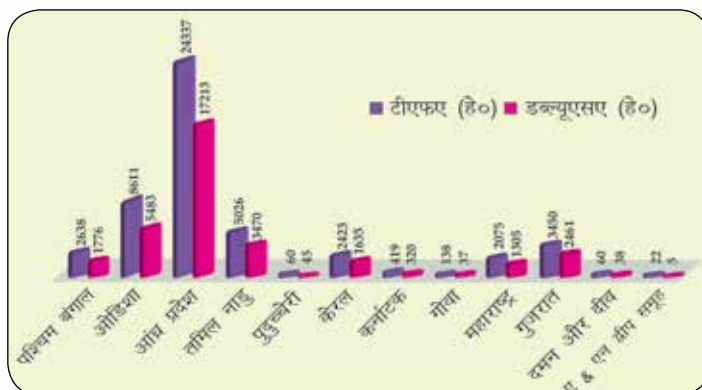


चित्र 3 वर्ष 2015-16 सभी तटीय राज्यों में पंजीकृत फार्मों की संख्या (राज्य-वार)



चित्र 4 वर्ष 2015-16 सभी तटीय राज्यों में पंजीकृत फार्मों की संख्या (क्षेत्र-वार)

- मार्च, 2016 तक पंजीकृत फार्मों (29,974) का कुल क्षेत्रफल 49,259 हेक्टेयर था और जल प्रभावित क्षेत्र 33,848 हेक्टेयर था और चालू वर्ष के दौरान पंजीकृत फार्मों (1501) का कुल क्षेत्रफल और जल प्रभावित क्षेत्र क्रमशः 2501 हेक्टेयर और 1660 हेक्टेयर था जैसा **तालिका 3 और 4** में प्रस्तुत किया गया है और चित्र 5 और 6 में दर्शाया गया है।



चित्र 5 दिसंबर, 2005 से मार्च, 2016 तक पंजीकृत फार्मों (राज्य-वार) का कुल क्षेत्रफल और डब्ल्यूएसए कुल फार्म क्षेत्रफल



चित्र 6 वर्ष 2015-16 के दौरान पंजीकृत फार्मों (राज्य-वार) का कुल क्षेत्रफल और डब्ल्यूएसए

2. झींगाफार्मों के पंजीकरण का नवीनीकरण

प्राधिकरण द्वारा तटीय एक्वाफार्मों के पंजीकरण के अनुमोदन की अवधि समाप्त होने के बाद पंजीकरण का नवीकरण अनिवार्य है। सितंबर, 2012 के दौरान शुरू हुई 5 वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद पंजीकरण का नवीकरण शुरू किया गया था और मार्च, 2016 तक 4,721 हेक्टेयर के कुल क्षेत्रफल (डब्ल्यूएसए 3,252 हेक्टेयर) सहित 1920 फार्मों के पंजीकरण के नवीकरण को अनुमोदित किया गया।

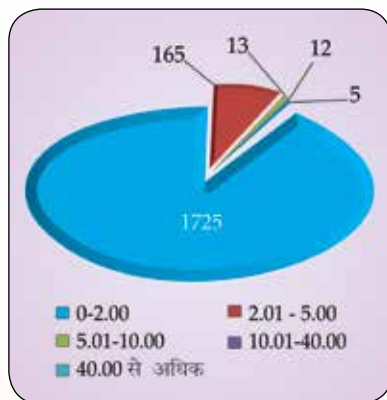
- वर्ष के दौरान प्राधिकरण ने 1862 हेक्टेयर के कुल क्षेत्रफल (डब्ल्यूएसए 1142 हेक्टेयर) के पंजीकरण के नवीकरण के लिए किसानों से प्राप्त आवेदनों पर विचार किया, प्राधिकरण के अनुमोदन के बाद फार्मों के मूल पंजीकरण प्रमाण-पत्रों में आवश्यक पृष्ठांकन किए गए थे।
- सभी 12 तटीय राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में सितंबर, 2012 से मार्च, 2016 तक प्राधिकरण में नवीकृत किए गए फार्मों के पंजीकरण की कुल संख्या दर्शाने वाला विवरण **तालिका 5** में दिया गया है और अवधि के दौरान पंजीकरण के नवीकरण के ब्योरे राज्य-वार और क्षेत्रवार चित्र 7 और 8 में दिए गए हैं। चालू वर्ष (अप्रैल, 2015 से मार्च, 2016) के दौरान नवीकृत फार्मों के राज्यवार और क्षेत्रवार ब्योरे **तालिका 6** में दर्शाए गए हैं। वर्ष के पंजीकरण के नवीकरण के राज्यवार और क्षेत्रवार ब्योरे चित्र 9 और 10 में दिए गए हैं।

तालिका 5 : सितम्बर 2012 - मार्च 2016 के दौरान सीएए द्वारा जारी किए गए पंजीकरण प्रमाणपत्र के नवीकरण के ब्यौरे

क्र.स	राज्यों के नाम	कुल क्षेत्रफल (हेक्टेयर) के तहत फार्मों की संख्या					योग	टीएफए (हेक्टेयर)	डब्ल्यूएसए (हेक्टेयर)
		0 – 2.00	2.01 – 5.00	5.01 – 10.00	10.01 – 40.00	40.01 से अधिक			
1	पश्चिम बंगाल	7	0	0	0	0	7	6	4
2	ओडिशा	573	34	2	6	1	616	1,072	628
3	आंध्र प्रदेश	692	22	2	6	3	725	1,900	1,349
4	तमिल नाडु	311	15	0	0	0	326	802	601
5	पुदुच्चेरी	2	0	0	0	0	2	4	3
6	केरल	45	6	0	0	0	51	87	62
7	कर्नाटक	21	6	1	0	0	28	54	44
8	गोवा	11	6	1	0	0	18	51	38
9	महाराष्ट्र	58	7	7	0	0	72	297	211
10	गुजरात	5	60	0	0	1	66	403	283
11	दमन और दीव	0	9	0	0	0	9	45	29
12	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0	0	0	0	0
	योग	1,725	165	13	12	5	1,920	4,721	3,252



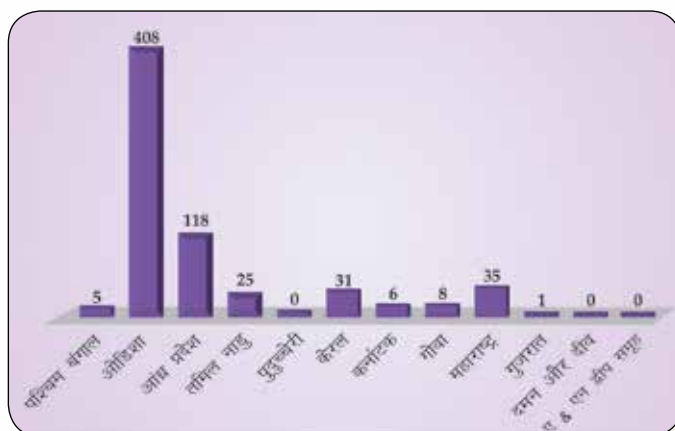
तालिका 7 सितंबर, 2012 से मार्च, 2016 के दौरान सभी तटीय राज्यों में फार्मों के पंजीकरण के नवीकरण प्रमाणपत्रों की संख्या (राज्यवार)



तालिका 8 वर्ष 2015-2016 के दौरान सभी तटीय राज्यों में फार्मों के पंजीकरण के नवीकरण संख्या (क्षेत्रवार)

तालिका 6 : अप्रैल 2015 से मार्च 2016 के दौरान सीएए द्वारा जारी किए गए पंजीकरण प्रमाणपत्र के नवीकरण के ब्यौरे

क्र.स	राज्यों के नाम	कुल क्षेत्रफल (हेक्टेयर) के तहत फार्मों की संख्या					योग	टीएए (हेक्टेयर)	डब्ल्यूएसए (हेक्टेयर)
		0-2.00	2.01-5.00	5.01-10.00	10.01-40.00	40.01 से अधिक			
1	पश्चिम बंगाल	5	0	0	0	0	5	5	4
2	ओडिशा	367	32	2	6	1	408	777	437
3	आंध्र प्रदेश	87	20	2	6	3	118	747	460
4	तमिल नाडु	22	3	0	0	0	25	42	35
5	पुदुच्चेरी	0	0	0	0	0	0	0	0
6	केरल	25	6	0	0	0	31	57	40
7	कर्नाटक	5	0	1	0	0	6	11	8
8	गोवा	1	6	1	0	0	8	29	22
9	महाराष्ट्र	30	0	5	0	0	35	190	133
10	गुजरात	1	0	0	0	0	1	2	1
11	दमन और दीव	0	0	0	0	0	0	0	0
12	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0	0	0	0	0
	योग	543	67	11	12	4	637	1,860	1,140



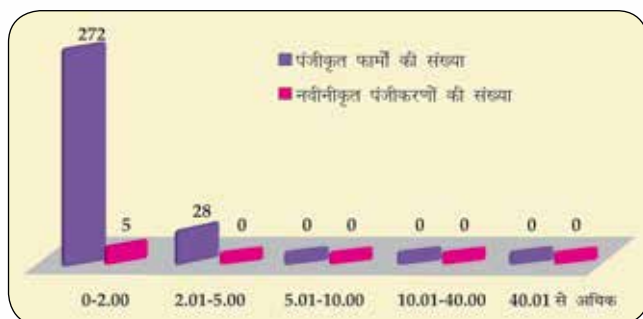
चित्र 9 वर्ष 2015-16 के दौरान सभी तटीय राज्यों में फार्मों के पंजीकरण के नवीकरण की संख्या (राज्य वार)



चित्र 10 वर्ष 2015-2016 के दौरान सभी तटीय राज्यों में फार्मों के पंजीकरण के नवीकरण की संख्या (क्षेत्रवार)

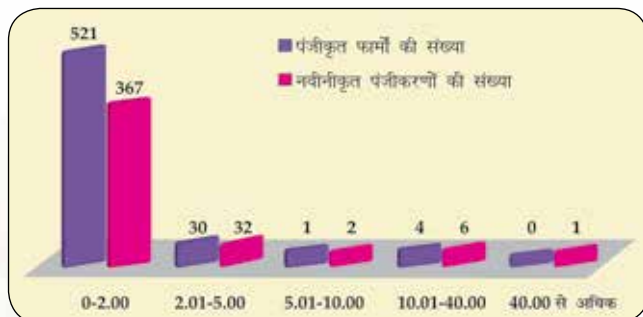
- वर्ष के दौरान, 12 तटीय राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में से 10 राज्यों (पश्चिम बंगाल, ओडीशा, आंध्र प्रदेश, तमिल नाडु, पुदुचेरी, केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात) में प्राधिकरण द्वारा ईरिंगा फार्मों का पंजीकरण और पंजीकरण का नवीकरण दोनों कार्य अनुमोदित किए गए और उनके क्षेत्र-वार ब्यौरे चित्र 11 से 20 में दिए गए हैं।

पश्चिम बंगाल



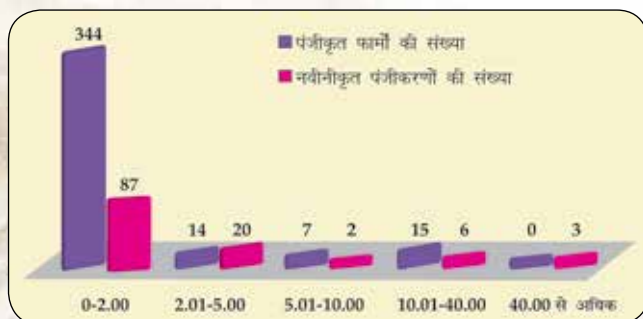
क्षेत्र (हेक्टेयर)	वर्ष के दौरान पंजीकृत फार्मों की संख्या	नवीनीकृत पंजीकरणों की संख्या
0 - 2.00	272	5
2.01-5.00	28	0
5.0-10.00	0	0
10.01- 40.00	0	0
40.01 से अधिक	0	0

ओडीशा



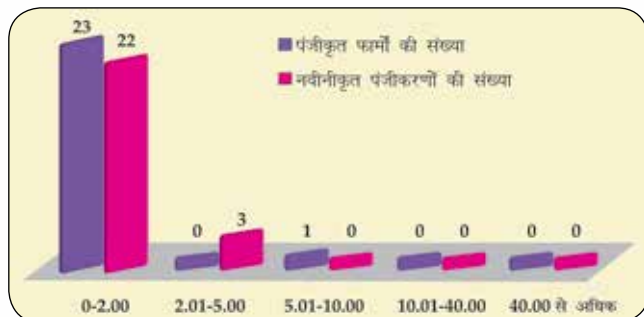
क्षेत्र (हेक्टेयर)	वर्ष के दौरान पंजीकृत फार्मों की संख्या	नवीनीकृत पंजीकरणों की संख्या
0 - 2.00	521	367
2.01-5.00	30	32
5.0-10.00	1	2
10.01- 40.00	4	6
40.01 से अधिक	0	1

आंध्र प्रदेश



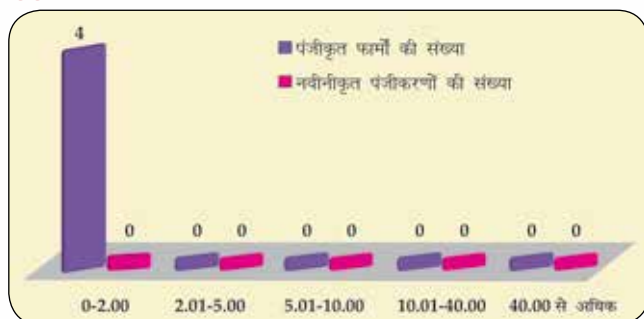
क्षेत्र (हेक्टेयर)	वर्ष के दौरान पंजीकृत फार्मों की संख्या	नवीनीकृत पंजीकरणों की संख्या
0 - 2.00	344	87
2.01-5.00	14	20
5.0-10.00	7	2
10.01- 40.00	15	6
40.01 से अधिक	0	3

तमिल नाडु



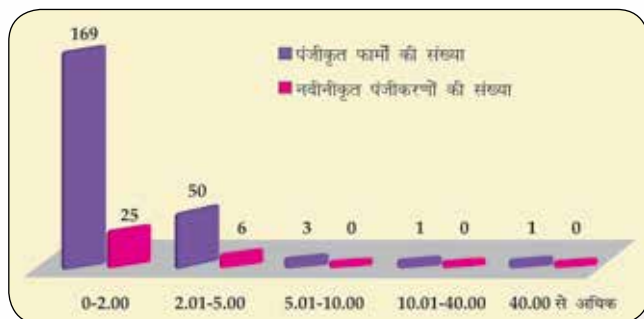
क्षेत्र (हेक्टेयर)	वर्ष के दौरान पंजीकृत फार्मों की संख्या	नवीनीकृत पंजीकरणों की संख्या
0 - 2.00	23	22
2.01-5.00	0	3
5.01-10.00	1	0
10.01- 40.00	0	0
40.01 से अधिक	0	0

पुदुचेरी



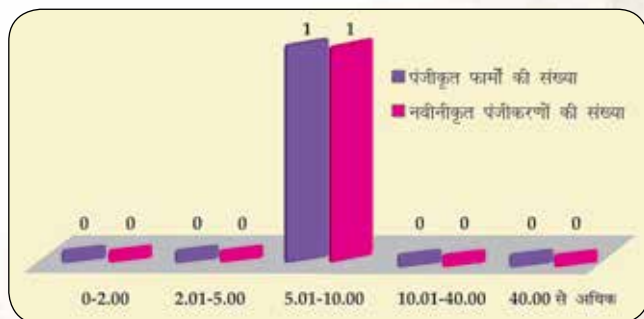
क्षेत्र (हेक्टेयर)	वर्ष के दौरान पंजीकृत फार्मों की संख्या	नवीनीकृत पंजीकरणों की संख्या
0 - 2.00	4	0
2.01-5.00	0	0
5.01-10.00	0	0
10.01- 40.00	0	0
40.01 से अधिक	0	0

केरल



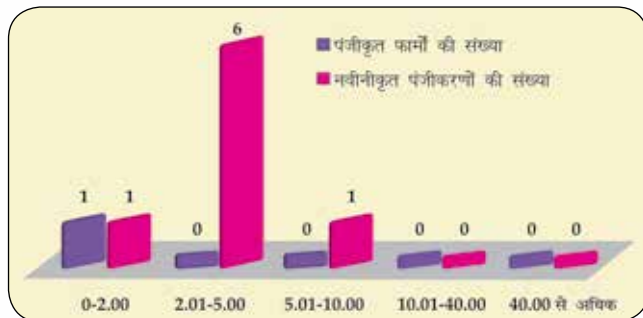
क्षेत्र (हेक्टेयर)	वर्ष के दौरान पंजीकृत फार्मों की संख्या	नवीनीकृत पंजीकरणों की संख्या
0 - 2.00	169	25
2.01-5.00	50	6
5.01-10.00	3	0
10.01- 40.00	1	0
40.01 से अधिक	1	0

कर्नाटक



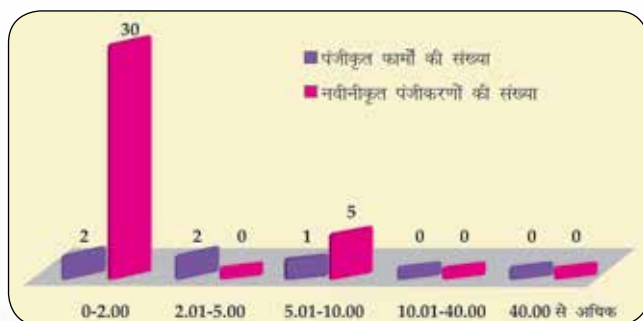
क्षेत्र (हेक्टेयर)	वर्ष के दौरान पंजीकृत फार्मों की संख्या	नवीनीकृत पंजीकरणों की संख्या
0 - 2.00	0	0
2.01-5.00	0	0
5.01-10.00	1	1
10.01- 40.00	0	0
40.01 से अधिक	0	0

गोवा



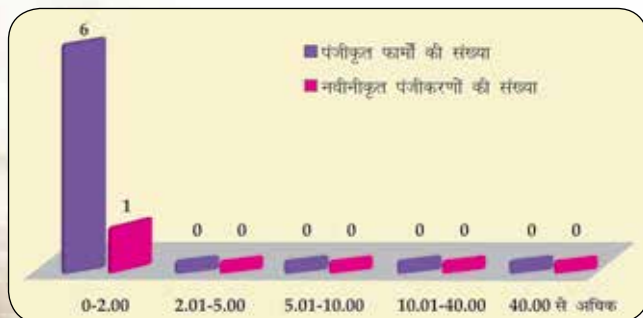
क्षेत्र (हेक्टेयर)	वर्ष के दौरान पंजीकृत फार्मों की संख्या	नवीनीकृत पंजीकरणों की संख्या
0 - 2.00	1	1
2.01-5.00	0	6
5.01-10.00	0	1
10.01- 40.00	0	0
40.01 से अधिक	0	0

महाराष्ट्र



क्षेत्र (हेक्टेयर)	वर्ष के दौरान पंजीकृत फार्मों की संख्या	नवीनीकृत पंजीकरणों की संख्या
0 - 2.00	2	30
2.01-5.00	2	0
5.01-10.00	1	5
10.01- 40.00	0	0
40.01 से अधिक	0	0

गुजरात



क्षेत्र (हेक्टेयर)	वर्ष के दौरान पंजीकृत फार्मों की संख्या	नवीनीकृत पंजीकरणों की संख्या
0 - 2.00	6	1
2.01-5.00	0	0
5.01-10.00	0	0
10.01- 40.00	0	0
40.01 से अधिक	0	0

3. सीएए द्वारा जलकृषि फार्मों के पंजीकरण/नवीकरण को बढ़ावा देने के लिए किए गए प्रयास

- पंजीकरण की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए विभिन्न तटीय राज्यों के जिला कलेक्टरों, मत्स्यपालन सचिवों को पत्र भेजे गए थे।
- तटीय जलकृषि फार्मों को सीएए में पंजीकृत कराने/नवीकृत कराने की आवश्यकता के संबंध में समाचार-पत्रों, सीएए वेबसाइट और एसएलसी/डीएलसी के जरिए सार्वजनिक सूचना के द्वारा किसानों को सलाह दी गई है और पंजीकरण नहीं करने पर इसका परिणाम का सामना करना होगा।

- झींगाओं (पी. मोनोडान, एसपीएफ एल. वेन्नामई), पंख वाली मछलियों और केकड़ों का पालन करने के लिए अक्वाफार्मों के पंजीकरण/ नवीकरण के संबंध में किसानों को जागरूक बनाने के लिए अधिकांश तटीय राज्यों में नियमित अंतराल पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और उनके क्षेत्र दौरों के दौरान सीएए निगरानी दल के द्वारा किसानों को संवेदनशील भी बनाया जाता है।
- कार्यशालाएं आयोजित करना और सीएए में तटीय जलकृषि फार्मों के पंजीकरण/ नवीकरण के महत्व को बताने वाली तटीय जलकृषि से जुड़ी प्रदर्शनियों में भागीदारी करना। तटीय जलकृषि करने के लिए फार्मों के पंजीकरण की जरूरत पर जोर देते हुए जलकृषकों और संबद्ध पणधारकों को स्थानीय भाषाओं में तैयार किए गए ब्रोशर्स और हैंडआउट्स का वितरण। किसानों का ध्यान सीएए में फार्मों का पंजीकरण नहीं होने की स्थिति में डंड/ जुमाने के प्रावधान की ओर भी आकर्षित किया जाता है।
- निरीक्षण दल द्वारा बगैर अनुमोदन वाले फार्मों से स्टॉक को नष्ट करना/ निबटान करना।
- एनआईसी के साथ परामर्श करके ऑनलाइन व्यवस्था द्वारा नए फार्मों के पंजीकरण के लिए एकल आवेदन-पत्र प्रणाली जारी होने के अंतिम चरण में है।
- किसानों/ पणधारकों द्वारा सीएए की अधिसूचित संविधियों, नियमों, दिशानिर्देशों और विनियमनों का अनुपालन सुसाध्य बनाने के लिए सीएए अधिनियम, नियम, दिशानिर्देशों और अधिसूचनाओं के द्विभाषी रूप (हिन्दी एवं अंग्रेजी) में प्रकाशित संग्रह को सुलभ संदर्भ के लिए मार्च, 2014 तक अद्यतन बनाया गया था और तब से नियमों और दिशा-निर्देशों में अनेक संशोधन किए गए हैं और साथ ही अनेक नई सूचनाएं जारी की गई थीं। संग्रह का अद्यतित संस्करण किसानों/ पणधारकों द्वारा उपयोग के लिए सीएए की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

III. ग. एसपीएफ लिटोपेनस वेन्नामई पालन

(i) एसपीएस एल. वेन्नामई ब्रूडस्टॉक आपूर्तिकर्ताओं का चयन

सीएए में सीआईबीए, एनएफडीबी और एमपीईडीए जैसे अन्य संबद्ध संगठनों के परामर्श से संभावित आपूर्तिकर्ताओं के साथ गहन विचार-विमर्श करके अनुवांशिक और रोग की स्थिति के आधार पर एसपीएस एल.वेन्नामई ब्रूडस्टॉक की आपूर्तिकर्ताओं की सूची बनाने और चयन का कार्य कर लिया है। वर्ष 2014-15 तक 10 आपूर्तिकर्ता थे। देश में नई हैचरियों की सुविचारित अतिरिक्त संख्या के कारण बढ़ी हुई एसपीएस एल.वेन्नामई के ब्रूडस्टॉक की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने और ईएमएस मुक्त देशों से आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एसपीएस एल.वेन्नामई ब्रूडस्टॉक के अतिरिक्त आपूर्तिकर्ताओं का चयन करने के लिए सूची, रूचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित करके तैयार की गई थी। कुल चार आपूर्तिकर्ताओं ने आपूर्ति में अपनी रूचि व्यक्त की थी। तकनीकी मूल्यांकन समिति ने दो कंपनियों अर्थात् मै० ब्लूर जेनेटिक्स, मैक्सिको और मै० सी. प्रोडक्ट्स डेवलपमेंट-ग्लोबल ब्लू टेक्नोलॉजीज, यूएसए की दिनांक 10-07-2015 को सीएए में उनकी वैयक्तिक प्रस्तुतीकरण के आधार पर सूची में शामिल करने की संस्तुति की थी और प्राधिकरण की दिनांक 26-08-2015 की 54वीं बैठक में इसे अनुमोदित किया गया था। निम्नलिखित ब्यौरे के अनुसार अन्य 12 आपूर्तिकर्ताओं का मार्च, 2016 तक एसपीएस एल.वेन्नामई के ब्रूडस्टॉक की आपूर्ति के लिए अनुमोदन किया गया है:

1. मै. औसैनिक इंस्टीट्यूट, हवाई
2. मै. कोना बे मेरिन रिसोर्सेज, हवाई
3. मै. थ्रिम्प इंफ्रूवमेंट सिस्टम, फ्लोरिडा
4. मै. साइक्वा, थाईलैंड
5. मै. वेन्नामई 101 कं.लि. (के साथ संयुक्त उद्यम) थाईलैंड
6. मै. चेरियन पोकफंड फ्रूड्स पब्लिक कं. लि., थाईलैंड
7. मै. थ्रिम्प इंफ्रूवमेंट सिस्टम प्रा. लि., सिंगापुर
8. मै. थ्रिम्प इंफ्रूवमेंट सिस्टम प्रा. लि., हवाई
9. मै. हाई हैल्थ अक्वाकल्चर इंक, हवाई
10. मै. पी.टी. बिबिट, उंगुल (ग्लोबल जनरल), इंडोनेशिया
11. मै० ब्लू जेनेटिक्स, मैक्सिको
12. मै० सी प्रोडक्ट्स डेवलपमेंट-ग्लोबल ब्लू टेक्नॉलाजीज, यूएसए

वर्ष के दौरान सूची में शामिल किए गए उक्त दो आपूर्तिकर्ताओं के ब्यौरे दिनांक 17-07-2015 को सीएए वेबसाइट पर डाले गए थे और इन स्रोतों से भी एसपीएफ एल. वेन्नामई ब्रूडस्टॉक के आयात के लिए एसआईपी जारी करने हेतु डीएचडीएंडएफ को सूचित कर दिया गया है।

दक्षिण पूर्व एशिया देशों में ईएमएस की उपस्थिति के कारण आयातकों को इन स्रोतों से ब्रूडस्टॉक का आयात करते समय निश्चित सावधानी बरतने की सलाह दी गई थी। तदोपरान्त, यह भी सलाह दी गई थी कि चूंकि ओआईई (विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन) ने आधिकारिक तौर पर एशिया क्षेत्र (अर्थात् चीन, मलेशिया, थाईलैंड और वियतनाम) में 4 देशों को ईएमएस प्रभावित होने की रिपोर्ट की है, इसलिए अन्य देशों, जो ईएमएस से मुक्त हैं, से ब्रूडस्टॉक के आयात पर विचार किया जा सकता है बशर्ते निर्यातक देशों से अपेक्षित प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाए और पूर्व सीमा संगरोधन आवश्यकताएं पूरी की गई हैं।

(ii) वर्ष 2015-16 में एसपीएफ एल. वेन्नामई ब्रूडस्टॉक का आयात और बीज उत्पादन

- सीएए जैव सुरक्षित हैचरियों में एसपीएस एल.वेन्नामई ब्रूडस्टॉक के आयात और बीज उत्पादन तथा जैव सुरक्षित फार्मों में एसपीएस एल.वेन्नामई पालन के लिए अनुमति प्रदान करता है। सीएए नियमित तौर पर हैचरियों और फार्मों का निरीक्षण भी करता है। हैचरियों और फार्मों की निगरानी इसलिए की जाती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ईटीएस से छोड़े गए अपजल की गुणवत्ता सीएए द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप हो।
- नए पंजीकरण जारी करने के लिए हैचरी प्रचालकों से 902 आवेदन प्राप्त सभी आवेदनों की समीक्षा करने के बाद, सीएए द्वारा गठित निरीक्षण दल ने उनकी सुविधाओं का मूल्यांकन करने और उनकी उपयुक्तता का पता लगाने के लिए हैचरियों का निरीक्षण किया। निरीक्षण समिति की रिपोर्ट के आधार पर प्राधिकरण द्वारा (52वीं 57वीं बैठक में) वर्ष 2015-16 के लिए 76 नई हैचरियों को (63 आंध्रप्रदेश में और 11 तमिलनाडु में और दो ओडिशा में) ब्रूडस्टॉक के आयात और एसपीएफ एल. वेन्नामई के बीज उत्पादन के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया था और 76 हैचरियों को ब्रूडस्टॉक आयात के लिए एलओपीज जारी किए गए थे।



एल.वेन्नामई हैचरियों की बायो- सुरक्षा एक दुश्य



एस.पी.एफ.एल.वेन्नामई हैचरियों का निरीक्षण

- हैचरियों को अनुमति प्रदान करने के लिए गठित समिति की सिफारिशों के अनुसार 2014-15 के दौरान अनुमोदित सभी 183 हैचरियों के लिए अनुमति-पत्रों का नवीकरण किया गया था।
- चालू वर्ष के दौरान प्राधिकरण की 52वीं से 57वीं बैठकों के दौरान हैचरियों के अनुमोदन के साथ 76 नई हैचरियों के लिए एलओपीज अनुमोदित की गई थीं।
- इसके साथ-साथ 24,209 मिलियन पोस्ट लार्वा प्रति वर्ष की उत्पादन क्षमता सहित 259 हैचरियों (198 आंध्र प्रदेश में, 54 तमिलनाडु में, 3 गुजरात में, 3 ओडीशा में और 1 कर्नाटक में) को अब तक अनुमति पत्र जारी किया गया है और उनको 2015-16 के लिए एसपीएफ एल. वेन्नामई ब्रूडस्टॉक के 6,05,264 जोड़े का आयात करने की अनुमति दी गई है। एलओपी की वैधता 31-03-2016 तक है। अनुमोदित हैचरियों के राज्यवार ब्यौरे उनकी उत्पादन क्षमता सहित तालिका 7 में दिए गए हैं, वितरण प्रतिशत चित्र 20 में दिया गया है और जिला-वार वितरण चित्र 21 में दिया गया है।

तालिका 7 : वर्ष 2015-16 के लिए सीएफ द्वारा अनुमोदित एसपीएफ एल. वेन्नामई हैचरियों का राज्य-वार वितरण

क्र.सं.	राज्य/ जिले का नाम	अनुमत हैचरियों की संख्या	बीज उत्पादन क्षमता (मिलियन/ वार्षिक)	अनुमत ब्रूडस्टॉकों की संख्या (जोड़े)
1	तमिल नाडु			
	क) विल्लुपुरम	29	2,560	64,800
	ख) कांचीपुरम	20	1,385	36,000
	ग) नागापट्टनम	3	250	6,000
	घ) कुड्डलोर	1	120	3,200
	ङ.) रामनाड	1	50	1,200
	उपयोग	54	4,365	1,11,200
2	आंध्र प्रदेश			
	क) नेल्लोर	66	6,435	1,56,864
	ख) प्रकाशम	25	3,195	77,600
	ग) गुंटूर	8	803	20,000
	घ) पूर्वी गोदावरी	63	5,354	1,37,200
	ङ.) विशाखापत्तनम	27	2,562	64,400
	च) विजयनगरम	8	810	20,000
	छ) श्रीकाकुलम	1	140	3,600
	उपयोग	198	19,299	4,79,664
3	ओडीशा-पुरी गंजाम	3	350	8,800
4	गुजरात-जगन्नाथ और वलसाड	3	135	4,000
5	कर्नाटक-उत्तर कन्नड़	1	60	1,600
	योग	259	24,209	6,05,264

(iii) 2015-2016 के दौरान एसपीएफ एल. वेन्नामई हैचरियों का निष्पादन

हैचरी मालिकों द्वारा अपनी तिमाही रिपोर्ट में उपलब्ध कराए गए ब्रूडस्टॉक आयात और बीज उत्पादन संबंधी आंकड़ों के आधार पर मूल्यांकित किए एसपीएफ एल. वेन्नामई हैचरियों का निष्पादन निम्नलिखित को दर्शाता है:

उत्पादित बीज का 22.75%)। वर्ष के दौरान रोग मुक्ति 41,015 ब्रूडस्टॉकों के माध्यम से उत्पादन है (36,948 आयातित और 4065 आरजीसीए से खरीदे गए) (जो मुश्किल से आबंटन का 36.88% है)। यद्यपि उन्होंने 1,11,862 स्पाउनिंग के माध्यम से 10,115.06 मिलियन नौपल्ली उत्पादित की तथापि वे नौपल्ली से पोस्ट लारवा तक 16.54% की मध्यम जीवितदर सहित केवल 1427.53 मिलियन पोस्ट लारवा का उत्पादन प्राप्त कर सके। राज्य में उत्पादित बीजों की संख्या कुल उत्पादन क्षमता 4,365 मिलियन/वार्षिक से बहुत कम है।

- गुजरात में सभी तीन हैचरियों ने ब्रूडस्टॉक की 2180 संख्या को बनाए रखा है (760 आयातित और आरजीसीए से 1420) जो वर्ष के दौरान आबंटन का 54.5% है। तथापि, वे नौपल्ली से पोस्ट लारवा तक 56.89% की उच्च जीवित दर सहित 76.50 मिलियन नौपल्ली से 43.52 मिलियन पोस्ट लारवा उत्पादित कर सके, ये तीन हैचरियों के पड़ोसी राज्यों से नौपल्ली के परिवहन के कारण हुआ।
- ओडिशा में सभी तीन हैचरियों ने वर्ष के दौरान ब्रूडस्टॉक की 1400 संख्या अर्जित की (800 आयातित और 600 आरजीसीए) जो आबंटित संख्या 8800 (15-90%) से बहुत कम है। उन्होंने 58 मिलियन नौपल्ली और 25 मिलियन पोस्ट लारवा का उत्पादन सूचित किया है जिसकी नौपल्ली से पोस्ट लारवा तक 43.1% की उच्चतर जीवित दर है।
- कर्नाटक में पंजीकृत एक-मात्र एल.वेन्नामई हैचरी ने अपनी उत्पादन क्षमता 60 मिलियन/वार्षिक के आधार पर 1600 ब्रूडस्टॉकों का आबंटन प्राप्त किया था। तथापि, बीज के आयात/उत्पादन के ब्यौरे उपलब्ध नहीं कराए गए थे।

हैचरी मालिकों द्वारा अपनी तिमाही रिपोर्ट के माध्यम से उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के आधार पर एसपीएफ एल. वेन्नामई बीज उत्पादन का निष्पादन तालिका 8 में दिया गया है।

तालिका 8 : वर्ष 2015-16 के दौरान एसपीएफ एल. वेन्नामई हैचरियों का निष्पादन (राज्य-वार)

क्र. सं.	राज्य	अनुमत हैचरियों की संख्या	उत्पादन क्षमता (मिलियन)	अनुमत ब्रूडस्टॉक की संख्या	निष्पादन सूचक					
					ब्रूडस्टॉक की संख्या (आयातित और आर जी सी ए)	स्पाउनिंग की कुल संख्या	उत्पादित नौपल्ली की कुल संख्या (मिलियन)	उत्पादित पोस्ट लारवी की कुल संख्या (मिलियन)	नौपल्ली से पोस्ट लाखा तक औसत जीवित दर (%)	विक्रय किये गये बीज(पोस्ट लाखा) की कुल संख्या (मिलियन)
1	तमिल नाडु	54	4,365	1,11,200	41,015	1,11,862	10,115.06	1,673.05	16.54	1,427.53
2	आन्ध्र प्रदेश	198	19,299	4,79,664	1,43,008	1,54,326	22,318.58	5,421.49	24.29	4,785.41
3	गुजरात	3	135	4,000	2,180	411	76.50	43.52	56.89	37.17
4	ओडिशा	3	350	8,800	1,400	-	58.00	25.00	43.10	25.00
5	कर्नाटक	1	60	1,600	-	-	-	-	-	-
	योग	259	24,209	6,05,264	1,87,603	2,66,599	32,568.14	7,163.06	35.21	6,275.11



में कम्पौन्ड-वॉल एवं टॉयर वॉश क्षेत्र में बोयो सुरक्षा



में शवर-रूम एवं हाथ-पैर धोने की जगह



में पानी ट्रीटमेंट एवं फिल्टर प्रणाली



में पानी ट्रीटमेंट एवं फिल्टर प्रणाली



का आंतरिक दृश्य



में विशेष व्यवस्था



में मेचुरीकरण अनुभाग



में आंतरिक अल्लाल-रोपण



में अर्दिमिया अनुभाग



में प्रयोगशाला



में प्रयोगशाला



में अल्ट्रा ल टंकी



में एस.पी.एल. का पूर्व एवं उपरान्त लोर्व



में बायो-सुरक्षित ई.टी.एस.

(iv) भारत में एल.वेन्नामई हैचरियों का विकास

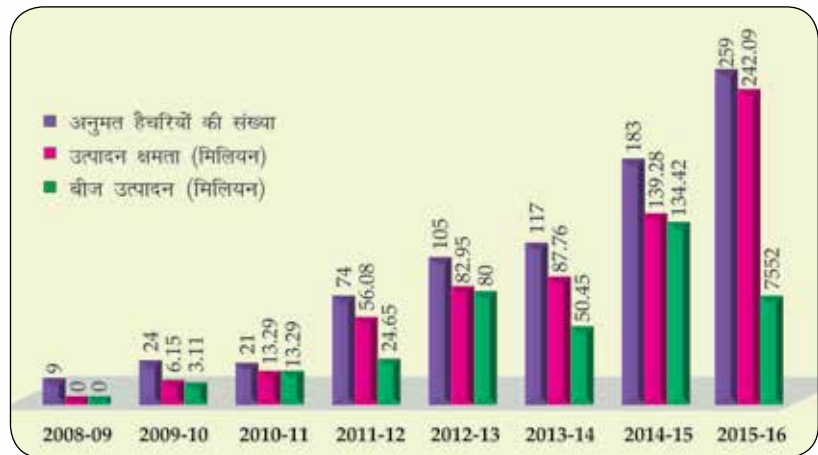
भारत में एल. वेन्नामई हैचरियों में सात वर्षों की लघु अवधि के भीतर उल्लेखनीय वृद्धि हुई। एल. वेन्नामई हैचरियों की संख्या में लगातार वृद्धि हुई है जो कार्यक्रम के प्रारंभ में (जुलाई, 2009) में 9 थी वह मार्च, 2016 के दौरान 259 के स्तर तक पहुंच गई है और इसकी उत्पादन क्षमता 24,209 मिलियन बीज/वार्षिक है। अनुमोदित हैचरियों द्वारा मिलियन (अनुमानित) तक महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। आंध्र प्रदेश राज्य ने 2008-09 के दौरान 6 हैचरियों से प्रारंभ करके 2015-16 के दौरान 198 हैचरियों तक की तेज वृद्धि का महत्वपूर्ण भागीदारी की है इसके बाद तमिलनाडु ने 2008-09 के दौरान 3 हैचरियों से 2015-16 तक 54 हैचरियों की वृद्धि की है। यद्यपि गुजरात में हैचरियों की संख्या में 2009-10 में 1 से 2014-15 के दौरान 3 तक वृद्धि हुई है तथापि वर्ष गुजरात और कर्नाटक में कोई हैचरी की वृद्धि नहीं हुई है। तथापि, ओडिशा में हैचरियों की संख्या में 2014-15 के दौरान 2 से वर्ष के दौरान 3 तक वृद्धि हुई है। देश में सीएए द्वारा अनुमोदित एल. वेन्नामई हैचरियों में इसके प्रारंभ होने (जुलाई 2009) से 57वीं बैठक तक हुई वृद्धि तालिका 9 में दी गई है और अवधि के दौरान हैचरियों और बीज उत्पादन में हुई राज्य-वार वृद्धि चित्र 23 और 24 में दी गई है।

तालिका 9 : भारत में प्रारंभ (जुलाई, 2009) से 57वीं बैठक (मार्च, 2016) तक सीएए अनुमोदित एल. वेन्नामई में हुई वृद्धि

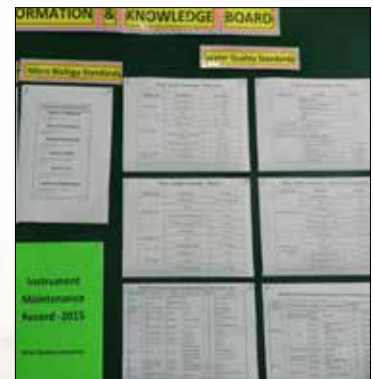
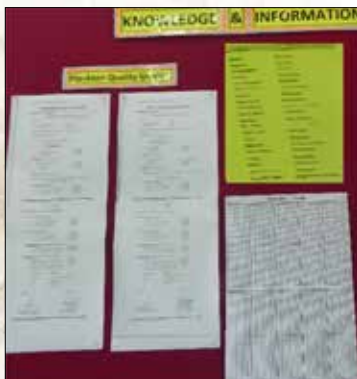
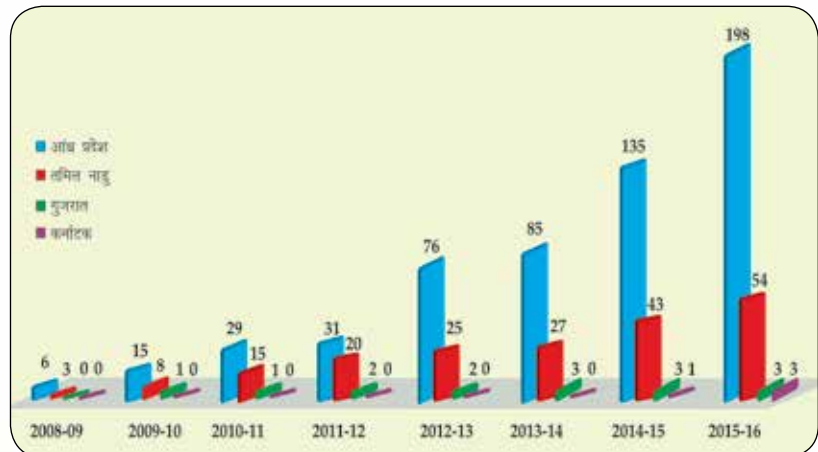
वर्ष	अनुमत हैचरियों की संख्या	उत्पादन क्षमता (मिलियन)	ब्रूडस्टॉकों की संख्या		बीज उत्पादन (मिलियन)
			अनुमत (जोड़े)	आयातित (जोड़े)	
2008-09	9	-	-	-	-
2009-10	24	615	15,300	12,367	310.69
2010-11	21	1,329	16,100	10,733	1,328.88
2011-12	74	5,608	48,720	18,980	2,465.06
2012-13	105	8,295	66,360	64,580	8,000.00
2013-14	117	8,776	70,208	52,818	5,044.75
2014-15	183	13,928	1,65,156	99,899	13,442.05
2015-16	259	24,209	3,02,632	93,802*	7,163.06

*187603 ब्रूडस्टॉक (169458 आयातित और 18145 आरजीसीए से खरीदे गए) जोड़े में दिए गए।

चित्र 23. देश में एल.वेन्नामई हैचरियों और बीज उत्पादन में वृद्धि अनुमत हैचरियों की संख्या, उत्पादन क्षमता (बिलियन) बीज उत्पादन (बिलियन)



चित्र 24. विभिन्न राज्यों में एल.वेन्नामई हैचरियों की वृद्धि



जैव-सुरक्षित एल वेन्नामई हैचरियों में अच्छे प्रबंधन तरीको को अपनाने के लिए सूचना का प्रचार-प्रसार



में जी.ए.क्यू.पी-रिफ्रिजरेशन एवं हॉयपो. क्लोरस जेनरेटर!



में जी.ए.क्यू.पी ड्रेन.केनल का अनुरक्षण



में ई.टी.एस.वायवीकरण



जी.ए.क्यू.पी आधारित वायु प्रदुषण को दूर रखने हेतु में खुली जगह का ट्रफ - प्रक्रिया!



में कंक्रीट-फर्श लगाने का काम



एस.पी.एफ.में साफ सुथरा माहौल बनाने की प्रक्रिया!

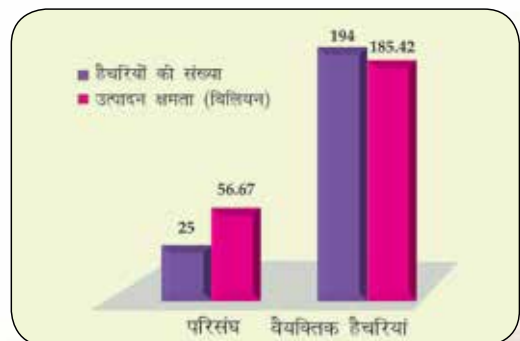
वर्धित गुणवत्ता वाले एसपीएफ लिटोपेस बेन्नामई बीजों का उत्पादन बढ़ाने के लिए हैचरियों को सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से, सीएए ने निम्नलिखित उपाय किए हैं:

- हैचरियों के पंजीकरण के संबंध में सीएए नियम, 2005 के अनुलग्नक में निहित दिशा निर्देशों में संशोधन डीएचडीएंडएफ द्वारा जारी किए गए थे ताकि तटीय जल कृषि प्राधिकरण द्वारा सभी झींगा हैचरियों (पी.मोनोडॉन सहित) को तटीय क्षेत्रों में शामिल किया जा सके।
- हैचरियों को अनुमोदन के लिए प्राधिकरण के समक्ष रखने पूर्ण निरीक्षण दल द्वारा निरीक्षण के तुरंत बाद की गई सिफारिशों के आधार पर अनुमोदन प्रदान करके हैचरियों के पंजीकरण की प्रक्रिया को सरल बनाना और प्राधिकरण द्वारा पूर्वव्यापी अनुमोदन प्राप्त करना ताकि एलओपीज जारीहोने में विलंब से बचा जा सके।

- हैचरियों को एलओपी जारी करने के लिए एकल खिड़की प्रणाली शुरू की ताकि प्रत्येक वर्ष एलओपी के मामले का निपटारा हो सके जिसके द्वारा डीएचडी एंडएफ प्रमाण पत्रमें यथा निर्दिष्ट प्रत्येक हैचरी को संस्तुत क्षमता के अनुसार एसआईपी जारी करता है।
- एसपीएफ एल.वेन्नामई हैचरी क्षेत्र में हुई उल्लेखनीय वृद्धि के कारण अच्छी गुणवत्ता के ब्रूडस्टॉकों की अतिरिक्त आपूर्ति का विस्तार करने के लिए भारत को ब्रडस्टॉक आपूर्तिकर्ताओं की संख्या में वृद्धि की गई और वर्ष के दौरान दो और कंपनियों (अब सूची में कुल 12) को सूची में जोड़ा गया।
- केवल सीएए अनुमोदित एन्टीबायोटिक-मुक्त जलकृषि आदानों का बीज उत्पादन में प्रयोग करने का समर्थन किया गया ताकि अच्छी गुणवत्ता वाले एन्टीबायोटिक-मुक्त बीजों की आपूर्ति का विस्तार किया जा सके और कृषिगत उत्पाद में खाद्य सुरक्षा का सुनिश्चित किया जा सके।
- प्रमुख हैचरी की उत्पादन क्षमता के आधार पर हैचरियों के परिसंघ का अनुमोदन जारी रखा जिससे परिसंघ की प्रमुख हैचरी में किए गए नौपल्ली उत्पादन को भागीदार हैचरियों (जिनका परिपक्वण निष्पादन कमजोर है) को प्राप्त करने में मदद मिलेगी।
- वर्ष के दौरान एसपीएफ एल.वेन्नामई बीज उत्पादन के लिए बिना परिपक्वण सुविधा वाली लघु स्तर की हैचरियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य नौपल्ली रीमटिंग केन्द्रों (एनआरसी) की अवधारणा शुरू की और 52 मिलियन उत्पादन क्षमता की 2 एनआरसीज को अनुमोदित किया।

(v) हैचरियों का परिसंघ

हैचरियों के परिसंघ की अवधारणा सीएए द्वारा शुरू की गई थी जैसा कि दिनांक 29 अप्रैल, 2014 को प्राधिकरण की 46वीं बैठक में संकल्प लिया गया था ताकि उन हैचरियों द्वारा संयुक्त रूप से एसपीएफ एल. वेन्नामई ब्रूडस्टॉक के आयात की सुविधा प्रदान की जा सके जिनकी प्रमुख हैचरी के पर्यवेक्षण में कम उत्पादन क्षमता है और साथ-साथ एक्यूएफ सुविधा का उपयोग किया जा सके। योजना से उन हैचरियों की भी मदद होगी जिनकी भागीदार हैचरियों में परिसंघ और पीएल उत्पादन की प्रमुख हैचरियों में किया गया नौपल्ली उत्पादन करने में कमजोर परिपक्व निष्पादन है।



चित्र 25. परिसंघ की एसपीएफ एल वेन्नामई

इस योजना से तुलनात्मक रूप से कम लागत पर एसपीएफ एल. वेन्नामई ब्रूडस्टॉक के आयात और संगरोधन में मदद मिलेगी। 13,928 मिलियन उत्पादन क्षमता के साथ दिनांक 31-03-2015 को अनुमोदित 183 हैचरियों में से 4,830 मिलियन उत्पादन क्षमता वाली 65 हैचरियों ने 21 परिसंघ का निर्माण किया है। इसमें प्रत्येक में 2 से 12 लघु हैचरियां समाहित हैं। दिनांक 31-03-2015 की स्थिति के अनुसार, निर्मित परिसंघ में कुल 55-05% पंजीकृत हैचरियां शामिल हैं जिनकी उत्पादन क्षमता 53-09% है (चित्र 24)। परिसंघ में ब्रूडस्टॉक का आयात स्तर कुल आबंटन के 20 और 80% के बीच की रेंज में है और औसत लगभग 50% है।

(vi) एसपीएफ एल.वेन्नामई बीज उत्पादन के लिए नौपल्ली रीयरिंग केन्द्रों की स्थापना

यह पाया गया है कि कई पंजीकृत हैचरियाँ परिपक्वन सुविधाओं का उपयोग नहीं कर रही है यद्यपि, परिपक्वन खंड के निर्माण पर उल्लेखनीय धनराशि खर्च की गई है जिसके विभिन्न कारण हो सकते हैं जो उपयुक्त तकनीकी व्यक्तियों की कमी को दर्शाते हैं। इसके अलावा, वर्ष 2014-14 के दौरान 60% से अधिक हैचरियों ब्रूडस्टॉकों की आबंटित मात्रा का आयात किए बिना आस-पास की पंजीकृत हैचरियों से नौपल्ली खरीद कर एल. वेन्नामई बीज उत्पादन पर निर्भर थी। इसके अलावा, कर्नाटक क्षेत्र में लघु स्तर की गैर पंजीकृत हैचरियोंको सीएए पंजीकरण के तहत लाने के लिए, सीएए में परिपक्वन सुविधा के बिना नौपल्ली रीयरिंग केन्द्र (एनआरसी) की अवधारणा शुरू की है क्योंकि पंजीकृत हैचरियों को नौपल्लीकी बिक्री और बीज के रीयरिंग की अनुमति सीएए के दिशा-निर्देशों में संशोधन करके दी गई थी। वर्ष के दौरान एथामुक्कंला ग्राम, जिला प्रकाशन, आंध्र प्रदेश में मैसर्स एम.एस.एफ. झींगा हैचरी जिसकी उत्पादन क्षमता 50 मिलियन बीज/वार्षिक है और ग्राम पुदुवेयपू, जिला एर्नाकुलम, केरल राज्य में स्थित केरल मात्स्यिकी और सागरीय अध्ययन विश्वविद्यालय जिसकी उत्पादन क्षमता 2 मिलियन बीज/वार्षिक है से एनआरसी पंजीकरण जारी करने के लिए प्राप्ति आवेदन पत्रों की छानबीन की गई थी और हैचरी सुविधाओं का मूल्यांकन करने के बाद निरीक्षण समिति की सिफारिशों के आधार पर, प्राधिकरण ने एसपीएफ एल. वेन्नामई बीज के उत्पादन के लिए दोनों हैचरियों को नौपल्ली रीयरिंग केन्द्रों के रूप में प्रचालित करने का अनुमोदन किया था। पंजीकरण प्रमाण पत्र की वैधता पांच वर्षों तक है। एनआरसी के लिए एलओपी में दो अथवा तीन पंजीकृत हैचरियों से नौपल्ली खरीद के सीमित स्रोत के विशिष्ट दिशा निर्देश है जिसे एनआरसी द्वारा शपथ में दर्शाया गया है।

(vii) एसपीएफ एल. वेन्नामई पालन के लिए झींगा फार्मों को अनुमति प्रदान करना

एसपीएफ एल. वेन्नामई पालन करने के लिए किसानों से प्राप्त प्रस्तावों के अनुसरण में, सीएए द्वारा गठित निरीक्षण दल द्वारा फार्मों का निरीक्षण किया गया था और एसपीएफ एल. वेन्नामई पालन के लिए आवश्यक निम्नलिखित जैव सुरक्षा आवश्यकताओं का सत्यापन किया गया था। दल द्वारा सत्यापन के बाद अनुमति प्रदान की गई:



फार्म का एक दृश्य

- i. फार्मों के चारों ओर बाड़ लगाना
- ii. क्रैब फेंसिंग
- iii. जल प्रवेशक रिजर्वार्यर्स
- iv. बर्ड निटिंग/ बर्ड स्कार्श का संस्थापन
- v. उत्प्रावाही उपचार प्रणाली (ईटीएस)

अनुमोदन के मामलों में तेजी लाने के लिए प्राधिकरण की 56वीं बैठक में डीएलसीज/एसएलसीज से संस्तुति प्राप्त होते ही तत्काल पंजीकरण पत्र जारी करने, इसे जांच करने के लिए अगली बैठक में प्राधिकरण के समक्ष रखने का निर्णय लिया गया था।



फार्मों का निरीक्षण



में मुख्य द्वार पर फेंसिंग एवं टासर वाश की प्रक्रिया!



में क्रैब-फेंसिंग का कार्य!



में बर्ड-बेरिंग प्रक्रिया



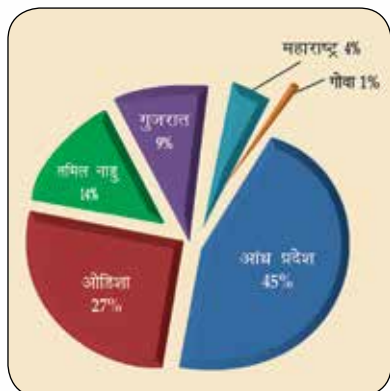
में प्रदुषित जल को शुध करने हेतु पानी का स्रोत एवं ई.टी.एस.

(viii) एल.वेन्नामई पालन का राज्य-वार निष्पादन

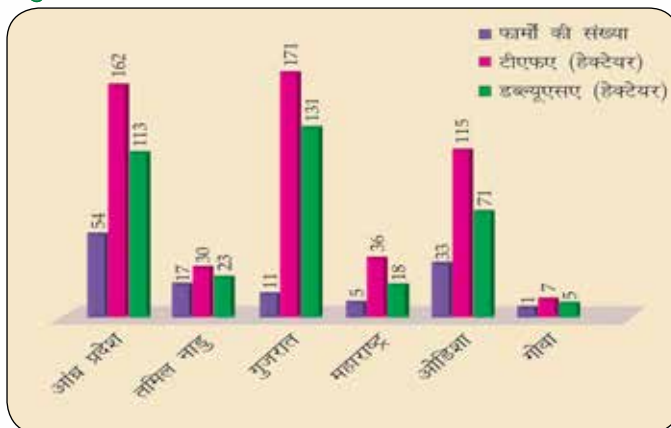
रिपोर्ट (2015-16) के तहत वर्ष के दौरान, प्राधिकरण ने छः समुद्रतटीय राज्यों में फैले 521.6 हेक्टेयर जल प्रवाहित क्षेत्र सहित 121 फार्मों का पंजीकरण किया है जिसमें आंध्र प्रदेश का प्रथम स्थान है और उसके पास 162.30 हेक्टेयर (54 फार्म) डब्ल्यूएसए है, गुजरात का दूसरा स्थान है और उसके पास 131.40 हेक्टेयर (11 फार्म) डब्ल्यूएसए है। ओडिशा का तीसरा स्थान है और उसके पास 71.0 हेक्टेयर (33 फार्म) डब्ल्यूएसए है। इसके पश्चात महाराष्ट्र के पास 18.2 हेक्टेयर (5 फार्म) डब्ल्यूएसए है और गोवा के पास 4.70 हेक्टेयर एक फार्म है। एसपीएफ एल. वेन्नामई पालन के लिए सभी 121 फार्मों को एलओपी जारी कर दिए गए थे। सीएफ द्वारा अनुमोदित हैचरियों द्वारा आपूर्ति किए गए एसपीएफ बीजों (पीएल 12-15) को इन्हीं फार्मों में भंडारित किया गया था और पालन का प्रचालन जैव सुरक्षित परिस्थितियों में हार्वेस्ट होने तक जारी था।

- वर्ष के दौरान पंजीकरण और एलओपी जारी किए गए फार्मों के राज्य-वार ब्यौरे **तालिका-10** में दिए गए हैं और उनका प्रतिशत वितरण चित्र 26 में दिया गया है। विभिन्न राज्यों में फार्मों का क्षेत्र-वार वितरण चित्र 27 में दिया गया है।

तालिका 10 : अप्रैल 2015 से मार्च 2016 तक एसपीएफ एल. वेन्नामई फार्मों को अनुमति के राज्यवार ब्यौरे



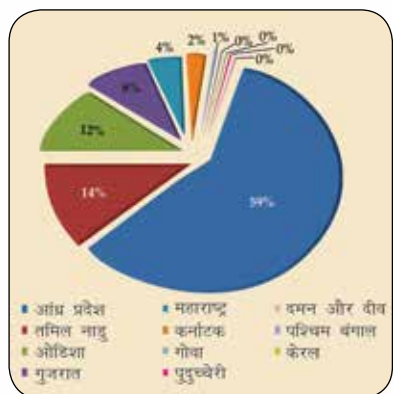
चित्र 26 वर्ष 2015-16 के लिए सीएए अनुमोदित एल. वेन्नामई फार्मों का प्रतिशत वितरण



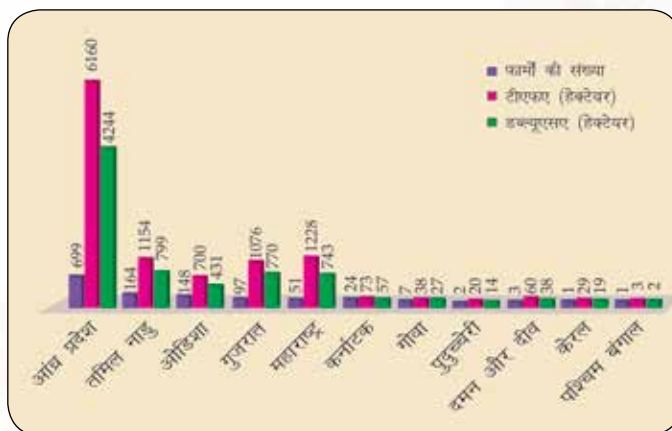
चित्र 27 वर्तमान वर्ष में अनुमति प्राप्त एल.वेन्नामई फार्मों के ब्यौरे फार्मों की संख्या, टीएफए (हेक्टे०), डब्ल्यूएसए (हेक्टे०)

- सीएए ने मार्च, 2016 तक 10540 हेक्टेयर (डब्ल्यूएसए 7,144 हेक्टे०) कुल क्षेत्रफल को कवर करते हुए 1197 एसपीएफ एल. वेन्नामई फार्मों का पंजीकरण किया है और एलओपी जारी की है, फार्मों के राज्यवार ब्यौरे तालिका 11 में दिए गए हैं, उनका प्रतिशत वितरण चित्र 28 में दिया गया है और विभिन्न राज्यों में क्षेत्रवार विवरण चित्र 29 में दिया गया है।

तालिका 11 : अपने प्रारंभ (दिसंबर, 2009) से 51वीं बैठक (मार्च, 2016) तक एसपीएफ एल. वेन्नामई फार्मों को अनुमति के राज्यवार ब्यौरे



चित्र 28 दिसंबर, 2009 से मार्च, 2016 तक सीएए अनुमोदित एल. वेन्नामई फार्मों का प्रतिशत वितरण



चित्र 29 दिसंबर, 2009 से मार्च, 2016 तक अनुमति प्राप्त एल.वेन्नामई फार्मों के ब्यौरे फार्मों की संख्या, टीएफए (हेक्टे०), डब्ल्यूएसए (हेक्टे०)

- वर्ष 2009-10 से 2015-16 के दौरान सभी तटीय राज्यों में जारी किए गए एलओपी की संख्या के संदर्भ में एल.वेन्नामई फार्मों की वृद्धि तालिका 12 में दी गई है। देश में 2009-10 के दौरान कुल फार्म क्षेत्र 1744-9 हेक्टेयर सहित 107 फार्मों से शुरूवात करके कृषि में तेज वृद्धि हुई है जिसमें

वर्ष 2015-16 के दौरान 7 वर्षों की अवधि में कुल फार्म क्षेत्र 10540.2 हेक्टेयर सहित 1197 फार्मों तक सतत वृद्धि हुई है। आंध्र प्रदेश राज्य ने वर्ष 2009-10 के दौरान कुल फार्म क्षेत्र 1236.3 हेक्टेयर सहित 87 फार्मों के साथ शुरुवात करके वर्ष 2015-16 के दौरान कुल फार्म क्षेत्र 6159.6 हेक्टेयर सहित 699 फार्मों का स्तर प्राप्त करके तेज वृद्धि की है और प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इसके बाद तमिलनाडु (दूसरा स्थान) ने वर्ष 2009-10 के दौरान 6 फार्मों (टीएफए 90.1 हेक्टे०) से वर्ष 2015-16 के दौरान 164 फार्मों (टीएफए 1153.9 हेक्टे०) तक वृद्धि की है और गुजरात (तीसरा स्थान) ने वर्ष 2009-10 के दौरान 4 फार्मों (टीएफए 146.0 हेक्टे०) से वर्ष 2015-16 के दौरान 97 फार्मों (टीएफए 1075.9 हेक्टे०) तक वृद्धि की है। कुल क्षेत्र के साथ-साथ जल प्रवाहित क्षेत्र के संबंध में वृद्धि चित्र 31 में दी गई है और इस अवधि के दौरान राज्यवार वृद्धि चित्र 31 में दी गई है। मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार एल.वेन्नामई फार्मों का जिलावार विवरण चित्र 32 में दिया गया है।



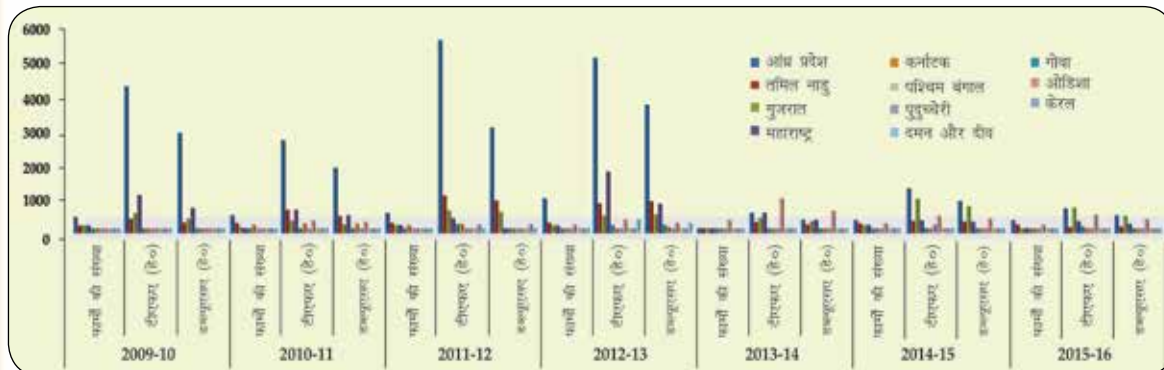
चित्र 30 2009-2010 से 2015-2016 के दौरान फार्म क्षेत्र के संदर्भ में एल. वेन्नामई फार्मों की वृद्धि कुल फार्म क्षेत्र (हेक्टे०), जल प्रवाहित क्षेत्र (हेक्टे०)

तालिका 12: वर्ष 2009-10 से 2015-16 के दौरान सभी तटीय राज्यों में एस.पी.एफ. एल. वेन्नामई पालन के लिए जारी किए गए एलओपी की संख्या

क्र. सं.	राज्य का नाम	2009-10			2010-11			2011-12			2012-13		
		फार्मों की संख्या	टीएफए (हेक्टेयर)	डब्ल्यूएसए (हेक्टेयर)	फार्मों की संख्या	टीएफए (हेक्टेयर)	डब्ल्यूएसए (हेक्टेयर)	फार्मों की संख्या	टीएफए (हेक्टेयर)	डब्ल्यूएसए (हेक्टेयर)	फार्मों की संख्या	टीएफए (हेक्टेयर)	डब्ल्यूएसए (हेक्टेयर)
1	आंध्र प्रदेश	87	1236.3	815.4	105	1205.9	833.2	129	1619.8	1118.9	259	1474.6	1059.3
2	तमिल नाडु	6	90.1	55.4	32	324.2	203.4	41	276.9	213.8	34	295.3	202.5
3	गुजरात	4	146.0	78.0	6	125.0	97.0	18	172.5	128.6	11	104.4	74.4
4	महाराष्ट्र	10	272.5	168.6	3	152.0	91.5	3	89.6	31.0	13	483.8	308.9
5	गोवा	0	0	0	1	5.6	2.8	0	0	0	3	18.3	13.9
6	कर्नाटक	0	0	0	16	47.0	37.4	1	0.9	0.8	0	0	0
7	केरल	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	ओड़ीशा	0	0	0	5	140.1	83.8	0	0	0	11	78.2	48.9
9	पश्चिम बंगाल	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	पुदुचेरी	0	0	0	0	0	0	1	17.1	11.9	0	0	0
11	दमन एवं दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	60.0	38.4
	योग	107	1,744.9	1,117.4	168	1,999.8	1,349.1	193	2,176.8	1,505.0	334	2,514.6	1,746.3

तालिका 12....

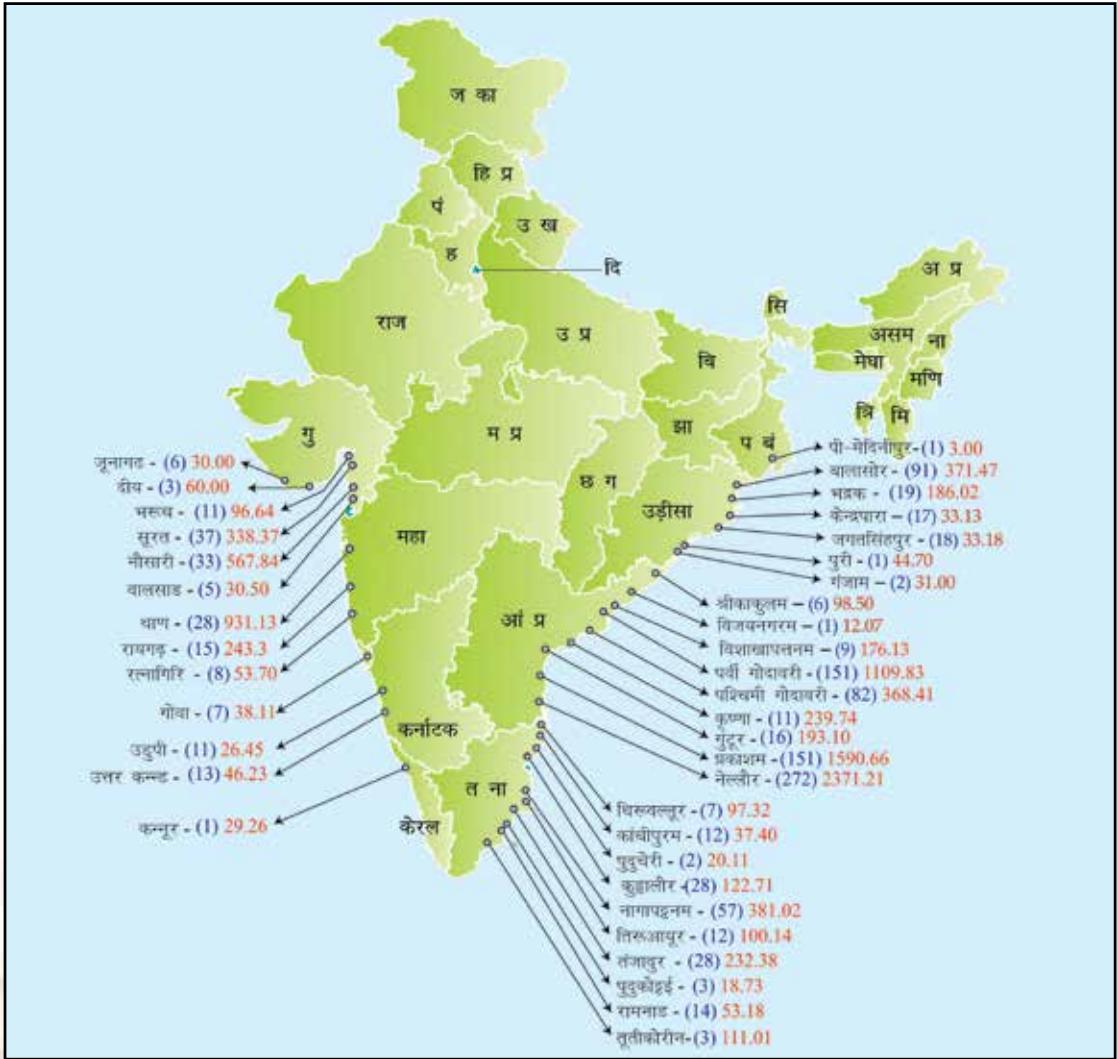
क्र. सं.	राज्य का नाम	2013-14			2014-15			2015-16			Total (2009-10 to 2015-16)		
		फार्मों की संख्या	टीएफए (हे०)	डब्ल्यूएसए (हे०)	फार्मों की संख्या	टीएफए (हे०)	डब्ल्यूएसए (हे०)	फार्मों की संख्या	टीएफए (हे०)	डब्ल्यूएसए (हे०)	फार्मों की संख्या	टीएफए (हे०)	डब्ल्यूएसए (हे०)
1	आंध्र प्रदेश	5	129.9	73.8	60	330.8	230.5	54	162.3	112.8	699	6,159.6	4,244.1
2	तमिल नाडु	10	58.3	43.1	24	79.0	57.9	17	30.1	23.2	164	1,153.9	799.2
3	गुजरात	12	104.0	75.2	35	252.6	185.1	11	171.4	131.4	97	1,075.9	769.7
4	महाराष्ट्र	7	135.1	84.4	10	59.5	40.1	5	35.6	18.2	51	1,228.1	742.7
5	गोवा	2	7.2	5.4	0	0	0	1	7	4.7	7	38.1	26.8
6	कर्नाटक	1	8.3	5.0	6	16.4	13.8	0	0	0	24	72.7	57.0
7	केरल	0	0	0	1	29.3	18.6	0	0	0	1	29.3	18.6
8	ओडिशा	63	270.1	153.9	36	96.0	73.1	33	115.2	71.0	148	699.5	430.6
9	पश्चिम बंगाल	1	3.0	2.0	0	0	0	0	0	0	1	3.0	2.0
10	पुदुच्चेरी	0	0	0	1	3.0	2.5	0	0	0	2	20.1	14.4
11	दमन एवं दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	60.0	38.4
	योग	101	715.9	442.8	173	866.6	621.6	121	521.6	361.3	1,197	10,540.2	7,143.5



चित्र 31 दिसंबर, 2009 से मार्च, 2016 के दौरान एल. वेन्नामई फार्मों की राज्यवार वृद्धि फार्मों की संख्या, टीएफए(हे०), डब्ल्यूएसए(हे०)

एसपीएफ एल. वेन्नामई पालन के लिए किसानों से प्राप्त प्रस्तावों की शीघ्र छानबीन की सुविधा उपलब्ध कराने और इस क्षेत्र में तेजी से विकास के लिए सीएफ पंजीकरण जारी करने के उद्देश्य से सीएफ ने 5 हे० से कम जल प्रवाहित क्षेत्र वाले फार्मों का निरीक्षण करने और जरूरी जैव सुरक्षा संबंधी उपस्करों का सत्यापन करने के बाद सीएफ को पात्र मामलों की संस्तुति करने के लिए तटीय राज्यों में जिला स्तरीय दलों (डीएलटीज) का गठन किया है।

जांच दल और जिला सतरीय दलों की सिफारिशों के आधार पर आगे की प्रक्रिया सदस्यी सचिव सीएफ के स्तजर पर की जाती है, जिसके पश्चात् प्रस्तावों को विचारार्थ प्राधिकरण के समक्ष रखा जाता है। सीएफ द्वारा अनुमोदन के पश्चात् फार्मों का पंजीकरण किया जाता है और किसानों को एलओपी जारी किए जाते हैं।



चित्र 32 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार एल.वेन्नामई फार्मों का जिलावार वितरण कोष्ठकों में चित्र: फार्मों की संख्या लाल रंग में चित्र दिए गए हैं: कुल फार्म क्षेत्र (हेक्टे० में)

अनुमोदनों के मामले में तेजी लाने के लिए, 21 दिसंबर, 2015 को आयोजित प्राधिकरण की 56वीं बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि उन फार्मों को पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी किए जाएं जिन्हें डीएलसी के अनुरूप पाया जाता है, जिसे जांच के लिए प्राधिकरण के समक्ष रखा जा सके। केवल ऐसे मामले जहां जटिलताएं/स्पाष्टीकरण का अभाव होता है यह निर्णय लिया गया था कि इन्हें पहले प्राधिकरण के समक्ष रखा जाए और प्राधिकरण द्वारा अनुमोदन के पश्चात् पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी किया जाए।



में प्रवेश द्वार पर परीक्षण हेतु पानी एवं फिल्ट्रेशन का निकास



के कल्युर तालाब में पानी एवं फिल्ट्रेशन



में फार्म-लाइनिंग



में वायवीकरण!



में फुट एवं हैण्ड डिप्प!



स्टेक-फुड व अन्य सामग्री

पेलट फीड का तोल!



प्रयोगार्थ तैयार प्रो-बॉयाथिक एवं अन्य अक्वा-कल्चर इंफर



पेलर-फीड व ड्राय-फीड लगाने की प्रक्रिया



एफि हेतु अनुरक्षित स्लूइस द्वार

(ix) एसपीएफ एल. वेन्नामई का उत्पादन

एल. वेन्नामई का पालन देश में दिसंबर, 2009 के दौरान शुरू किया गया था और चालू वर्ष के अंत तक (31-03-2016) सीएए द्वारा 7143.24 हे० जल प्रभावित क्षेत्र (डब्ल्यूएसए) सहित एसपीएफ एल. वेन्नामई का पालन करने के लिए सीएए द्वारा 1197 फार्मों को अनुमोदित किया गया था। इन फार्मों में एसपीएफ एल. वेन्नामई का औसत उत्पादन 7.70 एमटी/हेक्टे०/वर्ष (रेंज 4.85-10-55 एमटी/हेक्टे०) है जिसमें विगत 7 वर्षों से अधिक की अवधि में प्रति हेक्टेयर उत्पादन में महत्वपूर्ण वृद्धि है। तथापि, वर्ष के दौरान प्रति हेक्टेयर औसत उत्पादन में मामूली कमी आई है, यह लघु आकार की झींगा के उत्पादन की ओर रुझान के कारण हो सकता है क्योंकि पालन अवधि कम होने के कारण जोखिम बहुत कम है और लघु और बड़ी आकार की झींगा के बीच मूल्यों में बहुत अधिक अंतर नहीं है। एल. वेन्नामई फार्मों में उत्पादकता में वृद्धि का पूरे झींगा सेक्टर की समग्र उत्पादकता पर और साथ ही भारत से झींगाओं के निर्यात पर भी पड़ा है।

इन फार्मों में स्टॉक के घनत्व की रेंज 0.25 और 0.60 मिलियन/हेक्टेयर है और पालन की अवधि 60 से 120 दिन के बीच भिन्न-भिन्न है। एल. वेन्नामई झींगाओं का विकास औसत शरीर भार 24.1 ग्राम (12.5 ग्राम से 35.7 ग्राम के बीच) और 78.0% उत्तरजीविता के औसत (रेंज 60-70%) के साथ हुआ है और खाद्य संरक्षण अनुपात का औसत (एफसीआर) 1.75 (रेंज 1-2 से 2-3 के बीच) है।



में हॉवस्ट प्रक्रिया!



हॉबस्ट के बाद की अनुरक्षण प्रक्रिया!



हॉबस्ट के बाद की अनुरक्षण प्रक्रिया!

में फार्म-फ़ेश

(x) एसपीएफ एल. वेन्नामई का समूहों के रूप में पालन

सीएए द्वारा ईटीएस तथा जैव सुरक्षा उपाय करके सामूहिक पालन प्रणाली को छोटे फार्मों के स्वामी किसानों द्वारा एसपीएफ एल. वेन्नामई के पालन को सुसाध्य बनाने के लिए शुरू किया गया था। 31-03-2016 की स्थिति के अनुसार सीएए द्वारा पंजीकृत 1197 फार्मों (कुल फार्म क्षेत्रफल 1054.27 हेक्टे०) में से 570 सामूहिक फार्म हैं जिनमें 2,619 छोटे फार्मों के किसान शामिल हैं और कुल फार्म क्षेत्रफल 5,459 हेक्टे० है। सामूहिक फार्म 31-03-2016 की स्थिति के अनुसार पंजीकृत कुल फार्मों का 47.62% हैं और पालन के कुल क्षेत्र का 51-79% क्षेत्र इनके तहत आता है (चित्र 33)।



चित्र 33: एल. वेन्नामई में सामूहिक पालन

(xi) एल. वेन्नामई हैचरीज/फार्मों की निगरानी

पालन से संबंधित सामाजिक और पर्यावरणीय नकारात्मक प्रभावों जैसे जल प्रदूषण रोगों में वृद्धि और फैलाव, राहत, पर्यायवास प्रभावों और आस-पास के समुदायों पर सामाजिक प्रभावों को रोकने के लिए नियमित अंतराल में फार्मों/हैचरियों का दौरा करके झींगा हैचरियों और फार्मों की सीएए द्वारा प्राधिकृत दल द्वारा नियमित निगरानी की जाती है। प्रचालन के कारण हैचरियों/फार्मों में जैव सुरक्षा की स्थिति, उत्पादन प्रणालियों में उत्पादन तरीकों, कार्य निष्पादन, जल गुणवत्ता, स्वस्थ बीजों/झींगों/पर्यावरणीय समस्याओं, यदि कोई हो, तो उसका मूल्यांकन किया जाता है। अनुमत हैचरियों और फार्मों से निकले अपशिष्ट जल नमूनों को जांच के लिए ईटीएस के अंतिम निकासी बिंदु से एकत्रित किया जाता था

ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सीएए द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार अपशिष्ट जल प्राचलों को पूरा किया जाए।

- वर्ष 2015-16 के दौरान सीएए निगरानी दल ने कुल मिलाकर सीएए द्वारा अनुमत 129 हैचरियों (आंध्रप्रदेश में 116 और तमिलनाडु में 13) और तमिलनाडु में 48 का दौरा किया।
- 66 हैचरियों, 11 फार्मों के ईटीएस के अंतिम निकास बिंदु से एकत्र किए गए अपशिष्ट जल नमूने सीएए द्वारा निर्धारित अपशिष्ट जल गुणवत्ता मानकों के अनुरूप थे किंतु 25 हैचरियों और 3 फार्म ऐसे थे जिनके अपशिष्ट जल की गुणवत्ता सीएए मानकों से अधिक थी। उन्हें चेतावनी पत्रों द्वारा सावधान किया गया था। सीएए ने हैचरियों के स्वामियों को जैविक भार के प्रभाव को न्यूनतम करने के लिए अपनी ईटीएस में आवश्यक सुधार करने का निर्देश भी दिया था।
- ग्राम कुरु, इसाकापल्ली का हेमलेट, मंडल अल्लूर, जिला नेल्लौर, आंध्र प्रदेश में स्थित 9 गैर-पंजीकृत फार्मों को भी चेतावनी नोटिस जारी किए गए जैसा 09 दिसंबर, 2014 को प्राधिकरण की 55वीं बैठक में संकल्प किया गया था क्योंकि निरीक्षण ने फार्मों में अनाधिकृत एल.वेन्नामई पालन की पुष्टि की थी। उक्त संकल्प की अग्रेषण प्रति द्वारा जिलाधिकारी को भी मामले की सूचना दे दी गई थी।
- उत्पादन सुविधाओं का निरीक्षण किया गया था और अभिलेखों/पंजिकाओं का भी सत्यापन किया गया था और आयातित ब्रूडस्टॉक की मात्रा, उनका स्रोत, मोरटैलिटी यदि कोई हो, अंडे, नौपल्ली, उत्पादित/बेंचे गए पोस्ट लार्वा और उन किसानों का नाम और पता जिनको बीज बेंचे गए थे, हैचरियों के सीएए नामांकन की तारीख और संख्या; उत्पादित, बिक्री किए गए झींगा की मात्रा, उन प्रसंस्करणकर्ताओं का नाम एवं पता जिन्हें इनकी बिक्री की गई थी, आदि संबंधी व्यौरों की जांच की गई थी। किसानों/हैचरी प्रचालकों को उपयुक्त अभिलेखों को अनुरक्षित करने की आवश्यकता और उक्त अधिसूचना में यथा अपेक्षित सीएए को नियमित रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बारे में बार-बार बताया गया था। किसानों को उक्त स्थिति, पारिस्थितिकीय और आर्थिक तौर पर वहनीय जल कृषि कार्यकलापों को अपनाने और सुरक्षित तथा गुणवत्ता वाले जल कृषि उत्पादों का उत्पादन करने की सलाह भी दी गई थी। स्थल विशिष्ट प्रोबायोटिक लागू करने के साथ-साथ के उत्पादन में श्रेष्ठ जलकृषि पद्धतियों (जीएक्यूपीएस) को अपनाने का सुझाव भी दिया गया था।

ब्रूडस्टॉक आपूर्तिकर्ताओं का पता लगाने, ब्रूडस्टॉक के आयात तथा क्वारन्टाइन में कठोर विनियमन ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि देश में अब तक आयातित एल. वेन्नामई ब्रूडस्टॉक ओआई में सूचीबद्ध रोगाणुओं से मुक्त हों। इसी प्रकार, जैव सुरक्षा सुविधाओं को सुनिश्चित करने के बाद हैचरियों और फार्मों का अनुमोदन करना जो यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त और नियमित निगरानी है कि दिशा-निर्देशों को उचित रूप से कार्यान्वित किया गया है और फार्मों तथा हैचरियों के ईटीएस से निकले अपशिष्ट जल गुणवत्ता प्राचल सीएए द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप हो इसने झींगा पालन क्षेत्र को रोगों विशेष रूप से अर्ली मोरटैलिटी सिन्ड्रोम (ईएमएस) से बचने में सक्षम बनाया है। यद्यपि, इसने पड़ोसी दक्षिण पूर्व एशियाई देशों झींगा फार्मों को नष्ट कर दिया है।



में चालु निगरानी की प्रक्रिया!



में प्रदूषित जल का नमूना उठाने की प्रक्रिया!

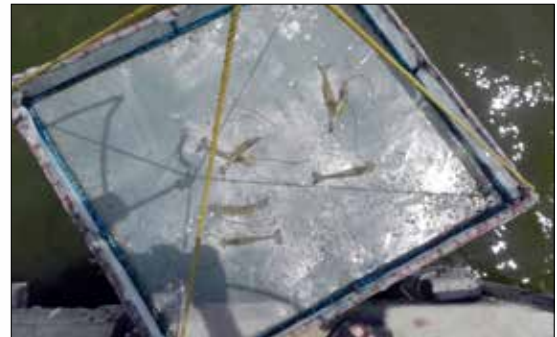


में प्रयोगशाला उपकरणों की जाँच!



दिनांक	विवरण	मछली	मछली	मछली
15-04-16	मछली	मछली	मछली	मछली
16-04-16	मछली	मछली	मछली	मछली
17-04-16	मछली	मछली	मछली	मछली
18-04-16	मछली	मछली	मछली	मछली
19-04-16	मछली	मछली	मछली	मछली
20-04-16	मछली	मछली	मछली	मछली
21-04-16	मछली	मछली	मछली	मछली
22-04-16	मछली	मछली	मछली	मछली
23-04-16	मछली	मछली	मछली	मछली
24-04-16	मछली	मछली	मछली	मछली

में रेकार्डों की जाँच



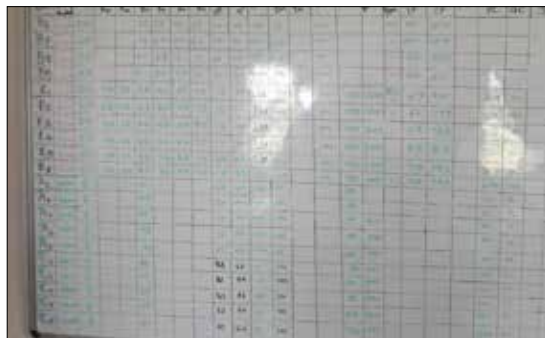
में चेक-ट्रे निगरानी



में बायोलॉजिकल निगरानी



में प्रदूषित जल का नमूना इकट्ठा करना!



में रेकाडों की जाँच

IV. झींगा पालन के विरुद्ध विभिन्न शिकायतों पर कार्रवाई

सीएए द्वारा प्राप्त शिकायतों के आधार पर, सीएए द्वारा प्राधिकृत निरीक्षण दल संबंधित फार्मों का निरीक्षण करता है और दल द्वारा गैर-प्राधिकृत एल.वेन्नामई पालन अथवा आस-पास के कृषि क्षेत्रों के लिए पर्यावरणीय समस्याएं अथवा पेयजल स्रोतों के लिए समस्याएं अथवा सामाजिक समस्याएं पैदा होने की पुष्टि होने की स्थिति में, सीएए कृषि मंत्रालय द्वारा अधिसूचित दिनांक 23 मार्च, 2012 के जी.एस.आर. 280(ई) में जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार अथवा प्राधिकरण की अगली बैठक में मामले पर विचार करके तत्स्थान तत्काल कार्रवाई करता है और सीएए अधिनियम और नियम के अनुसार बैठक में पास किए गए संकल्प के अनुसार कार्रवाई करता है।

(क) विशेष शिकायतों पर की गई कार्रवाई

- (i) डीएलसी जिला कुड्डालोर द्वारा दिनांक 17-04-2014 को जिला कुड्डालोर, तमिलनाडु में तालुका चिदंबरम के ग्राम किल्लाई में स्थित कुछ फार्मों के झींगा फार्मों की सीएए पंजीकरण को रद्द करने की सिफारिश की गई और इसके साथ-साथ इन फार्मों के पंजीकरण के नवीनीकरण की सिफारिश को अस्वीकार करने की भी संस्तुति की गई जो सदस्य सचिव, सहायक निदेशक मात्स्यिकी (स्वतंत्र प्रभार), पारंगीपेट्टई, निरीक्षक मात्स्यिकी और सहायक निदेशक कृषि की अध्यक्षता में एक समिति द्वारा इस उद्देश्य के लिए सीएए द्वारा निर्धारित प्रक्रियाओं का अनुसरण करते हुए दिनांक 24-04-2005 को किए गए निरीक्षण में आस-पास के पेयजल स्रोत और कृषि भूमि को लवण बनाने की शिकायत के प्रति में थी। समिति ने यह पाया था कि ये फार्म कृषि भूमि और पेयजल स्रोत से 500 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित हैं और वहां पालन कार्यकलापों के कारण लवण जल के प्रवेश करने की कम संभावना है। इसके अलावा, समग्र क्षेत्र का वर्षा मौसम के दौरान लवण जल द्वारा जलप्लावन होता है और दल यह महसूस करता है कि उनके फार्मों का सफलतापूर्वक प्रचालन केवल किल्लौ-गाँव ग्राम के निवासियों के साथ सहयोग से ही संभव होता है। इसलिए, समिति द्वारा यह सुझाव दिया गया था कि किसान उस ग्राम के प्रमुख से एनओसी प्राप्त करें और उसे फार्म - 111 के साथ सदस्य समन्वय, डीएलसी, कुड्डालोर जिला को पंजीकरण के नवीनीकरण पर आगे की कार्रवाई के लिए प्रस्तुत करें।



किल्लौ-गाँव में शिंप-फार्म का निरीक्षण

- (ii) ग्राम के आस-पास स्थित कुछ पंजीकृत झींगा फार्मों के विरुद्ध ग्राम अट्टराकराईथेरु, थिरुनगरी, तालुक सीरकाली, जिला- नागापट्टिनम, तमिलनाडु की जनता से शिकायत प्राप्त हुई थी जो पिछले 20 वर्षों से इन फार्मों के प्रचालन के कारण उस क्षेत्र में भूजल स्रोतों और कृषि भूमि को लवणीय बनाने के संबंध में थी जिसके कारण की गांवों की शमशान भूमि के लिए आस-पास के फार्मों से जल रिसाव और स्ट्रीयूरिन क्रीक के कारण गंभीर समस्याएं पैदा हो गईं। मात्स्यिकी विभाग, सीरकाली, जिला नागापट्टिनम के अधिकारियों सहित सदस्य सचिव की अध्यक्षता में सीएए अधिकारियों द्वारा दिनांक 08-09-2015 को इसका संयुक्त निरीक्षण किया गया था और निरीक्षण समिति की सिफारिशों को जिलाधिकारी और अध्यक्ष, डीएलसी, जिला नागापट्टिनम को दिनांक



तिरुनगरी गाँव में फार्म का निरीक्षण



तिरुनगरी गाँव में फार्म का निरीक्षण

09-10-2015 को अग्रेषित कर दिया गया था और उनसे अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उपयुक्त कार्रवाई करने और कृत कार्रवाई रिपोर्ट सीएफ को भेजने का अनुरोध किया गया था।

(iii) ग्राम राधाविलागम, तालुक चिदंबरम, जिला कुड्डलोर, तमिलनाडु में स्थित फार्म के पंजीकरण का मामला लम्बी अवधि तक लम्बि रहने के विरुद्ध थिरूपाडलीपुलीयूर, कुड्डलोर के एक निवासी से पुनः शिकायतें प्राप्त हुई थीं जो डीएलसी, जिला कुड्डलोर के सदस्य जिला वन अधिकारी द्वारा सिफारिश को अस्वीकार करने के संबंध में थी जिसमें यह बताया गया था कि फार्म सीआरजेड-1 के तहत आनेवाले पिचावरम मैनग्रोव के बैकवाटर कैनाल के निकट स्थित है जो अत्यधिक संवेदनशील है (दिनांक 06-01-2011 की तटीय विनियमन क्षेत्र अधिसूचना के पैरा 3(v) को कोड करते हुए)। इस स्थल का निरीक्षण सदस्य सचिव, सीएफ की अध्यक्षता वाले दल द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। संयुक्त निरीक्षण दल की टिप्पणियों और सिफारिशों के आधार पर, जिलाधिकारी और डीएलसी के अध्यक्ष, जिला-कुड्डलोर से फार्म के आवेदन-पत्र को सीएफ को इसके पंजीकरण के विचारार्थ अग्रेषित करने का अनुरोध किया गया था। इसके अतिरिक्त, चूंकि किसान बिना अपेक्षित जैव सुरक्षा सुविधाओं और ईटीएस के फार्म में एल.वेननामई पालन का प्रचालन कर रहा था इसलिए किसान को पालन में हो रही प्रगति को तत्काल समाप्त करने का निदेश दिया गया था और एसपीएफ एल. वेन्नामई पालन के लिए एलओपी जारी करने हेतु सीएफ को आवेदन करने का निदेश दिया गया था।

(iv) ग्राम पंचायमहाथू वेझकई में स्थित पंजीकृत कुछ अक्वा फार्मों के कारण हो रहे प्रदूषण के विरुद्ध ग्राम पंचायमहाथू वेझकई, नवपट्टई, तालुक चिदंबरम, कुड्डलूर जिला, तमिलनाडु के एक निवासी को 23-04-2014 को शिकायत प्राप्त हुई थी जिसका समाधान सदस्य सचिव, सीएफ की अध्यक्षता वाले संयुक्त निरीक्षण द्वारा किया गया था। संयुक्त निरीक्षण दल ने पुष्टि की थी कि चार फार्म कृषि भूमि से 15 मीटर के भीतर स्थित थे जो सीएफ अधिनियम, 2005 के तहत दिशा-निर्देशों के अनुलग्नाक -1 की धारा 4-9 के तहत अपेक्षाओं का उल्लंघन है। निरीक्षण दल की टिप्पणी सीएफ के माननीय अध्यक्ष के समक्ष रखा गया था और उनके द्वारा दिए गए निदेश के अनुसार सभी 4 किसानों को कारण बताओं नोटिस जारी किए गए थे और व्यक्तिगत सुनवाई की गई थी। चूंकि, यह सिद्ध हो गया था कि किसानों ने अपने आवेदन-पत्र में कृषि भूमि और आस-पास के गांवों से अपने फार्मों की दूरी के संबंध में गलत घोषणा प्रस्तुति करके



पंचै महल्लु वाष्कै गाँव में फार्म का निरीक्षण

पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्राप्त किए थे इसलिए इन फार्मों से संबंधित उनके प्रमाण-पत्रों को (सं० टीएन- 11 & 2011(1472, 1471, 1469 और 1470)) सीएए अधिनियम के संगत प्रावधानों के अनुसार 07-08-2015 को रद्द कर दिया गया है और अपने फार्म में प्रचालन को तत्काल प्रभाव से बंद करने के निदेश सहित उन्हें आगे आदेश जारी कर दिए गए थे।

- (v) अपने गांव में झींगा पालन के कारण पर्यावरण को हुए नुकसान के विरुद्ध मरक्कानम क्षेत्र, तालुक टिंडीवनम, जिला विल्लूपुरम की जनता से पुनः शिकायतें सीएए को प्राप्त हुई हैं और सीएए से चूककर्ता फार्मों के विरुद्ध कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है। जिला पर्यावरण इंजीनियर, टीएनपीसीवी, विल्लूपुरम से भी शिकायत की प्रति प्राप्ता हुई थी। इसलिए, प्राधिकरण ने आगे कार्रवाई के लिए सदस्य समन्वित, डीएलसी, जिला विल्लूपुरम से स्थल का दौरा करने और सीएए को रिपोर्ट प्रस्तुत करने का अनुरोध किया है। इसी बीच, जैसा कि माननीय अध्यक्ष सीएए द्वारा निर्देश दिया गया, सदस्य सचिव की अध्यक्षता में सीएए अधिकारियों ने ग्राम करिप्पालायम (मरक्कानम का हेमलेट), मरक्कानम ग्राम का मेट्रस्ट्रीट 12वां वार्ड और ग्राम वांदीपलायम, टिंडीवनम तालुक की नाडुउप्पम पंचायत, जिला विल्लूपुरम में 01-04-2015 को स्थल का निरीक्षण किया और तथ्य एकत्रित किए। दल ने यह पाया कि स्थल पर स्थित सभी फार्म गैर-पंजीकृत थे और एकत्रित किए गए मिट्टी और जल के नमूने जल की लवणता को दर्शाते थे। संभवतः जिसका कारण बलुई बांधों से रिसाव था। इसके अलावा, झींगा फार्मों के परिक्षेत्र में कई पेड़ पूरी तरह से निर्जीव और सूख चुके थे। इस मामले पर 29-04-2015 को प्राधिकरण की 52वीं बैठक में विचार-विमर्श किया गया था और यथासंकल्पित, मामले की सूचना फार्मों को बंद करने की संभाव्यता के लिए जिलाधिकारी, विल्लूपुरम को दे दी

गई थी। मामले पर आगे भी विचार-विमर्श दिनांक 24-06-2015 को प्राधिकरण की 53वीं बैठक में किया गया था और संकल्प के अनुसार, जिला अधिकारी विल्लूपुरम से अप्राधिकृत फार्मों को बंद करने का अनुरोध किया गया था।



मरक्कानम् क्षेत्र में फार्म का निरीक्षण!

इस संबंध में विल्लूपुरम में 4 मार्च, 2016 को आयोजित जिलाधिकारी और अध्यक्ष, जिलास्तरीय समिति, सीएए द्वारा संयोजित बैठक में सदस्य सचिव, निदेशक और वरिष्ठ तकनीकी सहायक, सीएए शामिल हुए थे जिसमें राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार विल्लूपुरम जिले में गैर-कानूनी फार्मों और हैचरियों को बंद करने के लिए प्रक्रियागत उपायों पर राजस्व विभाग, मात्स्यिकी, कृषि, वन, पुलिस, विद्युत बोर्ड, टीडब्ल्यूएडी बोर्ड आदि के जिलाधिकारियों की उपस्थिति में चर्चा की गई थी।

(ख) एल.वेन्नामई बीज उत्पादन में सीएए दिशा-निर्देशों का अनुपालन नहीं करने वाली गैर पंजीकृत हैचरियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई

- 17-03-2015 को निरीक्षण दल द्वारा की गई टिप्पणियों के बदले में मैसर्स राज हैचरीज मद्रास प्रा० लि० को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था क्योंकि हैचरी बीज उत्पादन के दौरान निकले अपशिष्ट जल का ईटीएस में शोधन किए बिना सीधे क्रीक में छोड़ रही थी और हैचरी में बीज उत्पादन के रिकार्ड मौजूद नहीं थे जो प्राधिकरण की 52वीं बैठक में यथासंस्कल्पित सीएए दिशा-निर्देशों का उल्लंघन था। कारण बताओ नोटिस के प्रतिउत्तर में अपने हैचरी में बीज उत्पादन और ईटीएस संबंधी प्रस्तुत किए गए संगत दस्तावेजों और ईटीएस में की गई जांचों, जैसा फोटोग्राफ में दर्शाया गया है, की निरीक्षण दल द्वारा 04-06-2015 को स्थल दौरे के जरिए सत्योपन/मूल्यांकन किया गया था। चूंकि, प्राधिकरण ने यह महसूस किया कि हैचरी का यह पहला अपराध है इसलिए 24-06-2015 को प्राधिकरण की 53वीं बैठक में किए गए संकल्प के अनुसार मै० राज हैचरीज मद्रास प्रा० लि० को चेतावनी पत्र जारी किया गया था।
- मै० अल्फा हैचरी और मै० शरत इंडस्ट्रीज लि० की हैचरी को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे क्योंकि निगरानी दल ने यह पाया था कि दोनों हैचरियां बीज उत्पादन के दौरान हैचरियों से उत्पादित अपशिष्ट जल को ईटीएस में शोधित किए बिना सीधे क्रीक में छोड़ रही थीं और सीएए दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करते हुए बीज उत्पादन संबंधी कोई रिकार्ड भी नहीं रख रहीं थी। कारण बताओ नोटिस के प्रतिउत्तर में प्राप्ती उत्तर के आधार पर, दोनों हैचरियों के लिए व्यक्तिगत सुनवाई की गई थी और माननीय अध्यक्ष सीएए के द्वारा यथा निर्णीत चेतावनी नोटिस मै० अल्फा हैचरी और मै० शरत इंडस्ट्रीज लि० को जारी किए गए थे।
- एल. वेन्नामई बीज उत्पादन में लिप्त होने के लिए सीएए द्वारा जारी किए गए बंदी आदेश के आधार पर संबंधित डीएलसी द्वारा आंध्र प्रदेश के नेल्लौर और प्रकाशम जिले में 6 गैर-प्राधिकृत हैचरियों (मै० आर आर हैचरीज, मै० नीलकंठ मिलेनियम हैचरी, मै० विजय एक्वा हैचरीज, मै० शरणसाई हैचरी (यूनिट-11), मै० शांती हैचरी और मै० मून हैचर) और दो हैचरी तमिलनाडु के कांचीपुरम जिले में (मै० पेरियार हैचरी और मै० ओसनकिंग अक्वोटेक हैचरी) को डीएलसीज द्वारा समाप्त करने को व्यक्तिगत सुनवाई के आधार पर सीएए द्वारा रद्द कर दिया गया था और हैचरी प्रचालकों द्वारा माफ़ी मांगने और उल्लंघन को स्वीकार कर लेने पर हैचरी को पुनःखोल दिया गया ताकि वे अपनी हैचरियों का सीएए में पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकें। पूर्व में जारी किए गए बंदी आदेश को समाप्त करने के लिए आवश्यक आदेश की सूचना संबंधित जिलाधिकारियों को दे दी गई थी।

(ग) गैर प्राधिकृत एल. वेन्नामई बीज उत्पादन के विरुद्ध की गई कार्रवाई

- झींगा हैचरियों की नियमित निगरानी और निरीक्षण के दौरान, सीएए के निरीक्षण दल ने आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले में और तमिलनाडु के विल्लूपुरम जिले में एल. वेन्नामई के लिए गैर-अनुमोदित 13 झींगा हैचरियों का दौरा किया। दल ने 4 हैचरियों (आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले में दो और अन्य दो तमिलनाडु के कांचीपुरम जिले में) में एल. वेन्नामई के लार्वा चरण पाए और दल द्वारा उन्हें तत्थापुर न नष्ट कर दिया गया। माननीय अध्यक्ष के आदेशों के



अनधिकत हैचुरियों का निरीक्षण!



मरक्कानम् क्षेत्र में फार्म का निरीक्षण!

अनुसार, उक्त चार हैचरियों को बंदी आदेश जारी किए गए क्योंकि हैचरियां सीएए के पंजीकरण और अपेक्षित जैव सुरक्षा उपायों के बिना एल. वेन्नामई बीज उत्पादन में लिप्त थीं तथा संबंधित जिलाधिकारियों को हैचरियों को बंद करने के निदेश दिए गए।

V. फिनफिश हैचरी का पंजीकरण

फिनफिश के फिंगर लिंगों का उत्पादन करने के लिए पंजीकरण प्रदान करने हेतु ग्राम कोनापपेटा, यू. कोठापल्ली मंडल, जिला पूर्वी गोदावरी, आंध्र प्रदेश में स्थित मै० आदित्यु फिश हैचरीज से आवेदन प्राप्त हुआ था और निरीक्षण दल द्वारा प्रस्तावित स्थर का निरीक्षण किया गया था। चूंकि, हैचरी सीएए शर्तों के अनुसार स्थापित की गई है इसलिए हैचरी के पंजीकरण के लिए दल द्वारा की गई सिफारिश को प्राधिकरण ने अपनी 55वीं बैठक में अनुमोदित कर दिया था, फिनफिश के फिंगर लिंगों के उत्पादन के लिए मै० आदित्यन फिश हैचरीज को पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी किया गया था।

VI. एंटीबायोटिक-मुक्त जलकृषि आदानों का पंजीकरण

उत्पादों में प्रतिजैविकों के पाए जाने के कारण हाल में निर्यात होने वाले सी-फूड की बृहद स्तर पर अस्वीकृति की सूचना पर डीएएचडीएंडएफ और वाणिज्य विभाग तथा सी-फूड निर्यातकों द्वारा व्यक्त की गई चिंताओं के कारण सीएए से झींगा हैचरियों और फार्मों में प्रतिजैविकों के उपयोग को रोकने के लिए कड़े उपाय करने के लिए कहा गया था। जलकृषि आदानों के लिए मानक विकसित करने हेतु 24 जुलाई, 2015 को सीएए में झींगा फूड विनिर्माताओं के साथ हुई बैठक के अनुसरण में मामले की आगे सी-फूड निर्यातकों के साथ चर्चा की गई थी। जैसा कि सदस्य सचिव द्वारा स्पष्ट-किया गया, प्राधिकरण ने 26 अगस्त, 2015 को 54वीं बैठक में तत्काल प्रभाव से सभी जलकृषि आदानों का पंजीकरण करने का निर्णय लिया ताकि वे तटीय जलकृषि प्राधिकरण अधिनियम, 2005 के तहत प्रावधानों और इसके तहत दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रतिजैविकों की चिंता से मुक्त हो सकें। प्राधिकरण द्वारा (अपनी 54वीं बैठक में) यथा अनुमोदित इस प्रभाव के संबंध में एक सार्वजनिक सूचना 14 अक्टूबर, 2015 को जारी की थी जिसमें यह बताया गया था कि एक्वान किसान और हैचरी प्रचालक को अपने संस्थापनों में केवल पंजीकृत आदानों का उपयोग करने की अनुमति होगी। तदनुसार, जल कृषि आदानों के सभी विनिर्माताओं (स्वदेशी) और वितरकों (आयातित) को उस तारीख से परीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करके सीएए में अपने प्रत्येक उत्पाद को पंजीकृत कराने के निदेश दिए गए थे ताकि वे प्रतिजैविक चिंताओं अर्थात् क्लोरेमफेनीकोल और नाइट्रोफ्यूरान मूल मिक्चर और मेटाबोलाइट्स (फ्यूराजोलिडान - एओजेड, फ्यूराफ्यूराल टैडान-एमओजेड, नाइट्रोफ्यूरानटोइन - एएचडी और नाइट्रोफ्यूराजोन (सेमीकारवेजाइड) - एसईएम) से मुक्त रहें।



वर्ष के दौरान कुल 51 विनिर्माताओं/वितरकों ने अधिसूचना का प्रतिउत्तर दिया और 274 उत्पादों के पंजीकरण के लिए प्राप्त आवेदन-पत्रों में से, 46 कंपनियों के 258 उत्पाद प्रतिजैविक मुक्त के रूप में 8 श्रेणियों अर्थात् फीड एडिटिव्स, प्रो-बायोटिक्स, लार्वा, फीड, एडल्टा फीड, रसायन, डिसइन्फेक्टेंट, इम्यूनास्टी म्यू लेंट और ड्रग के तहत पंजीकृत किए गए, जिसकी सूची सीए की वेबसाइट पर डाली गई थी।

इस विषय पर एक अन्य अधिसूचना भी 25-02-2016 को प्रमुख समाचार-पत्रों (स्थानीय भाषाओं में भी) में प्रकाशित की गई थी जिसमें यह दोहराया गया था कि झींगा हैचरी प्रचालक और किसान अपने पंजीकृत सुविधाओं में क्रमशः बीज उत्पादन और पालन के लिए केवल पंजीकृत जलकृषि आदानों (जैसे फीड, फीड एडिटिव्स, प्रो-बायोटिक, रसायन, आदि) का उपयोग करें और गैर-पंजीकृत उत्पादों का उपयोग करने वाली हैचरियां और फार्म के पंजीकरण रद्द करने होंगे। यह अधिसूचना भी अंत्य प्रयोक्तोओं के संदर्भ के लिए सीए वेबसाइट पर डाली गई थी।

उत्पादों को सक्रिय सूची में बनाए रखने के लिए बाजार से उत्पाद के नमूनों की आवधिक निगरानी और परीक्षण सीए द्वारा की जाएगी और यदि प्रतिजैविक अथवा प्रतिबंधित रसायनों के मामले उत्पादों में पाए जाते हैं तो उत्पाद का पंजीकरण समाप्त कर दिया जाएगा और उसे अनुमोदित उत्पादों की सूची से निकाल दिया जाएगा। इस संबंध में सभी तटीय राज्यों के मात्स्यिकी सचिवों को उक्त निर्णय की सूचना देने के लिए पत्र जारी किए गए थे और उनसे अनुरोध किया गया था कि वे अपने राज्यों में संबंधित मात्स्यिकी अधिकारियों के माध्यम से पणधारकों में जागरूकता बढ़ाए ताकि सीए उपयुक्त दण्डात्मक कार्रवाई करने में सक्षम हो सके। उपर्युक्त कार्रवाईयां प्रारंभ करने के कारण और चूंकि पंजीकरण को एक सतत् प्रक्रिया के रूप में खुला रखा जाता है इसलिए अधिक से अधिक संख्या में उत्पादों के शीघ्र पंजीकृत होने की संभावना होती है।

VII. जल गुणवत्ता निगरानी प्रयोगशाला

हैचरियों और फार्मों से निकलने वाले अपशिष्ट जल की नियमित निगरानी के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि निष्कासित अपशिष्ट जल गुणवत्ता प्राचल सीए अधिनियम और नियमों द्वारा निर्धारित मानकों के भीतर रहे, सीए के तकनीकी खण्ड में जल गुणवत्ता निगरानी प्रयोगशाला स्थापित की गई है। जल गुणवत्ता निगरानी के लिए अपेक्षित अन्या उपकरणों के अलावा प्रयोगशाला सीएचएनएसओ एनेलाइजर, स्पेक्ट्रो फोटोमीटर, नाइट्रोजन जेलटेक दृडिस्टीरलेशन यूनिट, मल्टीपैरामीटर वाटर क्वालिटी सोड, मिल्ली पोर टिट्रेशन सिस्टम, बीओडी इंक्यूबेटर, सीओडी एनालाइजर और हैडसैम्पलर (जीसी-एमएस) सहित गैस क्रोमैटोग्राफी - मास स्पेनक्ट्रडम जैसे उपकरणों के संस्थापनों सहित पूरी तरह से सुसज्जित है। वर्ष के दौरान की गई नियमित निगरानी के दौरान झींगा हैचरी और फार्मों से एकत्र किए गए नमूनों का विश्लेषण किया गया ताकि अपेक्षित जल गुणवत्ता मानक सीए विनियमों के अनुरूप रहे।



सी.ए.ए. प्रयोगशाला में प्रदूषण जल नमूनों का विश्लेषण

VIII. वेबसाइट का अद्यतन

जलकृषि क्षेत्र के विभिन्न पणधारकों को यह सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कि जलकृषि फार्मों और हैचरियों के पंजीकरण और नवीनीकरण के तौर-तरीकों संबंधी पूरे ब्यौरे के साथ ही अपेक्षित आवेदन-पत्रों, बीज उत्पादन और पालन संबंधी दिशा निर्देशों और इससे जुड़ी सूचना, परिष्कृत झींगों के बारे में कोई सूचना तथा अन्य उत्पादों तक खरीदारों की व्यापक पहुंच सुनिश्चित की जा सके। सीएए की वेबसाइट अर्थात्; www-caa-gov-in को राष्ट्रीय सूचना केन्द्र चैन्ने के माध्यम से अपलोड किया जाता है। इससे आंकड़े वैश्विक तौर पर देखे जा सकते हैं और विदेशों में खरीददार पता लगाने योग्य फार्मों के पूरे ब्यौरे प्राप्त करते हैं। झींगा किसान और हैचरी प्रचालक नामांकन के लिए आवेदन-पत्रों तथा पालन और बीज उत्पादन के लिए दिशा-निर्देशों संबंधी विस्तृत सूचना प्राप्त करने के लिए वेबसाइट पर संपर्क करते हैं। वेबसाइट पर विस्तृत सूचनाएं प्रस्तुत की जाती हैं। वेबसाइट पर जलकृषि फार्मों/हैचरियों के पंजीकरण और नवीकरण के तौर-तरीकों से संबंधित पूरे ब्यौरे झींगा हैचरियों के लिए विनियमन, ब्रूडस्टाक का आयात, जलीय संगरोध, झींगा फार्मों और एसपीएफ एल.वेन्नामई तथा एसपीएफ पी.मोनोडान झींगाओं से संबंधित ब्यौरे भी प्रस्तुत किए जाते हैं। इसके अलावा, वेबसाइट पर सीएए अधिनियम, प्राधिकरण के नियम, विनियम तथा दिशा-निर्देशों, प्राधिकरण की शक्तियां और कार्य बजट और लेखाओं से संबंधित सूचना उपलब्ध करवाई जाती है। केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त सदस्य, जनहित के अन्य महत्वपूर्ण मामले तथा प्राधिकरण द्वारा गठित विभिन्न समितियों की सूची भी वेबसाइट पर दी गई है। सीएए ने वेबसाइट पर झींगा फार्मों और हैचरियों के पंजीकरण और नवीकरण से संबंधित डाटाबेस को अद्यतन किया है जिनके जरिए पंजीकृत फार्मों और हैचरियों के ब्यौरे अंत्य प्रयोक्तोओं को उपलब्ध करवाए जाते हैं और डाटाबेस को आवधिक रूप से अद्यतन बनाया जा रहा है। सीएए के सभी प्रकाशनों, दस्तावेजों, अधिसूचनाओं,

परिपत्रों, विज्ञापन आदि तथा जनहित के अन्य सभी मामलों को भी डाउनलोड किए जाने योग्य फार्मेट में वेबसाइट पर उपलब्ध करवाया गया है और इन्हें भी नियमित रूप से अद्यतन किया जाता है। सीएए की वेबसाइट पर जलकृषि फार्मों/हैचरियों के पंजीकरण/नवीकरण, तिमाही अनुपालना रिपोर्ट, जलीय संघरोध में स्थावन के आरक्षण, एंटीबायोटिक्स के परीक्षण के लिए जैविक नमूने, प्रतिबंधित एंटीबायोटिक्स की सूची, अपशिष्ट जल गुणवत्ता मानकों आदि से संबंधित विभिन्न फार्म प्रयोक्ताओं के अनुकूल फार्मेट में उपलब्ध हैं जिन्हें अंत्य प्रयोक्ता अपनी आवश्यकता के अनुसार डाउनलोड कर सकते हैं और उनका उपयोग कर सकते हैं। नई और नवीनतम सूचना वेबसाइट पर पाक्षिक रूप से अपडेट की जाती है।

आवेदन-पत्र, पंजीकरण की शर्तों सहित एंटीबायोटिक मुक्त जलकृषि आदानों के पंजीकरण संबंधी सूचना, पंजीकृत उत्पादों की सूची और संबंधित सूचना आदि भी प्रयोक्ता हितैषी डाउनलोड करने योग्य फार्मेट में वेबसाइट पर डाले गए थे और इस उद्देश्य के लिए विकसित किए गए साफ्टवेयर को भी बनाए रखा जाता है।

सीएए वेबसाइट के जरिए जलकृषि फार्मों की आनलाइन पंजीकरण की नई अवधारणा में सतत रूप से वृद्धि हुई है जो उपयोग के लिए शीघ्र ही तैयार हो जाएगी और इससे किसानों को लाभ होगा।

IX. तटीय जलकृषि प्राधिकरण को मजबूत बनाना

तटीय जलकृषि प्राधिकरण के पास 10 तटीय राज्यों और 4 तटीय केन्द्र शासित प्रदेशों में तटीय जलकृषि कार्यकलापों को विनियमित करने का क्षेत्राधिकार है। 2005 में जब सीएए अधिनियम, 2005 के सांविधिक प्रावधान के तहत सीएए को स्थापित किया गया था तो 1977 में जारी तटीय जलकृषि प्राधिकरण को केन्द्र सरकार ने मूल रूप से 21 कर्मचारियों की मंजूरी प्रदान की थी। 2008 में सीएए का प्रमुख कार्यकलाप नए और पुराने झींगा फार्मों का डीएलसी और एसएलसी द्वारा निर्धारित निरीक्षण करवाकर पंजीकरण करना था। 2009 से विदेशी झींगा एसपीएफ एल. वेन्नामई शुरू होने से सीएए को कई अतिरिक्त कार्य दिए गए हैं जिनमें से निम्नलिखित महत्वपूर्ण हैं। जैसे तटीय राज्यों के डीएलसीज/एसएलसीज के साथ पत्राचार करना, पणधारकों के साथ बैठक, जलकृषि संगरोधन के प्रचालन की देखरेख के लिए तकनीकी समिति को नियंत्रित करना, एल.वेन्नामई ब्रूडस्टाक और बीज उत्पादन के अनुमत आयात के लिए हैचरियों का निरीक्षण, एल.वेन्नामई पालन की अनुमति के लिए झींगा फार्मों का निरीक्षण, हैचरियों और फार्मों की सतत निगरानी ताकि इन प्रजातियों की अवैध प्रजनन/पालन को रोका जा सके, हैचरियों और फार्मों से छोड़े गए अपशिष्ट जल का मूल्यांकन करने के लिए एकत्र/विश्लेषण करना जिससे वह सीएए के मानकों अनुरूप हो, जलकृषि में प्रतिबंधित दवाओं और रसायनों के उपयोग, एंटीबायोटिक मुक्त जलकृषि आदानों का पंजीकरण, उत्तरदायी जलकृषि संव्यवहारों के संबंध में नौपल्ली रियरिंग केन्द्र (एनआरसी) जागरूकता निर्माण का कार्यान्वयन आदि, तटीय जल प्राधिकरण को मजबूत करने की अत्यंत आवश्यकता है। इस संबंध में निम्न लिखित प्रस्ताव रखे गए हैं:

- गुजरात, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश राज्यों में 30 व्यक्तियों के स्टाफवाले और तमिलनाडु के चेन्नै में मुख्यालय को मजबूत करने के लिए अतिरिक्त 34 पदों सहित तीन क्षेत्रीय केन्द्रों की स्थापना के लिए एक प्रस्ताव डीएचडीएंडएफ, कृषि और कृषक कल्याण मंत्रालय के समक्ष सरकार से अनुमोदन के अनुरोध के साथ रखा गया है क्योंकि इन राज्यों में जलकृषि क्षेत्र बहुत तेजी से विकसित हुआ है और किसानों, हैचरी प्रचालकों और संबंधित पणधारकों की आवश्यकता को पूरा

करने के लिए यह अत्यंत आवश्यक है। पूरे औचित्य के साथ एक विस्तृत प्रस्ताव गैर-योजना व्यय संबंधी समिति के विचारार्थ तैयार किया गया है।

- सीएए अधिनियम, 2005 के तहत स्थापित जलकृषि प्राधिकरण के राष्ट्रीय मुख्यालय परिसर का चेन्नै में निर्माण करने जिसमें कर्मचारियों को समाहित करने (वर्तमान और मुख्यालय को मजबूत करने के लिए प्रस्तावित अतिरिक्त पद) और इसके साथ ही प्रयोगशाला के लिए एक स्थायी व्यवस्था बनाने तथा अन्य सुविधाओं को तैयार करने के लिए सरकारी भूमि के आबंटन के लिए किया गया प्रयास सफल नहीं हुआ, इसलिए अलामट्टी, चेन्नै (डीएचडीएंडएफ के लीव स्टॉक हेल्थ प्रभाग के तहत एक इकाई) में भूमि आबंटित करने का अनुरोध डीएचडीएंडएफ, कृषि और कृषक कल्याण मंत्रालय को प्रस्तुत किया गया था। इसी बीच, मात्स्यकीय विभाग, तमिलनाडु सरकार ने एक अधिसूचना जारी करके सैदापेट, चेन्नै में निर्माणाधीन अपने मात्स्यकीय परिसर में एक तल पर सीएए के कार्यालय के लिए पर्याप्त जगह आबंटित करने के एक प्रस्ताव पर विचार किया है। जीओ के अनुसार आबंटित जगह को सिद्धान्त में स्वीकार कर लिया गया था और समिति द्वारा आयोजित बैठक में सरकार द्वारा चिन्हित विभाजन संबंधी आवश्यकताओं, स्थायी कपबोर्डों/ फर्नीचर, विद्युत प्लूइंट/फिटिंग आदि पर विचार किया गया और सीएए की वास्तविक आवश्यकताएं उपलब्ध कराई गईं।

X. सीएए में राजभाषा (हिन्दी) का कार्यान्वयन

सीएए हिन्दी में प्रशिक्षण में भागीदारी करके हिन्दी सप्ताह मनाकर और सेमिनार/कार्यशाला का आयोजन करके राजभाषा के कार्यान्वीयन को प्रोत्साहित कर रहा है। वर्ष के दौरान आयोजित निम्नलिखित कार्यक्रमों में अधिकारियों और कर्मचारियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया:

- सीएए में दिनांक 22 से 29 सितंबर, 2005 तक हिन्दी सप्ताह मनाया गया। इस दौरान कार्यालय परिसर में महत्वपूर्ण स्थलों बैनर लगाए गए। इसके अलावा, कार्यालय के दिन-प्रतिदिन कार्यों में राजभाषा की महत्त पर द्विभाषिक पोस्टर प्रदर्शित किए, सीएए के द्विभाषिक प्रकाशनों और सीएए कार्यकलापों पर कुछ थीम्स की प्रदर्शनी लगायी गई। कार्यक्रम के दौरान, दो विषयों अर्थात् अनुवाद, भाषण दोनों हिन्दी में प्रतिस्पर्धाओं का आयोजन किया गया 29-09-2016 को समारोह समाप्त होने वाले दिन को प्रतिस्पर्धा में सफल प्रतिभागियों को अट्टारह पुरस्कार (अनुवाद में 13 और भाषण में 5) प्रदान किए गए।
- सीएए में 16 से 18 फरवरी 2016 के दौरान एक तीन दिवसीय हिन्दी सेमिनार/कार्यशाला आयोजित की गई जिसमें दक्षिण रेलवे की एकीकृत कोच फैक्टरी से हिन्दी भाषा में विश्लेषण को आमंत्रित किया गया। कार्यशाला के दौरान कार्यालयों के दैनिक कार्यों में राजभाषा को बढ़ाने/उपयोग रखने के महत्व, राजभाषा कार्यान्वन योजना के तहत पेशकश किए गए विभिन्न प्रोत्साहनों का लाभ उठाने, केन्द्र सरकार की हिन्दी शिक्षण योजनाओं में उपलब्ध विभिन्न पाठ्यक्रमों में शामिल होकर राजभाषा को बढ़ाने के लिए उपलब्ध सुविधाओं, पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा करनेवाले अधिकारियों को विभिन्न प्रोत्साहनों की पेशकश, योजना का लाभ उठाने की प्रतिक्रियाओं, उन निकटतम स्थलों जहां ऐसी सुविधाएं उपलब्ध हैं आदि के बारे में नए कर्मचारियों को विस्तार से बताया गया है। अधिकारियों और कर्मचारियों ने कार्यशाला में सक्रिय रूप से भाग लिया और सफल प्रतिभागियों को पुरस्कार वितरित किए गए।



हिन्दी संगोष्ठी/ कार्यशाला का आयोजन एवं पुरस्कार वितरण!

XI. सीए के अतिरिक्त कार्यकलाप

वर्तमान में वर्ष 2014-15 के दौरान सीए में 21 स्वीकृत पद हैं जो निम्नानुसार हैं:

(i) प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन/भागीदारी

- सीए ने आंध्र प्रदेश के राज्य मात्स्यकीय विभाग के अधिकारियों के लिए 'झींगापालन, हैचरी बीज उत्पादन और विनियमन' विषय पर 9-11 फरवरी, 2016 और 8-10 मार्च, 2016 के दौरान सीए चेन्नै में दो प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम (टीटीपी) का आयोजन किया।

जलकृषि क्षेत्र विशेष रूप से एसपीएफ एल. वेन्नामई पालन में हो रही तीव्र वृद्धि में चुनौतियों से निबटने के लिए, किसान के स्तर पर अपनाए जाने वाले अच्छे जलकृषि संव्यवहारों के संबंध में समय-समय पर जारी विभिन्न दिशा-निर्देशों का विस्तार करना दीर्घकालिक विकास के लिए सकारात्मक है। इन पंक्तियों की सफलता जलकृषि में अच्छी प्रबंधन संव्यवहारों (जीएमपीज) जैसे स्थल का चुनाव, जैव सुरक्षा उपायों का कार्यान्वयन, रोगमुक्त (ब्रूडस्टाक की अधिप्राप्ति, हैचरी और पालन के प्रचालन संबंधी आधुनिक तकनीकों, जल गुणवत्तम प्रबंधन, फीड प्रबंधन, झींगा स्वास्थ्य प्रबंधन, हार्वेस्टर और पोस्ट हार्वेस्ट की समलाई आदि और किसानों तथा हैचरी प्रचालकों तक सीए के दिशा-निर्देशों को समय से पहुंचाना आदि पर निर्भर होती है। सीए प्राथमिक रूप से देश के तटीय क्षेत्रों में जलकृषि कार्यकलापों का विनियमन करने के लिए उत्तिरदायी है और इसकी सहायता डीएलसीज और एसएलसीज द्वारा की जाती है। तटीय जलकृषि के विनियमन में इन सदस्यों के ज्ञान में वृद्धि करने के लिए कार्मिकों का प्रशिक्षण आवश्यक होता है। क्योंकि यह महसूस किया जाता है कि प्रशिक्षण के

दौरान अधिकारियों को प्राप्त ये सूचनाएं उनके द्वारा किसानों, हैचरी प्रचालकों और संबंधित पणधारकों तक फैलाई जा सकती हैं। सीएए केन्द्रीय लवण जल जलकृषि संस्थान (सीआईबीए) के सहयोग से प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए। सीएए अधिकारियों और सीआईबीए के वैज्ञानिकों द्वारा दिए गए भाषणों के अतिरिक्त प्रशिक्षकों ने सीएए पंजीकृत एसपीएफ एल. वेन्नामई फार्मों के लिए उनके द्वारा क्षेत्र में किए गए प्रदर्शनों के बारे में बताया। मात्स्यकीय की विभाग आंध्र प्रदेश के कुल अधिकारियों को आयोजित उक्त दो कार्यक्रमों में प्रशिक्षित किया गया। अन्य तटीय राज्यों के कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए भविष्य में इसी प्रकार के कार्यक्रमों को आयोजित करने की योजना है।



09.02.2016 को प्रथम प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्धारन!



09-11 फरवरी के दौरान प्रशिक्षुओं के लिए व्याख्यान-वर्ष



10.02.2016 को फ्रीड निरीक्षण के दौरान प्रशिक्षकत्रण



प्रशिक्षुओं बने प्रमाण पत्र वितरण!



फेकल्ट के साथ प्रथम बैच प्रशिक्षुओं का गुप!



08.03.2016 को द्वितीय बैच प्रशिक्षण का उद्घाटन !



8-10 मार्च 2016 के दौरान व्याख्यान



09.03.2016 को द्वितीय-बैच प्रशिक्षुओं का फील्ड-दौरा!



द्वितीय-बैच के प्रशिक्षार्थियों को प्रमाण-पत्र वितरण!



फेकलिट के साथ द्वितीय बैच के प्रशिक्षार्थिगण

- राज्यो में जलकृषि क्षेत्र के विभिन्न पणधारकों के लाभार्थ 20 और 21 अगस्त 2015 के दौरान केरल मात्स्यिकी और सागरीय अध्ययन विश्वविद्यालय (केयूएफओएस पाननघाट कोच्चि केरल द्वारा आयोजित केरल में “ लियोपेन वेन्नामई पालन संबंधी राज्य-स्त्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम” में भागीदारी। सहायक निदेशक (तकनीकी) ने प्रशिक्षण कार्यक्रम में ‘एसपीएफ एल. वेन्नामई फार्मों की स्थापना के लिए सीएए दिशा-निर्देश’ पर भाषण दिया जिसमें उन्होंने एसपीएफ एल. वेन्नामई हैचरियों और फार्मों के पंजीकरण, स्थापना और प्रचालन संबंधी प्रक्रियाओं पर विस्तार से बताया। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में स्वीकार्य सुरक्षित और उपभोक्ता हितैषी जलकृषि उत्पाद के उत्पादन के लिए हैचरी और फार्म दोनों में जैव सुरक्षा उपायों के कार्यन्वयन और पूरे पालन अवधि में उन्हें बनाए रखने की आवश्यकता है। उन्होंने उद्घाटन के दौरान प्रशिक्षण के दौरान धन्यवाद भी दिया और बातचीत के दौरान सीएए विनियमनों के संबंध में पणधारकों द्वारा व्यक्त की गई आशंकाओं को स्पष्ट किया। प्रशिक्षण में राज्य मात्स्यिकी विभाग के क्षेत्राधिकारियों और डीएलसी अधिकारियों के अलावा लगभग झींगा किसानों/हैचरी प्रचालकों और विश्वविद्यालय के छात्रों ने भाग लिया।

(ii) जागरूकता कार्य क्रम का आयोजन/ भागीदारी

- झींगा पालन में सीएए दिशा-निर्देशों और अच्छे जलकृषि संव्यवहारों (जीएपीज) के नए संशोधनों के संबंध में गुजरात के झींगा किसानों, डीएलसी/एसएलसी के सदस्यों और राज्य मात्स्यिकी विभाग के अधिकारियों में जागरूकता फैलाने के लिए सीएए द्वारा 14-10-2015 को

सूरत, गुजरात में एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया था। कार्यक्रम का समन्वय गुजरात राज्य के डीएलसी द्वारा किया गया था। कार्यक्रम के दौरान दीर्घकालिक जलकृषि संव्यवहारों के लिए सीएए अधिनियम, 2005 और एफएओ संहिता के तहत दिशा-निर्देशों के अनुसार जलकृषि फार्मों और हैचरियों में अपनाए जाने वाले अच्छे जलकृषि संव्यवहारों पर सीएए अधिकारियों द्वारा विस्तार से चर्चा की गई। प्रतिजैविकों के दुरुपयोग के मामलों सहित महत्वपूर्ण विषयों पर स्थानीय भाषा में पर्चे भी वितरित किए गए। कार्यक्रम में राज्यो मात्स्यिकी विभाग और डीएलसीज और एसएलसीज के अधिकांश अधिकारियों और लगभग 200 झींगा किसानों/हैचरी प्रचालकों और आदान आपूर्तिकर्ताओं ने भाग लिया।



उद्घाटन समारोह



सी.ए.ए. के निदेशक और सदस्य सचिव का संबोधन/ की प्रस्तुति



कार्यक्रम में किसानों के प्रश्नों का जवाब दिए गए!



किसानों द्वारा भागीदारी

- राज्य मात्स्यिकी की विभाग, आंध्र प्रदेश सरकार के साथ हैचरी मालिकों/ प्रचालकों के लिए दो जागरूकता कार्यक्रमों के आयोजन में भागीदारी जिसमें से एक पूर्वी गोदावरी जिले में लघु स्तर की गैर-पंजीकृत हैचरियों को सीएए पंजीकरण के तहत लाने के लिए 07 मई, 2015 को काकीनाड़ा में आयोजित किया गया और दूसरा कार्यक्रम नेल्लौर और आस-पास के जिलों के हैचरी प्रचालकों को संवेदनशील बनाने के लिए 30 जुलाई, 2015 को नेल्लौर में आयोजित किया गया। जागरूकता कार्यक्रमों का उद्घाटन और अध्यक्षता संबंधित जिलाधिकारियों द्वारा की गई और संचालन सदस्य सचिव, सीएए द्वारा किया गया। अपनी प्रस्तुति में, सदस्य सचिव ने झींगा हैचरियों और फार्मों का सीएए में पंजीकरण की अनिवार्य आवश्यकता को दोहराते हुए एसपीएफ एल. वेन्नामई हैचरियों की स्थापना के लिए सीएए दिशा-निर्देशों का उदाहरण दिया। उन्होंने कड़ी जैव सुरक्षा की आवश्यकता, रोगमुक्त- एसपीएफ ब्रूडस्टॉकों के आयात के लिए प्रक्रियाओं, संगरोधन की आवश्यकता, कम कीमत पर संयुक्त रूप से ब्रूडस्टॉकों के आयात के लिए परिसंघ निर्माण के लाभों और उन हैचरियों के प्रचालन जिनका परिपक्व निष्पादन कमजोर रहा है आदि पर भागीदारों के लिए बल दिया। राज्य मात्स्यिकी अधिकारियों, किसानों, आदान आपूर्तिकर्ताओं सहित लगभग 400 हैचरी मालिकों/ प्रचालकों, डीएलसी सदस्यों ने कार्यक्रम में भाग लिया।



नेल्लुर जिलाधीरा की अध्यक्षता में सक्षम सचिव/ सी.ए.ए का संबोधन



नेल्लूर जिलाधीरा की अध्यक्षता में सक्षम्य सचिव/ सी.ए.ए का संबोधन

- तटीय जिलों के हैचरी प्रचालकों और अक्वा किसानों के लाभार्थ हैचरी और पालन प्रचालनों में बेहतर प्रबंधन संव्यवहारों पर अन्य दो जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने में राज्य मात्स्यिकी विभाग, आंध्र प्रदेश सरकार के साथ सहयोग जिसमें से एक 25-06-2015 को विजयवाड़ा में और दूसरा 13-11-2015 को नेल्लौर में आयोजित किया गया। सहायक निदेशक (तकनीकी), सीएए दोनों कार्यक्रमों में भाषण देने में प्रमुख थे जिसमें उन्होंने उद्घाटन के दौरान कार्यक्रम में धन्यवाद के अलावा एसपीएफ एल. वेन्नामई हैचरियों और फार्मों की स्थापना और प्रचालन के लिए सीएए दिशा-निर्देशों के बारे में विस्तार से टिप्पणी की। अंतर्राष्ट्रीय रूप से स्वीकार्य जलकृषि उत्पाद का उत्पादन करने के लिए रोग और प्रतिजैविक मुक्त बीजों के उत्पादन हेतु पूरे प्रचालन के दौरान हैचरी और फार्म दोनों में कार्यान्वित किए गए जैव सुरक्षा उपायों को बनाए रखने की महत्ता। इस संदर्भ में प्रतिजैविक मुक्ति जलकृषि आदानों के पंजीकरण के संबंध में सीएए की पहलों और झींगा हैचरियों और अक्वा फार्मों में केवल सीएए पंजीकृत आदानों का उपयोग करने की आवश्यकता पर भी थोड़ी चर्चा की। कार्यक्रम में डीएलसीज/एसएलसीज के अधिकांश अधिकारियों और राज्य मात्स्यिकी विभाग के क्षेत्राधिकारियों के अलावा लगभग 500 झींगा किसानों/हैचरी प्रचालकों, आदान आपूर्तिकर्ताओं आदि ने भाग लिया।
- निदेशक (तकनीकी), सीएए ने मात्स्यिकी विभाग, ओडीशा सरकार द्वारा 6 फरवरी, 2016 को भुवनेश्वर में आयोजित जागरूकता कार्यक्रम में भागीदारी की ओर क्षेत्र के दीर्घकालिक विकास और अंतर्राष्ट्रीय रूप से स्वीकार्य जलकृषि उत्पाद के उत्पादन के लिए पूरे पालन प्रचालन के दौरान अपनाए जाने वाले जैव सुरक्षा और अच्छे जलकृषि संव्यवहारों (जीएक्यूवपीज) की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। उन्होंने यह दोहराया कि फार्म की झींगा प्रतिजैविक मुक्त होना चाहिए और इस संदर्भ में प्रतिजैविक मुक्ति जलकृषि आदानों के पंजीकरण के संबंध में सीएए की पहलों और झींगा हैचरियों और अक्वा फार्मों में केवल सीएए पंजीकृत आदानों का उपयोग करने की आवश्यकता पर भी थोड़ी चर्चा की। उन्होंने डीएलसी सदस्यों और मात्स्यिकी विभाग के अधिकारियों से राज्यों में जलकृषकों के बीच जागरूकता फैलाने का अनुरोध किया। कार्यक्रम में राज्य मात्स्यिकी विभाग के अधिकारियों और लगभग 500 झींगा किसानों तथा आदान आपूर्तिकर्ताओं आदि ने भाग लिया।

कार्यशाला/सेमिनार में भागीदारी

- सीए ने जलकृषि प्रोफेशनल सोसायटी (एसएपी) द्वारा 'भारतीय जलकृषि उत्तरदायित्वों की स्वीकार्यता और चुनौतियों का सामना' विषय पर 29 और 30 जनवरी, 2016 को विशाखापत्तनम में आयोजित अक्वा इंडिया, 2016 में भागीदारी की। सदस्य सचिव, सीए ने सम्मानित अतिथि के रूप में कार्यक्रम में भागीदारी की और उद्घाटन सत्र के दौरान कार्यक्रम में धन्यवाद दिया तथा मंच पर उपस्थित अन्य वक्ताओं तथा वीआईपी को मोमेंटो भी प्रदान किया। उन्होंने तकनीकी सत्र में 'भारतीय जलकृषि उत्तरदायित्वों की स्वीकार्यता और चुनौतियों का सामना' पर प्रस्तुति भी दी। उन्होंने कार्यशाला के तकनीकी सत्र में केन्द्रित महत्वपूर्ण विषयों पर आयोजित विचार-विमर्श में भी हिस्सा लिया और सरकार के विचारार्थ भेजी जानेवाली आवश्यक सिफारिशों को तैयार करने में भी भागीदारी की। सीए के सलाहकार, सहायक निदेशक (तकनीकी) और वरिष्ठ। तकनीकी सहायक ने भी इस कार्यक्रम में भाग लिया। विशेषज्ञों और अनुभवी पणधारकों द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण जलकृषि क्षेत्र के समक्ष उपस्थित कुछ गंभीर मुद्दों का समाधान करने के उद्देश्य से भारत में तटीय जलकृषि के परिचय को बताने में संगत थे।



एक्वा इण्डिया 2016 में स्मृति - चिन्ह भेंट करने के बाय प्रस्तुति देन हुए

- 'दीर्घकालिक जलकृषि चुनौतियां और अवसर' द्वारा डॉ. जी.डब्ल्यू.के.चेंबरलेन, अध्यक्ष, वैश्विक जलकृषि संघ, यूएसए।
- 'शून्य अस्वीकृति तक पहुंचने के लिए राष्ट्रीय नियंत्रण योजना एक्वाडोर से लेसन' द्वारा सुश्री यहिना पिद्राहिता, एक्वाडोर का राष्ट्रीय जलकृषि चौंवर।
- 'भारत में पणधारकों की सहभागिता वाली झींगा जलकृषि' द्वारा सुश्री लीना नायर, अध्यक्ष, भारतीय समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण।
- 'दीर्घकालिक झींगापालन: इयरथर्न तालाबों में सही जलकृषि' द्वारा श्री मनोज शर्मा, मै० मयंक अक्वा फार्म, भारत।
- 'झींगा पालन विजन 2.0' द्वारा श्री साजीचाको, मै० आनअवे इंडस्ट्रीज लि०, भारत।
- सदस्य सचिव, सीए ने 21 सितंबर, 2015 को नागापट्टिनम में तमिलनाडु मात्स्यिकी विश्वविद्यालय द्वारा संयोजित दीर्घकालिक झींगा पालन पर पणधारक परामर्शदात्री बैठक में भाग लिया जिसमें दीर्घकालिक जलकृषि संव्यवहारों के लिए सीए दिशा-निर्देशों और एफएक्यू संहिता को अपनाकर

दीर्घकालिक झींगापालन के भावी विकास के लिए एसपीएफ एल. वेन्नामई पालन और कार्यनीतियों के विशेष संदर्भ में तमिलनाडु में झींगा जलकृषि के वर्तमान परिदृश्य पर राज्य में इस क्षेत्र के लाभार्थ विस्तार से चर्चा की गई।

- सदस्य सचिव, निदेशक (तकनीकी), सीएए ने 7 फरवरी, 2016 को भुवनेश्वर में मात्स्यिकी विभाग, ओडीशा सरकार द्वारा आयोजित और दूसरी 03 मार्च, 2016 को कोलकाता में राज्य मात्स्यिकी विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा आयोजित तटीय जलकृषि क्षेत्र के पणधारकों की परामर्शदात्री बैठकों में भाग लिया और जिसमें दीर्घकालिक जलकृषि संव्यवहारों के लिए सीएए दिशा-निर्देशों और अच्छे जलकृषि संव्यवहारों (सीएक्यू पीज) को अपनाकर सावधानीपूर्वक दीर्घकालिक पालन के लिए एसपीएफ एल. वेन्नामई पालन और भावी कार्यनीतियों के विशेष संदर्भ में इन राज्यों में तटीय जलकृषि के वर्तमान परिदृश्य पर इन राज्यों में इस क्षेत्र के लाभार्थ विस्तार से चर्चा की गई।
- निदेशक, सीएए ने समुद्री जीव संसाधन विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी कालेज, आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय द्वारा 8-9 अप्रैल, 2015 के दौरान विशाखापत्तनम में 'समुद्री जैव विविधता और तटीय पारिस्थितिकी व्यवस्था का प्रबंधन' विषय पर आयोजित राष्ट्रीय सेमिनार में भाग लिया। उन्होंने सेमिनार का उद्घाटन किया और उन्होंने सामान्य रूप से तटीय जलकृषि कार्यकलापों के संबंध में और विशेष रूप से भारत में एसपीएफ एल. वेन्नामई पालन के संदर्भ में तटीय जलकृषि प्राधिकरण की भूमिका पर एक विशेष वक्तव्य दिया। उन्होंने इस क्षेत्र के दीर्घकालिक विकास के लिए विनियमन और तटीय जनसंख्या जो तटीय पारिस्थितिकी व्यवस्था पर निर्भर है की आजीविका को सुरक्षित करने की आवश्यकता दोहराई। सेमिनार में लगभग 150 प्रतिनिधि शामिल हुए जिसमें पीजी छात्र, छात्र और आस-पास के झींगा किसान और आदान आपूर्तिकर्ता शामिल थे।
- एसआईएफटी, काकीनाड़ा में 07 जनवरी, 2016 को 'झींगा हैचरियों का निरीक्षण और गुणवत्ता निगरानी' विषय पर कार्यशाला आयोजित करने में मात्स्यिकी विभाग, आंध्र प्रदेश सरकार के साथ सहभागिता जिसमें सहायक निदेशक (तकनीकी), सीएए ने भागीदारी की। उन्होंने उद्घाटन सत्र के दौरान कार्यशाला में धन्यवाद दिया और रोगमुक्त बीजों के उत्पादन और पालन गुणवत्ता स्वीकार्य जलकृषि उत्पाद के उत्पादन के लिए झींगा हैचरियों और फार्मों की सतत निगरानी की महत्वा सहित एसपीएफ एल. वेन्नामई हैचरियों और फार्मों की स्थापना के लिए सीएए दिशा-निर्देशों के संबंध में प्रस्तुति दी। इस संदर्भ में उन्होंने प्रतिजैविक मुक्ति जलकृषि आदानों का सीएए में पंजीकरण की आवश्यकता को दोहराया क्योंकि झींगा किसानों और हैचरियों को बीज उत्पादन और पालन में केवल सीएए पंजीकृत आदानों का उपयोग करने की अनुमति होती है। डीएलसी सदस्यों और राज्य मात्स्यिकी अधिकारियों से जलकृषि आदानों के विनिर्माताओं वितरकों और हैचरी प्रचालकों तथा किसानों में आवश्यक जागरूकता फैलाने का अनुरोध किया गया था।



उद्घाटन के दौरान सहा निदेशक (तकनीकी)/सी.ए.ए की प्रस्तुति

(iii) सीएए अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम

सीएए अपने अधिकारियों को सरकारी विभागों द्वारा आयोजित उनके कार्यक्षेत्र से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए तैयार करता है ताकि कार्यालय की प्रभावी कार्यप्रणाली हेतु उनके ज्ञान में वृद्धि की जा सके। वर्ष के दौरान निम्नालिखित अधिकारियों ने प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया:

- सीएए अध्यक्ष ने वित्त मंत्रालय, सरकारी लेखा और वित्त संस्थान (आईएनजीएफ) द्वारा दिल्ली में आयोजित दो प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लिया। अर्थात्
 - (i) 19 और 20 जनवरी, 2016 को सरकारी क्षेत्र में कार्मिक प्रबंधन प्रणाली विषय पर आयोजित 2 दिवसीय प्रशिक्षण।
 - (ii) 22 से 24 फरवरी, 2016 के दौरान पेंशन कागजात को तैयार करना और अंतिम रूप देना विषय पर 3 दिवसीय कार्यक्रम।
- सीएए के एक वरिष्ठ लिपिक ने 11 और 12 जनवरी, 2016 को नई दिल्ली में आईएनजीएफ में ऋण और अग्रिम विषय पर 2 दिवसीय प्रशिक्षण 2 कार्यक्रम में भाग लिया।

(iv) अन्य संगठनों द्वारा आयोजित बैठकों/ सेमिनारों गोष्ठियों में सीएए सदस्यों/ अधिकारियों की भागीदारी

- सदस्य सचिव सीएए ने नई दिल्ली में 13 मई, 2015 के वैकल्पिक प्रजातियों के उपयोग हेतु एसपीएफ पी. मोनोडॉन के गुणन केन्द्रों की स्थापना के लिए एमएचकेएल के डिजाइन और अवधारणा की जांच के लिए तकनीकी समिति की बैठक में भाग लिया।
- सदस्य सचिव सीएए ने नई दिल्ली में 28 मई, 2015 को आयोजित जलीव जीव बीमारियों के लिए राष्ट्रीय निगरानी कार्यक्रम की निगरानी हेतु तकनीकी सलाहकार समिति की 5वीं बैठक में भाग लिया।
- सदस्य सचिव सीएए ने हैदराबाद में 04 जून, 2012 को आयोजित जलकृषि को प्रोत्साहन के लिए विभिन्न मामलों पर बातचीत करने के लिए मुख्य सचिव, आंध्र प्रदेश द्वारा संयोजित बैठक में भाग लिया।

- सदस्य सचिव, सीएए ने नई दिल्ली में 20 जुलाई, 2013 को आयोजित एसपीएफ झींगा ब्रूडस्टॉक गुणन केन्द्रों (बीएमसी) की स्थापना और प्रचालन के विनियमन के लिए सचिव (एचडीएण्डएफ) द्वारा संयोजित बैठक में भाग लिया।
- सदस्य सचिव सीएए ने हैदराबाद में 03 सितंबर, 2015 को आयोजित एनएफडीबी की 27वीं कार्यकारिणी समिति की बैठक में भाग लिया।
- सदस्य सचिव सीएए ने नई दिल्ली में 15 सितंबर, 2015 को आयोजित एसपीएफ ब्रूडस्टॉक गुणन केन्द्रों की परियोजना जांच समिति की बैठक में भाग लिया।
- सदस्य सचिव सीएए ने नागापट्टिनम में 21 सितंबर, 2015 को आयोजित तमिलनाडु मात्स्यिकी विश्वविद्यालय द्वारा संयोजित दीर्घकालिक झींगापालन पर पणधारक परामर्शदात्री बैठक में भाग लिया।
- सदस्य सचिव सीएए ने हैदराबाद में 16 अक्टूबर, 2015 को जलीय अंतर्राष्ट्रीय मैगजीन द्वारा आयोजित जलकृषि सीईओज फोरम इंडिया 2015 और जलकृषि भारत पुरस्कार, 2015 की प्रस्तुति में भाग लिया।
- सदस्य सचिव सीएए ने 13 नवंबर, 2015 को एनएफडीबी काम्पलेक्स, हैदराबाद में आयोजित एसपीएफ झींगा बीज गुणन केन्द्रों की परियोजना जांच समिति की बैठक में भाग लिया।
- सदस्य सचिव सीएए ने नई दिल्ली में 21 नवंबर, 2015 को आयोजित विश्व मात्स्यिकी दिवस के परस्पर विचार-विमर्श में भाग लिया और तकनीकी सत्र में “तटीय जलकृषि के विकास के लिए स्थिति और कार्यनीतियाँ” विषय पर भाषण दिया।
- सदस्य सचिव सीएए ने नई दिल्ली में 14 दिसंबर, 2015 को आयोजित एसपीएफ झींगा बीज गुणन केन्द्रों की परियोजना निगरानी समिति की बैठक में भाग लिया।
- सदस्य सचिव सीएए ने विशाखापत्तनम में 29 और 30 जनवरी, 2016 को आयोजित एसपीएफ की बाई-एनुअल बैठक के उद्घाटन सत्र के दौरान सम्मानित अतिथि के रूप में शामिल हुए और तकनीकी सत्र के दौरान ‘भारतीय जलकृषि दायित्वों की स्वीकारोक्ति और परिवर्तन’ विषय पर प्रस्तुति दी।
- सदस्य सचिव और निदेश (तकनीकी) सीएए ने भुवनेश्वर में 7 फरवरी, 2016 को मात्स्यिकी विभाग, ओडीशा सरकार द्वारा आयोजित पणधारकों की परामर्शदात्री समिति में भाग लिया।
- सदस्य सचिव सीएए ने नई दिल्ली, में 22 फरवरी को आयोजित भारतीय जल में विदेशी जलीय जीवों का पालन शुरू करने संबंधी समिति की 18वीं बैठक में भाग लिया।
- सदस्य सचिव और निदेश (तकनीकी) सीएए ने कोलकाता में 03 मार्च, 2016 को मात्स्यिकी विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा आयोजित पणधारकों की परामर्शदात्री समिति में भाग लिया।
- सदस्य सचिव सीएए ने नई दिल्ली में 18 मार्च, 2016 को आयोजित राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड की 28वीं कार्यकारी समिति की बैठक में भाग लिया।

- निदेशक (तकनीकी) ने वाराणसी में 5 और 6 नवंबर, 2015 को आयोजित संसदीय परामर्शदात्री समिति की बैठक में भाग लिया।
- निदेशक (तकनीकी) ने ओडीशा में 6 फरवरी, 2016 को मात्स्यिकी विभाग, ओडीशा सरकार द्वारा आयोजित जागरूकता कार्यक्रम में भाग लिया।
- सलाहकार, सहायक निदेशक (तकनीकी) और वरिष्ठ तकनीकी सहायक सीएए ने विशाखापत्तनम में 29 और 30 जनवरी, 2016 को एसपीएफ द्वारा आयोजित एक्वा इंडिया, 2016 में भाग लिया।
- सहायक निदेशक (तकनीकी) ने पालनघाट, कोच्चि में 20 से 21 अगस्त के दौरान केरल मात्स्यिकी की और सागरीय अध्ययन विश्वविद्यालय (केयूएफओएस) द्वारा आयोजित केरल में एसपीएफ एल. वेन्नामई को शुरू करने संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम और एक्वो शो में शामिल हुए और “एसपीएफ एल. वेन्नामई हैचरियों और फार्मों की स्थापना के लिए सीएए दिशा-निर्देश” पर प्रस्तुति दी।
- सहायक निदेशक (तकनीकी) सीएए ने लखनऊ में 14 से 16 सितंबर, 2015 के दौरान आईसीएआर – नेशनल ब्यूरो आफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज द्वारा आयोजित एक्वूहेपाटोपेनाक्रिएटिक नेक्रोसिस डिजीज (एचपीएनडी) पर एफएओ 'आरई-ईको' सेमिनार में भाग लिया।
- सहायक निदेशक (तकनीकी) सीएए ने नई दिल्ली में 27 जनवरी, 2016 को आयोजित जीआईएफटी तिलापा पर जांच समिति की बैठक में भाग लिया।

XII. वर्ष 2016-17 के दौरान किए जाने वाले संभावित कार्यकलाप

(i) पंजीकरण

तटीय जलकृषि फार्मों और हैचरियों का पंजीकरण और नवीकरण एक सतत प्रक्रिया है। उम्मीद है कि अप्रैल, 2015 से मार्च, 2016 तक की अवधि के दौरान देश के और अधिक तटीय जलकृषि फार्मों और हैचरियों का पंजीकरण किया जाएगा।

(ii) एल. वेन्नामई पालन के लिए अनुमोदन

लगभग 2000 हेक्टेयर के अतिरिक्त फार्म क्षेत्र को एल. वेन्नामई पालन के तहत सीएए पंजीकरण में लाने का प्रस्ताव है।

(iii) प्रतिजैविक मुक्त जलकृषि आदानों के लिए अनुमोदन

चूंकि, पंजीकरण को सतत प्रक्रिया के रूप में जारी रखा जाता है और सभी तटीय राज्यों के मात्स्यिकी सचिव स्तर पर विभिन्न कार्रवाई प्रारंभ की जाती है इसलिए अधिक संख्या में उत्पादों के पंजीकृत होने की संभावना रहती है।

(iv) निरीक्षण और निगरानी

सुविधाओं खासतौर से झींगा फार्मों और हैचरियों से निकलने वाले अपशिष्ट जल की गुणवत्ता और प्रतिजैविक मुक्ति जलकृषि आदानों के उपयोग की आवधिक निगरानी की जाएगी ताकि प्राधिकरण द्वारा निर्धारित मानकों को पूरा करना सुनिश्चित हो सके।

(v) प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम

अन्य तटीय राज्यों के अधिकारियों के लिए भी वर्ष 2015-16 के दौरान आयोजित कार्यक्रमों के समान ही अधिकाधिक संख्या में प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

(vi) जागरूकता कार्यक्रम

पर्यावरण संरक्षण, तटीय जलकृषि कार्यकलापों और अच्छी जलकृषि पद्धतियों (जीएक्यूपीएस) के दीर्घकालिक विकास के संबंध में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना।

(vii) विज्ञापन और प्रकाशन

अप्राधिकृत कार्यकलापों और सुरक्षात्मक उपायों को अपनाने के संबंध में पणधारकों को सावधान करने के लिए समय-समय पर महत्वपूर्ण मामलों के संबंध में सार्वजनिक सूचना जारी की जाती है ताकि रोगों के पैदा होने को रोका जा सके और झींगा पालन क्षेत्र में वहनीय लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वर्तमान कार्यों और क्रियाओं के संबंध में पणधारकों को सलाह दी जा सके।

(viii) मैनुअल्स/ ब्रोशर तैयार करना

तटीय जलकृषि प्राधिकरण अधिनियम, नियम और दिशा-निर्देशों के संग्रह को आगे संपादित किया जाएगा ताकि मंत्रालय द्वारा जारी सभी अधिनियम, दिशा-निर्देशों और अधिसूचनाओं के संग्रह का कुछ क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद किया जाएगा।

(ix) कार्यशालाएं और बैठकें

तटीय जलकृषि कार्यकलापों में सामने आ रही समस्याओं का सामना करने के लिए पणधारकों की बैठकें आयोजित की जाएंगी जिनमें प्रौद्योगिकीय सुधारों तथा अन्य पहलुओं के संबंध में विभिन्न समूहों के अनुभवों को साझा किया जाएगा।

सीए तटीय जलकृषि कार्यकलापों के संबंध में अन्य एजेंसियों द्वारा आयोजित कार्यशालाओं, प्रदर्शनियों, सी-फूड मेलों और अक्वोशोज में यथासंभव भागीदारी करेगा।

(x) क्षमता निर्माण

विनियामक उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन तथा अपने कार्यक्षेत्र में जानकारी को बढ़ाने के लिए तकनीकी और प्रशासनिक स्टाफ के लिए प्रशिक्षण और अध्ययन यात्राओं का आयोजन किया जाएगा।

XIII. वित्त

(i) भारत के सीएंडएजी द्वारा सीए की कार्य निष्पादन लेखापरीक्षा

भारत में मात्स्यिकी संस्थानों के कार्य निष्पादन की समीक्षा के लिए सीएंडएजी के निर्देशों पर, लेखा महानिदेशक (केन्द्रीय), चेन्नै ने वर्ष 2011-12 से 2013-14 की अवधि को कवर करते हुए जुलाई, 2015 में प्राधिकरण की कार्य निष्पादन लेखा परीक्षा की थी। लेखा परीक्षा प्राधिकारियों ने तटीय जलकृषि प्राधिकरण से संबंधित “भारत में मात्स्यिकी कार्यकलापों पर कार्य निष्पादन समीक्षा” पर एक तथ्यगत नोट अग्रेषित किया था जिसे तथ्यों और टिप्पणियों पर प्राधिकरण की टिप्पणियों के लिए वर्ष 2015-16

हेतु भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की केन्द्र सरकार (केन्द्रीय व्यय) लेखा परीक्षा रिपोर्ट में शामिल किया जा सकता है और उस पर विचार किया जा सकता है। तथ्यगत नोट में उठाए गए मुद्दों की प्राधिकरण द्वारा जांच की गई थी और लेखा परीक्षा प्राधिकारियों को टिप्पणियां भेज दी गई थीं।

(ii) वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान वास्तविक वित्तीय परिणामों और कार्यकलापों का सार

वित्त वर्ष 2015-16 से संबंधित लेखों की लेखा परीक्षा प्रधान लेखा नियंत्रक (सिविल लेखा परीक्षा) तमिलनाडु और पांडिचेरी, चेन्नै द्वारा सीएजी (डीपीसी) अधिनियम, 1971 की धारा 19(2) के तहत की गई थी और इसकी रिपोर्ट अनुबंध में दी गई है।

तृतीय जलकृषि अधिनियम प्राधिकरण, 2005 की धारा 16 एवं 17 के अनुसार तृतीय जलकृषि प्राधिकरण द्वारा किए गए बजट अनुमानों पर आधारित अनुदान सहायता पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन विभाग, कृषि मंत्रालय, नई दिल्ली के बजट, प्रावधानों के तहत 6 (छः) किशतों में उपलब्ध कराई गई थी। प्रशासन मंत्रालय ने दिनांक 14 दिसंबर, 2014 के पत्र संख्याओं एफ-नं. 41011/1/2014-एफवाईबीएलए-खण्ड-11 के तहत वित्त वर्ष 2015-16 के लिए केवल 330 लाख रूपए का बजट अनुमान स्वीकृत किया था। मंत्रालय ने 330 लाख रूपए का संशोधित अनुमान मंजूर किया था और कार्यालय में पूरी धनराशि का उपयोग कर लिया था।

वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए बजट अनुमान/ संशोधित अनुमान तथा व्यय निम्नानुसार है:

प्रमुख शीर्ष 2405

उप शीर्ष-131731 अनुदान सहायता (सामान्य)

-131736 अनुदान सहायता (वेतन)

(लाख ₹ में)

मंत्रालय द्वारा स्वीकृत बजट प्राक्कलन	मंत्रालय द्वारा स्वीकृत संशोधित प्राक्कलन	प्राप्त राशि	खर्च की गई राशि	खर्च न की गई राशि
330	330	330	330	0.00

क्रम सं.	योजना का नाम	उप शीर्ष	बजट प्राक्कलन 2016-17
1	तृतीय जलकृषि प्राधिकरण	131731 अनुदान सहायता (सामान्य) 131736 अनुदान सहायता (वेतन)	380

(iii) वर्ष 2015-16 के लिए वार्षिक लेखों का ब्यौरा

वर्ष 2015-16 के लिए तृतीय जलकृषि प्राधिकरण के वार्षिक लेखों का ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

XIV. स्टाफ और प्राधिकरण की मौजूदा संगठनात्मक रचना

वर्तमान में वर्ष 2015-16 के दौरान सीएए में 21 स्वीकृत पद हैं जो निम्नानुसार हैं:

क्र. सं.	समूह	पद	स्वीकृत पद	प्रारंभ में स्टाफ की संख्या	वर्ष के दौरान वापस भेजे गए स्टाज की संख्या	वर्ष के दौरान स्टाफ में हुई वृद्धि	वर्ष के अंत में स्टाफ
1	क	निदेशक	1	1	0	0	1
		सहायक निदेशक	1	1	0	0	1
		वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	1	1	0	0	1
2	ख	अधीक्षक	1	1	0	0	1
		निजी सचिव	2	2	0	0	2
		वरिष्ठ तकनीकी सहायक	2	2	0	0	2
		लेखाकार	1	0	0	0	0
		आशुलिपिक ग्रेड सी	2	0	0	0	0
3	ग	वरिष्ठ लिपिक	2	1	1	1	1
		आशुलिपिक ग्रेड डी	1	1	0	0	1
		कनिष्ठ लिपिक	2	1	0	1	2
		स्टाफ कार ड्राइवर	1	1	0	0	1
		एमटीएस	4	4	1	0	3
		योग	21	16	2	2	16

सलाहकार और परामर्शदाता

क्र.सं.	पदनाम	प्रारंभ में संख्या	वित्त वर्ष के दौरान छोड़ कर जाने वाले	वित्त वर्ष के शामिल होने वाले	वित्त वर्ष के अंत में
1	सलाहकार	1	0	0	1
2	परामर्शदाता	8	5	3	6

XV. भर्ती/सेवा निवृत्ति/वापस भेजना

- श्री उमाशंकर, सीएए में वरिष्ठ लिपिक के रूप में प्रतिनियुक्ति पर थे उन्हें 18 मई, 2015 को उनके मूल विभाग में वापस भेज दिया गया है।
- सुश्री आर. सुवासिनी ने 10 जून, 2015 से प्रतिनियुक्ति पर सीएए में वरिष्ठ लिपिक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है।
- सुश्री आर. जयन्थी, एमटीएस को 10 अप्रैल, 2015 से कनिष्ठ लिपिक के रूप में पदोन्नत कर दिया गया है।

XVI. सूचना का अधिकार अधिनियम

वर्ष 2015-16 के दौरान सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत कुल बीस (20) आवेदन प्राप्त हुए थे। मांगी गई सूचना प्रस्तुत कर दी गई थी।

अनुलग्नक

सीए की वार्षिक रिपोर्ट
और
वर्ष 2015-16 के लिए सीएंडएजी की
पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट

तटीय जलकृषि प्राधिकरण

भारत सरकार, कृषि मंत्रालय

जीडीआर टवर, 12-ए भारती स्ट्रीट, वानुवमपेट्टई, मडिप्पाक्कम, चेन्नै-600 091

31.03.2016 की स्थिति के अनुसार तुलन.पत्र

(धनराशि - ₹)

	अनुसूची	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
संग्रह/ पूंजी निधि और देयताएं			
संग्रह/ पूंजी निधि	1	1,40,57,989	1,60,20,903
निर्धारित/ अक्षय निधियां	2	2,07,70,053	78,43,703
वर्तमान देयताएं एवं प्रावधान	3	22,50,437	9,80,389
योग		3,70,78,479	2,48,44,995
संपत्ति			
अचल संपत्ति	4	1,29,51,205	1,42,51,507
पूंजी निवेश-निर्धारित/ अक्षय निधियां से	5	58,50,114	45,33,443
चालू संपत्ति, ऋण, अग्रिम, इत्यादि	6	1,82,77,160	60,60,045
योग		3,70,78,479	2,48,44,995
महत्वपूर्ण लेखांकन नीति	14		
आकस्मिक देयताएं और लेखांकन पर टिप्पणियां	15		

ह/-

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी

ह/-

सदस्य सचिव

तटीय जलकृषि प्राधिकरण
भारत सरकार, कृषि मंत्रालय

जीडीआर टवर, 12-ए भारती स्ट्रीट, वानुवमपेडुई, मडिप्पाक्कम, चेन्नै-600 091

31.03.2016 को समाप्त अवधि/ वर्ष के लिए आय एवं व्यय का लेखा

(धनराशि - ₹)

	अनुसूची	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1. आय			
अनुदान/ राजसहायताएं	7	3,19,44,279	2,50,00,000
शुल्क/ अभिदान	8	10,090	9,148
निवेश से आय (निर्धारित/ अक्षय निधियों से निवेश पर आय/ निधियों को निधियों में अंतरित किया गया)	9	-	-
अर्जित ब्याज	10	4,63,374	4,90,947
अन्य आय	11	63,704	1,63,122
योग (क)		3,24,81,447	2,56,63,217
2. व्यय			
स्थापना व्यय	12	1,83,31,711	1,30,03,413
अन्य प्रशासनिक व्यय आदि	13	1,48,12,348	1,21,89,138
अनुदानों, राजसहायताओं आदि पर व्यय		-	-
मूल्य ह्रास	4	23,56,023	28,64,688
योग (ख)		3,55,00,082	2,80,57,239
व्यय से अधिक आय के अधिशेष/(कमी) के रूप में शेष (क-ख)		(30,18,635)	(23,94,022)
विशेष संचय को अंतरित (प्रत्येक को विनिर्दिष्ट करें) सामान्य संचय को/से अंतरण शेष			
अधिशेष/(घाटे) के रूप में संग्रह निधि/पूँजी निधि में ले जाया गया			
महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां	14		
आकस्मिक देयताएं और लेखाओं के संबंध में टिप्पणियां	15		
टिप्पणी: पूर्व अवधि के व्यय को निम्नवत रूप से 'अन्य प्रशासनिक व्यय' के तहत शामिल किया गया था			
विवरण:		धनराशि - ₹	
★ एएमसी व्यय [(कम्प्यूटर) (वित्त वर्ष 2014-15)]		8,267	
★ वेब संस्थापन प्रभार [(कम्प्यूटर) (वित्त वर्ष 2014-15)]		1,29,000	
योग		1,37,267	
जिसके परिणामस्वरूप अधिक व्यय से वर्तमान वर्ष की आय में हुई कमी में 137267 रुपए तक वृद्धि हुई			

ह/-

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी

ह/-

सदस्य सचिव

तटीय जलकृषि प्राधिकरण

भारत सरकार, कृषि एवं कृषि कल्याण मंत्रालय
जीडीआर टवर, 12-ए भारती स्ट्रीट, वानुवमपेट्टई, मडिप्पाक्कम, चेन्नै-600 091

वार्षिक खाते: भाग- I।

31-03-2016 को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्तियां एवं भुगतान खाता

(धनराशि-₹)

प्राप्तियां	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1. प्रारंभिक शेष क) हाथ में नकदी ख) बैंक शेष i) चालू खातों में ii) जमा खातों में iii) बचत खातों में	59,92,346	92,36,623
2. प्राप्त अनुदान क) भारत सरकार से i) पूंजीगत प्राप्तियां ii) राजस्व प्राप्तियां क) राज्य सरकार से ख) अन्य स्रोत से (पूँजी और राजस्व व्यय के लिए अनुदानों को अलग-अलग दर्शाएं)	10,55,721 3,19,44,279	2,50,00,000
3. निम्नलिखित से निवेश पर आय क) निर्धारित अक्षय निधियां (एफडीआर ब्याज) ख) अपनी निधियां (अन्यस निवेश)		
4. प्राप्त ब्याज क) बैंक जमाओं पर ख) ऋणों, अग्रिम इत्यानदि ग) चिन्हित निवेश पर	4,63,374	4,90,947
5. अन्य आय (विनिर्दिष्ट करें) क) परीक्षा शुल्क ख) निविदा शुल्क ग) विविध आय घ) आरटीआई शुल्क ड.) एमटीएस आवेदन शुल्क	7,400 44,915 90 2,600	7,900 61,342 248
6. उधार ली गई धनराशि डीडीओ	70,000	
7. कोई अन्य प्राप्तियां (ब्यौरे दें) क) अर्जित जमा धन ख) त्यौहार अग्रिम वसूली ग) स्टाम्प नकदी घ) साख पत्र ड.) अक्षय निधियां (प्रोसेसिंग फीस) च) आवेदन शुल्क (30%) छ) राज्य मात्स्यकी - आंध्र प्रदेश ज) प्रतिभूति जमा झ) मत्स्यपालन आगत	2,55,000 44,100 6,336 - 72,44,850 5,39,911 50,700 7,293 48,50,000	2,50,000 44,550 5,839 - 29,21,995 4,17,345

8. सीपीएफ, जीपीएफ, पेंशन खातों से स्थानान्तरित निधि	22,45,000	
9. अग्रिम वापसी		
क) क्षेत्र भ्रमण के लिए अग्रिम		378
ख) निरीक्षण के लिए अग्रिम	11,454	5,443
ग) मीटिंग के लिए अग्रिम	29,406	15,317
घ) छपाई एवं लेखन सामग्री के लिए अग्रिम		1,864
ङ.) वेतन के लिए अग्रिम	10,741	13,600
च) प्रशिक्षण के लिए अग्रिम	10,352	8,000
छ) वाहन खरीद के लिए अग्रिम	72,608	7,553
ज) अक्वेयरियम के लिए अग्रिम	2,584	
झ) साइकिल के लिए अग्रिम	10	
ञ) डीआईसी आडिस के लिए अग्रिम	15,000	
झ) मत्स्यपालन आगत के स्टोर मद के लिए अग्रिम	668	
ट) हिन्दी सेमिनार के लिए अग्रिम	2,300	
ठ) लैपटॉप बैग के लिए अग्रिम	1,563	
ड) एमटीएस परीक्षा के लिए अग्रिम	120	
ढ) ए..	67,670	
10. प्रत्यक्ष खर्च परिवर्तित		
क) स्थापना व्यय	3,61,394	
ख) प्रशासनिक व्यय	50,506	
योग	5,54,60,271	3,84,88,944

ह/-
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी

ह/-
सदस्य सचिव

तटीय जलकृषि प्राधिकरण

भारत सरकार, कृषि एवं कृषि कल्याण मंत्रालय
जीडीआर टवर, 12-ए भारती स्ट्रीट, वानुवमपेट्टई, मडिप्पाक्कम, चेन्नै-600 091

वार्षिक खाते: भाग- II

31-03-2016 को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्तियां एवं भुगतान खाता

(धनराशि-रु)

भुगतान		
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1. व्यय		
क) स्थापना व्यय	1,71,44,656	1,30,03,413
ख) प्रशासनिक व्यय	1,54,02,028	1,14,92,674
2. विभिन्न परियोजनाओं के लिए निधियों से किए गए भुगतान (प्रत्येक परियोजना के लिए किए गए भुगतान के विवरण सहित निधि अथवा परियोजना का नाम दर्शाया जाए)		
3. किए गए निवेश और निक्षेप		
क) निर्धारित अक्षय निधियों में से		
ख) अपनी निधियों में		
4. अवल संपत्तियां एवं चल रहे पूंजीगत कार्य		
क) निर्धारित अक्षय निधियों में से		
ख) चल रहे पूंजीगत कार्यों पर व्यय		
5. अधिशेष धनराशि/ ऋणों की वापसी		
क) भारत सरकार को		
ख) राज्य सरकार को	10,30,328	5,89,223
6. वित्त प्रभार (ब्याज)		
7. अन्य भुगतान (विनिर्दिष्ट करें)		
क) जमानत राशि	2,05,000	3,95,000
ख) निष्पादन जमा राशि की वापसी		
ग) त्योपहार अग्रिम	36,000	49,500
घ) पूर्वदत्त भुगतान	2,02,143	35,595
ड.) अक्षय निधियों के इतर खर्च		64,87,558
च) चिकित्सा अग्रिम		
छ) खर्च नहीं की गई अनुदान वापसी		
ज) पोस्ट मास्टर		
झ) हाथ में स्टैप	2,25,050	70,000
ट) डीडीओ सेटिलमेंट	70,000	

8. ऋण एवं अग्रिम		
क) क्षेत्र भ्रमण के लिए अग्रिम	26,550	20,000
ख) निरीक्षण के लिए अग्रिम	75,900	42,603
ग) मीटिंग के लिए अग्रिम		87,220
घ) छपाई एवं लेखन सामग्री के लिए अग्रिम	10,741	10,000
ङ.) वेतन के लिए अग्रिम	32,000	13,600
च) प्रशिक्षण के लिए अग्रिम	1,49,600	16,000
छ) वाहन खरीद के लिए अग्रिम	10,800	1,84,212
ज) साफ्टवेयर के लिए अग्रिम	25,000	
झ) अक्वेवरियम के लिए अग्रिम	5,000	
ट) साइकिल के लिए अग्रिम	1,500	
ठ) डीजल (कार) के लिए अग्रिम	4,000	
ड) डीजल(जनरेटर) के लिए अग्रिम	15,000	
ढ) डीआईसी आडिट के लिए अग्रिम	9,000	
त) हिन्दी सेमिनार के लिए अग्रिम	10,000	
थ) मृत्यु आपालन आगत के स्टो मर के लिए अग्रिम	6,000	
द) लैपटाप बैग के लिए अग्रिम	15,000	
ध) एमटीएस परीक्षा के लिए अग्रिम	2,000	
द) पूजा के लिए अग्रिम	1,500	
न) स्टा फ कल्या ण के लिए अग्रिम	67,650	
प) यात्रा खर्च के लिए अग्रिम	2,100	
फ) किताबों के लिए अग्रिम		
9. सीपीएफ, जीपीएफ, पेंशन खातों से स्था नान्तगरित निधि	26,03,425	
10. अंतिम शेष		
क) हाथ में नकदी		
ख) बैंक शेष		
i) चालू खाते में	-	-
ii) जमा खाते में	-	-
iii) बचत खाते में	1,80,72,300	59,92,346
	5,54,60,271	3,84,88,944

ह/-

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी

ह/-

सदस्य सचिव

तटीय जलकृषि प्राधिकरण

भारत सरकार, कृषि मंत्रालय

जीडीआर टवर, 12-ए भारती स्ट्रीट, वानुवमपेट्टई, मडिप्पाक्कम, चेन्नै-600 091

**31.03.2016 को समाप्त अवधि/वर्ष के लिए प्राप्तियां और भुगतान
(कृपया प्रति लेखा भाग II से कॉपी करें)**

31-03-2016 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र का अनुसूची प्रपत्र भाग

अनुसूची 1 : अक्षय/पूंजी निधि

(धनराशि—₹)

	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
वर्ष 1.04.2014 के प्रारंभ में शेष	1,60,20,903	1,84,14,925
जोड़ें: संग्रह पूंजी निधि में अंशदान	10,55,721	-
	1,70,76,624	1,84,14,925
घटाएं: आय एवं व्यय खाते से अंतरित आय से अधिक व्यय	(30,18,635)	(23,94,022)
जोड़ें: आय एवं व्यय खाते से अंतरित व्यय से अधिक व्यय		
वर्ष के अंत में शेष	1,40,57,989	1,60,20,903

अनुसूची २ : निर्धारित/ अक्षय निर्धियां

(धनराशि-₹)

निधि-वार ग्रेकअप														
विवरण	आवेदन पंजीकरण शुल्कर	एल.वेनारमाई के लिए प्रासेसिंग शुल्कन		सामान्य भविष्य निधि		अशदावी भविष्या निधि		पेशन निधि		ब्याज	एंटीबायोटिक शुल्क मस्ट्यापालन आगम	अक्षय निधि के अलावा स्वर्च	योग	
		फ	फ	फ	फ	फ	फ	फ	फ				चालू वर्ष	पिछले वर्ष
क) निधियों का आरम्भिक शेष	25,29,168	59,54,779	30,42,250	11,01,416		45,339			11,24,251	5,34,058	-	(64,87,558)	78,43,703	1,19,43,630
ख) निधियों का जोड़	-	-											-	6,37,580
i. चंचा/ अनुदान	-	-		1,22,599	17,02,199	34,317	3,77,826		19,580	12,88,783			35,45,224	1,92,662
ii. अक्षय निधि खाते में निवेश से प्राप्त आय	5,70,417	4,69,850	67,75,000						-		48,50,000		1,26,65,267	28,39,340
iii. शुल्क योग (क + ख)	30,99,585	64,24,629	98,17,250	12,24,015	17,02,199	79,656	3,77,826		11,43,831	12,88,783	48,50,000	(64,87,558)	2,42,45,780	1,56,13,212
ग) उपयोगी/ निधियों के उपयोग की दिशा में खर्च														
i. प्रजीगत खर्च														
- अवस्र संपत्ति	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- अन्य-समाधान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,81,951
योग														
ii. राजस्व खर्च														
- वेतन, मजूरी एवं भत्ते इत्यादि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	64,87,558
- फार्मों के निरीक्षण इत्यादि पर यात्रा व्यय	10,55,588	-	-	-	-	-	-	-	-	-			10,55,588	
- प्रशिक्षण व्यय		-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-
- सेमिनार/ कॉनेंस इत्यादि पर व्यय		-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-
iii. बातालय बैंक खाते का स्थानांतरण				12,22,058		78,081			11,20,000				24,20,139	
योग गु(ग+ख+ग.ii+ग.iii)	10,55,588													
वर्ष के उत्तर में निवल शेष (क-ख-ग)	20,43,997	64,24,629	98,17,250	1,957	17,02,119	1,575	3,77,826	-	23,831	12,88,783	48,50,000	(64,87,558)	2,07,70,033	78,43,703

टिप्पणी: 1. अनुदान के लिए संलग्न शर्तों के आधार पर प्रासंगिक शीर्षों के अंतर्गत प्रकट किया जाएगा।

1. अनुदान के लिए संलग्न शर्तों के आधार पर प्रासंगिक शीर्षों के अंतर्गत प्रकट किया जाएगा।
2. केन्द्रों/ राज्य सरकारों से प्राप्त योजना निधियों को अलग निधि के रूप में दिखाया जाना होता है और किसी अन्य निधि के साथ मिश्रित नहीं करना होता है।

तटीय जलकृषि प्राधिकरण

भारत सरकार, कृषि एवं कृषि कल्याण मंत्रालय
जीडीआर टवर, 12-ए भारती स्ट्रीट, वानुवमपेड्डई, मडिप्पाक्कम, चेन्नै-600 091

31-03-2016 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र का अनुसूची भाग

अनुसूची 2: वर्तमान देयताएं और प्रावधान

(धनराशि-₹)

	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
क. वर्तमान देयताएं				
1. स्वीकृतियां				
2. विविध ऋणदाता				
क) माल के लिए				
ख) अन्य				
3. निष्पादन जमानत राशि		1,11,139	1,11,139	1,11,139
क) मैसर्स ऐश्वर्या कांस्ट्रक्शन, चेन्नै	1,11,139			
4. पेशगी जमानत राशि		3,94,250		3,69,250
क) मैरिट एंटरप्राइजेज				
ख) ऑर्बिट टेक्नोलॉजी	44,250		44,250	
ग) मैसर्स डे एंड डे सर्विसेज प्रा.लि.	30,000		25,000	
घ) मैसर्स बायो-इनकार्प/ एजीलेंट टेक्नोलॉजी	2,50,000		2,50,000	
ड.) मैसर्स सिवा कैब्स, चेन्नै	50,000		50,000	
च) मैसर्स ब्राड लाइन	5,000			
छ) मैसर्स मुथ्यूल सॉफ्ट लैब्स	5,000			
ज) मैसर्स नुकम टेक्नोलॉजीज	5,000			
झ) मैसर्स विगनेश कैप्स				
5. प्रोद्भूत ब्याज किंतु देय नहीं:				
क) सुरक्षित ऋण/ उधारियां				
ख) असुरक्षित ऋण/ उधारियां				
6. सांविधिक देयताएं:				
क) नई पेंशन योजना (कर्मचारी अंशदान)				
7. अन्य चालू देयताएं				
क) मैसर्स हिटाची सिस्टम माइक्रो क्लीसनिक् प्रा० लि०	7,293	7,293		
8. राज्य मात्स्यिकी, आंध्र प्रदेश	50,700	50,700		
9. अन्य प्रावधान (आकस्मिक)	5,00,000	5,00,000	5,00,000	5,00,000
10. भुगतान योग्य वेतन-मार्च, 2016	11,87,055	11,87,055		
योग		22,50,437		9,80,389

तटीय जलकृषि प्राधिकरण
भारत सरकार, कृषि मंत्रालय
जीडीआर टवर, 12-ए भारती स्ट्रीट, वानुमपेडुई, मडिप्पाक्कम, चेन्नै-600 091
31-03-2016 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र का अनुसूची भाग

अनुसूची 4

(धनराशि-₹)

मद	मूल्य हास (%)	Gross Block					Depreciation				निवल ब्लाक		पिछले वर्ष के अंत में
		वर्ष के प्रारंभ में लागत/ मूल्यांकन	वर्ष के दौरान वृद्धि		वर्ष के अंत में लागत मूल्यांकन	वर्ष के दौरान कटौती	वर्ष के प्रारंभ में	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान कटौती	5000/- रुपए से कम की खरीद पर 100: की दर से	वर्ष के अंत में कुल	चालू वर्ष के अंत में	
			30.09.2015 तक	30.09.2015 5 के बाद									
संयंत्र और मशीनरी	15	1,08,02,591	4,990		1,08,07,581		53,02,134	8,25,069		4,990	61,32,193	46,75,388	55,00,457
प्रयोगशाला उपस्कर	15	52,54,588			52,54,588		14,10,998	5,76,539			19,87,537	32,67,051	38,43,590
कार्यालय उपस्कर	15	38,55,020		6,00,241	44,55,261		19,66,387	3,28,313			22,94,700	21,60,561	18,88,633
कार	15	3,30,860			3,30,860		3,06,848	3,602			3,10,450	20,410	24,012
फर्नीचर्स एवं फिक्चर्स	10	44,32,011	1,07,407	23,715	45,63,133		18,51,955	2,69,932			21,21,887	24,41,246	25,80,056
कम्प्यूटर एवं पेरिफेरल्स	60	30,65,135		3,09,765	33,74,900		28,94,877	1,95,084			30,89,961	2,84,939	1,70,258
पुस्तकालय एवं तकनीकी पुस्तकें	60	23,49,279	4,160	5,443	23,58,882		21,04,778	1,48,334		4,160	22,57,272	1,01,610	2,44,501
चालू वर्ष का योग		3,00,89,484	1,16,557	9,39,164	3,11,45,205	-	1,58,37,977	23,46,873		9,150	1,81,94,000	1,29,51,205	1,42,51,507
पिछले वर्ष का													
ख. चल रहा बड़ा कार्य													
योग												1,29,51,205	1,42,51,507

**तटीय जलकृषि प्राधिकरण
भारत सरकार, कृषि मंत्रालय**

जीडीआर टवर, 12-ए भारती स्ट्रीट, वानुवमपेट्टई, मडिप्पाक्कम, चेन्नै-600 091

31-03-2016 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र का अनुसूची प्रपत्र भाग

अनुसूची 5 : निर्धारित/अक्षय निधियों से निवेश

(धनराशि-₹)

	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
मियादी जमा प्राप्तियां (आईओबी)	24,54,023	22,62,437
आईओबी :		
एसबीखाता संख्या: 209501000007601 में पेंशन निधि निवेश	23,831	11,24,251
एसबीखाता संख्या: 209501000006535 में सामान्य भविष्य निधि निवेश	1,957	11,01,416
एसबीखाता संख्या: 209501000006536 में अंशदानिक भविष्य निधि निवेश	1,575	45,339
भारतीय बैंक :		
एसबीखाता संख्या: 6349080748 में पेंशन निधि निवेश	12,88,783	-
एसबीखाता संख्या: 6349080908 में सामान्य भविष्य निधि निवेश	17,02,119	-
एसबीखाता संख्या: 63490801107 में अंशदानिक भविष्य निधि निवेश	3,77,826	-
योग	58,50,114	45,33,443

अनुसूची 6 : वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि

	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
क. वर्तमान परिसंपत्तियां :		
1. बैंक शेष:		
क) अनुसूचित बैंकों में:		
ख) - बचत खातों पर	1,80,72,300	59,92,346
2. हाथ में मुद्रा		
क) स्टैंप (फ्रैंकिंग)	88,416	3
ख) स्टैंप (पोस्टल)	3,883	6,526
योग (क)	1,81,64,599	59,98,875
ख. ऋण/अग्रिम और अन्य परिसंपत्तियां		
अग्रिम और ऐसी धनराशियां जो नकद रूप में अथवा वस्तु के रूप में अथवा मूल्य के लिए प्राप्त होनी हैं:		
क) पूर्व भुगतान (अनुलग्नक-1)	94,561	35,595
ख) स्टाफ ल्यूहार अग्रिम (अनुलग्नक-1)	18,000	25,575
योग (ख)	1,12,561	61,170
योग (क + ख)	1,82,77,160	60,60,045

तटीय जलकृषि प्राधिकरण
भारत सरकार, कृषि मंत्रालय
 जीडीआर टवर, 12-ए भारती स्ट्रीट, वानुवमपेट्टई, मडिप्पाक्कम, चेन्नै-600 091
31-03-2016 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय का
अनुसूची प्रपत्र भाग

अनुसूची 7 : अनुदान/ राजसहायताएं

(गैर-वसूली योग्य अनुदान और प्राप्त राजसहायताएं)

(घनराशि-₹)

	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1) केन्द्र सरकार	3,19,44,279	2,50,00,000
योग	3,19,44,279	2,50,00,000

अनुसूची 8 : शुल्क/ अभिदान

	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1) निविदा शुल्क	7,400	8,900
2) आरटीआई शुल्क	90	248
3) एमटीएस आवेदन पत्र शुल्क	2,600	-
योग	10,090	9,148
नोट: प्रत्येक मद के संबंध में लेखाकरण नीतियों को प्रकट नहीं किया जा सकता है।		

अनुसूची 9 : निवेशों से आय

(निधियों में अंतरित की गई निर्धारित/अक्षय निधियों से निवेश पर आय)

	निर्धारित निधि से निवेश	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
इंडियन बैंक में मीयादी जमा पर ब्याज		
योग	-	-
निर्धारित/ अक्षय निधियों में अंतरित	-	-

अनुसूची 10 : अर्जित ब्याज

	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1) सावधि जमाओं पर:		
क) अनुसूचित बैंकों में		
2) बचत खातों पर:		
क) अनुसूचित बैंकों में	4,63,374	4,90,947
योग	4,63,374	4,90,947

नोट: स्रोत पर कर की कटौती दर्शाई जाएगी

तटीय जलकृषि प्राधिकरण
भारत सरकार, कृषि मंत्रालय
जीडीआर टवर, 12-ए भारती स्ट्रीट, वानुवमपेट्टई, मडिप्पाक्कम, चेन्नै-600 091

अनुसूची 11: अन्य आय

(धनराशि-₹)

	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
विविध आय	63,704	1,63,122
योग	63,704	1,63,122

अनुसूची 12: स्थापना व्यय

	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
क) वेतन और मजदूरी	1,72,37,268	1,23,48,182
ख) बोनस	44,902	-
ग) एलटीसी सुविधा	1,22,330	-
घ) पीएफ अंशदान	6,29,872	5,37,887
ड.) ट्यूशन फीस की प्रतिपूर्ति	1,36,008	1,17,344
क) चिकित्सा व्यय	1,52,936	3,24,064
ख) कर्मचारी कल्याण	8,395	37,002
योग	1,83,31,711	1,33,64,479

तटीय जलकृषि प्राधिकरण
भारत सरकार, कृषि मंत्रालय

जीडीआर टवर, 12-ए भारती स्ट्रीट, वानुवमपेट्टई, मडिप्पाक्कम, चेन्नै-600 091

31-03-2016 की स्थिति के अनुसार आय एवं व्यय के तुलन पत्र का अनुसूची प्रपत्र भाग

अनुसूची 13 : अन्य प्रशासनिक व्यय आदि

(धनराशि-₹)

	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1. विज्ञापन और प्रचार	4,67,955	8,26,231
2. प्रकाशन	3,844	4,09,585
3. घरेलू यात्रा व्यय	2,18,810	8,31,248
4. आपूर्ति और सामग्री		1,93,100
5. कार्यालय व्यय		
मरम्मत और अनुरक्षण (वाहन)	2,94,889	2,15,122
विद्युत और ऊर्जा	5,41,298	3,76,849
ईंधन प्रभार	5,500	1,000
किराया, दर और कर	41,37,120	27,45,994
फोटोस्टेड्स व्यय		
पोस्टेज, टेलीग्राम	2,69,206	1,90,017
प्रिंटिंग, स्टेशनरी और उपभोग्य	8,40,498	4,14,366
जल प्रभार		40,515
पुस्तकालय व्यय (पीरियाडिकल्स और जर्नल्स)		
कंप्यूटर अनुरक्षण		
टेलीफोन व्यय	2,94,929	2,62,449
प्रोफेशनल चार्जेज	25,57,419	3,33,231
वाहन किराया प्रभार	15,13,329	16,23,922
बैठक व्यय	3,76,221	7,09,959
टेलीफोन, मोबायल प्रतिपूर्ति व्यय	80,486	44,445
विविध व्यय	3,84,774	1,28,607
सेमिनार/ कार्यशाला/ प्रशिक्षण व्यय	1,26,562	40,400
अन्य संविदागत सेवाएं	18,87,582	13,46,784
वेबसाइट अनुरक्षण प्रभार	53,992	43,000
वेबसाइट विकास	1,79,208	
एएमसी व्यय (एसी, कंप्यूटर्स, कार्यालय उपस्कर आदि)	2,07,716	1,60,731
एएमसी व्यय (कंप्यूटर) वित्त वर्ष 2014-15)	8,267	
वार्षिक पीआरए अनुरक्षण प्रभार (एनएसडीएल)	1,414	2,827
अनुवाद व्यय	38,973	28,700
समाचार पत्र एवं मैगजीन	6,333	20,318
वर्दीधारी (यूनिफार्म)		3,035
सफाई कर्मचारी वेतन	1,200	23,800
वेब संस्थापन प्रभार	53,072	1,72,235
वेब संस्थापन प्रभार (वित्त वर्ष 2009 - 10 से 2011-12))	1,29,000	
शिफ्टिंग व्यय		4,02,557
रासायनिक प्रयोगशाला	87,707	2,37,045
बैंक व्यय	12,672	
लेखा परीक्षा व्यय	9,160	
जल कृषि आदानों के भंडारण सामग्री	8,332	
एमटीएस परीक्षा	14,880	
योग	1,48,12,348	1,18,28,072

**तटीय जलकृषि प्राधिकरण
भारत सरकार, कृषि मंत्रालय**

जीडीआर टवर, 12-ए भारती स्ट्रीट, वानुवमपेट्टई, मडिप्पाक्कम, चेन्नै-600 091

अनुलग्नक 1: अग्रिम

क्र.सं.	अग्रिम	31.03.2016	31.03.2015
क	स्टाफ त्र्यौहार अग्रिम	18,000	25,575
ख	अन्यफ अग्रिम		
	1. पूर्व भुगतान व्यय	76,961	35,595
	2. निरीक्षण के लिए अग्रिम	17,600	-
	योग	94,561	35,595

**तटीय जलकृषि प्राधिकरण
भारत सरकार, कृषि मंत्रालय**

जीडीआर टवर, 12-ए भारती स्ट्रीट, वानुवमपेड्डई, मडिप्पाक्कम, चेन्नै-600 091

अनुसूची 14: लेखाकरण नीतियां

1. लेखाकरण परंपरा

वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत परंपरा के तहत और आमतौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों (जीएपीआईआई) द्वारा जारी और लागू अनिवार्य लेखा मानकों तथा सीजीए द्वारा केंद्रीय स्वायत्तता निकायों के लिए यथानिर्धारित संगत प्रस्तुतकरण संबंधी अपेक्षाओं के अनुसार तैयार किए जाते हैं। प्राधिकरण व्यय और आय के समस्त मदों के संबंध में जब तक कुछ और नहीं कहा जाए, प्रोद्भवन पद्धति अपनाता है।

2. अचल परिसंपत्तियां

- क) अचल परिसंपत्तियों का लेखा इन्हें प्रभारित किए जाने का निरीक्षण करने के बाद किया जाता है।
- ख) अचल परिसंपत्तियों को लागत में से संचित मूल्य ह्रास लागत, जिसमें खरीद मूल्य, अंदर लाने का भाड़ा, शुल्कों और करों तथा उनके अभिप्रेत उपयोग के लिए उन्हें कार्य करने की स्थिति में लाने के लिए लगी अन्य लागत शामिल होती है, को घटाकर दर्शाया जाता है। पात्र अचल परिसंपत्ति यों के अधिग्रहण/निर्माण से संबंधित वित्तीय लागत को उस सीमा तक शामिल किया जाता है जिस सीमा तक वे उपयोग के लायक रहती हैं।
- ग) तत्कालीन जल कृषि प्राधिकरण की उन अचल परिसंपत्तियों का लोखांकन भी उन्हें खरीदने की तारीख से सीसीए द्वारा उनका अधिग्रहण किए जाने तक की अवधि के लिए लागत में से मूल्य ह्रास को घटाकर किया जाता है जिनका मूल्य ज्ञात होता है। जिन अचल परिसंपत्तियों का मूल्य ज्ञात ही होता है उनका सीसीए की लेखा पुस्तकों में पूंजीकरण करने के लिए 1/- रुपए का नाममात्र का मूल्य मान लिया जाता है।।
- घ) गैर-मौद्रिक अनुदानों के जरिए प्राप्त हुई अचल परिसंपत्तियों का पूंजीकरण पूंजी निधि में तदनुसूची जमा द्वारा बताए गए मूल्य पर किया जाता है। फ्री गिफ्ट के रूप प्राप्ति हुई अचल परिसंपत्तियों का लेखा 1/- रुपए का नाममात्र का मूल्य मान कर किया जाता है।
- ड.) विशेष अनुदान सहायता से अधिगृहीत की गई अचल परिसंपत्ति यों का लेखा प्राधिकरण के लेखाओं में अचल परिसंपत्तियों के रूप में किया जाता है। अनुदान सहायता से सृजित की गई अचल परिसंपत्तियों की लागत को पूंजी निधि में जमा किया जाता है। इन परिसंपत्तियों पर उनके उपयोग की अवधि के लिए आयकर अधिनियम और नियमों के तहत निर्धारित दरों पर मूल्य ह्रास भी प्रभारित किया जाता है और इसे आय और व्यय खाते में मान्यता दी जाती है।

3. मूल्य ह्रास

- क) मूल्यह्रास का प्रावधान आयकर अधिनियम 1961 में विनिर्दिष्ट दरों पर अपलिक्षित मूल्य पद्धति से किया जाता है।
- ख) वर्ष के दौरान अचल परिसंपत्तियों में संवर्धन/कमी होने के संबंध में वित्त वर्ष की पहली छः माही में अधिगृहीत की गई परिसंपत्तियों पर आयकर नियमों में विनिर्दिष्ट/ दरों पर पूरा मूल्यह्रास प्रभारित

किया जाता है और दूसरी छः माही में अधिगृहीत की गई परिसंपत्तियों पर 50% मूल्य ह्रास प्रभारित किया जाता है।

ग) 5000/- रुपए अथवा इससे कम लागत वाली अचल परिसंपत्तियों पर अधिग्रहण के वर्ष में पूरा मूल्यह्रास प्रभारित किया जाता है।

4. पट्टाधिकाराया

पट्टा/किराया का लेखांकन पट्टे की निबंधन और शर्तों के अनुसार व्यय के रूप में किया जाता है।

5. परिसंपत्तियों का खराब होना

एक परिसंपत्ति को तब खराब माना जाता है जब उसको बनाए रखने की लागत उसके वसूली योग्य मूल्य से अधिक हो जाती है। खराब होने की हानि को उस वर्ष के आय और व्यय खाते में प्रभारित किया जाता है जिसमें उस परिसंपत्ति को खराब परिसंपत्ति के रूप में अभिज्ञात किया जाता है। खराब होने की हानि को वसूली योग्य धनराशि के रूप में माना जाता है।

6. सरकारी अनुदान/ राजसहायताएं

पूंजीगत व्यय अर्थात् सहायता अनुदान से सृजित मूल्य ह्रास योग्य परिसंपत्तियों की लागत को पूंजी निधि खाते में जमा किया जाता है। सहायता अनुदान से किए गए राजस्व व्ययों को आय व्यय खाते में नामे किया जाएगा। वर्ष के अंत में व्ययों से अधिक अनुदान को पूंजी निधि में अंतरित कर दिया जाएगा।

7. सेवा निवृत्ति लाभ

- क) वर्ष के दौरान नई पेंशन योजना में प्राधिकरण के अंशदान को आय और व्यय खाते में दर्शाया जाता है।
- ख) उपदान से संबंधित देयताओं, जिनका पता वर्ष में वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर लगाया जाता है, का प्रावधान किया जाएगा और पृथक् रूप से निधीयन किया जाएगा।
- ग) कर्मचारियों को छुट्टी नकदीकरण से संबंधित देयताओं, जिनका पता वास्तविक मूल्यांकन पर प्रोद्भवन आधार पर वर्ष के अंत में वार्षिक रूप से लगता है, हेतु प्रावधान किया जाता है।

8. कराधान

प्राधिकरण केंद्र/राज्य सरकार को अपनी संपत्ति, आय और लाभ और प्राप्त हुए लाभ के संबंध में संपत्ति कर, आयकर, सेवा कर, सीएसटी अथवा अन्य किसी कर को भुगतान करने के लिए जिम्मेदार नहीं है। अतः चालू और आस्थगित आयकर के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

9. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां

पूर्व की घटनाओं के परिणामस्वरूप मौजूदा देयता की स्थिति में प्रमाणन में काफी अनुमान के आधार पर प्रावधान किए जाते हैं और यह संभव है कि संसाधनों का बहिर्गमन हो। आकस्मिक देयताओं को मान्यता नहीं दी जाती है किंतु उन्हें लेखाओं के भाग के रूप में नोट में प्रकट किया जाता है। आकस्मिक परिसंपत्तियों न तो मान्यता दी जाती है और ना ही उन्हें वित्तीय विवरणों में प्रकट किया जाता है।

10. आय और व्यय

इस पैराग्राफ में बाद में विनिर्दिष्ट की गई आय और व्यय को छोड़कर वर्ष के सभी आय और व्यय का लेखाओं के विशिष्ट प्रत्यक्ष शीर्षों के तहत प्रोद्भवन आधार पर लेखांकन किया जाता है।

- क) पूर्व वर्ष की आय अथवा व्यय, जो एक अथवा अधिक पूर्व अवधियों में प्रावधान करने। देयता का सृजन करने में चूक करने के कारण हुआ था, का लेखांकन "पूर्व अवधि समायोजन" के तहत किया जाता है।
- ख) यदि व्याय आधार पर देयता का सृजन किया जाता है। प्रावधान किया जाता है तो इसका लेखांकन नकद आधार पर किया जाता है।
- ग) वार्षिक लेखाओं को अंतिम रूप दिए जाने के बाद प्राधिकरण को प्राद्भूत होने वाले व्याय। आय, भूतलक्षी प्रभाव से यदि कोई हो, का लेखांकन नकद आधार पर किया जाता है।
- घ) तुलन पत्र और अथवा आय और व्यय खातों में किसी मद को किस प्रकार और किस तरीके से दर्शाया जाए इसका निर्धारण करने में मूर्तता पर विचार किया जाता है और प्रत्येक मामले में पूर्वदत्त पूर्व अवधि के 1000 रुपये तक के मदों का लेखांकन लेखाओं के आम शीर्षों के तहत नकद आधार पर किया जाता है।

11. राजस्व मान्यता

- क) प्राधिकरण डीएलसी/एसएलसी और सीएए के बीच 70:30 के अनुपात में फार्मों के पंजीकरण के लिए शुल्क प्राप्ति कर रहा है। इसके अलावा, प्राधिकरण लिटोपनियस वेन्नामई फार्मों और हैचरियों के लिए प्रोसेसिंग फीस और प्रति जैविक मुक्त जल कृषि आदानों का पंजीकरण फीस प्राप्त कर रहा है। प्राधिकरण की मौजूदा नीति के अनुसार इस शुल्क का लेखा इसके प्राप्ते होने के वर्ष और विशेष अथवा निर्धारित प्रयोजन के लिए उपयोग करने के वर्ष में प्राधिकरण की निर्धारित/अक्षय निधि के रूप में किया जाता है।
- ख) व्याज की आय का लेखांकन बकाया राशि और लागू दर को ध्यान में रखते हुए नकद आधार पर किया जाता है।

12. पृथक प्रकटीकरण

पृथक प्रकटीकरण के संबंध में आय और व्याय खाते में किए जाते हैं:

- क) "पूर्व अवधि" के मद जिनमें आय अथवा व्याय के सामग्री मद शामिल होते हैं और जो एक अथवा अधिक पूर्व अवधियों के वित्तीय विवरण तैयार करने में चूक करने के परिणामस्वरूप चालू अवधि में उत्पन्न होते हैं।
- ख) "असाधारण" मद, जो प्राधिकरण के सामान्य कार्यकलापों से स्पष्ट तौर पर हुई घटनाओं और लेनदेनों से उत्पन्न आय अथवा व्यय होते हैं और इनके बार बार अथवा नियमित तौर पर होने की उम्मीद नहीं होती है।
- ग) "विविध आय" शीर्ष के तहत 50,000 रुपये से अधिक के मद को आय और व्यय खाते में उपयुक्त लेखा शीर्ष के तहत दर्शाया जाता है।
- घ) "विविध व्यय" शीर्ष के तहत 50,000 रुपये से अधिक के मद को आय और व्यय खाते में उपयुक्त लेखा शीर्ष के तहत दर्शाया जाता है।

ह/-

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी

ह/-

सदस्य सचिव

तटीय जलकृषि प्राधिकरण

भारत सरकार, कृषि मंत्रालय

जीडीआर टवर, 12-ए भारती स्ट्रीट, वानुवमपेट्टई, मडिप्पाक्कम, चेन्नै-600 091

अनुसूची - 15: आकस्मिक देयताओं और लेखाओं के संबंध में टिप्पणियां

आकस्मिक देयताएं

31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार आकस्मिक देयता का कोई मामला सामने नहीं आया है।

अचल परिसंपत्तियां

तत्कालीन जल कृषि प्राधिकरण की उन अचल परिसंपत्तियों का लोखांकन भी उन्हें खरीदने की तारीख से सीसीए द्वारा उनका अधिग्रहण किए जाने तक की अवधि के लिए लागत में से मूल्यह्रास को घटाकर किया जाता है जिनका मूल्य ज्ञात होता है। जिन अचल परिसंपत्तियों का मूल्य ज्ञात ही होता है उनका सीसीए की लेखा पुस्तकों में पूंजीकरण करने के लिए 1/- रुपए का नाममात्र का मूल्य मान लिया जाता है। सभी परिसंपत्तियों पर आयकर नियमों में निर्धारित दर से मूल्यह्रास का परिकलन कर लिया गया है और वर्ष 2015-16 के आय और व्यय खाते में प्रभावित किया गया है।

वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण और अग्रिम

प्राधिकरण ने पोस्ट अहफिस से फ्रैंकिंग मशीन ले ली है जिसमें एक निश्चित धनराशि के स्टेप हैं। इसके अलावा, प्राधिकरण पोस्ट अहफिस से पोस्टएल स्टेप खरीदता है और इसके लिए भुगतान की गई धनराशि को हाथ में स्टेप के रूप में दर्शाया जाता है। स्टेप की दैनिक खपत के लिए रखे जा रहे रजिस्टर के आधार पर स्टेप पर किए गए कुल व्यय को वार्षिक आधार पर हाथ में स्टेप खाते को तदनुसूची जमा करके संबंधित व्यय शीर्ष में नामे किया जाता है। 31 मई, 2016 की स्थिति के अनुसार हाथ में स्टेप की धनराशि 6,526/- रुपए है।

दैनिक खर्चों को पूरा करने के लिए आहरण और संवितरण अधिकारी को 3,000/- रुपए का अग्रदाय मंजूर किया गया है।

वर्तमान देयता

निष्पादन गारंटी के रूप में प्राप्त हुई रु० 5,000/- की जमानत राशि को इसकी वारंटी की अवधि पूरी होने तक बनाए रखा जाएगा।

कराधान

प्राधिकरण अपनी संपत्ति, आय, लाभ और प्राप्त हुए लाभ के संबंध में संपत्ति कर, आयकर अथवा अन्य किसी कर को भुगतान करने के लिए जिम्मेदार नहीं है। इसलिए और आस्थगित आयकर के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

सरकारी अनुदान प्राप्त/शुल्क

“पूंजीगत व्यय” अर्थात् सहायता अनुदान से सृजित मूल्यह्रास योग्य परिसंपत्तियों की लागत को पूंजी निधि खाते में जमा किया जाता है। सहायता अनुदान से किए गए राजस्व व्ययों को ‘आय व्यय खाते’ में नामे

किया जाएगा। 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के अंत में व्ययों से अधिक अनुदान को पूंजी निधि खाते में अंतरित कर दिया जाएगा।

प्राधिकरण डीएलसी/एसएलसी और सीएए के बीच 70:30 के अनुपात में फार्मों के पंजीकरण के लिए शुल्क प्राप्ति कर रहा है। इसके अलावा, प्राधिकरण लिटोपिनस वेन्नामई फार्मों और हैचरियों के लिए प्रोसेसिंग फीस और प्रति जैविक मुक्त, जल कृषि आदानों का पंजीकरण फीस प्राप्त कर रहा है। प्राधिकरण की मौजूदा नीति के अनुसार इस शुल्क, का लेखा इसके प्राप्त होने के वर्ष और विशेष अथवा निर्धारित प्रयोजन के लिए उपयोग करने के वर्ष में प्राधिकरण की निर्धारित अक्षय निधि के रूप में किया जाता है। निर्धारित निधि के बाहर 2014-15 के दौरान 64,87,558/- का उपयोग किया गया।

पिछला वर्ष के आंकड़े

सीएजी द्वारा स्वायत्त निकायों के लिए निर्धारित लेखांकन प्रक्रिया में तुलन पत्र, आय और व्यय खाते तथा प्राप्ति एवं भुगतान खाते में उनसे संबंध विभिन्न अनुसूचियों सहित पिछला वर्ष के आंकड़े दर्शाना विनिर्दिष्ट किया गया है।

ह/-

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी

ह/-

सदस्य सचिव

सदस्य सचिव वार्षिक लेखा के अनुबंध के लिए अतिरिक्त एडीशन

1. 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए तटीय जल कृषि प्राधिकरण, चेन्नै के लेखाओं पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की पृथक लेखा रिपोर्ट।
2. 2015-16 के लिए सीएए के लेखाओं पर पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट पर सह पत्र।
3. सदस्य सचिव, सीएए के लिए वर्ष 2015-16 के लिए सीएए के खातों पर पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट पर सह पत्र का पृष्ठांकन।
4. 2015-16 के लिए पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट के संबंध में उत्तर।



महानिदेशक लेखापरीक्षा (केंद्रीय) चेन्नै का कार्यालय
लेखापरीक्षा भवन, 361, अण्णा सालै, तेनामपेट, चेन्नै - 600 018.

OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF AUDIT (CENTRAL)

Chennai

"LEKHA PARIKSHA BHAVAN", 361, Anna Salai, Teynampet, Chennai - 600 018.

दूरभाष / Phone : 044 - 2431 6400

फैक्स / Fax : 044 - 2433 8924

तार / E-mail : dgacchennai@cag.gov.in

सं० पीडीए (सी)/सीई/11/28-46/2016-17/64

दिनांक 31-10-2016

सेवा में
सचिव, भारत सरकार,
कृषि मंत्रालय,
पशु पालन, डेयरी एवं मात्स्यिकी विभाग,
शास्त्री भवन,
नई दिल्ली-110001

महोदय,



विषय : वर्ष 2016-17 के लिए तटीय जल कृषि प्राधिकरण, चेन्नै की लेखाओं पर पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट के संबंध में ।

मुझे एतद्वारा वर्ष 2015-16 के लिए तटीय जल कृषि प्राधिकरण, चेन्नै की लेखाओं पर पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट को लेखा विवरण सहित अग्रेषित करना है। संसद में यथा प्रस्तुत वर्ष 2015-16 के लिए रिपोर्ट की तीन प्रतियां समय-सीमा के भीतर इस कार्यालय को अग्रेषित की जाए।

कृपया इस पत्र की पावती अनुलग्नकों सहित भेजें।

भवदीय

कृते

निदेशक/ प्रशासन

ईएनडीटी सं० पीडीए (सी)/सीई/II/28-46/2016-17/66

दिनांक 31.10.2016

पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट और प्रबंधन पत्र की एक प्रति के साथ-साथ प्रति सदस्य सचिव, तटीय जल प्राधिकरण, चेन्नै को अग्रेषित की जाती है। यह अनुरोध किया जाता है कि लेखा परीक्षा रिपोर्ट को हिन्दी अनुवाद की 3 प्रतियां और पूर्व तारीख को संसद में यथा प्रस्तुत वार्षिक रिपोर्ट की 3 प्रतियां प्रस्तुत करें। यह भी अनुरोध किया जाता है कि वर्ष 2015-16 के लिए संसद में लेखाओं को प्रस्तुत करने की तारीखें बताएं।

इसे प्रधान निदेशक लेखा परीक्षा (केन्द्रीय), चेन्नै के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

निदेशक/ प्रशासन

31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए तटीय जल कृषि प्राधिकरण, चेन्नै के खातों पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट

हमने तटीय जल कृषि प्राधिकरण अधिनियम, 2005 की धारा 20(3) के साथ पठित नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (कर्तव्य, शक्तियों और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19(2) के तहत उक्त तारीख को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय खाता और प्राप्तियां एवं भुगतान खाते की दिनांक 31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार तटीय जल कृषि प्राधिकरण, चेन्नै की संलग्न तुलन-पत्र की लेखा परीक्षा की है। ये वित्तीय विवरण प्राधिकरण के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी अपनी लेखा परीक्षा के आधार पर वित्तीय विवरणों के संबंध में राय देना है।

2. इस पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट में केवल सर्वोत्तम लेखा पद्धतियों, लेखा मानकों, प्रकटीकरण शर्तों आदि के साथ-साथ वर्गीकरण, पुष्टिकरण के संबंध में लेखा उपाय पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां शामिल हैं। विधि, नियम और विनियम (स्वामित्व और विनियामक) और कुशलता तथा निष्पादन पहलुओं आदि, यदि कोई हो, के अनुपालन के संबंध में वित्तीय सौदों पर लेखा टिप्पणियां की रिपोर्ट अलग से निरीक्षण रिपोर्ट/ सीएजी की लेखा परीक्षा रिपोर्टों के माध्यम से दी जाती है।

3. हमने अपनी लेखा परीक्षा भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा मानकों के अनुसार की है। इन मानकों में यह अपेक्षा होती है कि हम लेखा परीक्षा की योजना और निष्पादन इस संबंध में तर्कसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए करें कि वित्तीय विवरण में आर्थिक रूप से गलत विवरण न रहे। लेखा परीक्षा में परीक्षण आधार पर जांच, राशि के समर्थन में प्रमाण और वित्तीय विवरण में प्रकटीकरण शामिल है। लेखा परीक्षा में प्रयुक्त लेखा सिद्धांतों का मूल्यांकन और प्रबंधन द्वारा किए गए महत्वपूर्ण अनुमान और वित्तीय विवरणों की समस्त प्रस्तुति का मूल्यांकन भी शामिल है। हमें विश्वास है कि हमारी लेखा परीक्षा हमारी राय के लिए तर्कसंगत आधार उपलब्ध कराती है।

4. अपनी लेखा परीक्षा के आधार पर, हम रिपोर्ट देते हैं कि:

- i. हमने सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं, जो हमारी लेखा परीक्षा के उद्देश्य के लिए हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास में अनिवार्य थीं।
- ii. इस रिपोर्ट में शामिल तुलन-पत्र, आय एवं व्यय खाते तथा प्राप्तियां एवं भुगतान खाते वित्त मंत्रालय द्वारा अनुमोदित प्रपत्र में तैयार किए गए हैं।
- iii. हमारी राय में, तटीय जल कृषि प्राधिकरण, चेन्नै द्वारा प्राधिकरण के नियम एवं विनियामक में यथा अपेक्षित उचित खाता बही और अन्य संगत अभिलेख अनुरक्षित किए गए हैं जैसा कि अभी तक ऐसी बहियों की जांच से प्रतीत होता है।

iv. हम आगे रिपोर्ट देते हैं कि:

(क) सामान्य

1. संस्थान ने वित्तीय विवरण में संलग्न 'महत्वपूर्ण लेखा नीतियां' (अनुसूची-14) में बताया है कि ग्रेच्युटी और छुट्टी नकदीकरण के संबंध में देयताएं संस्थान द्वारा वर्ष की समाप्ति पर और उपलब्ध कराए गए वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर वार्षिक रूप से प्राप्त की जा रही है।

तथापि, संस्थान ने वर्ष 2015-16 के लिए वित्तीय विवरण में ग्रेच्युटी और छुट्टी नकदीकरण हेतु कोई प्रावधान नहीं किया है जैसा महत्वपूर्ण लेखा नीतियों में बताया गया है। वित्तीय विवरण में इस सीमा तक किया गया प्रकटीकरण सही नहीं है। इसके अलावा, पेंशन देयता के लिए भी कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

2. दिनांक 31.03.2016 की स्थिति के अनुसार सीएए द्वारा अनुरक्षित चार चिन्हित निधियों का अंतिम शेष 1.72 करोड़ रुपए था। जबकि चिन्हित निधियों की तदनुसूची परिसंपत्तियां 1.72 करोड़ रुपए थीं। इसलिए, देयताओं के स्तर पर चिन्हित निधियों के अंतिम शेष और तदनुसूची चिन्हित निधि परिसंपत्तियों के बीच 12.00 लाख रुपए का अंतर था। इसका सामंजस्य किए जाने की आवश्यकता है।

(ख) खाते में संशोधन का प्रभाव

प्राधिकरण के खाते में लेखा परीक्षा टिप्पणियों के आधार पर संशोधन किया गया था जिसका परिणाम निम्नलिखित हुआ था:

- क. परिसंपत्तियों और देयताओं में 7870 रुपए (चार सौदे) तक वृद्धि हुई।
ख. आय में 10.65 लाख रुपए (तीन सौदे) तक कमी हुई और व्यय में 11.69 लाख रुपए (तीन सौदे) तक वृद्धि हुई। इसका परिणाम आय और व्यय में 7.84 लाख रुपए से 30.18 लाख रुपए तक की वृद्धि से घटा हुआ।

(ग) सहायता अनुदान

वर्ष के दौरान प्राप्त 3.30 करोड़ रुपए की सहायता अनुदान और अव्ययित शेष 0.60 करोड़ रुपए (कुल 3.90 करोड़ रुपए) में से, प्राधिकरण ने दिनांक 31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार कुल 3.90 करोड़ रुपए का उपयोग कर लिया और शेष शून्य है।

- v. पूर्ववर्ती पैराग्राफ में हमारी टिप्पणियों की शर्त पर, हम रिपोर्ट देते हैं कि इस रिपोर्ट में दिए गए तुलन-पत्र, आय एवं व्यय लेखे और प्राप्तियां और भुगतान लेखे बही खाते के अनुसार करार में है।
vi. हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम सूचना में तथा हमें दिए गए विवरण के अनुसार, लेखा नीतियों और लेखा टिप्पणियों के साथ पठित उक्त वित्तीय विवरण और उपर्युक्त बताए गए महत्वपूर्ण मामलों तथा इस लेखा-परीक्षा रिपोर्ट के अनुलग्नक में उल्लिखित अन्य मामलों की शर्त पर भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुरूप सत्य और निष्पक्ष राय देना है।

क. जहां तक इसका संबंध दिनांक 31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार तटीय जल कृषि प्राधिकरण, चेन्नै के मामले के तुलन-पत्र से है; और

ख. जहां तक इसका संबंध उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए घाटे के आय एवं व्यय खाते से है।

भारत के सी एंड एजी की आरे से और के लिए

स्थान : चेन्नै

दिनांक : 31-10-2016

प्रधान लेखा परीक्षक निदेशक (केन्द्रीय)

अनुलग्नक

1. आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली की उपयुक्तता

संस्थान ने आंतरिक लेखा परीक्षा के लिए एक चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट फर्म से करार किया है। सीए फर्म के साथ किए गए करार में आंतरिक लेखा परीक्षा की संभावना का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है और करार के अनुसार, आंतरिक लेखा परीक्षक को प्रत्येक तीन माह के लिए तिमाही रिपोर्ट और एक समेकित वार्षिक रिपोर्ट प्रबंधन को देनी होगी।

तथापि, इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि सीए फर्म ने वर्ष के दौरान संस्थान की आंतरिक लेखा परीक्षा की है और करार में विनिर्दिष्ट सभी क्षेत्रों को सत्यापित किया है। सीए फर्म द्वारा वर्ष 2015-16 के लिए कोई आंतरिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई है, न ही तिमाही तौर पर अथवा न ही वार्षिक तौर पर।

2. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की उपयुक्तता

आंतरिक नियंत्रण पर्याप्त नहीं है क्योंकि स्टॉफ में कर्तव्यों/शक्तियों का प्रत्यायोजन नहीं है और संस्थान द्वारा कोई लेखा और प्रशासनिक नियमावली तैयार नहीं की जाती है। आईओबी के पास अनुरक्षित सीपीएफ/जीपीएफ/पेंशन निधि खातों के लिए कोई रोकड़ बही तैयार नहीं की जाती है। आईओबी/इंडियन बैंक के पास अनुरक्षित पृथक अनुदान खातों के लिए एक संयुक्त रोकड़ बही तैयार की जाती है।

इसके अलावा, जहां तक फार्म पंजीकरण/एलवी फार्मों के पंजीकरण/एलवी हैचरियों के पंजीकरण/फार्म उत्पादों के लिए आवेदन-पत्र के छानबीन से संस्थान के स्वायं के राजस्व सृजन का संबंध है, प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या, एकत्रित शुल्क और फार्म/हैचरियों के किसानों और बीज उत्पादों के विनिर्माताओं को जारी किए गए पंजीकरण प्रमाण-पत्रों के सत्यापन के लिए कोई रिकार्ड उपलब्ध नहीं है।

3. अचल परिसंपत्तियों का वास्तविक सत्यापन

वर्ष 2015-16 के अंत तक अचल परिसंपत्तियों के वास्तविक सत्यापन के लिए एक तीन सदस्यी समिति नियुक्त की गई है। तथापि, समिति ने प्रबंधन को कोई वास्तविक सत्यापन रिपोर्ट नहीं दी है। जब वास्तविक सत्यापन किया जाता है तो इस प्रकार ब्यौरे और या सभी परिसंपत्तियों अथवा संपूर्ण अथवा ध्यान में आई कोई अनियमितता उपलब्ध नहीं होती है।

4. मालसूची के वास्तविक सत्यापन की प्रणाली

वर्ष 2015-16 के लिए माल सूची का वास्तविक सत्यापन किया गया था।

5. सांविधिक देय राशि के भुगतान में नियमितता

प्राधिकरण सांविधिक देय राशियों के भुगतान में नियमित था।



निदेशक/ सीई



अनीम चेरियन आईएसएस
प्रधान लेखा परीक्षा निदेशक (केन्द्रीय)



प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (केन्द्रीय)

चेन्नै

लेखापरीक्षा भवन

361, अण्णा सालै, तेनामपेट, चेन्नै - 600 018.

PRINCIPAL DIRECTOR OF AUDIT (CENTRAL)

Chennai

"LEKHA PARIKSHA BHAVAN"

361, Anna Salai, Teynampet, Chennai - 600 018.

अ. स. नं. / D.O. No.

PDA(C)/ CAB/ II/ 28-46/2016-17/ 67

दिनांक / Date : **31.10.2016**

प्रिय

कृपया वर्ष 2015-16 के लिए तटीय जल कृषि प्राधिकरण (सीएए), चेन्नै की दिनांक 31-10-2016 को जारी वार्षिक लेखे की लेखा परीक्षा पर पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट का अवलोकन करें। मैं लेखा पद्धतियों/प्रक्रियाओं में ध्यान में आई निम्नलिखित कमियों को उपचारात्मक कार्यवाई के लिए आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ।

1. सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार, किसी संस्थान द्वारा किसी विशिष्ट उद्देश्यों से प्राप्त निधियों का लेन-देन अलग से 'चिन्हित निधि' के रूप में किया जाता है। उन निधियों पर किया गया कोई व्यय और अर्जित व्याज संबंधित चिन्हित निधियों में परिकलित की जाती है।

सीएए एल.वी. फार्मों, एल.वी. हैचरियों और बीज उत्पादन के लिए पंजीकरण शुल्क और प्रसंस्करण शुल्क प्राप्त करता रहा है और इसे चार अलग चिन्हित निधियों में रखता रहा है। तथापि, इस निधि में संबंधित चिन्हित निधियों से वहन किया गया लेखा व्यय और अर्जित व्याज के स्थान पर, संस्थान ने उक्त चार निधियों पर वहन किए गए व्यय और अर्जित लाभ के लिए दो अलग चिन्हित निधियां सृजित की है। यह एक सही लेखा पद्धति नहीं है। इसलिए यह ध्यान में लाया गया है कि अगले वर्ष के लेखे में चिन्हित निधियों पर किए गए व्यय और अर्जित व्याज के संबंध में सही लेखा प्रक्रिया का अनुपालन किया जाए।

2. जीपीएफ/ सीपीएफ में उपलब्ध निधियां बचत बैंक खातों में पड़ी थीं। तथापि, इन्हें तुलन-पत्र में निवेश के रूप में गलत रूप से प्रकट किया गया था। एसबी खाते में शेष को तुलन-पत्र में "वर्तमान परिसंपत्तियां" के तहत प्रकट करना होता है।
3. निवेश पर उपार्जित व्याज को वित्तीय विवरण में अलग से प्रकट करना होता है।
4. संस्थान ने चालू परिसंपत्तियों के तहत 'बकाया अग्रिम' से समायोजित करने के स्थान पर प्रशासनिक व्यय के लिए दिए गए 6211 रुपए के अग्रिम की वापसी को विविध आय के रूप में गलत रूप से परिकलित किया है। जब इसे ध्यान में लाया गया (संदर्भ मसौदा एसएआर का पैरा 3.1.2), चालू परिसंपत्तियों से इसको समायोजित करने के स्थान पर, समायोजन चालू वर्ष के प्रशासनिक व्यय में किया गया था। चूंकि शामिल धनराशि वास्तविक नहीं थी इसलिए पैरा एसएआर में शामिल नहीं किया गया था। तथापि, इसे अगले वर्ष के खाते में आवश्यक सुधार करने के लिए ध्यान में लाया गया।
5. यद्यपि यह पुष्टि की गई थी कि वर्ष 2015-16 के लिए प्राप्त आवेदन शुल्क 5,39,911 रुपए था, उद्दिनांकित आवेदन शुल्क पंजिका छानबीन के लिए लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं की गई थी। इसलिए, इसे सत्यापन के लिए अगली लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत किया जाए।

डा० पी० रविचन्द्रन

सदस्य सचिव,
तटीय जलकृषि प्राधिकरण,
चेन्नै-600091

भवदीय,

प्रबन्धन पत्र के लिए पैरा-वार अभ्युक्ति/ स्पष्टीकरण

पैरा सं	प्रबन्धन पत्र में अभ्युक्ति	स्पष्टीकरण
1.	सी.ए.ए. द्वारा इकत्रित पंजीकरण शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क सी.ए.ए. द्वारा अलग से लक्षित चार फण्ड में जमा किया जाता है! हालांकि, उन फण्डों में से अर्जित ब्याज एवं किए गए खर्चों का ब्यौरा दर्ज होना था; जबकि संस्थान ने इन फण्डों के लिए दो लक्षित फण्ड खुलवाकर खर्च एवं ब्याज के लिए क्रम रखरखाव करता है!	शास्त्रि भवन से सी.ए.ए. का कार्यालय चलाते वक्त सी.ए.ए. का बैंक खाता इण्डियन ओवरसीज बैंक/ नुंगम्बाक्कम् के पास था। वर्तमान पते पर कार्यालय का तब्दील होने के बाद आई.ओ.बी का वह खाता आइडिल रहा और वर्ष 15-16 के लिए सभी लेन-देन लक्षित इन फण्ड खातों में आदम्पाक्कम की इण्डियन बैंक में रखा से परिचालित है! साथ ही, उक्त आइडिल खातों को बंद करने हेतु नुंगम्बाक्कम् आई.ओ.बी के प्रबन्धक को पत्र भी लिखा गया है! आगे, हुए खर्च को लेखांकित करने तथा संबंधित लक्षित फण्ड से प्राज ब्याज के संबंध में लेखा-परीक्षा की अभ्युक्तियों का पालन किया जाएगा।
2.	जी.पी.एफ/ सी.पी.एफ में उपलब्ध निधि एस.बी के खाते में जमा है! इसे तुलन-पत्र में पुँजी के रूप में गलत दिखाया गया है! जबकि इसे वर्तमान परिसंपत्ति के शीर्ष में दिखाया जाना चाहिए!	जी.पी.एफ/ सी.पी.एफ बैंक खातों में उपलब्ध निधि के संबंध में; लेखा परीक्षण द्वारा बतायानुसार वर्तमान परिसंपत्तियों के अधीन इन्हें आगे से दिखाये जाएंगे!
3.	लगी पुँजी से प्राप्त ब्याज को अलग-से वित्तीय-विवरणी में दिखाया जाना चाहिए।	लेखा-परीक्षा द्वारा बतायानुसार कर पालन किया जाएगा।
4.	अग्रिमों की वापसी को वर्तमान परिसंपत्तियों के हिसाब में समंजित कराने के बजाय वर्तमान प्रशासनिक व्यय में समंजित कराया गया है।	रु. 6211/- की अग्रिम वापसी का गलत लेखांकन को सुधारकर लेखा-परीक्षा द्वारा बताया-बुसार अगले वर्ष के लेखा में समायोजित किया जाएगा।
5.	अगला लेखा-परीक्षा से पूर्व; सत्यापन हेतु अध्ययन किया गया आवेदन शुल्क पंजी प्रस्तुत किया जाए।	2015-16 के लिए अध्ययन किया गया आवेदन शुल्क पंजी सत्यापन हेतु लेखा-परीक्षा को प्रस्तुत किया जाएगा।

प्रबन्धन पत्र के लिए पैरा-वार अभ्युक्ति/ स्पष्टीकरण

कृम सं	एस ए आर में पैरा सं	स्पष्टीकरण
ए.	सामान्य	
ए.1	लेखा-नीति के प्रमुख पन्नों में वर्ष 2015-16 के लिए सी.ए.ए ने अंगदाय एवं छुट्टी नकदीकरण हेतु कोई प्रावधान नहीं है! पेंशन हेतु भी कोई प्रावधान नहीं है।	लेखा-परीक्षा द्वारा बताया अनुसार अंशदाय, छुट्टी-नकदीकरण एवं पेंशन हेतु वित्तीय विवरणी में आवश्यक प्रावधान किए जाएंगे।
ए.2	व्यय के अंतिम शेष में लक्षित निधि तथा परिसंपत्तियों में लक्षित निधि का अंतर रु. 12.00 लाख के लिए रीकन्साइलीकरण प्रस्तुत करना है!	लेखा-परीक्षा द्वारा बताया अनुसार लक्षित निधि का रीकन्साइलीकरण किया जाएगा।
बी.	लेखा में समीक्षा का प्रभाव	
	लेखा-परीक्षा के आधार पर प्राधिकरण के लेखे की समीक्षा की गई है और परिसंपत्तियों एवं व्यय में वृद्धि दिखायी गई है। यानि आय में कमी और व्यय में वृद्धि	चूँकि ये लेखा-परीक्षा की अभ्युक्तियों पर आधारित समीक्षा का प्रभाव है; इसे कृष नहीं माना जाए।
C.	सहायता में प्राप्त कोष	
	सी.ए.ए द्वारा सहायता में प्राप्त निधि का शेष कृष नहीं दिखाया गया है।	लेखा-परीक्षा द्वारा कोई अभ्युक्ति न होने के कारण इसे संपन्न किया जाता है।
	अनुलग्नक	
1.	आंतरिक लेखा-परीक्षा की पर्याप्तता वर्ष 2015 - 16 के लिए सी.ए.ए द्वारा कोई आंतरिक लेखा-परीक्षा रपट प्रस्तुत नहीं।	आंतरिक लेखा-परीक्षकों से उक्त के आवश्यक अनुपालन हेतु आगे की कार्यवाई की जाएगी।

2.	आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता कर्मचारियों में कोई ड्यूटी/अधिकार सौंपी नहीं गयी। फलतः लेखांक एवं प्रशासनिक मैनुअल में भी जिक्र नहीं अतः सी.पी.एफ/जी.पी.एफ पेशन निधि लेखा हेतु कोई कैश बुड नहीं। फार्म/हैचुरी पंजीकरण हेतु प्राप्त आवेदनों की संख्या/प्राप्त शुल्क, जारी पंजीकरण प्रमाण-पत्र एवं फीड उत्पाद आदि को सत्यापित करने हेतु कोई रेकार्ड उपलब्ध नहीं।	कर्मचारियों में ड्यूटी/अधिकार सौंपने हेतु आवश्यक अनुपालन कार्रवाई की गई! लेखांकन एवं प्रशासनिक मैनुअल के अनुपालन हेतु कार्रवाई दीजाएगी! प्राप्त आवेदनों की संख्या, शुल्क, प्रमाण-पंजीकरण आदि सी.ए.ए अधिनियम के तहत तथा वर्तमान प्रक्रिया के अनुसार अनुपालन किया जाएगा।
3& 4	स्नाह संपत्ति के भोनोक सत्यापन तथा उपलब्ध नोड हे।	आवश्यक कार्यवाही अनुपालन लिया जाएगा।
5.	सांख्यिक बकाया के भुगतान में प्राधिकरण नियमित कहा।	लेखा-परीक्षा द्वारा कोई आपत्ति नहीं अतः संपन्न!



सत्यमेव जयते

Annual Report 2015-16

COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY



Government of India

Ministry of Agriculture & Farmer's Welfare

GDR Tower, 12-A Bharathi Street

Vanuvampettai, Madipakkam Post

Chennai - 600 091, Tamil Nadu

Tel : 91-44-2260 3783, 3784, 3502, Telefax : 044-2260 3780

Email : aquaauth@vsnl.net / aquaauth@gmail.com

Website : www.caa.gov.in

न्यायमूर्ति के. रविराजा पाण्डियन
अध्यक्ष

Justice K. Raviraja Pandian
Chairperson



तटीय जलकृषि प्राधिकरण

भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
जीडीआर टवर, 12-ए भारती स्ट्रीट, वानुवमपेट्टई
मडिपक्कम पी.ओ., चेन्नई-600 091

तमिल नाडु, भारत

COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY

Government of India, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare
GDR Tower, 12-A Bharathi Street, Vanuvampettai
Madipakkam P.O., Chennai - 600 091
Tamil Nadu, India

P R E F A C E

The Coastal Aquaculture Authority (CAA) was established in December 2005 under an Act of Parliament. The objectives of this Act are to regulate all aquaculture activities in the coastal areas for ensuring sustainable development of coastal aquaculture and to protect coastal environment.

CAA grants approvals for import of SPF *L. vannamei* broodstock, its seed production in biosecured hatcheries and also for farming of SPF *L. vannamei* in such farms. It also regularly conducts inspections of the farms and hatcheries for registration and monitors them regularly to ensure that the quality of waste waters discharged from the Effluent Treatment System of the farms and hatcheries conforms to the standards prescribed by the CAA.

CAA organised many sensitization workshops, awareness programmes and Trainers' training programmes to State Level and District Level fisheries officers on registration of farms and hatcheries and on sustainable SPF *L. vannamei* farming and seed production.

The various activities carried out by the CAA for sustainable coastal aquaculture and for regulation of the coastal aquaculture activities in accordance with the CAA Act 2005 and subsequent rules, regulations, notifications and technical guidelines are provided in detail in the CAA Annual Report 2015-16.

CAA acknowledges its gratitude to the unstinting support of the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Government of India and to the stakeholders involved in coastal aquaculture for their support and cooperation provided to the CAA's successful work plans. I congratulate the CAA and its technical personnel for their accomplishments in spite of several constraints.

(Justice K. Raviraja Pandian)
Chairperson

I. Composition, Operational Goals and Objectives of the Authority

The Coastal Aquaculture Authority was established under the Coastal Aquaculture Authority Act, 2005 for regulating activities connected with coastal aquaculture in coastal areas and for matters connected therewith or incidental thereto to ensure that coastal aquaculture does not cause any detriment to the coastal environment and the concept of responsible aquaculture is followed. Coastal aquaculture means '*culturing, under controlled conditions in ponds, pens, enclosures or otherwise, in coastal areas, of shrimp, prawn, fish or any other aquatic life in saline or brackish water; but does not include fresh water aquaculture*'. Coastal area means '*area of land within a distance of two kilometers from the High Tide Line (HTL) of seas, rivers, creeks and backwaters*'. The main objective of the Authority is to promote sustainable development without causing damage to the coastal environment following responsible coastal aquaculture practices and to protect the livelihood of various stakeholders living in the coastal area.

1. Composition of the Authority during 2015-2016

- | | |
|--|-----------------|
| (i) Justice K Raviraja Pandian
Retired Judge of the Madras High Court
(Retired/Sitting judge of the High Court) | ... Chairperson |
| (ii) Dr K K Vijayan
Director, Central Institute of
Brackishwater Aquaculture, Chennai
(with effect from 19 th October 2015)
(Expert in the field of Coastal Aquaculture)
(vacant till June 2015) | ... Member |
| (iii) Dr R Kirubhakaran
Scientist 'F', National Institute of
Ocean Technology, Chennai
Representative of the Ministry of Earth Sciences, Govt. of India
(re-appointed with effect from 19 th October 2015)
(Expert in the field of Coastal Ecology) | ... Member |
| (iv) Dr T Balasubramanian
Former Director & Dean
Centre for Advanced Studies in Marine Biology
Annamalai University, Chidambaram
Parangipettai, Tamil Nadu
(with effect from 19 th October 2015) | ... Member |
| Dr Ms Manju Raina
Director (CP Division)
Ministry of Environment & Forests, Govt. of India
(till June 2015)
(Expert in the field of Environment Protection/Pollution) | |

- (v) **Dr Aditya Kumar Joshi IFS** ... Member
Joint Secretary (Fisheries)
Department of Animal Husbandry, Dairying & Fisheries
(Representative of the M/o Agriculture and
Farmers Welfare, Govt. of India)
- (vi) **Ms Leena Nair IAS** ... Member
Chairman, The Marine Products
Export Development Authority
- Shri Santosh Kumar Sarangi IAS**
Joint Secretary (EP-MP)
Ministry of Commerce, Govt. of India
(till 30th November 2015)
(Representative of the M/o Commerce, Govt. of India)
- (vii) **Shri Rama Shankar Naik IAS** ... Member
Commissioner of Fisheries
Government of Andhra Pradesh
(Representative of Andhra Pradesh)
(re-appointed with effect from 19th October 2015)
- (viii) **Shri Bishnupada Sethi IAS** ... Member
Secretary (Fisheries and Animal Resource
Development Department) Government of Odisha
(Representative of Odisha State)
(with effect from 19th October 2015)
- Shri Saeed Ahmed Baba IAS**
Principal Secretary (Fisheries)
Department of Fisheries, Aquaculture
Aquatic Resources and Fishing Harbour
Government of West Bengal, Kolkata
(Representative of West Bengal State) (till June 2015)
- (ix) **Shri Cholleti Prabhakar IAS** ... Member
Secretary (Fisheries)
Government of Puducherry
(Representative of Puducherry)
(with effect from 19th October 2015)
- Dr S Vijaya Kumar IAS**
Secretary (Fisheries)
Government of Tamil Nadu
Department Animal Husbandry
Dairying and Fisheries, Chennai
(Representative of Tamil Nadu) (till June 2015)

- (x) **Dr N S Chennappa Gowda IAS** ... Member
 Secretary (Fisheries)
 Government of Karnataka
 (Representative of Karnataka State)
 (with effect from 19th October 2015)
- Shri Arunkumar Solanki IAS**
 Commissioner & Secretary
 Government of Gujarat
 (Department of Fisheries & Animal Resources)
 (Representative of Gujarat State) (till June 2015)
- (xi) **Dr P Ravichandran** ... Member Secretary
 (Member appointed by the Central Government)

2. Aims and Objectives of the Authority

The aims and objectives of the Authority are to regulate '*coastal aquaculture*' activities in the areas notified by the Central Government as '*coastal areas*' and for matters connected therewith. The Authority is empowered to make regulations for the construction and operation of aquaculture farms in coastal areas, inspection of farms and hatcheries for *L. vannamei* to ascertain their environmental impact, registration of aquaculture farms and hatcheries, removal or demolition of coastal aquaculture farms which cause pollution, fixing standards for all coastal aquaculture inputs, *viz.*, seed, feed, growth supplements, chemicals, *etc.*, used in coastal aquaculture and for the overall monitoring of coastal aquaculture activities in the country.

3. Powers and Functions of the Authority

The powers and functions of the Authority are specified in Chapter IV of the CAA Act, 2005, the Rules framed there under, and the Regulations framed by Coastal Aquaculture Authority, notified in March, 2008. The CAA, shall *inter alia* make regulations for the orderly and sustainable development of the coastal aquaculture sector to facilitate environmentally responsible and socially acceptable coastal aquaculture for the socio-economic benefits of the various stakeholders involved in the activity.

The major responsibility of Coastal Aquaculture Authority towards achieving these goals is to ensure registration of all kinds of coastal, brackish and saline aquaculture farms and hatcheries engaged or to be engaged coastal aquaculture including SPF shrimp culture with due biosecurity, *etc.*, in the country within the notified area. A number of measures have been implemented by the Authority for registering all eligible coastal aquaculture farms through various awareness programs to sensitize the farmers. It is mandatory for all persons carrying on coastal aquaculture to register their farms with the Coastal Aquaculture Authority, as per the procedures laid down in the Coastal Aquaculture

Authority Act and Rules. Registration is valid for a period of five years, which can be renewed from time to time for a like period. The registration process would be continued in respect of existing farms through renewal of registration, new farms as well as for farms that may be renovated for taking up coastal aquaculture activities in future.

Aquaculture is not permitted within two hundred meters from the High Tide Line of the seas, creeks, rivers and backwaters within the Coastal Regulation Zone. However, this condition is not applicable to the 'existing farms' *i.e.* farms set up before the commencement of the Act and to the non-commercial and experimental aquaculture farms operated by the Government or any research Institute of the Government. However, all such farms need to be registered with the CAA. Any person carrying on coastal aquaculture without such registration is liable to be punished with imprisonment for a term which may extend to three years or with fine which may extend to one lakh rupees, or with both as provided in Section 14 of the Act.

CAA is assisted by the State Level Committees (SLC) and the District Level Committees (DLC) set up under the provision of the CAA Rules, 2005 which are the primary linkages on matters concerning the registration of coastal aquaculture farms. In the case of farms up to 2 ha water spread area, the DLC, upon satisfaction, shall recommend the applications directly to CAA for consideration of registration; and in the case of farms above 2 ha water spread area, the DLC shall inspect the farm to verify compliance of norms and recommend the applications to SLC, who upon satisfaction, shall recommend them to the CAA for registration.

Coastal Aquaculture Authority was authorized to grant permission to hatcheries for importing broodstock of SPF *L. vannamei* from approved overseas SPF broodstock suppliers and to allot annual requirements of broodstocks, as detailed in the Guidelines issued under Notification dated 15th October 2008, issued by the Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries (DAHD&F), under the Livestock Importation Act, 1898 (as amended by Livestock Importation Act, 2001). Similarly CAA also grants permission to farms intending to culture SPF *L. vannamei* in accordance with the Guidelines issued under a Notification dated 30.04.2009.

CAA also monitors SPF *L. vannamei* hatcheries and farms for strict compliance of the Guidelines, issued for this purpose.

The CAA also has the powers and functions as stated below :

- ensure that agricultural lands, salt pan lands, mangroves, wet lands, forest lands, land for village common purposes and land meant for public purposes and national parks and sanctuaries are not converted as aquaculture farms in order to protect the livelihood of coastal community living in coastal areas;

- survey the entire coastal area and advise the Central Government and the State/UT Governments for formulating suitable strategies for achieving eco-friendly development;
- advise and extend support to the State/UT Governments for constructing common infrastructure, common water in-take, discharge canals and common effluent treatment systems;
- fix standards for seed, feed, growth supplements and chemicals used for the maintenance of the water bodies and the organisms reared and other aquatic life;
- carryout or sponsor investigations and studies/ schemes relating to environment protection and demonstration of eco-friendly technologies;
- collect and disseminate the data and other scientific and socio-economic information related to coastal aquaculture;
- prepare materials relating to sustainable development of coastal aquaculture and activities relating to coastal aquaculture;
- give publicity and train personnel regarding sustainable utilization and fair and equitable sharing of the coastal resources;
- constitute various technical committees, sub-committees, working groups, *etc.*, for preparation of technical manuals, *etc.*;
- direct the owners of the farm to carry out modifications to minimize the impacts on coastal environment;
- order seasonal closure for ensuring sustainability; or in the interest of maintaining environmental sustainability and protection of livelihoods in the interest of coastal environment;
- cancel the registration where any person has obtained registration by furnishing false information or contravened any of the provisions of these rules or of the conditions mentioned in the certificate of registration;
- deal with any issue pertaining to coastal aquaculture including those which may be referred to it by the Central Government;
- make suitable recommendations to the Government for amending the guidelines from time to time.

4. Regulation of SPF *Litopenaeus vannamei* culture in India

Coastal Aquaculture Authority has been authorised, *vide* Notification dated 15th October 2008, issued by the Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries, Ministry of Agriculture, under the Livestock Importation Act, 1898, (as amended by Livestock Importation Act, 2001), to register hatcheries and to grant permission for importing broodstock of SPF *Litopenaeus vannamei*. The broodstock suppliers were approved by CAA in consultation with National Fisheries Development Board (NFDB), Central Institute

of Brackishwater Aquaculture (CIBA) and the Marine Products Export Development Authority (MPEDA). The biosecurity requirements for the quarantine, import permit, port of entry, pre-border quarantine requirements, quarantine requirements on arrival of imported broodstock, disinfection methods, *etc.*, are detailed in the said Guidelines contained in the above Notification.

Under the Coastal Aquaculture Authority (Amendment) Rules, 2009, Guidelines were issued for regulating hatcheries and farms for introduction of SPF *L. vannamei*. These Guidelines contain the criteria for applicants to breed *L. vannamei*, the technical requirements, procedures for production and sale of SPF *L. vannamei* seeds and, specific norms and regulations for approval and operation of farms.

To facilitate smooth operations by the hatchery operators and shrimp farmers, Government of India came out with further amendments to the CAA Rules, 2005 through a Notification in March 2012 by permitting import of SPF juveniles of *L. vannamei* up to 10 g for rearing to adult broodstock, sale of nauplii among the permitted hatcheries, and for shifting culture of one species to another after adequate dry out period. This Notification also strengthens the inspection process to deal with unauthorized seed production and farming of *L. vannamei* through destruction of the unauthorized stock or through confiscation and disposal of stock by the Inspection Team of CAA.

An amendment Notification was issued on 16th February 2015 whereby Guidelines have also been issued for permitting farms which are registered for *Penaeus monodon* to take up *L. vannamei* culture with low stocking density following zero water exchange.

An amendment to Guidelines at Annexure-I of CAA Rules, 2005 regarding registration of all shrimp hatcheries (including *P. monodon*) in the coastal areas by the CAA was issued by the DAHD&F, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare in November 2015 in consonance with the provisions of CAA Act, 2015.

Coastal Aquaculture Authority is following these Guidelines in permitting hatcheries and farms to take up *L. vannamei* farming and in the inspection and monitoring of the farms and hatcheries for the sustainable development of this venture. The introduction of SPF *L. vannamei* paved way for revival of a large number of abandoned shrimp farms and has resulted in substantial increase in the production and export of farmed shrimp in the country.

II. Targets and Performance

1. Annual Targets

- Convening meetings of the Authority at least once in two months to take appropriate decisions for implementation.

- Registration and renewal of coastal aquaculture farms which is a continuous process, and cannot be specifically targeted. An additional 3,000 number of coastal aquaculture farms were expected to be registered/renewed during the year subject to the receipt of proposals with the recommendations from the District Level Committees (DLCs) and State Level Committees (SLCs).
- Extension of SPF *L. vannamei* culture, covering an additional area of about 2,000 ha for the year 2015-16 with an anticipated additional production of about 20,000 MT of shrimp in a year.
- Selection of broodstock suppliers by the Technical Evaluation Committee depending upon the need and on reviewing the performance of existing suppliers.
- Issuing Public Notice to invite applications from prospective hatchery owners with adequate biosecurity facilities for granting permission to import broodstock and to produce SPF seed for supplying to the farmers approved by CAA.
- Introduction of online system for registration of new farms
- The broodstock requirement for *L. vannamei* farming would be worked out by the Technical Committee on the basis of annual requirement, hatchery capacity and the extent of farming area for *L. vannamei* culture.
- Processing all the applications received from farmers, who intend to culture *P. monodon*, SPF *L. vannamei* or any other brackishwater species, in their farms after creation of the required facilities, and issuing Certificate of Registration and / or permission therefor.
- Processing of the applications received for seed production by hatcheries and nauplii rearing centres and farming operations of SPF *L. vannamei* in a time bound manner.
- Inspection of hatcheries, nauplii rearing centres and farms by the Inspection Team to ascertain the biosecurity as well as other requirements.
- Consideration of the applications recommended by the Inspection Team for granting approval by the Authority in its regular meetings.
- Monitoring of hatcheries, nauplii rearing centres and farms will be done periodically; and appropriate action to be taken for violation of the conditions of approval.
- Sampling and testing of wastewater discharged from ETS to ensure that water quality parameters conform to the standards notified by the CAA.
- Processing of all the applications received from manufacturers/ distributors for consideration of registration of antibiotic-free aquaculture inputs to be used in seed production and aquafarming to augment food safety.
- Organising Trainers Training Programmes (TTP) and training programmes to officials of Department of Fisheries of all maritime States/UTs in order to enlighten members of DLCs and SLCs on procedures to be followed regarding registration of hatchery seed production & shrimp farming including SPF *L. vannamei*, implementation of

BMPS in seed production & shrimp farming, *etc.*, for sustainable development of the sector.

- Organising awareness programmes in Maritime States, to sensitize the farmers on registration of farms for undertaking *P. monodon*, SPF *L. vannamei*, finfishes and crab farming and on issues concerning banned drugs and other substances, as and when required.
- Organising workshops/seminars or participation in workshops/seminars/exhibitions conducted by related organization by depicting sustainable farming practices relating to coastal aquaculture.
- Preparation of brochures / handouts on Good Aquaculture Practices (GAqP)/ BMPs in vernacular languages for distribution to stakeholders.

2. Brief review of Actual Performance

- Six meetings of the Authority were held between April 2015 and March 2016. In all, 1,520 numbers of applications for registration of coastal aquaculture farms received from SLCs/DLCs were considered for approval. The Authority approved 1,501 applications; the remaining applications were returned to the DLCs/ SLCs for rectification of defects.
- Registration Certificates were issued to all the 1,501 farms approved by the CAA.
- During the year, the Authority has considered 637 applications for renewal of registration and renewed all the 637 farms and endorsement to that effect has been made in the original Registration Certificates.
- After scrutinizing the applications received from the farmers, for culture of SPF *L. vannamei* and based on the Inspection Team's report, 121 farms with water spread area of 361.0 ha. were approved by the CAA.
- On the basis of the Inspection Team's report, 76 new hatcheries were permitted for SPF *L. vannamei* seed production after inspection; and permission granted to the 183 hatcheries during 2014-15 were renewed up to 31.03.2016.
- Altogether 259 hatcheries were issued Letter of Permission (LoP) for importing 6,05,264 numbers of broodstock of SPF *L. vannamei* from 12 broodstock suppliers short-listed by the CAA against which only 1,69,458 numbers of broodstocks were imported during the year.
- CAA introduced the concept of Nauplii Rearing Centres (NRC) to encourage small scale hatcheries for producing SPF *L. vannamei* seed without maturation facility and on the basis of the Inspection Team's report, two nauplii rearing centres with a production capacity of 52 million seeds/year were registered during the year.
- The number of SPF *L. vannamei* hatcheries have grown steadily from 9 since the commencement of the programme (July 2009). Within a period of seven years

(March 2016), the CAA has approved 259 *L. vannamei* hatcheries with a production capacity of 24,209 million seeds/year.

- Seed production has also increased considerably from 310.69 million during 2009-10 to about 7,163.06 million (estimated) during 2015-16 by the approved hatcheries and supplied to registered shrimp farmers during the year.
- The average survival rate of total post larve from total nauplii produced during the year was estimated at 35.21 per cent.
- The procedures for registration of hatcheries were simplified by granting approvals based on the recommendation of the Inspection Team immediately after inspection due to the time lag between the meetings of the Authority. However, ex-post facto approval by the Authority was obtained. In cases where clarifications are required, approvals were granted only after placing them before the Authority.
- Introduced single window system to dispense with the system of issue of LoP every year to hatcheries and the SIP to be issued (by DAHD&F) as per the recommended capacity of each hatchery as indicated in the Registration Certificate.
- Granted approval for a finfish hatchery located at Konapapeta Village, U. Kothapalli Mandal, East Godavari District, Andhra Pradesh and Registration Certificate issued.
- A total of 258 products of 46 companies were registered as antibiotic-free during the year under eight categories the list of which was hosted in CAA website. Registration is kept open as a continuing process to enable more number of products to be registered.
- Conducted a brain storming session chaired by the Member Secretary, CAA on 15th April 2015 at Chennai with representatives from AISHA, SAP, MPEDA and officials of CAA wherein the proposal for permitting establishment of Nauplii Rearing Centres, the effective use of PCR laboratories established in hatcheries and the need for identifying efficient disease diagnostic laboratories were discussed at length and suitable measures evolved.
- Conducted four meetings of the Technical Committee to Oversee and Monitor the functioning of the AQF during the year and appropriate decisions on enhancement of the capacity of quarantine cubicles to 4.12 lakh broodstock in a year, contingency measures for resolving urgent issues sequel to the floods in Chennai during November-December 2015 *etc.*, were taken. Other issues such as inclusion of EHP, EMS and CMNV in the OIE list as '*diseases of concern*', preparation of an advisory for hatchery operators for preventing and controlling EHP transmission from broodstock to larvae, request made by AISHA for continuing the existing user charges for quarantine cubicle, shifting of broodstock from AQF to hatchery on extraordinary conditions / real emergency situations, *etc.*, were also discussed.
- Conducted the meeting of the Technical Evaluation Committee set up to shortlist additional overseas suppliers of SPF *L. vannamei* broodstock on 10.07.2015 wherein

two additional overseas suppliers were recommended after personal presentation and scrutiny of facts, and the same were approved by the Authority in its 54th meeting held on 26.08.2015.

- Conducted two Trainers Training Programmes wherein 40 officials of the Department of Fisheries, Andhra Pradesh were trained on '*Shrimp Farming, Hatchery Seed Production and Regulations*' in association with CIBA during the year.
- Associated in the Training Programme on '*SPF Litopaneus vannamei culture in Kerala*' organized by Kerala University of Fisheries and Ocean Studies (KUFOs) at Panangad, Cochin, during 20th and 21st August 2015 for the benefit of various stakeholders of aquaculture sector of Kerala State.
- Conducted an awareness programme in Olpad village, Surat District of Gujarat State on 14.10.2015 which was coordinated by the DLCs of Gujarat State in which most of officials concerned with the DLCs and field officers of the Department of Fisheries of the State participated other than about 200 shrimp farmers, hatchery operators and input suppliers of the District.
- Associated with the Department of Fisheries, Government of Andhra Pradesh in conducting 4 awareness programmes for SPF *L. vannamei* hatchery owners/ operators one each at Kakinada and Vijayawada on 07.05.2015 and 25.06.2015 respectively and the other two at Nellore on 30.07.2015 and 13.11.2015 of which two were chaired by District Collector of East Godavari and Nellore Districts. About 900 hatchery owners/ operators, DLC members including State Fisheries officials, farmers, input suppliers *etc.*, of coastal Andhra Pradesh participated.
- Due to the motivation by the CAA the Department Fisheries, Government of Andhra Pradesh conducted a workshop in association with CAA on '*Inspection and Quality Monitoring of Shrimp hatcheries*' on 7th January 2016 at SIFT, Kakinada, wherein most of the State Fisheries officials of SLCs and DLCs and about 350 aqua farmers, hatchery operators, input suppliers, *etc.*, participated.
- CAA also participated in two workshops convened by related stakeholders, one by Andhra University on 8 & 9 April 2015 and another by the Society of Aquaculture Professionals on 29 & 30 January 2016 both held at Visakhapatnam wherein overcoming of the present challenges in Indian aquaculture through the Coastal Aquaculture Authority Guidelines were highlighted. The workshops were attended by about 550 aquaculture professionals, research scholars and aquaculturists.
- CAA participated in three Consultative Meetings of Stakeholders of the coastal aquaculture sector, one organized by the Tamil Nadu Fisheries University at Nagapatinam on 21.09.2015, another by the Department of Fisheries, Government of Odisha at Bhubaneswar on 07.02.2016 and the other by the Department of Fisheries, Government of West Bengal at Kolkata on 03.03.2016 and guided the stakeholders

on SPF *L. vannamei* farming and on future strategies for sustainable aquaculture by following CAA Guidelines for the benefit of the sector in these States.

- Conducted Hindi Week and a three day Hindi Seminar for the promotion of official language in CAA which were attended by the officers and staff.
- Data base in CAA website www.caa.gov.in was uploaded through National Informatics Centre, Chennai which is updated periodically with new and latest information. Information on registration of antibiotic-free aquaculture inputs including application form, terms & conditions of the registration, list of products registered and related notifications, *etc.*, were also added in user-friendly downloadable format.
- A proposal submitted during October 2014 to set up Regional Centers of CAA to cover the aquaculture activities in the entire area of coastal States in the country and also to strengthen the Headquarters at Chennai, Tamil Nadu submitted to the Central Government was followed up by resubmitting the same in the required format for the Committee on Non- Plan Expenditure.

III. Activities and Achievements

A. Meetings of the Authority and Committees constituted by the Authority

During the current year, *i.e.*, from April 2015 to March 2016, the CAA conducted its regular Authority meetings, in addition to other meetings for specific purposes.

1. Meetings of the Authority

- During the year, six regular meetings of the Authority were convened, the details of the meetings and important decisions taken are summarized in **Table 1**. Besides approving the applications for registration, the Authority discussed many vital issues such as issue of show cause notices/ closure orders to the permitted hatcheries/ farms violating the Guidelines of CAA, action against social problems raised due to aquaculture activities, action against unregistered hatcheries, review of the registration process of hatcheries, monitoring of wastewater discharged from farms and hatcheries, *etc.*



Authority meetings in progress



Authority meetings in progress

Table 1 : Meetings of the Coastal Aquaculture Authority (April 2015 - March 2016)

Meetings	Date and Venue	Important decisions taken in the meeting
Fifty Second Meeting	29 th April 2015, Chennai	• Approved the registration of 77 shrimp farms. • Approved the renewal registration of 69 shrimp farms. • Resolved to permit 42 shrimp farms (WSA 45.15 ha) to culture SPF <i>L. vannamei</i>. • Granted ex-post facto approval for 12 hatcheries for registration and issue of LoP.

Meetings	Date and Venue	Important decisions taken in the meeting
Fifty Second Meeting	29 th April 2015, Chennai	- Revoked the closure orders issued to the six unregistered hatcheries in Nellore and Prakasam Districts of Andhra Pradesh under intimation to the District Collectors concerned. - After the site inspection conducted by CAA team on complaints received from villagers of Marakkanam area regarding operation of unauthorized shrimp farms resolved to send the report to the Villupuram District Collector with a request to close down the unauthorized farms in this area. - Shifting of CAA office to new premises was noted by the Authority.
Fifty Third Meeting	24 th June 2015, Chennai	- Approved the registration of 94 shrimp farms. - Approved the renewal registration of 28 shrimp farms. - Granted ex-post facto approval for the 19 hatcheries for registration and issue of LoP. - Permission granted to one shrimp farm (WSA 3.85 ha) to culture SPF <i>L. vannamei</i>. - Approved the single application system for the new farms for registration, proposed under 'online registration' system in consultation with NIC. - Resolved to issue a warning letter to one hatchery in Tamil Nadu for not utilizing ETS of their hatchery during seed production. - Authority agreed with the proposal for setting up of Nauplii Rearing Centre (NRC) under specific conditions. - Approved the Annual Accounts of CAA for the year 2014-15 for CA & G auditing. - Approved the opening of five new bank accounts for Coastal Aquaculture Authority in the nearby locality of new premises of the office. - Resolved to fix the fee for registration and renewal of hatcheries at Rs. 10,000/- (Rupees ten thousand only) and also the fee for issuance of LoP is increased to Rs.10,000/- (Rupees ten thousand only)

Meetings	Date and Venue	Important decisions taken in the meeting
Fifty Fourth Meeting	26 th August 2015, Chennai	• Approved the registration of 443 Shrimp farms • Approved the renewal registration of 150 shrimp farms • Granted ex-post -fact approval for the 18 hatcheries for registration and issue of LoP. • Granted permission to 11 shrimp farms (WSA 31.60 ha) to culture SPF <i>L. vannamei</i>. • Resolved to issue Renewal Certificate to the farm/farmers, inscribing the registration number. • Recommendation of the Technical Evaluation Committee for shortlisting suppliers of SPF <i>L. vannamei</i> broodstock to Indian hatcheries to include two more new suppliers (one from Mexico and the other from USA) in the list based on personal presentation made by the companies on 10th July 2015 was noted and approved. • Approved the Annual Report of CAA for the year 2014-15. • Approved the application for renewal of registration of the farm submitted by the Central Institute of Fisheries Education (CIFE), Kakinada, Andhra Pradesh under the guidelines for Government Research Institute. • Approved the Public Notice indicating the need for registering the aquaculture inputs used in coastal aquaculture like feed, feed additives, probiotics, chemicals, drugs, <i>etc.</i>, by the manufacturers and distributors with a fee of Rs. 10,000/- for registration of each product.
Fifty Fifth Meeting	30 th October 2015, Chennai	• Approved the registration of 292 shrimp farms. • Approved the renewal registration of 107 shrimp farms. • Granted ex-post facto approval for the 6 hatcheries for registration and issue of LoP. • Permission granted to 17 shrimp farms (WSA 106.46 ha) to culture SPF <i>L. vannamei</i>. • Approved a finfish hatchery proposed at Konapapeta Village, East Godavari District, Andhra Pradesh for production of fingerlings. • Approved the registration of RGCA's proposed Artemia Demonstration farm for cyst and biomass production at Uppoor Village, Tiruvadani Taluk, Ramanathapuram District, Tamil Nadu under the guidelines for Government Research Institute.

Meetings	Date and Venue	Important decisions taken in the meeting
Fifty Fifth Meeting	30 th October 2015, Chennai	• Approved the proposal of the Registrar, Kerala University of Fisheries and Ocean Studies (KUFOS), Panangad, Cochin for registration of their hatchery under the guidelines for Government Research Institute and for permission to import SPF <i>L. vannamei</i> broodstock for seed production. • Approved the proposal of Director of Research, Navsari Agricultural University, Navsari, Gujarat for registration of their farm and also for undertaking culture of SPF <i>L. vannamei</i> under a collaborative project with CIBA. • Approved the Public Notice for permitting officials of all Statutory Authorities to enter into farms and hatcheries approved by CAA to perform their statutory functions. • Decided that a representative from CIBA may be included for inspection of <i>L. vannamei</i> hatcheries and farms. It was also decided that the same committee may inspect Finfish hatcheries as well. • Resolved that CAA may enter into an agreement with Seafood Exporters Association of India (SEAI) for undertaking testing/ analysis of samples of aquaculture inputs collected from field without any specific financial commitment.
Fifty Sixth Meeting	21 st December 2015, Chennai	• Approved the registration of 11 shrimp farms. • Approved the renewal registration of 81shrimp farms. • Granted ex-post facto approval for the 8 hatcheries for registration and issue of LoP. • Permission granted to 09 farms (WSA 57.60 ha) to culture SPF <i>L. vannamei</i>. • Granted ex-post facto approval for registration of one Nauplii Rearing Centre for SPF <i>L. vannamei</i> seed production.

Meetings	Date and Venue	Important decisions taken in the meeting
Fifty Sixth Meeting	21 st December 2015, Chennai	- Resolved to issue Registration Certificates immediately on receipt of the recommendations from DLCs/SLCs to avoid delay and place them before the Authority for ratification in the subsequent meeting. Such of the cases, where there are complications / lack of clarifications, these may be put up to the Authority first and registration certificates in respect of them may be issued after the approval by the Authority. - Approved the draft reply to the comments made in the Separate Audit Report for the year 2014-15. - Noted the Amendment to Guidelines at Annexure-I of CAA Rules, 2005 regarding registration of all shrimp hatcheries (including <i>P. monodon</i>) in the coastal areas by the CAA. - Approved to dispense with the issue of LoP every year to hatcheries towards single window system and the DAHD&F may issue SIP as per the recommended capacity of each hatchery as indicated in the Registration Certificate. The entire fee for the 5 year period of registration may be collected at the time of registration along with corresponding bank guarantee.
Fifty Seventh Meeting	17 th February 2016 Chennai	- Approved the ex-post facto approval for the registration of 582 shrimp farms (518 for <i>P. monodon</i> & 64 for SPF <i>L. vannamei</i>). - Approved the ex-post facto approval for the renewal registration of 201 shrimp farms. - Granted ex-post facto approval for the 13 hatcheries for registration and issue of LoP. - Granted ex-post facto approval to 9 farms (WSA 45.42 ha) to culture SPF <i>L. vannamei</i>. - Granted ex-post facto approval for registration of one Nauplii Rearing Centre for SPF <i>L. vannamei</i> seed production. - Approved draft public notice for granting recognition/ approval of CAA for disease diagnostic laboratories (PCR Labs) to obtain recognition for shrimp seed testing.

2. Meetings of the Committees Constituted by the Authority

(i) Brain Storming Session on Setting up of NRCs, PCR labs in hatcheries and Need for Identifying efficient Disease diagnostic laboratories

It was decided by the Coastal Aquaculture Authority in its 51st Meeting held on 4th March 2015, that the issue relating to setting up of Nauplii Rearing Centre (NRC) may be studied in detail through a brainstorming session and also desired to examine the functioning of disease diagnostic laboratories in hatcheries for seed testing before considering further course of action on these issues. Accordingly, a brain storming session was organized by the CAA on 15th April 2015 in Chennai. The meeting chaired by the Member Secretary, CAA was attended by representatives from AISHA, SAP, MPEDA and CIBA besides the officials of CAA.

The Committee agreed on the need to permit seed production units without importation and maturation system. However, such hatcheries without maturation system should be linked to the registered hatcheries with maturation system for seed supply. It was further discussed that such hatcheries as well as the proposed nauplii rearing centres would not be allowed any broodstock quota in future and they should not be in possession of any broodstock in their facility at any time which, if found, would be destroyed and action taken against the operators.

Regarding the effective use of PCR laboratories, it was generally observed that most of the hatcheries do not have any qualified technician to handle the equipment. Though the broodstock is SPF and the disease status is already screened at the quarantine, testing the seed is necessary due to prevalence of indigenous viruses like WSSV and IHNV in the local conditions and their chances to find their way through feed and also breeding where group spawning is practiced. So seed testing was insisted to eliminate spread of diseases that may enter the system through the said sources as well as through use of pond reared broodstock. It was felt that ring tests are to be done as test reports by other methods cannot be relied. Also, improving the monitoring mechanism on the functioning of laboratories and the need for identification and designation of some laboratories for carrying out the



Discussion on setting up of NRCs and effectiveness of PCR laboratories in hatcheries in progress

required tests for this purpose was emphasized through comprehensive capacity building programmes in consultation with the concerned organizations.



Discussion on setting up of NRCs and effectiveness of PCR laboratories in hatcheries in progress

(i) Meeting on the Technical Committee on Monitoring of Aquatic Quarantine Facility

The Technical Committee constituted by the CAA to oversee and monitor the functioning of the Aquatic Quarantine Facility (AQF) established at Neelankarai meets regularly to sort out technical or operational issues faced and to facilitate the smooth operation of the AQF. During the current year, the Technical Committee met four times, the details of the meetings and important decisions taken are summarized in Table 2.

Table 2 Meetings of the Technical Committee on Monitoring of AQF during the year

Meetings	Date and Venue	Important decisions taken in the meeting
Eight Meeting	5 th June 2015, CAA	- Proposal for Enhancement of the capacity of quarantine cubicles from the present capacity of 2,70,000 broodstocks to 4,12,500 broodstocks in a year was agreed to start with in about six cubicles that could be expanded in phases after the completion of test run. - A decision on inclusion of AHPND and EMP in the list of screening of pathogens at AQF may be taken by the Technical Committee after examining the experimental results from CIBA. - It was indicated that issuing LoP for a period of five years is not feasible as it is not in tune with the existing guidelines for import of <i>L. vannamei</i> broodstock. However, revising the validity of SIP for a period of one year is under consideration of the DAHD&F.

Meetings	Date and Venue	Important decisions taken in the meeting
Ninth Meeting	3 rd November 2015, CAA	- The issue regarding inclusion of three additional pathogens reported to be occurring in shrimp farms of certain pockets in the list of pathogens of shrimps to be screened at the AQF was discussed and it was decided to be keep it pending till the standardization of a fool proof system for screening of these pathogens following internationally accepted protocols and standards. - Even though the foreign suppliers have expressed their willingness to test the broodstock for additional pathogens, they desired to have appropriate/reliable diagnostic methods to delete the pathogens, as these pathogens are not reported in their regions. Hence it was decided to continue the studies and investigations till a 100% agreement on the major issues on the pathogens is arrived. - CIBA was requested to prepare an advisory for hatchery operators for preventing and controlling EHP transmission from broodstock to larvae.
Tenth Meeting	15 th December 2015, CAA	- Contingency measures to retrieve the situation on rebooking of space at the AQF due to cancellation of earlier bookings sequel to the unprecedented floods in Chennai during November-December 2015 were worked out. - Decided that the Chairman of Technical Committee in consultation with the AQF staff may permit shifting of stock from AQF to some other hatchery during extraordinary conditions / real emergency situations, but the hatchery concerned to accept the stock should not have any broodstock in their facility to avoid contamination of the stock. - It was informed by AQF staff that from April 2016 onwards, all the 20 cubicles in AQF would enhance their stocking capacity to 600 broodstocks and requested that the required amendment to the SOP for the enhanced stocking of broodstock should be taken up with the Ministry.

Meetings	Date and Venue	Important decisions taken in the meeting
Tenth Meeting	15 th December 2015, CAA	The position on non-supply of broodstock by the shortlisted overseas suppliers may be reviewed and put up to the Committee meant for shortlisting of overseas suppliers so that those who have not supplied any broodstock so far or those who do not fulfill the current requirements relating to disease surveillance, <i>etc.</i>, could be removed from the list.
11 th Meeting	11 th March 2016, CAA	- AISHA requested that there should not be any change in the existing user charges for quarantine cubicle till the issue is reconsidered. The required amendment to the SOP for enhancing the cubicle capacity to 25 KG with additional supporting infrastructure is being carried out by the DAHD&F. - Till OIE diagnostic manual for EMS comes out, both AP3 and AP4 primers may be used for screening EMS. Required amendment to the quarantine notification has to be followed up with DAHD&F as the suppliers could be informed only after the release of the amendment. - Inclusion of EHP in the screening list could be decided on testing of this pathogen out of the samples of imported broodstock from every consignment by CIBA and RGCA to harmonize the testing protocols.



Meetings of the Technical Committee on Monitoring of AQF in Progress



Meetings of the Technical Committee on Monitoring of AQF in Progress

iii. Meeting of Committee to short-list Overseas suppliers of SPF *L. vannamei* broodstock

The meeting of the Committee took place at CAA on 10th July 2015. Out of four suppliers expressed their interest to supply SPF *L. vannamei* broodstock to India, two companies viz. M/s. Blue Genetics, Mexico and M/s. Sea Products Development-Global Blue Technologies, USA were recommended by the Technical Evaluation Committee for inclusion in the list based on assessment of the genetic base and disease status of the broodstocks during their personal presentations.



Personal presentations of the broodstock suppliers are in progress

iv. Committee Constituted by the Ministry

The Ministry of Agriculture and Farmers Welfare (DAHD&F) constituted a Committee in March 2016 under the chairmanship of Member Secretary, CAA for the scientific review/ assessment of *L. vannamei* hatcheries and to workout effective measures for improving the functioning of DLCs. The issues stipulated in the terms and conditions of the Committee are:

- Review of the production performance of *L. vannamei* hatcheries vis-à-vis their declared capacity, and the import of brood stock in tune with future requirement of seeds for the farming area under *L. vannamei* cultivation.
- Examining other details as may be required to justify a cap/restriction on the number of *L. vannamei* hatcheries to be permitted based on their annual capacity and also the issue relating to setting up of hatcheries in the areas outside the jurisdiction of CAA.
- To evolve effective measures to improve the functioning of DLCs/ change their constitution for faster processing of registration of shrimp farms.

III. B. Registration / Renewal of Coastal Aqua Farms

1. Registration of Shrimp Farms

One of the major tasks accomplished by the CAA was the registration of shrimp farms on the basis of the recommendations of the State and District Level Committees constituted for this purpose.

- The Authority considered the applications recommended by the District and State Level Committees for registration of shrimp farms in its meetings held regularly once in two months and has approved and issued 29,974 registration certificates to shrimp farmers till March 2016 (since inception of the CAA).
- A statement showing the total number of certificates of registration issued by the Authority in all the 12 Maritime States is given in the **Table 3** and their State-wise and area-wise distribution in terms of number of farms is depicted in Figures 1 and 2.

The details of registered farms are also made available to the end users in the Authority's website www.caa.gov.in, which is being updated periodically.

Table 3 Details of Registration Certificates issued by CAA from 1st to 57th Meeting (December 2005-March 2016)

Sl. No.	Name of States	No. of Farms under Total Area (ha)						Area of Farm	
		0 - 2.00	2.01 - 5.00	5.01 - 10.00	10.01 - 40.00	above 40.01	Total	TFA (ha)	WSA (ha)
1	West Bengal	2,248	165	6	0	0	2,419	2,638	1,776
2	Odisha	6,141	424	30	17	0	6,612	8,611	5,483
3	Andhra Pradesh	15,373	1,059	128	60	9	16,629	24,337	17,213
4	Tamil Nadu	930	631	131	19	1	1,712	5,026	3,470
5	Puducherry	33	1	0	0	0	34	60	45
6	Kerala	943	215	18	5	1	1,182	2,423	1,635
7	Karnataka	258	42	2	2	0	304	419	320
8	Goa	22	15	2	2	0	41	138	97
9	Maharashtra	93	123	25	18	6	265	2,075	1,305
10	Gujarat	146	603	8	1	2	760	3,450	2,461
11	Daman & Diu	0	12	0	0	0	12	60	38
12	A & N Islands	3	1	0	0	0	4	22	5
	Total	26,126	3,347	351	131	19	29,974	49,259	33,848

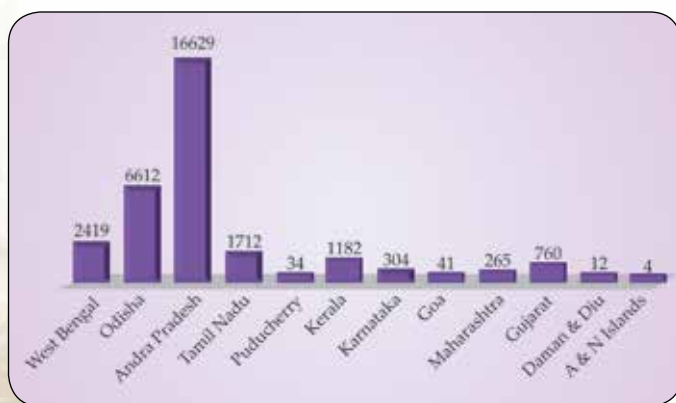


Figure 1 Registration of number farms (State-wise) in all coastal states from December 2005 to March 2016

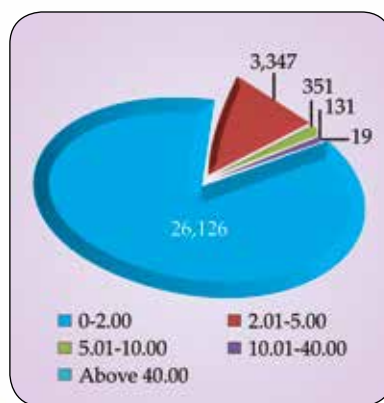


Figure 2 Registration of number of farms (area-wise) in all coastal states from December 2005 to March 2016

- During the year under report (April 2015 to March 2016), the Authority has considered and approved 1,501 applications and the registration certificates were issued and dispatched directly to the farmers. Those certificates returned undelivered were sent to the Member Conveners of the SLCs of the States as resolved in the 27th meeting of the Authority.

- A statement showing the total number of farms registered with the Authority during April, 2015 to March, 2016 in the 12 Maritime States and UTs is given in the **Table 4**. Charts showing the details of shrimp farms registered with the Authority (State-wise and area-wise) are depicted in Figures 3 and 4.

Table 4 : Details of Registration Certificate issued by CAA during the Current Year (April 2015-March 2016)

Sl. No	Name of States	No. of Farms under Total Area (ha)						Area of Farm	
		0 - 2.00	2.01 - 5.00	5.01 - 10.00	10.01 - 40.00	above 40.01	Total Farms	TFA (ha)	WSA (ha)
1	West Bengal	272	28	0	0	0	300	294	201
2	Odisha	521	30	1	4	0	556	719	443
3	Andhra Pradesh	344	14	7	15	0	380	783	543
4	Tamil Nadu	23	0	1	0	0	24	49	32
5	Puducherry	4	0	0	0	0	4	5	4
6	Kerala	169	50	3	1	1	224	604	405
7	Karnataka	0	0	1	0	0	1	11	5
8	Goa	1	0	0	0	0	1	2	1
9	Maharashtra	2	2	1	0	0	5	22	16
10	Gujarat	6	0	0	0	0	6	14	10
11	Daman & Diu	0	0	0	0	0	0	0	0
12	A & N Islands	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	1,342	124	14	20	1	1,501	2,503	1,660



Figure 3 Registration of number of farms (State-wise) in all coastal states during the year 2015-16

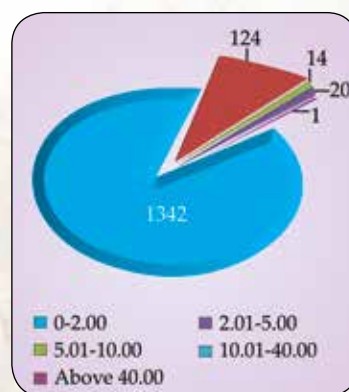


Figure 4 Registration of number of farms (area-wise) in all coastal states during the year 2015-16

- The total area of the farms registered (29,974 numbers) up to March 2016 was 49,259 ha and the water spread area was 33,848 ha and the total and WSA for the farms registered during the current year (1,501 numbers) were 2,503 ha and 1,660 ha, respectively as presented in **Tables 3 and 4** are depicted in Figures 5 and 6.

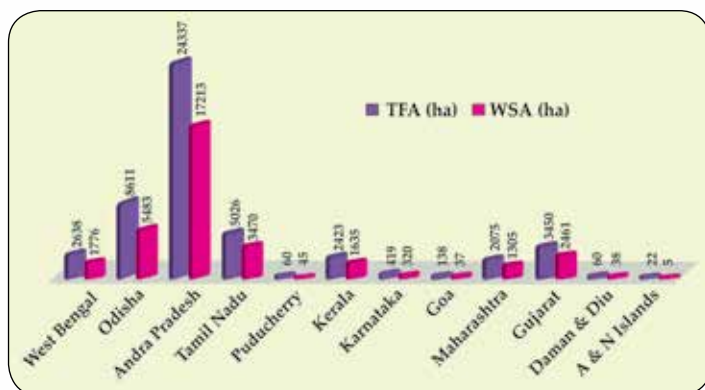


Figure 5 Total and WSA of the farms registered (State-wise) from December 2005 to March 2016

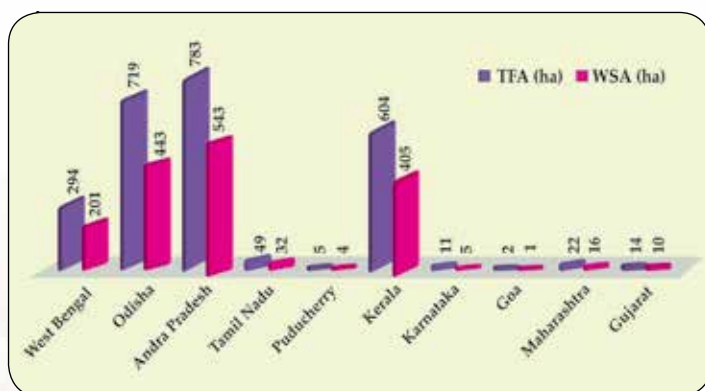


Figure 6 Total and WSA of the farms registered (State-wise) during the year 2015-16

2. Renewal of Registrations of Shrimp Farms

Renewal of registration of coastal aquafarms with the Authority is mandatory after expiry of the period of approval. Renewal of registrations after expiry of 5 years period started during September-2012 and 1,920 farms with a total area of 4,721 ha (WSA 3,252 ha) were approved for renewal of registration till March 2016.

- During the year, all the 637 applications of farmers received for renewal of registration with a total area of 1,860 ha (WSA 1,140 ha) were considered by the Authority; renewed and endorsement to that effect has been made in the original Registration Certificates.
- A statement showing the registration of total number of farms renewed with the Authority from September-2012 to March 2016 in the 12 Maritime States and UTs is given in **Table 5** and the State-wise and area-wise details of renewal of registration

during the period is depicted in Figures 7 and 8. The State-wise details of renewed farms during the current year (April 2015 to March 2016) are presented in **Table 6** and the State-wise and area-wise details of renewal of registration in terms of number of farms during the current year are depicted in Figures 9 and 10.

Table 5: Details of Renewal of Registration Certificate issued by CAA during September 2012 – March 2016

Sl. No.	Name of States	No. of farms WSA (ha)					Total	TFA (ha)	WSA (ha)
		0 – 2.00	2.01 – 5.00	5.01 – 10.00	10.01 – 40.00	Above 40.01			
1	West Bengal	7	0	0	0	0	7	6	4
2	Odisha	573	34	2	6	1	616	1,072	628
3	Andhra Pradesh	692	22	2	6	3	725	1,900	1,349
4	Tamil Nadu	311	15	0	0	0	326	802	601
5	Puducherry	2	0	0	0	0	2	4	3
6	Kerala	45	6	0	0	0	51	87	62
7	Karnataka	21	6	1	0	0	28	54	44
8	Goa	11	6	1	0	0	18	51	38
9	Maharashtra	58	7	7	0	0	72	297	211
10	Gujarat	5	60	0	0	1	66	403	283
11	Daman & Diu	0	9	0	0	0	9	45	29
12	A & N Islands	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	1,725	165	13	12	5	1,920	4,721	3,252

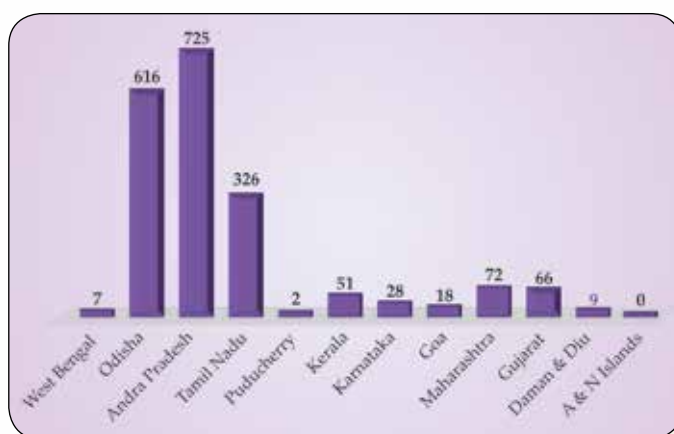


Figure 7 Renewal of number of Registration of farms (State-wise) in all coastal States during September 2012 to March 2016

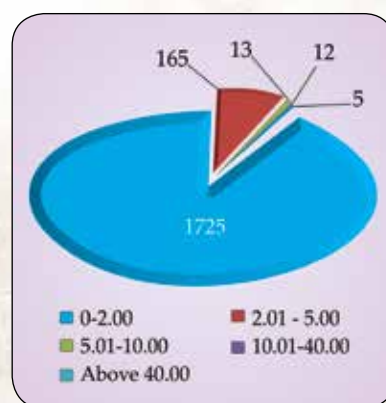


Figure 8 Renewal of number of Registration of farms (area-wise) in all coastal States during the year 2015-16

**Table 6: Details of Renewal of Registration Certificate issued by CAA
During April 2015-March 2016**

Sl. No.	Name of States	No. of farms / WSA (ha)					Total	TFA (ha)	WSA (ha)
		0-2.00	2.01-5.00	5.01-10.00	10.01-40.00	Above 40.01			
1	West Bengal	5	0	0	0	0	5	5	4
2	Odisha	367	32	2	6	1	408	777	437
3	Andhra Pradesh	87	20	2	6	3	118	747	460
4	Tamil Nadu	22	3	0	0	0	25	42	35
5	Puducherry	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kerala	25	6	0	0	0	31	57	40
7	Karnataka	5	0	1	0	0	6	11	8
8	Goa	1	6	1	0	0	8	29	22
9	Maharashtra	30	0	5	0	0	35	190	133
10	Gujarat	1	0	0	0	0	1	2	1
11	Daman & Diu	0	0	0	0	0	0	0	0
12	A & N Islands	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	543	67	11	12	4	637	1,860	1,140

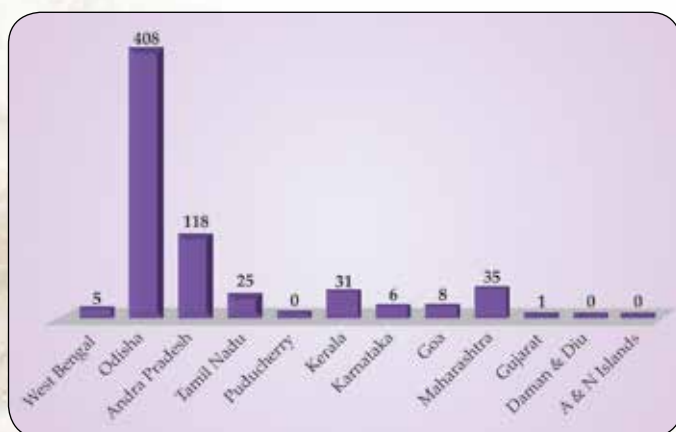


Figure 9 Renewal of number of Registration of farms (State-wise) in all coastal States during the year 2015-16

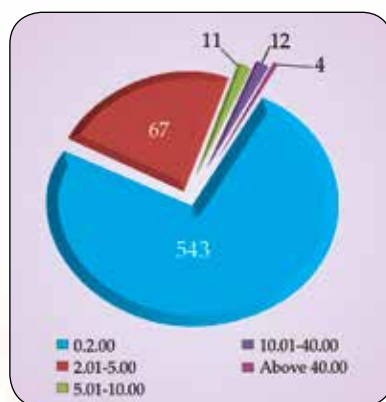
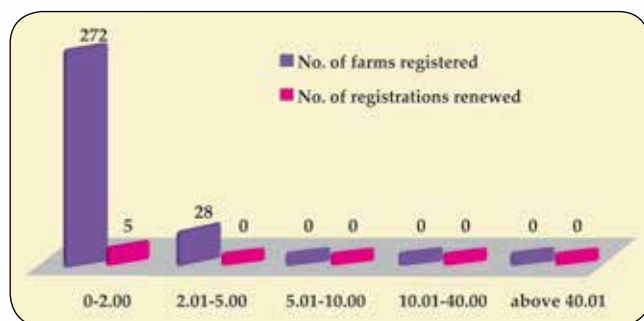


Figure 10 Renewal of number of Registration of farms (area-wise) in all coastal States during the year 2015-16

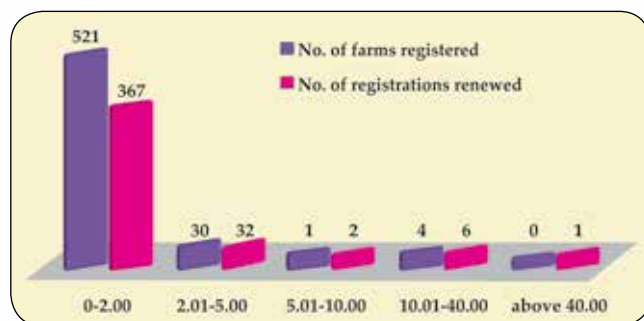
- Out of the 12 maritime States and UTs, both the registration and renewal of registration of shrimp farms during the year was carried out in 10 coastal States (West Bengal, Odisha, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Puducherry, Kerala, Karnataka, Goa, Maharashtra and Gujarat), their area-wise break up are depicted in charts given as Figures 11 to 20 below:

West Bengal



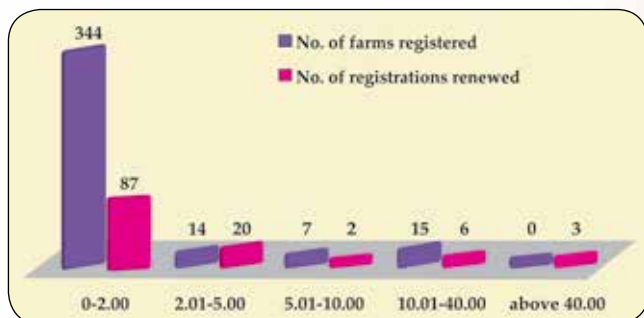
Area (ha)	No. of Farms Registered	No. of Registrations Renewed
0 - 2.00	272	5
2.01-5.00	28	0
5.0-10.00	0	0
10.01- 40.00	0	0
above 40.01	0	0

Odisha



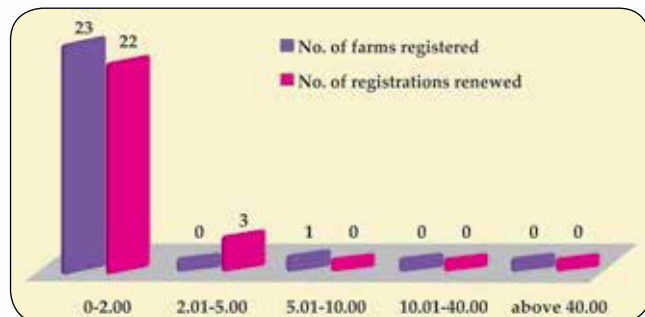
Area (ha)	No. of Farms Registered	No. of Registrations Renewed
0 - 2.00	521	367
2.01-5.00	30	32
5.0-10.00	1	2
10.01- 40.00	4	6
above 40.01	0	1

Andhra Pradesh



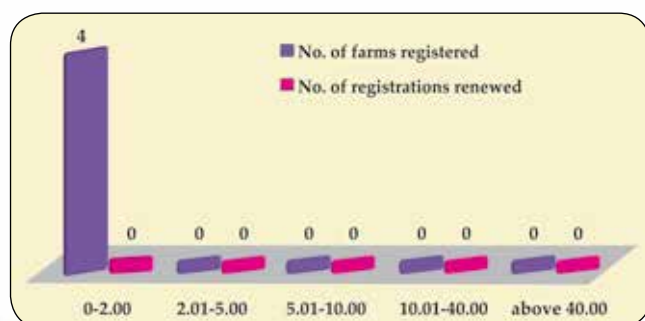
Area (ha)	No. of Farms Registered	No. of Registrations Renewed
0 - 2.00	344	87
2.01-5.00	14	20
5.0-10.00	7	2
10.01- 40.00	15	6
above 40.01	0	3

Tamil Nadu



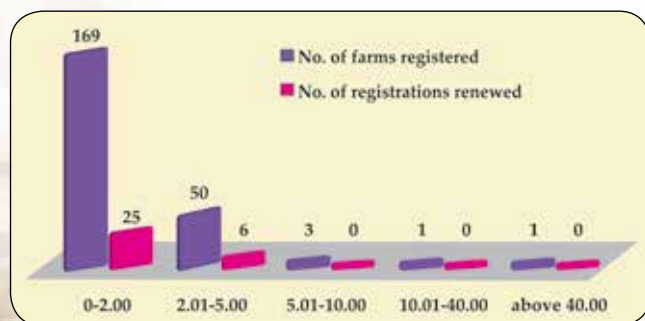
Area (ha)	No. of Farms Registered	No. of Registrations Renewed
0 - 2.00	23	22
2.01-5.00	0	3
5.0-10.00	1	0
10.01- 40.00	0	0
above 40.01	0	0

Puducherry



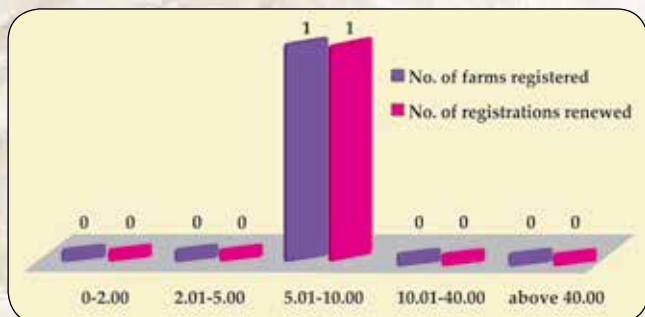
Area (ha)	No. of Farms Registered	No. of Registrations Renewed
0 - 2.00	4	0
2.01-5.00	0	0
5.0-10.00	0	0
10.01- 40.00	0	0
above 40.01	0	0

Kerala



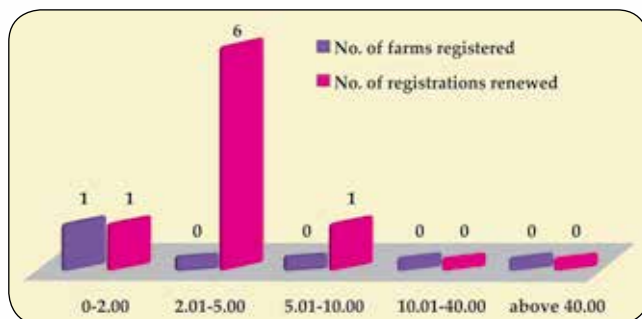
Area (ha)	No. of Farms Registered	No. of Registrations Renewed
0 - 2.00	169	25
2.01-5.00	50	6
5.0-10.00	3	0
10.01- 40.00	1	0
above 40.01	1	0

Karnataka



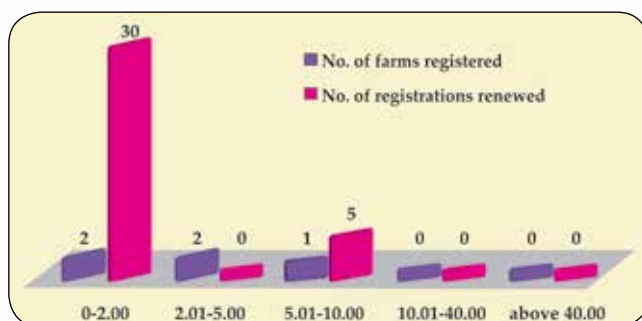
Area (ha)	No. of Farms Registered	No. of Registrations Renewed
0 - 2.00	0	5
2.01-5.00	0	0
5.0-10.00	1	1
10.01- 40.00	0	0
above 40.01	0	0

Goa



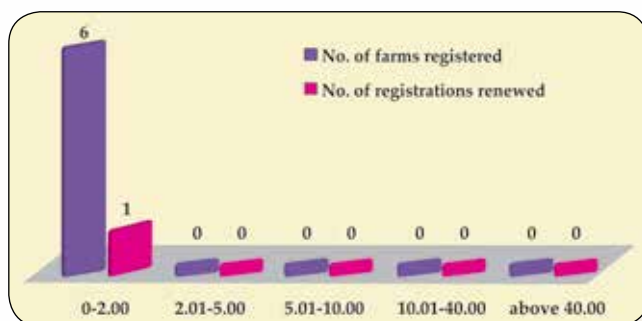
Area (ha)	No. of Farms Registered	No. of Registrations Renewed
0 - 2.00	1	1
2.01-5.00	0	6
5.0-10.00	0	1
10.01- 40.00	0	0
above 40.01	0	0

Maharashtra



Area (ha)	No. of Farms Registered	No. of Registrations Renewed
0 - 2.00	2	30
2.01-5.00	2	0
5.0-10.00	1	5
10.01- 40.00	0	0
above 40.01	0	0

Gujarat



Area (ha)	No. of Farms Registered	No. of Registrations Renewed
0 - 2.00	6	1
2.01-5.00	0	0
5.0-10.00	0	0
10.01- 40.00	0	0
above 40.01	0	0

3. Efforts put up by CAA to promote Registration/ Renewal of Aquafarms

- For expediting the process of registration, letters were sent to District Collectors and Secretaries of Fisheries of various coastal States.
- Farmers have been advised through public notices in leading newspapers, CAA website as well as through SLCs / DLCs on the need for farm registration/ renewal of coastal aquaculture farms with CAA and the consequences to be faced if not registered.

- Awareness on registration/ renewal of farms for undertaking farming of shrimp (*P. monodon*, SPF *L. vannamei*), finfishes, crabs, etc., are created by CAA through awareness programmes conducted in coastal States and through sensitizing the farmers by CAA monitoring team during their field visits.
- Organizing workshops/ participation in workshops/ awareness programmes and exhibitions connected with coastal aquaculture organized by related Institutes, State Fisheries Department, DLCs by power point presentations as well as by distribution of brochures / handouts prepared in local languages to aquafarmers and related stakeholders illustrating the importance of registration/ renewal of coastal aquaculture farms displayed in posters. Also, farmers are being educated about the provision for punishment/ penalty, if the farms for aquaculture purpose are not registered with CAA.
- Destroy/ disposal of the stock from unapproved farms by the Inspection Team.
- Single application system for registration of new farms by online system in consultation with NIC is in the final stage for introduction.

III. C. SPF *Litopaneus vannamei* Farming

(i) Selection of SPF *L. vannamei* Broodstock Suppliers

CAA carried out the exercise of short listing and selecting the suppliers of SPF *L. vannamei* broodstock, based on the genetic base and disease status, by holding intensive discussions with the prospective suppliers in consultation with other related organizations like CIBA, NFDB and MPEDA. There were ten suppliers existing till 2014-15. In order to meet additional requirements of SPF *L. vannamei* broodstock arisen due to the addition of considerable number of new hatcheries in the country and also to ensure the supply from EMS-free countries, short listing for selecting additional suppliers of SPF *L. vannamei* broodstock was taken up by inviting expression of interest. Out of four suppliers expressed their interest to supply, two companies viz. M/s. Blue Genetics, Mexico and M/s. Sea Products Development-Global Blue Technologies, USA were recommended by the Technical Evaluation Committee for inclusion in the list based on their personal presentations at CAA on 10.07.2015 and the same was approved by the Authority in its 54th meeting held on 26.08.2015. Altogether, twelve suppliers as detailed below have been approved for the supply of broodstock of SPF *L. vannamei* till March 2016:

1. M/s. Oceanic Institute, Hawaii
2. M/s. Kona Bay Marine Resources, Hawaii
3. M/s. Shrimp Improvement Systems, Florida
4. M/s. SyAqua, Thailand
5. M/s. Vannamei 101 Co. Ltd., (with joint venture), Thailand
6. M/s. Charoen Pokphand Foods Public Co. Ltd., Thailand

7. M/s. Shrimp Improvement Systems Pte. Ltd., Singapore
8. M/s. Shrimp Improvement Systems Pte. Ltd. Hawaii.
9. M/s. High Health Aquaculture Inc., Hawaii
10. M/s. P T Bibit Unggul (Global Gen), Indonesia
11. M/s. Blue Genetics, Mexico
12. M/s. Sea Products Development-Global Blue Technologies, USA

The details of the said two suppliers included in the list during the year was hosted in CAA website on 17.07.2015 and the DAHD&F have been informed for issuing SIP for import of SPF *L. vannamei* broodstock from these sources also.

Due to the prevalence of EMS in South East Asian Countries importers were advised to exercise due caution while importing broodstock from these sources. They were subsequently advised that since OIE (World Animal Health Organization) has officially reported four countries in Asian region (*viz.* China, Malaysia, Thailand and Vietnam) as EMS affected, import of broodstock from other countries which are reported to be free from EMS may be considered subject to furnishing the required certification from exporting countries and on fulfilling pre-border quarantine requirements.

(ii) Import of SPF *L. vannamei* broodstock and Seed production in the year 2015-16

- CAA grants approvals for import of SPF *L. vannamei* broodstock and seed production in biosecured hatcheries and also for farming SPF *L. vannamei* in biosecured farms. CAA also regularly conducts inspection of the hatcheries and farms. Monitoring of hatcheries and farms is carried out to ensure that the quality of wastewater discharged from the ETS conform to the standards prescribed by CAA.
- After scrutinizing all the applications received from the hatchery operators for issuance of new registrations, the Inspection Committee constituted by the CAA inspected the hatcheries to evaluate their facilities and ascertain their suitability. On the basis of the report of the Inspection Committee, 76 new hatcheries (63 in Andhra Pradesh, 11 in Tamil Nadu and 2 in Odisha) were given approval by the Authority (in the 52nd to 57th meetings) for import of broodstock and seed production of SPF *L. vannamei* during 2015-16 and LoPs were issued for all the 76 hatcheries to import broodstock.



External view of biosecured *L. vannamei* hatcheries



Inspection of SPF *L. vannamei* hatcheries

- As per the recommendation of the committee constituted for granting permission to hatcheries, Letters of Permission were renewed for all the 183 hatcheries approved during 2014-15.
- LoPs for the 76 new hatcheries were approved along with approval of hatcheries during the 52nd to 57th meetings of the Authority held during the current year.
- Altogether, Letters of Permission have so far been issued to 259 hatcheries (198 in Andhra Pradesh, 54 in Tamil Nadu, 3 in Gujarat, 3 in Odisha and 1 in Karnataka) with production capacity of 24,209 million post larvae per annum and they were permitted to import 6,05,264 numbers of SPF *L. vannamei* broodstock for the year 2015-2016. The validity of the LoP is up to 31.03.2016. The State-wise details of the approved hatcheries with their production capacity are presented in **Table 7**, their distribution on percentage is depicted in Figure 20 and the district-wise distribution is shown in Figure 21.

Table 7 State-wise distribution of SPF *L. vannamei* hatcheries approved by CAA for the year 2015-16

Sl. No.	State / District	Number of hatcheries permitted	Seed production capacity (million/annum)	Number of broodstock permitted (numbers)
1	Tamil Nadu			
	a) Villupuarm	29	2,560	64,800
	b) Kancheepuram	20	1,385	36,000
	c) Nagapattinam	3	250	6,000
	d) Cuddalore	1	120	3,200
	e) Ramnad	1	50	1,200
	Sub-Total	54	4,365	1,11,200
2	Andhra Pradesh			
	a) Nellore	66	6,435	1,56,864
	b) Prakasam	25	3,195	77,600
	c) Guntur	8	803	20,000
	d) East Godavari	63	5,354	1,37,200
	e) Visakhapatnam	27	2,562	64,400
	f) Vizianagaram	8	810	20,000
	g) Srikakulam	1	140	3,600
	Sub-Total	198	19,299	4,79,664
3	Odisha – Puri and Ganjam	3	350	8,800
4	Gujarat - Junagadh and Valsad	3	135	4,000
5	Karnataka - Uttar Kannada	1	60	1,600
	Total	259	24,209	6,05,264

(iii) Performance of SPF *L. vannamei* Hatcheries during 2015-2016

The performance of SPF *L. vannamei* hatcheries assessed based on the data on import of broodstock and seed production provided by the hatchery owners in their quarterly reports revealed that:

- The total number of broodstock permitted during 2015-16 was 6,05,264 numbers for all the 259 hatcheries with a minimum production potential of 24,209 million SPF seeds. It is estimated from reports received from the hatcheries, that a total of 7,163.06 million seed (Post Larvae) were produced from 1,87,603 numbers of broodstocks (1,69,458 numbers imported besides local purchase of 18,145 broodstocks from RGCA) during the year and supplied to the registered shrimp farmers. The hatcheries have produced about 32,568.14 million nauplii through 2,66,599 spawnings and the average survival rate from nauplii to PL shown in the States is estimated at 35.21 per cent.

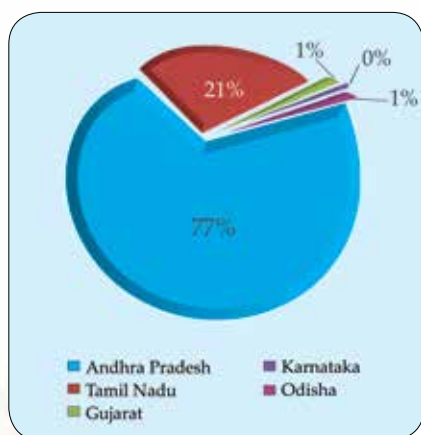


Figure 21 State-wise distribution of *L. vannamei* hatcheries during 2015-16



Figure 22 District-wise distribution of permitted SPF *L. vannamei* hatcheries

- Andhra Pradesh retained the first position in development and registration of SPF *L. vannamei* hatcheries during the current year too with 198 hatcheries and producing 5,421.49 million post larvae and sale of 4,785.41 million seeds which is 72.68% of the seed produced in the country. The production is through 1,43,008 numbers of broodstocks (1,30,948 numbers imported and 12,060 numbers purchased from RGCA) and realizing of 22,318.58 million nauplii through 1,54,326 spawnings. Even though the number of broodstocks imported was much lower than the allotment (29.81%), they could achieve a production of 5,421.49 million post larvae with a better survival rate (24.29%) from nauplii to post larvae comparatively less than the total production capacity of the hatcheries in the State (19,299 million).
- Tamil Nadu retained the second position with 54 numbers of registered *L. vannamei* hatcheries producing 1,673.05 million post larvae and supply of 1,427.53 million

seeds (22.75% of the seed produced in the country). The production is through 41,015 numbers of disease free broodstocks (36,948 numbers imported and 4,065 numbers purchased from RGCA) which is hardly 36.88% of the allotment) during the year. Even though they produced 10,115.06 million nauplii through 1,11,862 spawnings, they could achieve a production of 1,427.53 million post larvae only with a medium survival rate of 16.54% from nauplii to post larvae. The number of seeds produced in the State is much less to the total production capacity of 4,365 million/annum.

- All the three hatcheries in Gujarat obtained 2,180 numbers of broodstocks (760 numbers imported and 1,420 numbers from RGCA) which is 54.5% of the allotment during the year. However, they could produce 43.52 million post larvae from 76.50 million nauplii with a higher survival rate of 56.89% from nauplii to post larvae, may be due to the operation of these hatcheries mainly by transportation of nauplii from neighbor States.
- All the three hatcheries in Odisha acquired 1,400 numbers of broodstocks (800 numbers imported and 600 numbers from RGCA), much lower than the allotted numbers of 8,800 (15.91%) during the year. They reported production of 58 million nauplii and 25 million post larvae with a higher survival rate of 43.1% from nauplii to post larvae.
- The single *L. vannamei* hatchery registered in Karnataka got allotment of 1,600 numbers of broodstocks based on its production capacity of 60 million/annum.

The performance of SPF *L. vannamei* seed production based on the data provided by the hatchery owners through their quarterly reports is presented in **Table 8**.

Table 8 Performance of SPF *L. vannamei* Hatcheries during 2015-2016 (State-wise)

Sl. No.	State	No. of Hatcheries permitted	Production Capacity (Million)	No. of Brood stocks Permitted	Performance Indicators					
					No. of Broodstocks (Imported & from RGCA)	Total No. of Spawning	Total No. of Nauplii Produced (Million)	Total No. of PL Produced (Million)	Average Survival rate from Nauplii to PL (%)	Total No. of Seeds (PL) Sold (Million)
1	Tamil Nadu	54	4,365	1,11,200	41,015	1,11,862	10,115.06	1,673.05	16.54	1,427.53
2	Andhra Pradesh	198	19,299	4,79,664	1,43,008	1,54,326	22,318.58	5,421.49	24.29	4,785.41
3	Gujarat	3	135	4,000	2,180	411	76.50	43.52	56.89	37.17
4	Odisha	3	350	8,800	1,400	-	58.00	25.00	43.10	25.00
5	Karnataka	1	60	1,600	-	-	-	-	-	-
	Total	259	24,209	6,05,264	1,87,603	2,66,599	32,568.14	7,163.06	35.21	6,275.11



Biosecurity in *L. vannamei* hatchery-Compound wall and tyre wash



Shower room and foot & hand wash in biosecured *L. vannamei* hatcheries



Water treatment and filtration systems in biosecured *L. vannamei* hatcheries



Water treatment and filtration systems in biosecured *L. vannamei* hatcheries



Interior view of biosecured *L. vannamei* hatcheries



Separate implements in biosecured *L. vannamei* hatcheries



Maturation section in biosecured *L. vannamei* hatcheries



Indoor algal culture in a biosecured *L. vannamei* hatchery



Artemia section in biosecured *L. vannamei* hatcheries



Laboratories in biosecured *L. vannamei* hatcheries



Laboratories in biosecured *L. vannamei* hatcheries



Outdoor algal tanks in biosecured *L. vannamei* hatcheries



Early post larvae and post larvae of SPF *L. vannamei* produced



Biosecurity-ETS in biosecured *L. vannamei* hatcheries

iv. Growth of SPF *L. vannamei* Hatcheries in India

Remarkable growth in *L. vannamei* hatcheries was achieved in India within a short span of seven years. The number of *L. vannamei* hatcheries have grown steadily with 9 from the commencement of the programme (July 2009) and reached a level of 259 during March 2016, with a production capacity of 24,209 million seeds/annum.

Seed production has also increased considerably from 310.69 million during 2009-10 to 7,552 million (estimated) during 2015-16 by the approved hatcheries. The State of Andhra Pradesh contributed considerably to the fast growth starting with 6 hatcheries during 2008-09 to 198 during 2015-16 followed by Tamil Nadu with 3 during 2008-09 to 54 in 2015-16. While the number of hatcheries in Gujarat increased from 1 in 2009-10 to 3 during 2014-15, no hatcheries were added in Gujarat and Karnataka during the year. However, the number of hatcheries in Odisha increased from 2 during 2014-15 to 3 during the year.

The growth of SPF *L. vannamei* hatcheries approved by CAA since inception (July 2009) up to 57th meeting (March 2016) in the country is presented in **Table 9** and the State-wise growth in hatcheries and seed production during the period is depicted in Figures 23 and 24.

Table 9 Growth of CAA approved *L. vannamei* hatcheries in India Since inception (July 2009) up to 57th meeting (March 2016)

Year	No. of Hatcheries Permitted	Production Capacity (million Pl)	No. of Broodstock		Seed (Pl) Produced (million)
			Permitted (pairs)	Imported (pairs)	
2008-09	9	-	-	-	-
2009-10	24	615	15,300	12,367	310.69
2010-11	21	1,329	16,100	10,733	1,328.88
2011-12	74	5,608	48,720	18,980	2,465.06
2012-13	105	8,295	66,360	64,580	8,000.00
2013-14	117	8,776	70,208	52,818	5,044.75
2014-15	183	13,928	1,65,156	99,899	13,442.05
2015-16	259	24,209	3,02,632	93,802*	7,163.06

* Broodstocks in number 1,87,603 (1,69,458 imported and 18,145 purchased from RGCA) given in pairs

Figure 23 Growth of *L. vannamei* hatcheries and seed production in the country

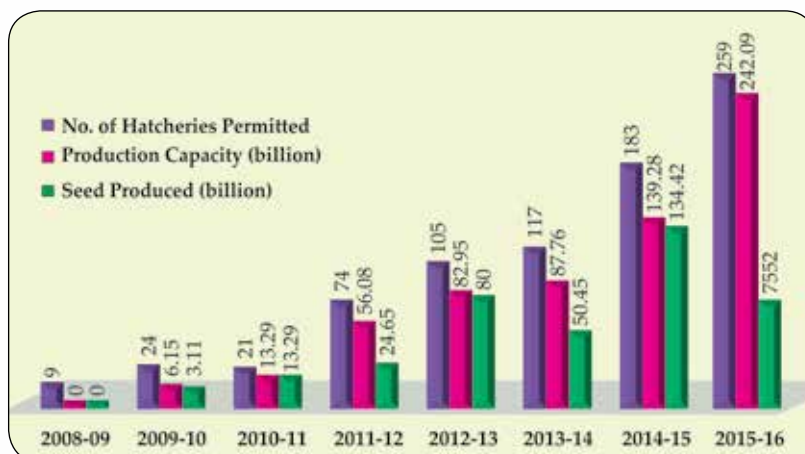
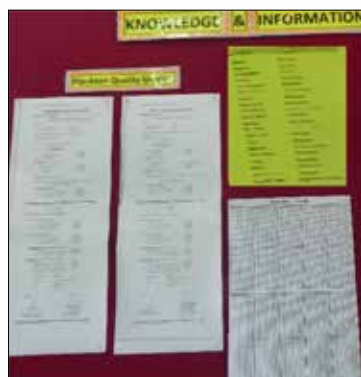
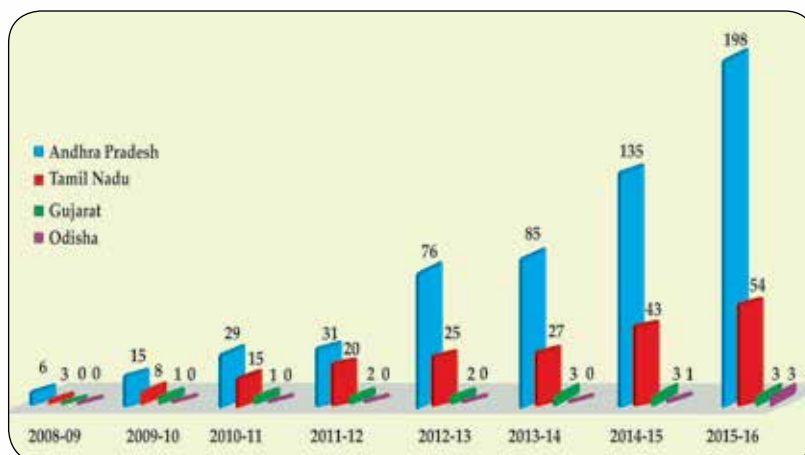


Figure 24 Growth of *L. vannamei* hatcheries in different States



Dissemination of information for adopting GMPs in a biosecured *L. vannamei* hatchery



GAqP - Refrigeration and Hypochlorus Generator in a biosecured *L. vannamei* hatchery



GAqP – Maintenance of drain canal in biosecured *L. vannamei* hatcheries



GAqP - Aeration in ETS of biosecured *L. vannamei* hatcheries



GAqP - Turfing the free space in biosecured *L. vannamei* hatcheries to avoid air-born contamination



GAqP - Concreting the premises in biosecured *L. vannamei* hatcheries to avoid air-born contamination



GAqP - Creation of aesthetics in SPF *L. vannamei* hatcheries

In order to facilitate the hatcheries to enhance production of improved quality SPF *Litopenaeus vannamei* seeds, CAA has implemented the following measures:

- Amendment to Guidelines at Annexure-I of CAA Rules, 2005 regarding registration of hatcheries was issued by DAHD&F so as to include all shrimp hatcheries (including *P. monodon*) in the coastal areas by the Coastal Aquaculture Authority.
- Simplified the procedures for registration of hatcheries by granting approvals based on the recommendation of the Inspection Team immediately after inspection prior to placing it for the approval of the Authority and to obtain ex-post facto approval by the Authority to avoid delay in issue of LoPs.

- Introduced single window system for issuance of LoPs to hatcheries to dispose with the issue of LoP every year by which the DAHD&F issues SIP as per the recommended capacity of each hatchery as indicated in the Registration Certificate.
- Increased the number of broodstock suppliers to India by adding of two more companies during the year (totally 12 in the list now) for augmenting additional supply of good quality broodstocks required due to the considerable growth witnessed on the SPF *L. vannamei* hatchery sector.
- Advocated the use of CAA approved antibiotic-free aquaculture inputs only in seed production to augment supply of good quality antibiotic-free seeds to ensure food safety in the cultured produce.
- Continued approval of consortia of hatcheries based on the production capacity of the lead hatchery to help the partner hatcheries (which have poor maturation performance) to get the nauplii production done at the lead hatchery of the consortium.
- Introduced the concept of Nauplii Rearing Centres (NRC) to encourage small scale hatcheries without maturation facility for producing SPF *L. vannamei* seed and approved 2 NRCs with a production capacity of 52 million during the year.

v) Consortium of Hatcheries

The concept of consortium of hatcheries introduced by the CAA as resolved in the 46th meeting of the Authority held on 29th April, 2014 continued during the current year too in order to facilitate import of SPF *L. vannamei* broodstock jointly by those hatcheries having lesser production capacity under the supervision of a lead hatchery and using the AQF facility together considerably at a lesser cost. The scheme also helps to have the nauplii production done at the lead hatchery of the consortium and PL production in the partner hatcheries that have poor maturation performance. Out of the 259 hatcheries approved as on 31.03.2016 with production capacity of 24,209 million, 65 hatcheries with production capacity of 5,667 million have formed 25 consortia each one accommodating 2 to 12 numbers of small hatcheries. The consortia formed 25.09% of the total number of hatcheries registered as on 31.03.2016 with 23.40% of the production capacity (Figure 25). The import level of broodstock in consortia ranged between 20 and 80% of total allocation with an average of around 25 per cent.

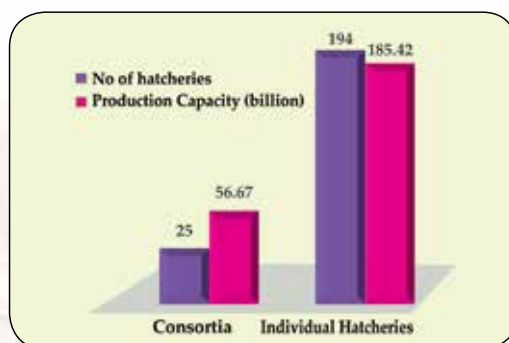


Figure 25 Consortia in SPF *L. vannamei* hatcheries

vi) Setting up of Nauplii Rearing Centres for SPF *L. vannamei* Seed Production

It is observed that many registered hatcheries are not utilizing the maturation facilities even after spending considerable amount in construction of maturation section due to various reasons indicating lack of suitable technical persons. Also, more than 60% of the hatcheries depended on *L. vannamei* seed production by purchasing nauplii from nearby registered hatcheries without importing the allotted number of broodstocks during the year 2014-15. Further, to bring the unregistered small scale hatcheries in Kakinada belt under the fold of CAA registration, the CAA introduced the concept of Nauplii Rearing Centre (NRC) without maturation facility, as sale of nauplii to registered hatcheries and rearing of seed had been permitted through an amendment to the Guidelines of CAA.

Applications received from M/s. M.S.F. Shrimp Hatchery, Ongloe located at Ethamukkala Village, Prakasam District of Andhra Pradesh with a Production Capacity of 50 million seeds/annum) and the Kerala University of Fisheries and Ocean Studies, located at Puduveypu Village, Ernakulam District, Kerala State with a production capacity of 2 million seeds/annum) for issuance of NRC registration during the year were scrutinized and on the basis of the recommendation of the Inspection Committee after evaluation of the hatchery facilities, the Authority approved both the hatcheries to operate as Nauplii Rearing Centers for production of SPF *L. vannamei* seed. The validity of the Registration Certificate is up to five years. LoP for NRC has specific Guidelines for restricted source of nauplii purchase from two or three registered hatcheries indicated in an undertaking by the NRC.

(vii) Permission to shrimp farms to culture SPF *L. vannamei*

The proposals received from farmers for taking up SPF *L. vannamei* culture were perused and the farms were inspected by the Inspection Teams constituted by CAA for the following biosecurity requirements essential for SPF *L. vannamei* culture. After verification by the team permission is granted:



View of a biosecured *L. vannamei* farm

- i. peripheral fencing of farms;
- ii. crab fencing;
- iii. water intake reservoirs;
- iv. installation of bird netting / bird scares;
- v. Effluent Treatment System (ETS).

To speed up issue of approvals, it was decided at the 56th meeting of the Authority to issue Registration Certificates immediately on receipt of the recommendations from DLCs/SLCs and place them before the Authority for ratification in the subsequent meeting.



Inspection of *L. vannamei* farms



Farm fencing and tyre wash with barrier at main gate of biosecured *L. vannamei* farms



Crab fencing in biosecured *L. vannamei* farms



Bird netting in biosecured *L. vannamei* farms



Reservoir for water treatment and ETS for wastewater treatment in biosecured in *L. vannamei* farms

(viii) State-wise performance of *L. vannamei* farming

During the year under report (2015-16), the Authority has registered 121 farms with water spread area of 521.6 ha distributed in 6 maritime states, of which Andhra Pradesh ranked 1st having WSA of 113.00 ha (54 farms), Gujarat ranked 2nd with 131.40 ha (11 farms), Odisha ranked 3rd with 71.0 ha (33 farms) followed by Tamil Nadu having 23.2 ha (17 farms), Maharashtra having 18.2 ha (5 farms) and Goa having one farm with 4.70 ha. All the 121 farms were issued LoPs for SPF *L. vannamei* farming. SPF seeds (PL 12-15) supplied by the hatcheries approved by CAA were stocked in these farms and farming operations continued in biosecured conditions till harvest.

- The State-wise details of the farms for which registration and LoPs issued during the year are given in **Table 10**, and their percentage distribution is depicted in Figure 26. The area-wise distribution of farms in different states is depicted in Figure 27.

Table 10 State-wise details of permission of SPF *L. vannamei* farms from April 2015 to March 2016

Sl. No.	Name of the State	No. of Farms	TFA (ha)	WSA (ha)
1	Andhra Pradesh	54	162	113
2	Tamil Nadu	17	30	23
3	Gujarat	11	171	131
4	Maharashtra	5	36	18
5	Odisha	33	115	71
6	Goa	1	7	5
	Total	121	521	361

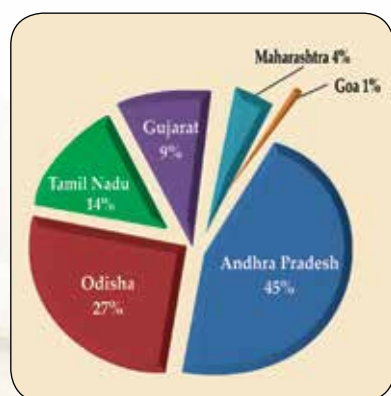


Figure 26 Percentage distribution of CAA approved *L. vannamei* farms for the year 2015-2016

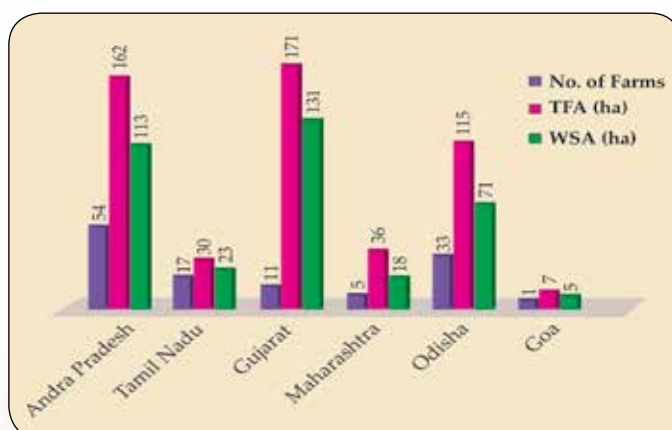


Figure 27 Details of *L. vannamei* farms permitted in the current year

- CAA has so far registered and issued LoPs to 1,197 SPF *L. vannamei* farms till March-2016, covering a total area of 10,541 ha (WSA 7,144 ha), the State-wise details of the farms are presented in **Table 11**, their percentage distribution is depicted in Figure 28 and area-wise distribution in different States is depicted in Figure 29.

Table 11 State-wise details of permission of SPF *L. vannamei* permitted farms since inception (December 2009) up to 57th meeting (March 2016)

Sl. No.	Name of the State	No. of Farms	TFA (ha)	WSA (ha)
1	Andhra Pradesh	699	6160	4244
2	Tamil Nadu	164	1154	799
3	Gujarat	97	1076	770
4	Maharashtra	51	1,228	743
5	Karnataka	24	73	57
6	Odisha	148	700	431
7	Goa	7	38	27
8	Puducherry	2	20	14
9	Daman & Diu	3	60	38
10	West Bengal	1	3	2
11	Kerala	1	29	19
	Total	1,197	10,541	7,144

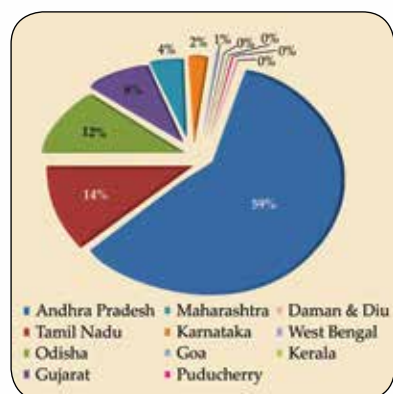


Figure 28 Percentage distribution of CAA approved *L. vannamei* farms from December 2009 to March 2016



Figure 29 Details of *L. vannamei* farms permitted from December 2009 to March 2016

- The growth of *L. vannamei* farms in terms of number of LoPs issued in all coastal states during the years 2009-10 to 2015-16 is presented in **Table 12**. The country witnessed a fast growth in farming too, starting initially with 107 farms with total farm area of 1,744.9 ha during 2009-10 which has grown steadily to 1,197 farms with total farm area of 10,540.2 ha during 2015-16 within a period of seven years. The state

of Andhra Pradesh contributed much to the growth and attained 1st place starting with 87 farms with total farm area of 1,236.3 ha during 2009-10 and reaching a level of 699 farms with total farm area of 6,159.6 ha during 2015-16 followed by Tamil Nadu (2nd place) with 6 farms (TFA 90.1 ha) during 2009-10 to 164 farms (TFA 1,153.9 ha) during 2015-16 and Gujarat (3rd place) with 4 farms (TFA 146.0 ha) during 2009-10 to 97 farms (TFA 1,075.9 ha) during 2015-16. The growth in terms of total as well as water spread area is depicted in Figure 30 and the State-wise growth during the period is given in Figure 31. The district-wise distribution *L. vannamei* farms as on March 2016 is given in Figure 32

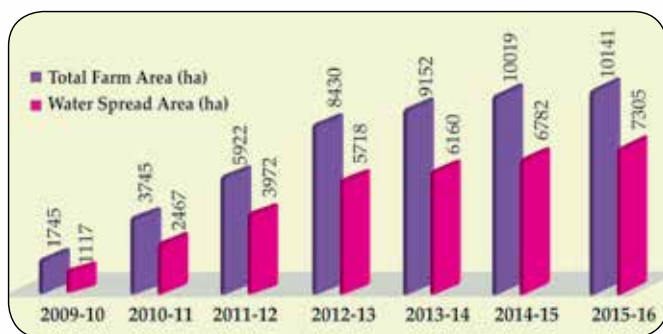


Figure 30 Growth of *L. vannamei* farms in terms of farm area during the year 2009-10 to 2015-16

Table 12 Number of LoPs issued for SPF *L. vannamei* Farming in all coastal States during the years 2009-10 to 2015-16

Sl. No	Name of the State	2009-10			2010-11			2011-12			2012-13		
		No. of Farms	TFA (ha)	WSA (ha)	No. of Farms	TFA (ha)	WSA (ha)	No. of Farms	TFA (ha)	WSA (ha)	No. of Farms	TFA (ha)	WSA (ha)
1	Andhra Pradesh	87	1236.3	815.4	105	1205.9	833.2	129	1619.8	1118.9	259	1474.6	1059.3
2	Tamil Nadu	6	90.1	55.4	32	324.2	203.4	41	276.9	213.8	34	295.3	202.5
3	Gujarat	4	146.0	78.0	6	125.0	97.0	18	172.5	128.6	11	104.4	74.4
4	Maharashtra	10	272.5	168.6	3	152.0	91.5	3	89.6	31.0	13	483.8	308.9
5	Goa	0	0	0	1	5.6	2.8	0	0	0	3	18.3	13.9
6	Karnataka	0	0	0	16	47.0	37.4	1	0.9	0.8	0	0	0
7	Kerala	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Odisha	0	0	0	5	140.1	83.8	0	0	0	11	78.2	48.9
9	W. Bengal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Puducherry	0	0	0	0	0	0	1	17.1	11.9	0	0	0
11	Damn & Diu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	60.0	38.4
	Total	107	1,744.9	1,117.4	168	1,999.8	1,349.1	193	2,176.8	1,505.0	334	2,514.6	1,746.3

Table 11 (Conti)

Sl. No	Name of the State	2013-14			2014-15			2015-16			Total (2009-10 to 2015-16)		
		No. of Farms	TFA (ha)	WSA (ha)	No. of Farms	TFA (ha)	WSA (ha)	No. of Farms	TFA (ha)	WSA (ha)	No. of Farms	TFA (ha)	WSA (ha)
1	Andhra Pradesh	5	129.9	73.8	60	330.8	230.5	54	162.3	112.8	699	6,159.6	4,244.1
2	Tamil Nadu	10	58.3	43.1	24	79.0	57.9	17	30.1	23.2	164	1,153.9	799.2
3	Gujarat	12	104.0	75.2	35	252.6	185.1	11	171.4	131.4	97	1,075.9	769.7
4	Maharashtra	7	135.1	84.4	10	59.5	40.1	5	35.6	18.2	51	1,228.1	742.7
5	Goa	2	7.2	5.4	0	0	0	1	7	4.7	7	38.1	26.8
6	Karnataka	1	8.3	5.0	6	16.4	13.8	0	0	0	24	72.7	57.0
7	Kerala	0	0	0	1	29.3	18.6	0	0	0	1	29.3	18.6
8	Odisha	63	270.1	153.9	36	96.0	73.1	33	115.2	71.0	148	699.5	430.6
9	W. Bengal	1	3.0	2.0	0	0	0	0	0	0	1	3.0	2.0
10	Puducherry	0	0	0	1	3.0	2.5	0	0	0	2	20.1	14.4
11	Daman & Diu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	60.0	38.4
	Total	101	715.9	442.8	173	866.6	621.6	121	521.6	361.3	1,197	10,540.2	7,143.5

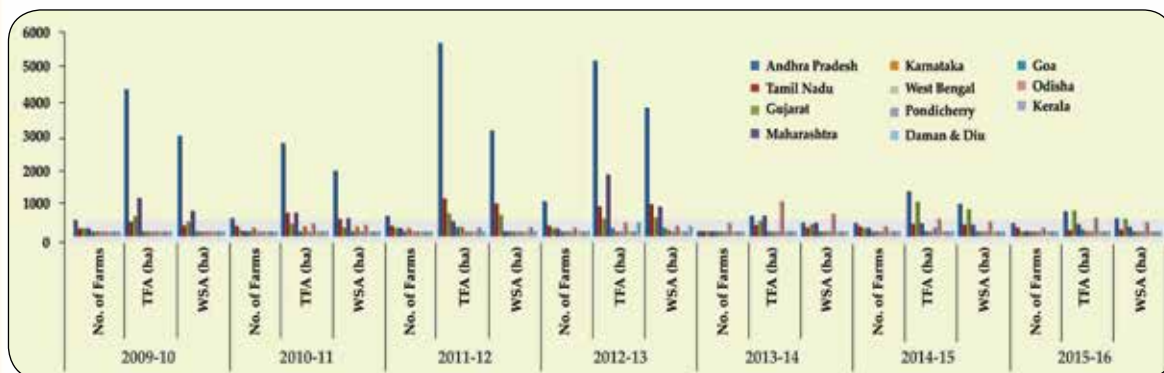


Figure 31 State-wise growth of *L. vannamei* farms during December 2009 to March 2016

In order to facilitate faster processing of proposals received from farmers for taking up SPF *L. vannamei* culture and issuance of CAA registration to cope up with the faster development in the sector, CAA constituted District Level Teams (DLTs) in the coastal States to inspect farms having water spared area below 5 ha and to recommend eligible cases to CAA after verifying the essential biosecurity requirements.

On the basis of the recommendations of the Inspection Team and the District Level Teams, further processing is done at the level of Member Secretary CAA, after which the proposals are placed before the Authority for consideration. After the approval by CAA, the farms are registered and LoPs are issued to the farmers.

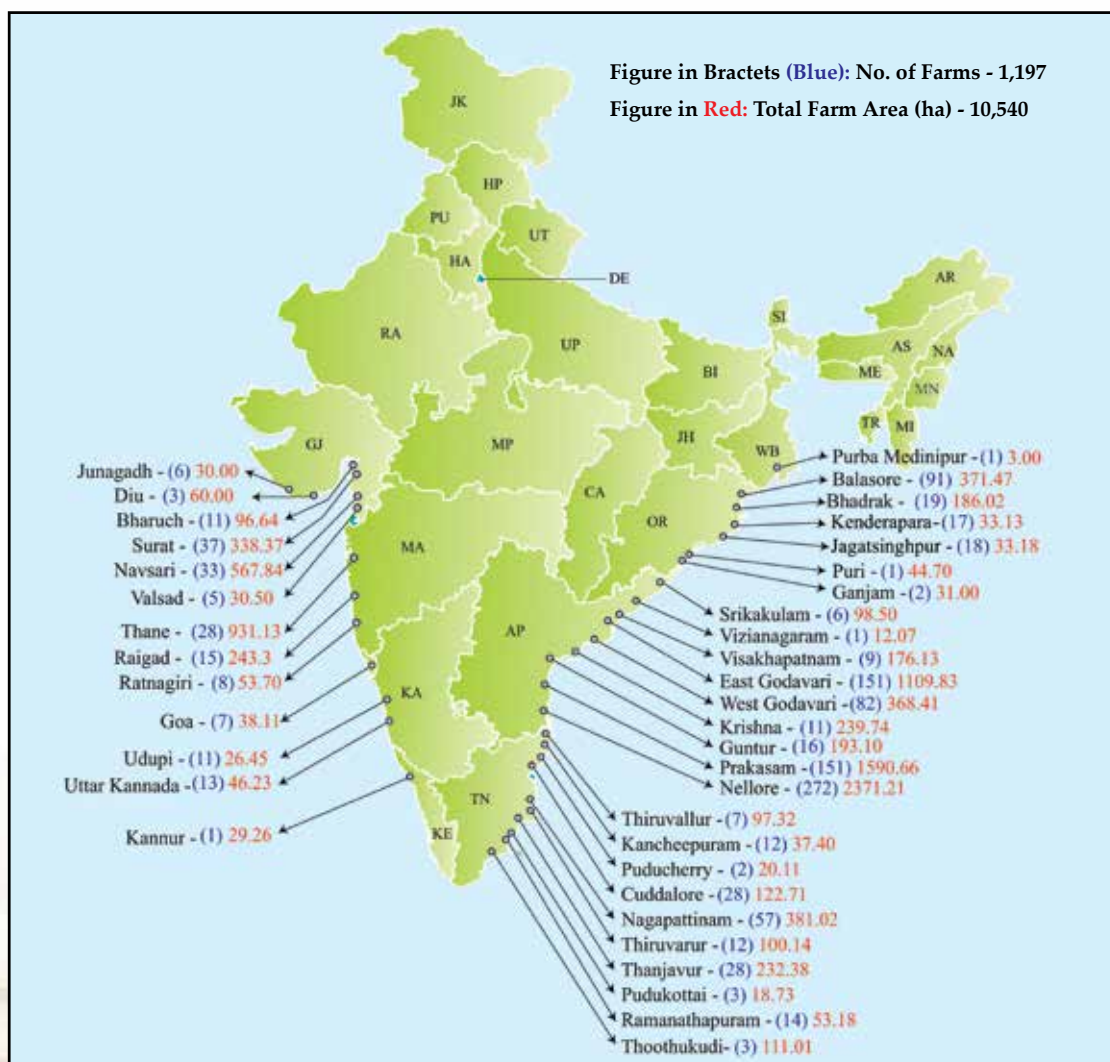


Figure 32 District-wise distribution of *L. vannamei* farms as on March 2016

To speed up issue of approvals, it was decided in the 56th meeting of the Authority held on 21st December 2015 that Registration Certificates may be issued to those farms which are found to be in order by the DLCs which could be placed before the Authority for ratification. Only such of the cases where there are complications/ lack of clarification it was decided that these may be put up to the Authority first and Registration Certificate may be issued after approved by the Authority.



GAqP-Intake of water and filtration at inlet in *L. vannamei* farms



Water intake from reservoir and filtration in a culture pond of biosecured *L. vannamei* farms



GAqP-Farm lining in biosecured *L. vannamei* farms



GAqP-Aeration in biosecured *L. vannamei* farms



GAqP-Foot/hand dip in biosecured *L. vannamei* farms



GAqP-Stacked feed and other inputs



GAqP-Measuring daily ration of pellet feed



GAqP-Probiotics ready for application and other aquaculture inputs being used



GAqP-Application of pellet feed : manual and by feed suspensor in biosecured *L. vannamei* farms



GAQP-Well maintained sluice gate for efficient water regulation in biosecured *L. vannamei* farms

(ix) Production of SPF *L. vannamei*

Farming of *L. vannamei* started in the country during December 2009 and till the end of the current year (31.03.2016) a total number of 1,197 farms were approved by CAA with water spread area (WSA) of 7143.5 ha. SPF *L. vannamei* production in these farms averaged 7.70 MT/ha/year (range 4.85-10.55 MT/ha) with considerable increase in production per hectare over the last 7 years. However, the average production per hectare reduced slightly during the year, might be due to the trend of harvesting small size shrimps as the risk is very less due to reduction in duration of culture and also the variation in price between small and large size shrimp is not very much. The increase in productivity in *L. vannamei* farms impacted the overall production from shrimp farms and the export of shrimp from India.

The stocking density in these farms ranged between 0.25 and 0.60 million/ha and the duration of culture varied from 60 to 120 days. *L. vannamei* shrimp have grown to an average body weight of 24.1 g (ranged from 12.5 to 35.7 g) with an average survival rate of 78.0% (ranged in between 60 and 70%) with an average FCR of 1.75 (ranging between 1.2 and 2.3).



Harvest in a biosecured *L. vannamei* farm in progress



GAqP-Post harvest care of the produce

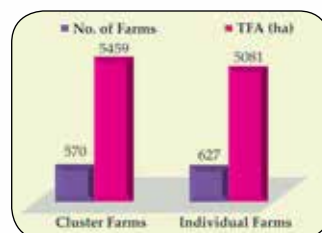


GAqP-Post harvest care of the produce

Farm-fresh *L. vannamei*

(x) Cluster farming of SPF *L. vannamei*

Cluster farming system introduced by CAA facilitated the farmers having small farm holdings also to take up SPF *L. vannamei* culture by having common ETS and biosecurity measures. Out of the 1,197 farms (total farm area 10,540.27 ha) registered by CAA as on 31.03.2016, 570 are cluster farms accommodating 2,619 numbers of small farm holdings with total farm area of 5,459 ha. The cluster farms formed 47.62% of the total number of farms registered as on 31.03.2016 with 51.79% of the total area of farming (Figure 33).

Figure 33 Cluster farming in *L. vannamei*

(xi) Monitoring of *L. vannamei* Hatcheries/ Farms

Regular monitoring of shrimp hatcheries and farms by the monitoring team authorized by the CAA was carried out by visiting the approved farms/hatcheries at regular intervals to avoid negative social and environmental impacts related to farming, such as water pollution, spreading of disease, escapes, habitat/ social impacts, etc., to surrounding communities. The status of biosecurity in the hatcheries/ farms, production methods, performance, water quality in the culture systems, health of seeds/ shrimps, environmental problems if any due to the operation was assessed. Wastewater samples discharged from

the permitted hatcheries and farms were also collected from final discharge point of ETS in order to test and ensure that wastewater parameters conform to the standards prescribed by the CAA.

- During the year 2015-16, the CAA monitoring team visited 129 hatcheries (116 in Andhra Pradesh & 13 in Tamil Nadu) and 48 farms in Tamil Nadu permitted by the CAA.
- Analysis of wastewater samples collected at the final discharge point of ETS of 66 hatcheries and 21 farms conformed to the wastewater quality standards prescribed by the CAA, where as 25 hatcheries and 3 farms deviated CAA standards. These hatcheries and farms were cautioned by serving Warning Notices. The CAA also directed the owners of the hatcheries and farms to carry out modifications in their ETS to minimize the impacts of organic load.
- Warning Notices were also issued to the 9 unregistered farms located at Kurru Village, the Hamlet of Isakapalli, Allur Mandal, Nellore District, Andhra Pradesh as resolved in the 55th meeting of the Authority held on 19th December, 2014 as the inspection team confirmed unauthorized *L. vannamei* culture in the farms. The matter was also informed to the District Collector, Nellore by forwarding copy of the said resolution.
- The production facilities were inspected and the records/ registers were also verified and the details on the quantity of broodstock imported, their source, mortality if any, egg, nauplii, number of post larvae produced/ sold, name and address of the farmer to whom the seeds were sold, date and number of the valid CAA registration of hatcheries/ farms; quantity of shrimp produced, sold, name and address of the processor to whom sold etc., in farms as detailed in the guidelines were checked. The farmers/hatchery operators were reiterated to maintain proper records as per the Guidelines and submission of regular reports to CAA as required. Also, the farmers were advised to adopt responsible, ecologically and economically sustainable aquaculture practices and in the production of safe and quality aquaculture products by using CAA registered antibiotic-free aquaculture inputs and good aquaculture practices (GAQPs).

Strict regulation in identifying the broodstock suppliers, the import procedures and the quarantining of the broodstock ensured use of only SPF *L. vannamei* broodstock free from OIE listed pathogen imported in to the country so far. Similarly, approval of hatcheries and farms after ensuring biosecurity facilities as well as regular monitoring *etc.*, ensured that the guidelines are properly implemented for healthy production. Also, the wastewater quality parameters discharged from ETS of farms and hatcheries were monitored to conform to the standards prescribed by CAA. All these efforts have enabled the shrimp farming sector to avoid diseases especially the Early Mortality Syndrome (EMS), though, it has devastated shrimp farms reported to be still persisting in shrimp farms of a few of the neighboring south east Asian countries.



Monitoring in biosecured *L. vannamei* hatcheries in progress



Wastewater sampling in biosecured *L. vannamei* hatcheries in progress

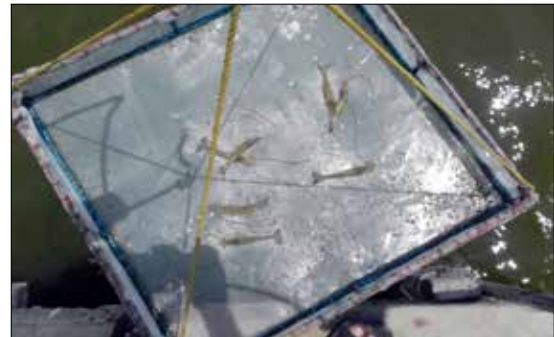


Checking the lab equipment in biosecured *L. vannamei* hatcheries



Sl. No.	Farmer's Name	Address	Area (sq. ft.)	Stocking Density (per sq. ft.)	Stocking Date	Stocking Quantity (kg)
1	Mr. A. K. S.	...	...	...	...	...
2	Mr. B. K. S.	...	...	...	...	...
3	Mr. C. K. S.	...	...	...	...	...
4	Mr. D. K. S.	...	...	...	...	...
5	Mr. E. K. S.	...	...	...	...	...
6	Mr. F. K. S.	...	...	...	...	...
7	Mr. G. K. S.	...	...	...	...	...
8	Mr. H. K. S.	...	...	...	...	...
9	Mr. I. K. S.	...	...	...	...	...
10	Mr. J. K. S.	...	...	...	...	...

Verification of records in *L. vannamei* hatcheries



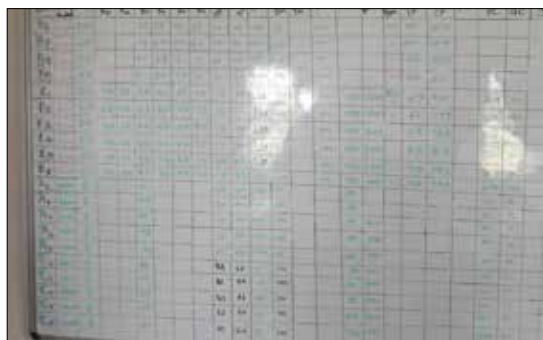
Check tray monitoring in biosecured *L. vannamei* farm



Biological monitoring in *L. vannamei* farm



Collection of wastewater samples in *L. vannamei* farms



Verification of records in *L. vannamei* farms

IV. Action on Various Complains against Shrimp Farming

On the basis of complaint/s received by CAA, the inspection team authorized by CAA inspects the concerned farm/s and in the event of the team confirming unauthorized culture of *L. vannamei* or creation of environmental problems to the neighboring agriculture field or drinking water source/s or creation of social problems, CAA takes immediate action on the spot as per as per the Guidelines issued in G.S.R.280(E) dated 23rd March, 2012 notified by the Ministry of Agriculture and/or by discussing the matter in the subsequent meeting of the Authority and act as per the resolution/s passed in the meeting as per CAA Act and Rules.

A. Action taken on Specific Complaints

- (i) Shrimp farms of some farms located at Killai Village of Chidambaram Taluk in Cuddalore District, Tamil Nadu recommended for cancellation of CAA Registration by the DLC, Cuddalore District on 17.04.2014 as well as denial of recommendation for renewal of registration of these farms against the complaint on salination caused to the adjacent drinking water source and agriculture land were inspected by a committee headed by the Member Secretary, Assistant Director of Fisheries (I/C), Parangipettai, Inspector of Fisheries and the Assistant Director of Agriculture) on 24.04.2015 following the procedures set by CAA for this purpose. The committee observed that these farms are located more than 500 m away from the agriculture land and drinking water source and that there is remote chance of intrusion of saline water due to the farming activities. Further, the whole area used to get inundated by saline water during rainy season and the team felt that successful operation of their farms is possible only with the co-operation of the inhabitants of Killai Village. Hence, it was suggested by the committee that the farmer may obtain NOC from the Village Head and submit the same along with (Form-III) to the Member Convener, DLC, Cuddalore District for further action on renewal of registration.



Inspection of shrimp farms at Killai village in progress

- (ii) A complaint received from the public of Attrankaraitheru, Thirunagari Village, Sirkali Taluk, Nagapattinam District, Tamil Nadu against some registered shrimp farms located around the village were received regarding salination of ground water resources and agricultural lands in the vicinity due to the operation of these farms for the last 20 years which caused serious problems to the cremation ground of the Village due to seepage of water from the surrounding farms and the estuarine creek. This was enquired through a joint inspection by the CAA officials headed by the Member Secretary along with officials from Department of Fisheries, Sirakali, Nagapattinam District on 08.09.2015 and the recommendations of the inspection committee was forwarded to the District Collector-cum-Chairperson, DLC, Nagapattinam District



Inspection of farms at Thirunagari Village in progress



Inspection of farms at Thirunagari Village in progress

on 09.10.2015 requesting him to take appropriate action as per the provision of the Act and to send the action taken report to the CAA.

- (iii) Repeated complaints were received from a resident of Thirupadiripuliyur, Cuddalore against long pending issue of Registration of the farm located at Radha Vilagam Village, Chidambaram Taluk, Cuddalore District, Tamil Nadu regarding denial of recommendation by the District Forest Officer, member of DLC, Cuddalore District stating that the farm is located close to the backwater canal of Pitchavaram mangrove area falling under CRZ-I, which is highly sensitive (by quoting Para 3 (V) of Coastal Regulation Zone notification dated 06.01.2011). This site was inspected jointly by a Team headed by the Member Secretary, CAA. On the basis of observations and recommendation of the joint inspection team, the District Collector-cum-Chairperson of DLC, Cuddalore District was requested to forward the application of the farm to CAA for consideration of its registration. Also, as the farmer was operating *L. vannamei* culture in the farm without the required biosecurity facilities and ETS, the farmer was directed to terminate the culture in progress immediately and apply to CAA for issuance of LoP for SPF *L. vannamei* culture.

- (iv) A complaint received on 23.04.2014 from a resident of Punchaimahathu Vazhkai Village, Navappattai, Chidambaram Taluk, Cuddalore District, Tamil Nadu against pollution caused by a few registered aqua farms located in Punchaimahathu Vazhkai Village was sorted out by a joint inspection headed by the Member Secretary, CAA. The joint inspection team confirmed that all the four farms were located within 15 meters from the agricultural lands in contravention of the requirements under clause 4.9 of Annexure I of the Guidelines under CAA Act, 2005. The observation of the inspection team was placed before Hon'ble Chairperson of CAA and as directed by him show-cause notices were issued to all the four farmers and personal hearing was conducted.

As it was proved that the farmers obtained Registration Certificate by furnishing false declaration regarding the distance of their farms from agricultural land and the nearby village in their application, their Registration Certificates [Nos. TN-



Farm inspection in Punchaimahathu Vazhkai village in progress

II-2011 (1472, 1471, 1469 and 1470)] pertaining to these farms have been cancelled on 07.08.2015 in accordance with the relevant provisions of the CAA Act and further orders were issued to them with the instruction to close down the operation of their farm with immediate effect.

- (v) CAA has received repeated complaints from the public of Marakkanam Area, Tindivanam Taluk, Villupuram District against the damage to the environment due to shrimp farming in the village and requested CAA to take action against the erring farms. Copy of the complaint was received from the District Environmental Engineer, TNPCB, Villupuram also. So the Authority has requested the Member Convener, DLC, Villupuram District to visit the site and to submit the report to CAA to take further necessary action. Meanwhile, as directed by the Hon'ble Chairperson, CAA officials headed by Member Secretary conducted a site inspection on 01.04.2015 in Karipalayam Village (Hamlet of Marakkanam), Mettu Street 12th ward of Marakkanam Village and Vandipalayam Village, Nadukuppam Panchayat of Tindivanam Taluk, Villupuram District and ascertained the facts. The team observed that all the farms at the site were unregistered and the results of soil and water samples collected indicate salination of water probably due to seepage of sandy bunds. Further a number of trees in the vicinity of shrimp farms have become totally dead and dried. The matter was discussed in the 52nd meeting of the Authority

held on 29.04.2015 and as resolved, the matter was reported to the District Collector, Villupuram on 01.05.2015 for closure of the farms.



Farm inspection in Marakkanam area in progress

A meeting in this regard, convened by the District Collector-cum-Chairperson, District Level Committee of CAA, Villupuram District held on 14th March, 2016 at Villupuram was attended by the Member Secretary, Director and Senior Technical Assistant of CAA wherein the procedural measures for closure of the illegal farms and hatcheries at Villupuram District as directed by the National Green Tribunal were discussed in the presence of District officers from Departments of Revenue, Fisheries, Agriculture, Forest, Police, Electricity Board, TWAD Board, etc.

B. Action taken against Registered Hatcheries for non-compliance of CAA Guidelines in *L. vannamei* seed production

- A show cause notice was issued to M/s. Raj Hatcheries Madras Private Limited in lieu of observation made by the Monitoring Team on 17.03.2015 that the hatchery was draining the wastewater generated during seed production directly in to the creek without treating it in ETS and absence of records for seed production in the hatchery in violation of CAA Guidelines as resolved in the 52nd Authority meeting. Relevant records on seed production and ETS in their hatchery submitted in response to the show cause notice and the rectifications carried out in the ETS, *etc.*, as shown in the photographs were verified/ assessed by the Monitoring Team by a site visit on 04.06.2015 and found to be in order. As the Authority felt that this is the first offence of the hatchery, a letter of warning was issued to M/s. Raj Hatcheries Madras Private Limited as resolved in the 53rd meeting of the Authority held on 24.06.2015.
- Show cause notices were issued to M/s. Alpha hatchery and the hatchery of M/s. Sharat Industries Limited, as the Monitoring Team observed that both the hatcheries were draining all the wastewater of the hatcheries generated during seed production directly to the creek without treating in ETS and also for not maintaining any records on seed production in violation of CAA Guidelines. Based on the reply received in response to the show-cause notice, personal hearings were conducted for both the hatcheries and as decided by the Hon'ble Chairperson, CAA, Notices of Warning were issued to M/s. Alpha hatchery and M/s. Sharat Industries Limited.
- Closure of six unauthorized hatcheries by the DLCs in Nellore and Prakasam Districts of Andhra Pradesh (M/s. R. R. Hatcheries, M/s. Neelakanda Millennium Hatchery, M/s. Vijaya Aqua Hatcheries, M/s. Saran Saai Hatchery (unit-II), M/s. Shanthi Hatchery and M/s. Moon Hatchery) and two in Kancheepuram District of Tamil Nadu (M/s. Periar Hatchery and M/s. Ocean King Aquatech Hatchery) by the concerned DLCs, based on the closure order issued by CAA for indulgence in *L. vannamei* seed production were revoked by CAA based on personal hearings conducted and on the apology tendered by the hatchery operators confessing the violations committed by them and to reopen the hatchery to enable them to apply for registration of their hatcheries with the CAA. Necessary orders withdrawing the closure orders issued earlier to the hatcheries were communicated to the District Collectors concerned.

C. Action taken against unauthorized *L. vannamei* seed production

- During the routine monitoring and inspection of shrimp hatcheries, the Inspection Team of CAA visited 13 unapproved shrimp hatcheries for *L. vannamei* in East Godavari District of Andhra Pradesh and Kancheepuram and Villupuram Districts of Tamil Nadu. The team observed larval stages of *L. vannamei* in four hatcheries (two in East Godavari District of Andhra Pradesh and the other two in Kancheepuram



Inspection in unauthorized *L. vannamei* hatcheries



Inspection in unauthorized *L. vannamei* hatcheries

District of Tamil Nadu) and the same were destroyed by the team on the spot. As per the orders of the Hon'ble Chairperson, closure orders to the said four hatcheries were issued as the hatcheries have indulged in *L. vannamei* seed production without CAA registration and the required biosecurity measures and the concerned District Collectors were directed to close down the hatcheries.

V. Registration of Finfish Hatchery

An application from M/s. Aditya Fish Hatcheries located at Konapapeta Village, U. Kothapalli Mandal, East Godavari District, Andhra Pradesh for granting registration to produce fingerlings of finfish was received and the proposed site inspected by the Inspection Team. As the hatchery has been established as per CAA norms, the recommendation of the team for registration of the hatchery placed in the Authority was approved its 55th meeting, Registration Certificate was issued to M/s. Aditya Fish Hatcheries to produce fingerlings of finfish.

VI. Registration of Antibiotic-free Aquaculture Inputs

Due to concerns raised by the DAHD&F and Department of Commerce as well as the Seafood Exporters over the reported large scale rejection of seafoods meant for exports in recent times due to detection of antibiotics in the products, CAA was asked to take strict measures to prevent use of antibiotics in shrimp hatcheries and farms. Following a meeting held with the shrimp feed manufacturers at CAA on 24th July 2015 to develop standards for aquaculture inputs, the issue was further deliberated with the seafood exporters. As explained by the Member Secretary, the Authority at the 54th meeting held on 26th August 2015 decided to register all the aquaculture inputs to the effect that they are free of antibiotics of concern as per the provisions under the Coastal Aquaculture Authority Act, 2005 and Rules and Guidelines thereunder. A public notice to this effect as approved by the Authority (in its 54th meeting) was issued on 14th October, 2015 stating that the aqua farmers and hatchery operators will be permitted to use only the registered inputs in their facilities and consequently all manufacturers (indigenous) and distributors



(imported) of aquaculture inputs were directed to register each of their product with CAA by submitting test reports to the effect that they are free from the antibiotics of concern *viz.* Chloramphenicol & Nitrofurantoin parent compounds and metabolites [Furazolidone-AOZ, Furaltidone-AMAZ, Nitrofurantoin-AHD and Nitrofurazone (Semicarbazide) - SEM A total of 51 manufacturers/ distributors responded to the notification and out of applications received for registration of 274 products, 258 products of 46 companies were registered as antibiotic-free during the year under eight categories *viz.*, Feed Additive, Probiotics, Larval Feed, Adult Feed, Chemicals, Disinfectant, Immunostimulants and Drugs, the list of which was hosted in CAA website.

Another Notification on the subject was also Published in leading newspapers on 25.02.2016 (in vernacular languages too) reiterating that shrimp hatchery operators and farmers to use only the registered aquaculture inputs (like feed, feed additives, probiotics, chemicals, *etc.*) in their registered facility for seed production and culture respectively and those hatcheries and farms using unregistered products are liable for cancellation of their registration. This notification was also hosted in the CAA website for ready reference of the end users.

Periodical monitoring and testing of samples of the product from market will be done by CAA to keep the products in the active list and in case antibiotics or prohibited chemicals are found in the product, the product will be deregistered and removed from the list of approved products. Letters in this regard were sent to the Secretary Fisheries of all coastal States informing the said development and requesting them to create awareness among the stakeholders through the concerned Fisheries officials in their States so as to enable the CAA to initiate suitable punitive action. Due to the above actions initiated and as the registration is kept open as a continuous process, more number of products are expected to be registered soon.

VII. Water Quality Monitoring Laboratory

A water quality monitoring laboratory was established in the Technical section of CAA for analysis of the wastewater samples collected from hatcheries and farms during regular monitoring to ensure that they are within the standards prescribed by CAA. The laboratory is fully equipped with the installation of instruments such as CHNSO Analyzer, Spectrophotometer, Nitrogen Kjeltac-Distillation Unit, Multiparameter water quality sondes, Millipore titration system, BOD Incubator, COD Analyser and Gas Chromatography - Mass Spectrum with Head Sampler (GC-MS) apart from other

equipments required for water quality monitoring in aquaculture system. All the samples collected from shrimp hatchery and farms during regular monitoring conducted during the year were analyzed for the required water quality parameters pertinent to CAA regulations.



Analysis of wastewater samples in CAA lab in progress

VIII. Website updation

In order to facilitate various stakeholders of aquaculture sector to get full details on the modalities for registration and renewal of aquafarms and hatcheries with the required application forms, guidelines on seed production and farming with related information connected therewith, full details on cultured shrimps and other products to the buyers in abroad for traceability, *etc.*, CAA is having a website viz., www.caa.gov.in which is uploaded through National Informatics Centre, Chennai. Database having detailed information about registration and regulation for SPF *L. vannamei* farming including hatchery operation by import broodstock, list of suppliers of broodstock, details of aquatic quarantine including procedure for reservation of space are kept. The website also describes the powers and functions of the Authority, Act, Rules, Regulations and Guidelines, recent Notifications relevant to aquaculture as well as the detailed list of CAA members appointed by the central government, besides details on District level and State level Committees (DLCs and SLCs). Farming activities of other species in practice are also focused with list of banned antibiotics, procedures for biological sampling for testing antibiotics, wastewater quality

standards, *etc.*, are also given in user-friendly downloadable format. The website also have all publications of CAA including the updated version of the Compendium of Act Rules, Guidelines and Regulations, Annual Reports, the Result Framework Document, besides having all the current notifications, circulars, advertisements and other important matters of public interest which are updated periodically.

Information on registration of antibiotic-free aquaculture inputs including application form, terms & conditions of the registration, list of products registered and related notifications, *etc.*, were also hosted in user-friendly downloadable format and a software developed for the purpose is also maintained.

The new concept of Online Registration of aquafarms through CAA web site is in the auditing stage, which will be ready shortly for use for the benefit of farmers.

IX. Strengthening of Coastal Aquaculture Authority

The Coastal Aquaculture Authority has the jurisdiction to regulate the coastal aquaculture activities in ten coastal States and four coastal Union Territories. A total of 21 staff originally sanctioned by the Central Government to the Aquaculture Authority existing in 1977 were continued when CAA was established under the statutory provision of CAA Act, 2005. Until 2008, the major activity of CAA was registration of shrimp farms, both new and old, with due inspection carried out by the DLCs and SLCs. In view of the additional work load allotted by the Central Government, since 2009, with the introduction of the exotic shrimp SPF *L. vannamei* in the country, many additional functions such as correspondence with coastal States, DLCs/SLCs and meetings with stakeholders, handling the technical committee for overseeing the operation of aquatic quarantine, inspection of hatcheries for permitting import of *L. vannamei* broodstock and seed production, inspection of shrimp farms for permitting *L. vannamei* culture, continuous monitoring of hatcheries and farms to prevent unauthorized breeding / farming of this species, collection/analysis of wastewater released from hatcheries & farms to assess their conformity with CAA standards, usage of banned drugs and chemicals in aquaculture, registration of antibiotic-free aquaculture inputs, implementation of Nauplii Rearing Centres (NRC) awareness creation on responsible aquaculture practices, *etc.*, there is an urgent need to strengthen the Coastal Aquaculture Authority. In this regard the following proposals were made:

- A proposal, for the establishment of three Regional Centers in the States of Gujarat, West Bengal and Andhra Pradesh with a staff strength of 30 persons and additional 34 posts for strengthening the headquarters at Chennai in Tamil Nadu was submitted to the DAHD&F, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare requesting approval of the Government as the aquaculture sector has picked up very fast in these States and there is urgent need to cater to the the needs of farmers, hatchery operators and related stakeholders. A detailed proposal with full justification has been prepared for the consideration of the Committee on non-plan expenditure.

- As the effort put up for allotment of government land to construct a National Headquarters Complex of the Aquaculture Authority established under CAA Act, 2005 at Chennai to accommodate the staff (present and the additional posts proposed for strengthening the headquarters) as well as to have a permanent set up for having the laboratory and other facilities did not materialize, a request for allotment of land at Alamaty, Chennai (a unit under Livestock Health Division of DAHD&F) was submitted to the DAHD&F, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare. Meanwhile the Department of Fisheries, Government of Tamil Nadu has taken in to consideration a proposal to allot adequate space for the office of the CAA in one of the floors in their Fisheries Complex under construction at Saidapet, Chennai by issuing a Notification. The allotted space as per the GO was accepted in principle and the meetings held by the Committee identified by the government to indicate the requirements on partition, permanent cupboards/furniture, electrical points/ fittings, *etc.*, were attended and the actual requirement of CAA provided.

X. Implementation of Official Language (Hindi) in CAA

CAA is promoting implementation of official language by imparting training, celebrating Hindi Week and conducting Seminar/workshop, *etc.*, in Hindi. Officers and staff members actively participated in the following programmes conducted during the year:

- Hindi Week was celebrated in CAA from 22nd to 29th September 2015. The celebration was indicated by displaying banners at eye catching spots at the office premises. Also, bilingual posters depicting the importance of using official language in day-to-day dealing of the office and the bilingual publications of the CAA and a few themes on CAA activities were exhibited. During the programme, competitions on two contests viz., translation and oration both in Hindi were conducted. Eighteen prizes on the competitions (13 on translation and 5 on oration) were awarded to the successful participants on the closing day of the Celebration held on 29.09.2016.
- A Three-Day Hindi Seminar/Workshop was conducted during 16th to 18th February 2016 in CAA by inviting an expert in Hindi language from the Integrated Coach Factory of Southern Railways. During the workshop the importance of improving/usage of official language in day-to-day dealing of the office by availing the various incentives offered under the Official Language Implementation Scheme, facilities available to improve the official language by attending various courses available in the Hindi Teaching Schemes of the Central government, various incentives offered to officials who successfully complete the courses, procedures to avail the schemes, nearest locations where such facilities are available, *etc.*, were explained to the beginners by the guest. Officers and staff members actively attended the workshop and prizes were distributed to the successful participants.



Seminar/Workshop in Hindi and awarding prizes in progress

XI. Outreach Activities of CAA

(i) Training Programmes Conducted / Associated

- CAA conducted two Trainers Training Programmes (TTP) on 'Shrimp Farming, Hatchery Seed Production and Regulations' to the officials of State Fisheries Department of Andhra Pradesh at the CAA, Chennai during 9th to 11th February 2016 and 8th to 10th March 2016.

In order to meet the challenges in the rapidly growing aquaculture sector especially in SPF *L. vannamei* farming, dissemination of various guidelines introduced from time to time on good aquaculture practices to be adapted at farmer level is imperative for sustainable development. Success in these lines depends on the level of information on Good Management Practices (GMPs) in aquaculture such as site selection, implementation of biosecurity measures, procurement of disease-free broodstock, latest techniques on hatchery and farming operation, water quality management, feed management, shrimp health management, harvest and post-harvest handling *etc.*, and updated guidelines of the CAA reaching the farmers and hatchery operators in time. CAA is primarily responsible for regulating aquaculture activities in coastal areas of the county and is assisted by the DLCs and SLCs. Training of personnel is essential in order to strengthen the knowledge of these members in regulation of coastal aquaculture. As it is felt that the information these officials receive during

the training could be disseminated by them to the farmers, hatchery operators and related stakeholders in turn, the CAA, in association with the Central Institute of Brackishwater Aquaculture (CIBA) conducted the Trainers Training Programmes. In addition to lectures delivered by the CAA officials and Scientists of CIBA the Trainers were exposed to demonstrations in the field by leading them to CAA registered SPF *L. vannamei* hatcheries and farms. A total of 40 officials from the Department of Fisheries, Andhra Pradesh were trained in the said two programmes conducted. Similar programmes are planned for training of officials of other coastal States in future.



Inauguration of the 1st training programme on 09.02.2016 in progress



Lectures to the trainers during 9-11th February in progress



Trainers of the 1st batch during the field visit on 10.02.2016



Trainers of the 1st batch receiving certificates



Group of 1st batch trainers with the faculty



Inauguration of the 2nd training programme on 08.03.2016 in progress



Lectures to the trainers during 8th to 10th March 2016 in progress



Trainers of the 2nd batch during the field visit on 09.03.2016



Trainers of the 2nd batch receiving certificates



Group of the of the 2nd batch trainers with the faculty

- Associated in the 'State-level Training Programme on *Litopenaeus vannamei* Farming in Kerala' organized by Kerala University of Fisheries and Ocean Studies (KUFOS) at Panangad, Kochi, Kerala during 20th and 21st August 2015 for the benefit of various stakeholders of aquaculture sector in the State. Assistant Director (Technical) associated in conducting the training by delivering lectures on 'CAA guidelines for establishing SPF *L. vannamei* hatcheries and farms' in which he elaborated the procedures on registration, establishing and operation SPF *L. vannamei* hatcheries and farms. The need for implementation of biosecurity measures both in hatchery and farm and their maintenance throughout the culture for production of safe and consumer-friendly aquaculture produce acceptable in domestic as well as international markets. He also felicitated the training during inauguration and clarified the doubts raised by the stakeholders on CAA Regulations during the interaction. The training was attended by about 125 shrimp farmers/ hatchery operators and scholars of the University, besides DLC officials and Field officers of the State Fisheries Department.

(ii) Awareness Programmes Conducted / Participated

- An awareness programme was conducted by the CAA at Surat, Gujarat on 14.10.2015 to create awareness among shrimp farmers of Gujarat, members of DLCs/SLCs and officials of State Fisheries Department on the new amendments of CAA guidelines

and Good Aquaculture Practices (GAPs) in shrimp farming. The programme was coordinated by the DLCs of Gujarat State. During the programme, Good Aquaculture Practices (GAPs) to be followed in aquafarms and hatcheries in accordance with the Guidelines under CAA Act 2005 and FAO's Code of Conduct for sustainable aquaculture practices were covered in detail by the CAA officials. Handouts on important themes including issues on abuse of antibiotics in vernacular languages were also distributed. The programme was attended by most of State Fisheries officials of DLCs and SLCs and about 200 shrimp farmers/ hatchery operators and input suppliers.



Inauguration of the programme



Presentations by Member Secretary and Director (Tech), CAA



Interaction of farmers in the programme



Farmers keen in the programme

- Associated with the Department of Fisheries, Government of Andhra Pradesh in conducting two awareness programmes for the hatchery owners/ operators one at Kakinada on 7th May 2015 in order to bring the small scale unregistered hatcheries in East Godavari District under CAA registration and another at Nellore on 30th July 2015 to sensitize the hatchery operators of Nellore and adjoining Districts. The awareness programmes were inaugurated and chaired by the respective District Collectors and presided over by the Member Secretary, CAA. In his presentation, the Member Secretary illustrated the CAA Guidelines for establishing SPF *L. vannamei* hatcheries reiterating the mandatory requirement of registration of shrimp hatcheries and farms with CAA. He also focused on the requirement of strict biosecurity,



Member Secretary, CAA addressing the stakeholders under the chairmanship of District Collector, Nellore

procedures for import of disease-free SPF broodstocks, requirement of quarantine, the advantages of consortia formation for import of broodstocks jointly at a lesser cost and operation of those hatcheries that have poor maturation performance, etc., to the participants. About 400 hatchery owners/ operators, DLC members including State Fisheries officials, farmers, input suppliers, etc., attended the programmes.

- Associated with Department of Fisheries, Government of Andhra Pradesh in conducting another two awareness programmes on *Better Management Practices in Hatchery and Culture Operations* one at Vijayawada on 25.06.2015 and another at Nellore on 13.11.2015 for the benefit of hatchery operators and aqua farmers of the coastal Districts. Assistant Director (Technical), CAA took the lead in delivering lectures in both the programmes wherein he explained in detail the CAA guidelines for establishing and operation SPF *L. vannamei* hatcheries and farms besides felicitating the programme during inauguration. The importance of maintenance of the biosecurity measures implemented both in hatchery and farm throughout the operation for production of disease & antibiotic-free seeds for producing internationally acceptable aquaculture produce. In this context the initiation of CAA on registration of antibiotic-free aquaculture inputs and the need for using CAA registered inputs only in shrimp hatcheries and aquafarms were also touched upon. The programmes were attended by about 500 shrimp farmers/ hatchery operators input suppliers, etc., besides most of officials of DLCs/SLCs and Field officers of State Fisheries Department.
- Director (Technical) CAA participated in the awareness programme organised by the Department of Fisheries Government of Odisha at Bhubaneswar on 6th February 2016 and highlighted the need of biosecurity and good aquaculture practices (GAPs) to be followed throughout the culture operation for sustainable development of the sector as well as production of internationally acceptable aquaculture produce. He reiterated that farmed shrimps should be antibiotic-free and in this context he briefed about the initiation of CAA on registration of antibiotic-free aquaculture inputs and the shrimp hatcheries and farms are to use CAA registered inputs only. He requested the DLC members and Field officers of Fisheries Department to create awareness among the aquaculturists in the State. Officials of the Department of Fisheries and about 150 shrimp farmers and input suppliers attended the programme.

Participation in Workshop/ Seminar

- CAA participated in the *Aqua India 2016: 'Indian Aquaculture - Assuming Responsibilities and Adapting to Changes'* organised by the Society of Aquaculture Professional (SAP) held at Visakhapatnam on 29 & 30 January 2016. Member Secretary CAA participated in the event as Guest of Honor and felicitated the programme during the inaugural session and also awarded mementos to the speakers and other VIPs on the dais. He also made a presentation on *'Assuming responsibilities and adapting to changes in Indian aquaculture'* in the Technical Session. He also contributed to the discussions held on

the significant themes focused in in the technical session of the workshop and in evolving essential recommendations that entail consideration of the government. Adviser, Assistant Director (Technical) and Senior Technical Assistant of CAA also participated in the event.



Member Secretary, CAA awarding mementos and making his presentation in Aqua India 2016

The following presentations made by experts and experienced stakeholders were relevant to the present scenario of coastal farming in India aimed to tackle some of the crucial issues faced by the aquaculture sector.

- ♦ *'Sustainable Aquaculture : Challenges and Opportunities'* presented by Dr. G. W. Chamberlain, President, Global Aquaculture Alliance, USA.
- ♦ *'National Control Plan to Achieve Zero Rejections: Lessons from Ecuador'* presented by Ms. Yahitra Piedrahita, National Aquaculture Chamber of Ecuador.
- ♦ *'Stakeholders Participatory Shrimp Aquaculture in India'* presented by Ms. Leena Nair, Chairman, The Marine Products Export Development Authority, India
- ♦ *'Sustainable Shrimp Farming : Doing in the Right Way in Earthen Ponds'* presented by Mr. Manoj Sharma, M/s. Mayank Aqua Farms, India
- ♦ *'Shrimp Farming version 2.0'* presented by Mr. Saji Chacko, M/s. Onaway Industries Limited, India.
- Member Secretary, CAA participated in the Stakeholders Consultative Meet on Sustainable Shrimp Farming convened by Tamil Nadu Fisheries University at Nagapattinam on 21st September 2015 wherein the present scenario of shrimp aquaculture in Tamil Nadu with particular reference to SPF *L. vannamei* farming and strategies for future development of sustainable shrimp farming by adopting the CAA Guidelines and FAO's Code of Conduct for sustainable aquaculture practices were covered in detail for the benefit of the sector in the State.
- Member Secretary and Director (Technical), CAA participated in the Consultative Meetings of Stakeholders of the coastal aquaculture sector organized by the Department of Fisheries, Government of Odisha at Bhubaneswar on 7th February

2016 and another organized by Department of Fisheries, Government of West Bengal at Kolkatta on 3rd March 2016 and discussed the present scenario of coastal aquaculture in these States especially on SPF *L. vannamei* farming and future strategies for sustainable farming by meticulously following the CAA Guidelines and good aquaculture practices (GAPs) for the benefit of the sector in these States.

- Director, CAA participated in the National Seminar on '*Marine Biodiversity and Management of Coastal Eco-system*' organized by the Department of Marine Living Resources, College of Science and Technology, Andhra University during 8th-9th April 2015 in Visakhapatnam. He inaugurated the Seminar and delivered a special lecture on the role of Coastal Aquaculture Authority in regulating the coastal aquaculture activities in general and with particular reference to SPF *L. vannamei* culture in India. He reiterated the need of regulations for sustainable growth of the sector as well as for protecting the livelihood of coastal population who depend on the coastal eco-system. The Seminar was attended by about 150 delegates consisting of PG scholars, students and neighbouring shrimp farmers and input suppliers.
- Associated with the Department of Fisheries, Government of Andhra Pradesh in conducting a Workshop on '*Inspection and Quality Monitoring of Shrimp hatcheries*' on 7th January 2016 at SIFT, Kakinada, wherein the Assistant Director (Technical), CAA participated. He felicitated the workshop during inaugural session as well as made a presentation on the CAA Guidelines for establishing SPF *L. vannamei* hatcheries and farms including the importance of constant monitoring of shrimp hatcheries and farms for production of disease-free seeds and farming quality acceptable aquaculture produce. In this context he reiterated the need for registration of antibiotic-free aquaculture inputs with CAA as shrimp farmers and hatcheries are permitted to use the CAA registered inputs only in seed production and farming. The DLC members and State Fisheries officials were requested to create necessary awareness among the manufacturers/distributors of aquaculture inputs and also the hatchery operators and farmers.



Asst. Director (Tech) CAA during inauguration and his presentation in progress

(iii) Training Programme for CAA Officials

CAA deutes its officials for attending training programmes in the related field of work organized by government departments in order to strengthen their knowledge for efficient functioning of the office. The following officials attended training programmes during the year:

- The Superintendent of CAA attended two training programmes conducted by Ministry of Finance, Institute of Government Accounts and Finance (INGAF) at New Delhi viz.,
 - (i) 2-day Training on Personnel Management System in Government Sector held on 19th and 20th January 2016;
 - (ii) 3-day training programme on Preparation of Pension Papers and Finalization held during 22nd to 24th February 2016.
- One of the Senior Clerks from CAA attended a 2-day training programme in INGAF on Loans and Advances held on 11th and 12th January 2016 at New Delhi.

(iv) Participation of CAA members / officers in meetings / seminars / symposia organized by other organizations

- Member Secretary CAA attended the Technical Committee Meeting to examine the design and concepts of MHKL to set up Multiplication Centres for SPF *P. monodon* for use of alternative species on 13th May 2015 at New Delhi.
- Member Secretary CAA attended the 5th Meeting of the Technical Advisory Committee to monitor National Surveillance Programme for Aquatic Animal Diseases held on 28th May 2015 at New Delhi.
- Member Secretary CAA attended the Meeting convened by the Chief Secretary, Andhra Pradesh to discuss various issues for promoting aquaculture held on 4th June 2015 at Hyderabad.
- Member Secretary CAA attended the meeting convened by the Secretary (AHD&F) for regulating establishment and operation of SPF shrimp Brood stock Multiplication Centres (BMC) held on 20th July 2015 at New Delhi.
- Member Secretary CAA attended the 27th Executive Committee Meeting of NFDB held on 3rd September 2015 at Hyderabad.
- Member Secretary CAA attended the meeting of the Project Screening Committee of SPF Broodstock Multiplication Centre held on 15th September 2015 at New Delhi.
- Member Secretary CAA attended the Stakeholders Consultative Meet on Sustainable Shrimp Farming convened by Tamil Nadu Fisheries University held on 21st September 2015 at Nagapattinam.

- Member Secretary CAA attended the Aquaculture CEOs Forum India 2015 and the presentation of Aquaculture India Awards 2015 organized by Aqua International Magazine held on 16th October 2015 at Hyderabad.
- Member Secretary CAA attended the Project Screening Committee Meeting on SPF shrimp seed Multiplication Centres organized at NFDB Complex on 13th November 2015 at Hyderabad.
- Member Secretary CAA attended the Interactive Discussions of World Fisheries Day held on 21st November 2015 held at New Delhi and delivered a lecture on “Status and Strategies for Development of Coastal Aquaculture” in the Technical Session.
- Member Secretary CAA attended the Project Monitoring Committee Meeting on SPF shrimp seed Multiplication Centres held on 14th December 2015 at New Delhi.
- Member Secretary CAA participated as Guest of Honor and felicitated the Bi-annual Meeting of SAP held at Visakhapatnam on 29th and 30th January 2016 during the inaugural session and made a presentation on ‘*Indian Aquaculture–Assuming Responsibilities and Adopting to Changes*’ in the Technical Session.
- Member Secretary and Director (Technical) CAA attended the Consultative Meeting of Stakeholders organized by the Department of Fisheries, Government of Odisha held on 7th February 2016 at Bhubaneswar.
- Member Secretary CAA attended the 18th Meeting of the Committee on Introduction of Exotic Aquatic Organisms into Indian waters held on 22nd February 2016 at New Delhi.
- Member Secretary and Director CAA attended the Consultative Meeting of Stakeholders organized by Department of Fisheries, Government of West Bengal held on 3rd March 2016 at Kolkatta.
- Member Secretary CAA attended the 28th Executive Committee Meeting of the National Fisheries Development Board held on 18th March 2016 at New Delhi.
- Director (Technical) CAA attended the Parliamentary Consultative Committee meeting held on 5th and 6th November 2015 at Varanasi.
- Director (Technical) CAA participated in the awareness programme organised by the Department of Fisheries, Government of Odisha held on 6th February 2016 at Odisha.
- Adviser, Assistant Director (Technical) and Senior Technical Assistant CAA attended Aqua India 2016 organized by SAP at Visakhapatnam on 29th and 30th January 2016.
- Assistant Director (Technical) participated in the Training programme and Aqua Show on introduction of *SPF L. vannamei* in Kerala conducted by Kerala University of Fisheries and Ocean Studies (KUFOS) during 20th to 21st August at Panangad, Kochi and made a presentation on ‘*CAA Guidelines for establishing SPF L. vannamei Hatcheries and Farms*’.

- Assistant Director (Technical) CAA attended the FAO 'RE-ECHO Seminar on *Acute Hepatopancreatic Necrosis Disease (AHPND)* conducted by ICAR-National Bureau of Fish Genetic Resources held at Lucknow during 14th to 16th September 2015.
- Assistant Director (Technical) CAA attended the Screening Committee Meeting on GIFT Tilapia held on 27th January 2016 at New Delhi.

XII. Activities likely to be taken up during 2016-17

(i) Registration

Registration and renewal of coastal aquaculture farms and hatcheries are continuous processes. It is expected that more coastal aquaculture farms and hatcheries of the country would be registered during the period between April 2016 and March 2017 through active campaigning and awareness creation among shrimp farmers.

ii) Approval for *L. vannamei* culture

About 2,000 ha of additional farm area is proposed to be brought under *L. vannamei* culture with CAA registration.

iii) Approval for Antibiotic-free Aquaculture Inputs

As the registration is kept open as a continuous process and also various actions initiated at the level Secretary Fisheries of all coastal States, more number of products are expected to be registered.

iv) Inspection and Monitoring

Periodic monitoring of the facilities, especially the quality of wastewater discharged from shrimp farms and hatcheries, usage of antibiotic-free aquaculture inputs, *etc.*, are to be taken up to ensure meeting of the standards prescribed by the Authority.

v) Trainers Training Programme

More number of Trainers Training Programmes similar to those conducted during 2015-16 will be conducted for officials of other coastal States too.

vi) Awareness Programmes

Awareness programmes relating to environment protection, sustainable development of coastal aquaculture activities and good aquaculture practices (GAPs) are to be organised.

vii) Advertisement and Publication

Public notices are to be issued on important matters from time to time to caution stakeholders on unauthorised activities and for taking precautionary measures to avoid occurrence of diseases as well as to advise the stakeholders on current affairs and happenings in shrimp

culture sector towards achieving the goal of sustainability.

viii) Preparation of Manuals / Brochures

The compendium on Coastal Aquaculture Authority Act, Rules and Guidelines would be further edited incorporating all the Regulations, Guidelines and notifications issued by the Ministry in some local languages.

ix) Workshops and Meetings

Stakeholder meetings would be organized for addressing the problems encountered in the coastal aquaculture activities, where experiences of various groups on technological improvements and other aspects, would also be shared.

CAA would be participating in workshops, exhibitions, seafood fairs and aqua shows organised by other agencies on coastal aquaculture activities, whenever possible.

x) Capacity building

Training and study visits would be organised for technical and administrative staff for the effective implementation of regulatory measures as well as for improving the knowledge in their sphere of work.

XIII. FINANCE

i) Performance Audit of CAA by C&AG of India

On the directions of C&AG for Performance Review of Fisheries Institutes in India, Director General of Audit (Central) Chennai conducted the performance audit of the Authority in July 2015 covering the period 2011-12 to 2013-14. The Audit Authorities forwarded a Factual Note on 'Performance Review on fisheries activities in India' pertaining to Coastal Aquaculture Authority, likely to be considered for inclusion in the Union Government (Central Expenditure) Audit Report of the Comptroller and Auditor General of India for the year 2015-16 for the Authority's remarks on the facts and observations. The issues raised in the Factual Note were examined by the Authority and comments were forwarded to the audit authorities.

ii) Summary of Actual Financial Results & Activities during the Financial Year 2015-16

The Accounts pertaining to the financial year 2015-16 was audited under the section 19(2) of the CAG's (DPC) Act, 1971 by the Director General of Audit (Central), Chennai and its report is presented in ANNEXURE.

As per Section 16 and 17 of the Coastal Aquaculture Authority Act, 2005, the grant-in-aid based on budget estimation made by the CAA, was provided in 6 (six) installments,

under the budgetary provisions of the Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, New Delhi. Administrative Ministry has sanctioned budget estimates for Rs.330 lakhs for the financial year 2015-16 vide F. No. 41011/1/2014-Fy (B&A) Vol. II dated 24 December 2014. Ministry has admitted Revised Estimates for ₹330 lakhs and this office utilized the full amount.

Budget Estimates / Revised Estimates and Expenditure for the financial year 2015-2016 are as follows:

Major Head 2405

**Sub Head-131731 Grant-in-Aid (General)
-131736 Grant-in-Aid (Salaries)**

(₹ in Lakhs)

BE admitted by the Ministry	RE admitted by the Ministry	Amount received	Amount spent	Unspent balance
330	330	330	330	0.00

Sl. No.	Name of the Scheme	Sub-head	BE 2016-17
1	Coastal Aquaculture Authority	131731 Grant-in-Aid (General) 131736 Grant-in-Aid (Salaries)	380

(iii) Details of the Annual Accounts for the year 2015-16

The Details of the Annual Accounts for the year 2015-16 are presented in ANNEXURE.

XIV. Staff and existing organizational structure of the Authority

At present, CAA has got sanctioned strength of 21 posts and the staff in position during the financial year 2015-2016 is as follows

Sl. No.	Group	Post	Sanctioned Strength	Number of staff at the beginning	No. of staff repatriated during the year	No. of new staff added during the year	Staff at the end of the year
1	A	Director	1	1	0	0	1
		Asst. Director	1	1	0	0	1
		Sr. Admin. Officer	1	1	0	0	1
2	B	Superintendent	1	1	0	0	1
		Private Secretary	2	2	0	0	2
		Sr. Tech. Assistant	2	2	0	0	2
		Accountant	1	0	0	0	0
		Steno. Gr. 'C'	2	0	0	0	0

3	C	Sr. Clerk	2	1	1	1	1
		Steno. Gr. 'D'	1	1	0	0	1
		Jr. Clerk	2	1	0	1	2
		Staff Car Driver	1	1	0	0	1
		MTS	4	4	1	0	3
		Total	21	16	2	2	16

Advisor and Consultants

Sl. No.	Designation	Number at the beginning	Number left during the financial year	New added during the financial year	Number at the end of financial year
1	Advisor	1	0	0	1
2	Consultants	8	5	3	6

XV. Recruitment / Retirement / Repatriation

- **Shri Umashankar**, on deputation as Senior Clerk in CAA has been repatriated to his parent department on 18th May 2015
- **Smt R Subashini**, has joined as Senior Clerk in CAA on deputation from 10th June 2015.
- **Smt. R Jayanthi**, MTS has been promoted as Junior Clerk with effect from 10th April 2015.

XVI. Right to Information Act

Totally 20 (twenty) applications were received under RTI Act during the year 2015-16. Information sought was furnished.

ANNEXURE

**Annual Accounts of CAA
and
Separate Audit Report of the C & AG
for the year 2015-16**

COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY
GOVERNMENT OF INDIA, MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE
GDR Tower, 12-A, Bharathi Street, Vanuvampettai, Madipakkam, Chennai-600 091

BALANCE SHEET AS AT 31.03.2016

(Amount - ₹)

	Schedule	Current Year	Previous Year
CORPUS/ CAPITAL FUND AND LIABILITIES			
Corpus /Capital Fund	1	1,40,57,989	1,60,20,903
Earmarked/ Endowment Funds	2	2,07,70,053	78,43,703
Current Liabilities and Provisions	3	22,50,437	9,80,389
Total		3,70,78,479	2,48,44,995
ASSETS			
Fixed Assets	4	1,29,51,205	1,42,51,507
Investments - From Earmarked/ Endowment Funds	5	58,50,114	45,33,443
Current Assets, Loans, Advances, etc.	6	1,82,77,160	60,60,045
Total		3,70,78,479	2,48,44,995
Significant Accounting Policies	14		
Contingent Liabilities and Notes on Accounts	15		

Sd/-
Sr. Admin. Officer

Sd/-
Director (Tech)

COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY
GOVERNMENT OF INDIA, MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE
GDR Tower, 12-A, Bharathi Street, Vanuvampettai, Madipakkam, Chennai-600 091

INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT
FOR THE PERIOD/YEAR ENDED 31.03.2016

(Amount - ₹)

	Schedule	Current Year	Previous Year
1. INCOME			
Grants/ Subsidies	7	3,19,44,279	2,50,00,000
Fees/Subscriptions	8	10,090	9,148
Income from Investments (Income on Investment from earmarked/endowment funds transferred to Funds)	9	-	-
Interest Earned	10	4,63,374	4,90,947
Other Income	11	63,704	1,63,122
Total (A)		3,24,81,447	2,56,63,217
2. EXPENDITURE			
Establishment Expenses	12	1,83,31,711	1,30,03,413
Other Administrative Expenses, etc.	13	1,48,12,348	1,21,89,138
Expenditure on Grants, Subsidies, etc.		-	-
Depreciation	4	23,56,023	28,64,688
Total (B)		3,55,00,082	2,80,57,239
Balance being excess/(shortage) of Income over Expenditure (A-B)		(30,18,635)	(23,94,022)
Transfer to Special Reserve (Specify each)			
Transfer to / from General Reserve			
Balance being Surplus / (Deficit) Carried to Corpus/ Capital Fund			
Significant Accounting Policies	14		
Contingent Liabilities and Notes on Accounts	15		
Note: Prior Period expense were included under the head 'Other Administrative expenses' as follows:			
Particulars		Amount - ₹	
- AMC expenses [(Computers) (Financial year 2014-15)]		8,267	
- Web hosting charges (Financial Year 2009-10 to 2011-12)		1,29,000	
Total		1,37,267	
As a result of which current year's shortage of income over expenditure was increased by a sum of ₹ 1,37,267			

Sd/-
Sr. Admin. Officer

Sd/-
Director (Tech)

COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY
GOVERNMENT OF INDIA, MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE
GDR Tower, 12-A, Bharathi Street, Vanuvampettai, Madipakkam, Chennai-600 091

**RECEIPTS AND PAYMENTS FOR THE
PERIOD/YEAR ENDED 31.03.2016**

Amount- ₹

R E C E I P T S		
	Current Year	Previous Year
1. Opening Balances		
a) Cash in hand		
b) Bank Balances		
i) In current accounts		
ii) In deposit accounts		
iii) Savings accounts	59,92,346	92,36,623
2. Grants Received		
a) From Govt. of India		
i) Capital Receipts	10,55,721	
ii) Revenue Receipts	3,19,44,279	2,50,00,000
b) From State Govt.		
c) From Other Source (Grants for capital & revenue expenses to be shown separately)		
3. Income on Investment from		
a) Earmarked/ Endowment Funds (FDR Interest)		
b) Own Funds (other Investment)		
4. Interest Received		
a) On Bank deposits	4,63,374	4,90,947
b) Loans, Advances, etc.		
c) On Earmarked Investments		
5. Other Income (Specify)		
a) Examination Fees		
b) Tender Fees	7,400	7,900
c) Miscellaneous Income	44,915	61,342
d) RTI Fees	90	248
e) MTS Application Fees	2,600	
6. Amount Borrowed		
DDO	70,000	
7. Any other receipts (give details)		
a) Earnest Money Deposit	2,55,000	2,50,000
b) Festival Advance Recovery	44,100	44,550
c) Stamps in Hand	6,336	5,839
d) Letter of Credit	-	-
e) Endowment Fund (Processing Fees)	72,44,850	29,21,995
f) Application Fees (30%)	5,39,911	4,17,345
g) State Fisheries-Andhra Pradesh	50,700	
h) Security Deposit	7,293	
i) Aquaculture Inputs	48,50,000	

8. Fund Transferred from CPE, GPF, Pension A/c	22,45,000	
9. Advance Refund		
a) Advance for Field Visit		378
b) Advance for Inspection	11,454	5,443
c) Advance for Meeting	29,406	15,317
d) Advance for Printing and Stationary		1,864
e) Advance for Salary	10,741	13,600
f) Advance for Training	10,352	8,000
g) Advance towards vehicle hiring	72,608	7,553
h) Advance for Aquarium Installation	2,584	
i) Advance for Bicycle	10	
j) Advance for DLC Audit	15,000	
k) Advance for store items for Aquaculture Inputs	668	
l) Advance for Hindi Seminar	2,300	
m) Advance for Laptop bag	1,563	
n) Advance for MTS Examination	120	
o) Advance for Travelling Expenses	67,670	
10. Direct Expenses Reversal		
a) Establishment Expenses	3,61,394	
b) Administrative Expenses	50,506	
Total	5,54,60,271	3,84,88,944

Sd/-
Sr. Admin. Officer

Sd/-
Director (Tech)

COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY
GOVERNMENT OF INDIA, MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE
GDR Tower, 12-A, Bharathi Street, Vanuvampettai, Madipakkam, Chennai-600 091

**RECEIPTS AND PAYMENTS FOR THE
PERIOD/YEAR ENDED 31.03.2016**

Amount- ₹

PAYMENTS		
	Current Year	Previous Year
1. Expenses		
a) Establishment Expenses	1,71,44,656	1,30,03,413
b) Administrative Expenses	1,54,02,028	1,14,92,674
2. Payments made against funds for various projects (Name of the fund or project to be shown along with the particulars of payments made for each project)		
3. Investments and deposits made		
a) Out of Earmarked/ Endowment funds		
b) Out of Own Funds		
4. Expenditure on Fixed Assets & Capital work-in-Progress		
a) Purchase of Fixed Assets	10,30,328	5,89,223
b) Expenditure on Capital Work-in-progress		
5. Refund of surplus money/ loans		
a) To the Government of India		
b) To the State Government		
6. Finance Charges (Interest)		
7. Other Payments (Specify)		
a) Earnest Money Deposit	2,05,000	3,95,000
b) Performance Security Deposit Refund		
c) Festival Advance	36,000	49,500
d) Prepaid Expenses	2,02,143	35,595
e) Expenditure out of Earmarked fund		64,87,558
f) Medical Advance		
g) Unspent Grant in aid refund		
h) Post Master		
i) Stamps in Hand	2,25,050	70,000
j) DDO Settlement	70,000	

8. Loans and Advances		
a) Advance for Field visit		20,000
b) Advance for Inspection	26,550	42,603
c) Advance for Meeting	75,900	87,220
d) Advance for Printing and Stationary		10,000
e) Advance for Salary	10,741	13,600
f) Advance for Training	32,000	16,000
g) Advance towards Vehicle hiring	1,49,600	1, 84,212
h) Advance for Soft ware	10,800	
i) Advance for Aquarium Installation	25,000	
j) Advance for Bicycle	5,000	
k) Advance for Diesel (car)	1,500	
l) Advance for Diesel (generator)	4,000	
m) Advance for DLC Audit	15,000	
n) Advance for Feed Material	9,000	
o) Advance for Hindi Seminar	10,000	
p) Advance for Laptop bag	6,000	
q) Advance for MTS Examination	15,000	
r) Advance for Pooja Expenses	2,000	
s) Advance for Staff Welfare	1,500	
t) Advance for Travel Expenses	67,650	
u) Advance for Books	2,100	
9. Fund Transferred from CPE, GPF, Pension Acts	26,03,425	
10. Closing Balance		
a) Cash in Hand		
b) Bank Balances		
i) In Current Accounts	-	-
ii) In Deposit Accounts	-	-
i) Savings Accounts	1,80,72,300	59,92,346
	5,54,60,271	3,84,88,944

Sd/-
Sr. Admin. Officer

Sd/-
Director (Tech)

COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY
GOVERNMENT OF INDIA, MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE
GDR Tower, 12-A, Bharathi Street, Vanuvampettai, Madipakkam, Chennai-600 091

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31.03.2016

Schedule 1 - Corpus/ Capital Fund

(Amount- ₹)

	Current Year	Previous Year
Balance at the beginning of the year 1.04.2015	1,60,20,903	1,84,14,925
Add: Grant received towards Corpus/Capital Fund	10,55,721	-
	1,70,76,624	1,84,14,925
Less: Expenditure over Income transferred from the Income & Expenditure Account	(30,18,635)	(23,94,022)
Add: Excess of Income over Expenditure transferred from Income & Expenditure Account		
Balance as at the Year End	1,40,57,989	1,60,20,903

COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY
GOVERNMENT OF INDIA, MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE
GDR Tower, 12-A, Bharathi Street, Vanuvampettai, Madipakkam, Chennai-600 091

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31.03.2016

Schedule 2: Earmarked/ Endowment Funds

(Amount- ₹)

Description	Farm Registrat ion Fees	Fund-Wise Break Up										Totals	
		Processing Fees for <i>L. vannamei</i>		General Provident Fund		Contributory Provident Fund		Pension Fund		Interest	Antibiotic- free Aquaculture Inputs	Expenses out of Earmarked Fund	
		Farms	Hatchery	IOB	Indian Bank	IOB	Indian Bank	IOB	Indian Bank				
a) Opening balance of the funds	25,29,168	59,54,779	30,42,250	11,01,416		45,339		11,24,251		5,34,058	-	(64,87,558)	1,19,43,630
b) Addition to the Funds													
i. Donations/ grants	-												6,37,580
ii. Income from investment made on account of Earmarked Funds	-	-	-										
iii. Fees	5,70,417	4,69,850											
Total (a+b)	30,99,585	64,24,629	98,17,250	12,24,015	17,02,199	79,656	3,77,826	11,43,831	12,88,783	7,25,644	48,50,000	(64,87,558)	28,39,340
c) Utilisation/ Expen towards objectives of funds													
i. Capital Expenditure													
- Fixed Assets	-	-	-	-		-		-					-
- Others- Settlement	-	-	-	-		-		-					12,81,951
Total	-	-	-	-		-		-					-
ii. Revenue Expenditure													
- Salaries, Wages and Allowances, etc.	-	-	-	-		-		-					64,87,558
- Travelling Expenses on Inspection of Farms, etc.	10,55,588												
- Training Expenses													
- Seminar/ Conference, etc., Expenses													
iii. Transferred Indian Bank A/c				12,22,058		78,081		11,20,000					24,20,139
Total C (ci + cii + ciii)	10,55,588	-	-	12,22,058	-	78,081	-	11,20,000	-	-	-	(64,87,558)	34,75,727
Net Balance as at the Year-End (a+b-c)	20,43,997	64,24,629	98,17,250	1,957	17,02,119	1,575	3,77,826	23,831	12,88,783	7,25,644	48,50,000		78,43,703

Notes: 1. Disclosures shall be made under relevant heads based on conditions attaching to the grants.

2. Plan Funds received from the Central/State Govts are to be shown as separate Funds and not to be with any other Funds mixed up.

COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY
GOVERNMENT OF INDIA, MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE
GDR Tower, 12-A, Bharathi Street, Vanuvampettai, Madipakkam, Chennai-600 091

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31.03.2016

Schedule 3 : Current Liabilities and Provisions

(Amount- ₹)

	Current Year		Previous Year	
A. CURRENT LIABILITIES				
1. Acceptances				
2. Sundry Creditors:				
a) For Goods				
b) Others				
3. Performance Security Deposit		1,11,139		1,11,139
a) M/s. Aishwarya Construction, Chennai	1,11,139		1,11,139	
4. Earnest Money Deposit		3,94,250		3,69,250
a) M/s. Merit Enterprises				
b) M/s. Orbit Technologies	44,250		44,250	
c) M/s. Day N Day (P) Ltd., Chennai	30,000		25,000	
d) M/s. Bio-incorp/Agilent Technologies	2,50,000		2,50,000	
e) M/s. Siva Cabs, Chennai	50,000		50,000	
f) M/s. Broadline	5,000			
g) M/s. Muthu Soft Labs	5,000			
h) M/s. Nucum Technologies	5,000			
i) M/s. Vignesh Cabs	5,000			
5. Interest accrued but not due on :				
a) Secured Loan/borrowings				
b) Unsecured Loans/borrowings				
6. Statutory Liabilities:				
a) New Pension Scheme				
(Employee Contribution)				
7. Security Deposit				
a) M/s. Hitachi System Micro Clinic Pvt Ltd	7,293	7,293		
8. State Fisheries, Andhra Pradesh	50,700	50,700		
9. Other Provision (Contingent)	5,00,000	5,00,000	5,00,000	5,00,000
10. Salary payable-March 2016	11,87,055	11,87,055		
Total		22,50,437		9,80,389

COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY
GOVERNMENT OF INDIA, MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE
GDR Tower, 12-A, Bharathi Street, Vanuvampettai, Madipakkam, Chennai-600 091

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31.03.2016

Schedule 4 : Fixed Assets

(Amount- ₹)

Item	Rate of Dep. (%)	Gross Block				Depreciation				Net Block		As at the Previous Year end	
		Cost / Valuation as at beginning of the Year	Addition during the Year		Deduction during the Year	Cost Valuation at the Year end	As at the beginning of the Year	On Addition during the Year	On Deduction during the Year	@ 100% on purchase of assets below ₹ 5,000/-	Total up to the Year end		As at the Current Year end
			Up to 30.09.2015	After 30.09.2015									
Plant & Machinery	15	1,08,02,591	4,990			1,08,07,581	53,02,134	8,25,069		4,990	61,32,193	46,75,388	55,00,457
Lab Equipment	15	52,54,588				52,54,588	14,10,998	5,76,539			19,87,537	32,67,051	38,43,590
Office Equipment	15	38,55,020		6,00,241		44,55,261	19,66,387	3,28,313			22,94,700	21,60,561	18,88,633
Car	15	3,30,860				3,30,860	3,06,848	3,602			3,10,450	20,410	24,012
Furniture & Fixtures	10	44,32,011	1,07,407	23,715		45,63,133	18,51,955	2,69,932			21,21,887	24,41,246	25,80,056
Computers & Peripherals	60	30,65,135		3,09,765		33,74,900	28,94,877	1,95,084			30,89,961	2,84,939	1,70,258
Library & Technical Books	60	23,49,279	4,160	5,443		23,58,882	21,04,778	1,48,334		4,160	22,57,272	1,01,610	2,44,501
Total of Current Year		3,00,89,484	1,16,557	9,39,164	-	3,11,45,205	1,58,37,977	23,46,873		9,150	1,81,94,000	1,29,51,205	1,42,51,507
Previous Year													
B. Capital Work-in-Progress													
Total												1,29,51,205	1,42,51,507

COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY
GOVERNMENT OF INDIA, MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE
GDR Tower, 12-A, Bharathi Street, Vanuvampettai, Madipakkam, Chennai-600 091

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31.03.2016

Schedule 5 : Investments from Earmarked/ Endowment Funds

(Amount- ₹)

	Current Year	Previous Year
Fixed Deposit Receipts (IOB)	24,54,023	22,62,437
IOB:		
Pension Fund Investment in SB A/c No: 209501000007601	23,831	11,24,251
General Provident Fund Investment in SB A/c No: 209501000006535	1,957	11,01,416
Contributory Provident Fund Investment in SB A/c No: 209501000006536	1,575	45,339
INDIAN BANK:		
Pension Fund Investment in SB A/c No: 6349080748	12,88,783	-
General Provident Fund Investment in SB A/c No: 6349080908	17,02,119	-
Contributory Provident Fund Investment in SB A/c No: 6349081107	3,77,826	-
Total	58,50,114	45,33,443

Schedule 6 : Current Assets, Loans, Advances etc.

	Current Year	Previous Year
A. CURRENT ASSETS:		
1. Bank Balances:		
a) With Scheduled Banks:		
b) On Savings Accounts:	1,80,72,300	59,92,346
2. Stamps in Hand		
a) Stamps (Franking Machine)	88,416	3
b) Stamps (Postal)	3,883	6,526
Total (A)	1,81,64,599	59,98,875
B. LOANS, ADVANCES AND OTHER ASSETS		
Advances and other amounts recoverable in cash or in kind or for value to be received:		
a) Prepayments (Annexure-1)	94,561	35,595
b) Staff Festival Advance (Annexure-1)	18,000	25,575
Total (B)	1,12,561	61,170
Total (A + B)	1,82,77,160	60,60,045

COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY
GOVERNMENT OF INDIA, MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE
GDR Tower, 12-A, Bharathi Street, Vanuvampettai, Madipakkam, Chennai-600 091

SCHEDULES FORMING PART OF INCOME AND EXPENDITURE
FOR THE YEAR ENDED 31.03.2016

Schedule 7 : Grants/ Subsidies

(Irrevocable Grants & Subsidies Received)

(Amount- ₹)

	Current Year	Previous Year
1) Central Government	3,19,44,279	2,50,00,000
Total	3,19,44,279	2,50,00,000

Schedule 8 : Fees/ Subscriptions

	Current Year	Previous Year
1) Tender Fees	7,400	8,900
2) RTI Fees	90	248
3) MTS Application Fees	2,600	-
Total	10,090	9,148

Note - Accounting Policies towards each item are not be disclosed

Schedule 9 : Income from Investments

(Income on Invest from Earmarked/Endowment Funds transferred to Funds)

	Investment from Earmarked Fund	
	Current Year	Previous Year
Interest on Fixed Deposit with Indian Bank		
Total	-	-
Transferred to Earmarked/ Endowment Funds	-	-

Schedule 10 : Interest Earned

	Current Year	Previous Year
1) On Term Deposits:		
a) With Scheduled Banks		
2) On Savings Accounts:		
a) With Scheduled Banks	4,63,374	4,90,947
Total	4,63,374	4,90,947

Note: Tax deducted at source to be indicated

COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY
GOVERNMENT OF INDIA, MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE
GDR Tower, 12-A, Bharathi Street, Vanuvampettai, Madipakkam, Chennai-600 091

Schedule 11 : Other Income

(Amount- ₹)

	Current Year	Previous Year
Miscellaneous Income	63,704	1,63,122
Total	63,704	1,63,122

Schedule 12 : Establishment Expenses

	Current Year	Previous Year
a) Salaries and Wages	1,72,37,268	1,23,48,182
b) Bonus	44,902	-
c) LTC Facility	1,22,330	-
d) PF Contribution	6,29,872	5,37,887
e) Re-imbursement of Tuition Fee	1,36,008	1,17,344
α) Medical expenses	1,52,936	3,24,064
β) Staff Welfare	8,395	37,002
Total	1,83,31,711	1,33,64,479

COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY
GOVERNMENT OF INDIA, MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

**SCHEDULES FORMING PART OF INCOME AND
EXPENDITURE FOR THE YEAR ENDED 31.03.2016**

Schedule 13: Other Administrative Expenses etc.

(Amount- ₹)

	Current Year	Previous Year
1. Advertisement and Publicity	4,67,955	8,26,231
2. Publication	3,844	4,09,585
3. Domestic Travelling Expenses	2,18,810	8,31,248
4. Supply & Materials		1,93,100
5. Office Expenditure		
Repairs and Maintenance (Vehicle)	2,94,889	2,15,122
Electricity and Power	5,41,298	3,76,849
Fuel Charges	5,500	1,000
Rent, Rates, and Taxes	41,37,120	27,45,994
Photostate Expenses		
Postage, Telegram	2,69,206	1,90,017
Printing, Stationery and Consumables	8,40,498	4,14,366
Water Charges		40,515
Library Expenses (Periodicals & Journals)		
Computer Maintenance		
Telephone Expenses	2,94,929	2,62,449
Professional Charges	25,57,419	3,33,231
Vehicle Hire Charges	15,13,329	16,23,922
Meeting Expenses	3,76,221	7,09,959
Telephone and Mobile Reimbursement Expenses	80,486	44,445
Miscellaneous Expenses	3,84,774	1,28,607
Seminar/Workshops/Training Expenses	1,26,562	40,400
Other Contractual Service	18,87,582	13,46,784
Website Maintenance Charges	53,992	43,000
Website Development	1,79,208	
AMC Expenses (A.C, Computers, Office Equipment, etc.)	2,07,716	1,60,731
AMC Expenses (Computers) (Financial Year 2014-15)	8,267	
Annual PRA Maintenance Charges (NSDL)	1,414	2,827
Translation Charges	38,973	28,700
Newspaper and Magazine	6,333	20,318
Liveries (Uniform)		3,035
Sweeper Salary	1,200	23,800
Web Hosting Charges	53,072	1,72,235
Web Hosting Charges (Financial Year 2009-10 to 2011-12)	1,29,000	
Shifting Expenses		4,02,557
Lab Chemicals	87,707	2,37,045
Bank Charges	12,672	
Audit Expenses	9,160	
Storing Material for Aquaculture Inputs	8,332	
MTS Examination	14,880	
Total	1,48,12,348	1,18,28,072

Annexure-1 : Advances

S. No	Advances	31.03.2016	31.03.2015
A	Staff Festival Advance	18,000	25,575
B	Other Advances		
	1. Prepaid Expenses	76,961	35,595
	1. Advance towards Inspection	17,600	-
	Total	94,561	35,595

COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY
GOVERNMENT OF INDIA, MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE
GDR Tower, 12-A, Bharathi Street, Vanuvampettai, Madipakkam, Chennai-600 091

Schedule 14: Accounting Policies

1. Accounting Convention

The Financial Statements are prepared under the historical cost convention, in accordance with Generally Accepted Accounting Principles (GAAP), the applicable mandatory Accounting Standards (AS) issued by ICAI and relevant Presentational requirements for Central Autonomous Bodies as prescribed by CGA. The Authority follows the accrual method of accounting in respect of all items of expenditure and Income except where otherwise stated.

2. Fixed Assets

- a) Fixed Assets are accounted for after these are taken on charge duly inspected.
- b) Fixed Assets are stated at cost less accumulated depreciation cost comprises the purchase price, inward freight, duties & taxes and any other directly attributable cost of bringing the Assets to its working conditions for its intended use. Financing cost relating to acquisition/construction of qualifying fixed assets are also included to the extent they relate to the period till such assets are ready for their intended use.
- c) Fixed Assets of erstwhile Aquaculture Authority was also taken into account at cost less depreciation for the period from the date of buying to date of takeover by the CAA for the value known assets. In the case of value un-known assets, notional value of ₹1/- is considered for capitalizing in the books of accounts of CAA.
- d) Fixed Assets received by way of non-monetary grants are capitalized at value stated by corresponding credit to capital fund. Fixed Assets received as free gift are taken into account at nominal value of ₹1/-
- e) Fixed Assets acquired against specific grant-in-aid accounted for as fixed assets in the Authority's account. Cost of assets created out of grants-in-aid is credited to Capital Fund. Depreciation on those assets is also charged over the useful life of the assets at the rates prescribed by the Income Tax Act and Rules and is recognized in the income and Expenditure Account.

3. Depreciation

- a) Depreciation is provided on written down value method as per rates specified in Income Tax Act, 1961
- b) In respect of additions/ deductions of fixed assets during the year, full depreciation is charged at the rates specified in the Income Tax Rules on the assets acquired in the first half of the financial year and 50% of depreciation is charged on the assets acquired in the second half of financial year.

- c) Each item of fixed assets costing ₹5,000/- and below are fully depreciated in the year of acquisition.

4. Lease/ Rent

Lease/ Rentals are accounted as expenses according to the terms and conditions of lease.

5. Impairment of Assets

An asset is treated as impaired when the carrying cost of the asset exceeds its recoverable value. The impairment loss is charged to Income & Expenditure statement for the year in which the assets is identified as impaired. The impairment loss is recognized or recoverable amount.

6. Government Grants / Subsidies

Capital expenditure *i.e.* cost of depreciable assets created out of grant-in-aid is credited to 'Capital Fund' account. Revenue expenditure incurred out of grant-in-aid will be debited to 'Income and Expenditure Account'. Excess of grant over the expenses is transferred to capital Fund Account at the end of the year.

7. Retirement Benefits

- a) Authority's contribution paid/ payable during the year to new pension scheme is recognized in the Income and Expenditure Statement.
- b) The liabilities in respect of Gratuity, which is ascertained annually on actuarial valuation at the year end, will be provided and funded separately.
- c) The liabilities for the leave encashment to employees are ascertained annually on accrual basis based on actuarial valuation at the year end and provided for.

8. Taxation

The Authority is not liable to pay to Union/ State in respect of wealth tax, income tax, service Tax, CST or any other tax in respect of their wealth, income, profits of gains derived. No provision is, therefore, made for current and deferred income tax.

9. Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets

Provisions involving substantial degree of estimation in measurement are recognized when there is a present obligation as a result of past events and it is probable that there will be an outflow of resources. Contingent liabilities are not recognized but are disclosed in the Notes forming part of the accounts. Contingent assets are neither recognized nor disclosed in the financial statements.

10. Income and Expenses

All the income and expenses of the year, except those specified later in this paragraph, are accounted for on accrual basis under the specific direct heads of accounts:

- a) Income or Expenditure of earlier year, which arise as a result of errors or omissions in making provision/creating the liability in the one or more prior periods, is accounted for under 'Prior period Adjustment' account.
- b) If actual expenditure or income exceeds the liability created/provision made on expenditure basis, the same is accounted for on cash basis.
- c) Expenditure/Income accruing to the Authority on account of decision taken after the date of finalization of annual accounts and extra-ordinary items, if any, having retrospective effect, is accounted for on cash basis.
- d) In determining the accounting treatment and manner of disclosure of an item in the Balance Sheet and/or Income and Expenditure Account, due consideration is given to the concept of materiality and hence pre paid/prior period items up to ₹1,000/- in each case are accounted for to the Natural Heads of Account on cash basis.

11. Revenue Recognition

- a) Authority is receiving fee collected for registration of farms by DLC/SLC in the ratio of 70:30 between DLC/SLC and CAA. In addition to that the Authority is collecting Processing Fees for *Litopenaeus vannamei* farms and hatcheries as well as registration of Antibiotic-free Aquaculture Inputs. As per the existing policy of the Authority, fee is accounted as Earmarked/ Endowment Fund of the Authority in the year of receipts and retained by the Authority to be utilized for specific or earmarked purposes.
- b) Interest income is recognized on a Cash Basis taking into account the amount outstanding and rate applicable.

12. Separate Disclosure

Separate disclosures are made in the Income and Expenditure Account in respect of:

- a) 'Prior' items which comprise material items of income or expenses which arise in the current period as a result of errors or expenses in the preparation of the financial statements of one or more prior periods.
- b) 'Extra-ordinary' items, which are material items of income or expenses that arise from event or transactions that are clearly distinct from the ordinary activities of the entity and therefore, are not expected to recur frequently or regularly.
- c) Any item under the head 'Miscellaneous Income' which exceeds ₹50,000/- is shown against an appropriate account head in the Income and Expenditure Account.

Sd/-
Sr. Admin. Officer

Sd/-
Director (Tech)

COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY
GOVERNMENT OF INDIA, MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE
GDR Tower, 12-A, Bharathi Street, Vanuvampettai, Madipakkam, Chennai-600 091

Schedule - 15: Contingent Liabilities and Notes on Accounts

Contingent liabilities

As on 31st March, 2016, there does not appear to be any case of contingent liability.

Fixed Assets

Fixed Assets of erstwhile Aquaculture Authority was also taken into account at cost less depreciation for the period from the date of buying to date of takeover by the CAA for the value known assets. In the case of value un-known assets, notional value of ₹1/- is considered for capitalizing in the books of accounts of CAA. Depreciation on all the assets at the prescribed rate in Income Tax Rules have been calculated and charged for the financial year 2015-16 to Income and Expenditure Account.

Current Assets, Loans and Advances

Authority has taken Franking Machine from Post Office and the same is filled with stamps for a lump sum amount. In addition to that, the Authority purchase Govt. postal stamp from Post Office, the amount so paid is shown as stamps in hand. On the basis of register maintained for daily consumption of stamp, total expenditure incurred on stamps is debited to relevant expenditure head by corresponding credit to stamps in hand account on yearly basis. As on 31st March, 2016 the stamps in hand amounted to ₹3,883/-

An imprest of ₹3,000/- has been sanctioned to DDO for meeting day-to-day routine expenses.

Current Liabilities

Security deposits of ₹5,000/- received as performance guaranty will be retained till completion of its warranty period.

Taxation

The Authority is not liable to pay wealth tax, income tax or any other tax in respect of their wealth, income, profits of gains derived. No Provision is, therefore, made for current and deferred income tax.

Government Grants/Fees Collected

Capital expenditure *i.e.* cost of depreciable assets created out of grant-in-aid is credited to 'Capital Fund' account. Revenue expenditure incurred out of grant-in-aid will be debited to 'Income and Expenditure Account'. Excess of grant over the expenses is transferred to Capital Fund Account at the end of the year as on 31st March, 2016.

The Authority is receiving fee collected for registration of farms by DLC/SLC shared in the ratio of 70:30 between DLC/SLC and CAA. In addition to that, the Authority is collecting Processing Fees for *L.vannamei* farms and hatcheries as well as registration of Antibiotic-free Aquaculture Inputs. As per the existing policy of the Authority; fee is accounted as Earmarked/Endowment Fund of the Authority in the year of receipts and retained by the Authority to be utilized for specific or earmarked purposes. Out of the Earmarked Fund a sum of ₹64,87,558/- was utilized during 2015-16.

Previous year Figures

The accounting procedure laid down by the CAG for autonomous bodies, specifies to show the previous year's figures in the Balance Sheet, Income & Expenditure Account and Receipt & Payment account along with various schedules are attached thereto.

Sd/-
Sr. Admin. Officer

Sd/-
Director (Tech)

Additions to Annexure of Annual Accounts to be Attached

1. Separate Audit Report of the Comptroller and Auditor General of India on the Accounts of Coastal Aquaculture Authority, Chennai for the year ended 31st March 2016.
2. Covering letter on the Separate Audit Report on the Accounts of CAA for the year 2015-16.
3. Endorsement of copy of Covering letter on the Separate Audit Report on the Accounts of CAA for the year 2015-16 to the Member Secretary, CAA.
4. Reply to Separate Audit Report for the year 2015-16.



महानिदेशक लेखापरीक्षा (केंद्रीय) चेन्नै का कार्यालय
लेखापरीक्षा भवन, 361, अण्णा सालै, तेनामपेट, चेन्नै - 600 018.

OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF AUDIT (CENTRAL)

Chennai

"LEKHA PARIKSHA BHAVAN", 361, Anna Salai, Teynampet, Chennai - 600 018.

दूरभाष / Phone : 044 - 2431 6400

फैक्स / Fax : 044 - 2433 8924

तार / E-mail : dgacchennai@cag.gov.in

No. PDA (C)/ CE/ II/ 28-46/ 2016-17/ 64

Date : 31.10.2016

To

The Secretary

Ministry of Agriculture

Department of Animal Husbandry, Dairying & Fisheries

Government of India, Krishi Bhavan

New Delhi-110 001.



Sir,

Sub: Separate Audit Report on the accounts of the Coastal Aquaculture Authority, Chennai for the year 2015-16 - Reg.

I am to forward herewith the Separate Audit Report on the accounts of the Coastal Aquaculture Authority, Chennai for the year 2015-16 along with the statement of accounts. Three copies of the Report for the year 2015-16 as presented to Parliament may be forwarded to this office in due course.

The receipt of this letter with enclosures may kindly be acknowledged.

Yours faithfully,

Sd/-

Director/ Admn.

Endt. No. PDA (C)/ CE/ II/ 28-46/ 2016-17/ 66

Date : 31 .10.2016

Copy together with a copy of the Separate Audit Report and management letter is forwarded to the Member Secretary, Coastal Aquaculture Authority, Chennai. It is requested to furnish 3 copies of the Hindi version of the Audit Report and 3 copies of the Annual Report as presented to Parliament at an early date. It is also requested to furnish the dates of presentation of the accounts to Parliament for the year 2015-16.

This issues with the approval of the Principal Director of Audit (Central), Chennai.

Director/ Admn.

**Separate Audit Report of the Comptroller & Auditor General of India
on the Accounts of Coastal Aquaculture Authority, Chennai
for the year ended 31st March 2016.**

We have audited the attached Balance Sheet of Coastal Aquaculture Authority, Chennai as on 31 March 2016, Income & Expenditure Account and Receipts and Payments Account for the year ended on that date under Section 19(2) of the Comptroller & Auditor General's (Duties, Powers & Conditions of Service) Act, 1971 read with Section 20(3) of the Coastal Aquaculture Authority, Act 2005. These financial statements are the responsibility of the Authority's management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

2. This Separate Audit Report contains the comments of the Comptroller & Auditor General of India (CAG) on the accounting treatment only with regard to classification, conformity with the best accounting practices, accounting standards, disclosure norms, etc. Audit observations on financial transactions with regard to compliance with the Law, Rules & Regulations (Propriety and Regularity) and efficiency-cum performance aspects, etc., if any, are reported through Inspection Report/ CAG's Audit Reports separately.

3. We have conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. These standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material mis-statements. An audit includes examining, on a test basis, evidences supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of financial statements. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

4. Based on our audit, we report that:

- i We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit.
- ii The Balance Sheet, Income & Expenditure Account and Receipts and Payments Account dealt with by this report have been drawn up in the format approved by the Ministry of Finance.
- iii In our opinion, proper books of accounts and other relevant records have been maintained by the Coastal Aquaculture Authority, Chennai as required in the rules and regulations of the Authority, in so far as it appears from our examination of such books.

iv **We further report that:**

A. General

1. The institute has stated in 'significant accounting policies' (Sch-14) enclosed to financial statements that, the liability in respect of gratuity and leave encashment is being ascertained by institute annually based on actuarial valuation at the year end and provided for'. However, the institute has not made any provision for gratuity and leave encashment in financial statements for the year 2015-16, as stated in the significant accounting policies. To this extent the disclosure made in financial statements is not correct. Further, no provision is made for pension liability also.
2. The closing balance of four earmarked funds maintained by CAA as on 31.03.2016 was Rs.1.72 crore. Whereas the corresponding assets of earmarked funds were Rs.1.84 crore. Thus, there was a difference of Rs.12.00 lakh between Earmarked funds closing balance on the liabilities side and corresponding earmarked fund assets. This needs to be reconciled.

B. Effect of Revision in Accounts

The accounts of the Authority were revised based on audit comments which resulted in the following:

- a. Assets & Liabilities increased by Rs 7,870/- (Four Transactions)
- b. Income decreased by Rs.10.65 lakh (Three transactions) and expenditure increased by Rs.11.69 lakh (Three transactions). This has resulted in Deficit in Income & Expenditure Account increasing from Rs.7.84 lath to Rs.30.18

C. Grants in aid

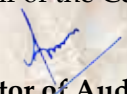
Out of the grants-in-aid of Rs.3.30 crore received during the year and unspent balance of Rs 0.60 crore (total Rs.3.90 crore), the authority utilised a sum of Rs.3.90 crore, leaving a balance of Rs. NIL as on 31 st March 2016.

- v Subject to our observations in the preceding paragraphs, we report that the Balance Sheet, Income & Expenditure Account and Receipts and. Payments Account dealt with by this report are in agreement with the books of accounts.
- vi In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the said financial statements read together with the Accounting Policies and Notes on Accounts, and subject to the significant matters stated above and other matters mentioned in Annexure to this Audit Report, give a true and fair view in conformity with accounting principles generally accepted in India
 - a. In so far as it relates to the Balance Sheet, of the state of affairs of Coastal Aquaculture Authority, Chennai as at 31 March 2016; and
 - b. In so far as it relates to Income & Expenditure Account of the deficit for the year ended on that date.

Place : Chennai

Date : 31.10.2016

For and on behalf of the C&AG of India


Principal Director of Audit (Central)
Chennai

Annexure

1. Adequacy of Internal Audit System

The institute has entered into an agreement with a Chartered Accountant Firm for Internal Audit. The scope of internal audit is clearly mentioned in the agreement with the CA firm and as per agreement, Internal Auditor has to give quarterly report for every three months and a consolidated annual report to the management.

However, there is no evidence whether the CA firm has conducted the internal audit of the institute during the year and verified all the areas specified in the agreement. No internal audit report is furnished by the CA firm either quarterly or annually for the year 2015-16.

2. Adequacy of Internal Control System

The internal control is inadequate due to: There is no delegation of duties/powers among staff and no accounting and administrative manual is prepared by the institute. No Cash book is prepared for CPF/GPF/Pension fund accounts maintained with IOB. A combined cash book is prepared for separate grant accounts maintained with IOB & Indian Bank.

Further, with regard to Institute's own revenue generation on application processing for Farm registration/LV Farms registration/LV Hatcheries registration/Farm products, no records are available to verify the number of applications received, fee collected and registration certificates issued to farmers of farms/hatcheries and manufacturers of feed products.

3. Physical verification of fixed assets

A three member Committee has been appointed for physical verification of fixed assets at the end of 2015-16. However, the committee has not given any Physical Verification report to management. As such, the details of when the physical verification is conducted and whether all the assets or intact or any discrepancies noticed are not available.

4. System of Physical Verification of Inventory

The Physical verification of inventory was conducted for the year 2015-16.

5. Regularity in payment of statutory dues

The Authority was regular in payment of statutory dues.



Director / CE



ANIM CHERIAN IAAS

Principal Director of Audit (Central)



பிரதான நிदेशக லேகாபரிசா (கேந்திரிய)

சென்னை

லேகாபரிசா பவன

361, அண்ணா சாலை, தேனாமபேட்டை, சென்னை - 600 018.

PRINCIPAL DIRECTOR OF AUDIT (CENTRAL)

Chennai

"LEKHA PARIKSHA BHAVAN"

361, Anna Salai, Teynampet, Chennai - 600 018.

அ. ச. ந. / D.O. No.

PDA(C)/ CAB/ II/ 28-46/2016-17/64

दिनांक / Date : 31.10.2016

Dear

Please refer to the Separate Audit Report on the audit of Annual Accounts of Coastal Aquaculture Authority (CAA), Chennai for the year 2015-16 issued on 31.10.2016. I wish to bring the following defects noticed in accounting practices/procedures to your notice for remedial action.

1. According to generally accepted accounting principles, any funds received by an institute with a specific objective are dealt separately as an 'earmarked fund'. Any expenditure incurred and interest earned on those funds is accounted in respective earmarked funds. CAA has been receiving registration fee and processing fee for L.V Farms, L.V. Hatcheries and Feed Products and keeping the same in four separate earmarked funds. However, instead of accounting the expenditure incurred and interest earned from the respective earmarked funds in the same funds, the institute has created two separate earmarked funds for the expenditure incurred and interest earned on the said four funds. This is not a correct accounting practice. Hence, it is brought to notice to adhere the correct accounting procedure with regard to expenditure incurred and interest earned on earmarked funds in next year accounts.
2. The funds available in the GPF/CPF were lying in savings bank account. However, the same were incorrectly disclosed as investment in balance sheet. Balance in SB account has to be disclosed under 'current assets' in balance sheet.
3. Accrued interest on investment has to be separately disclosed in financial statements.
4. The institute has incorrectly accounted the refund of advance given for administrative expenses amounting to Rs. 6,211/- as miscellaneous income instead of adjusting from the 'outstanding advances' under current assets. When this was pointed out (refer Para.3.1.2 of draft SAR), instead of adjusting the same from current assets, the adjustment was made in current year administrative expenses. As the amount involved was not material the para was not included in SAR. However, it was brought to notice to make necessary correction in next year accounts.
5. Though it was confirmed that the application fee received for the year 2015-16 was Rs.5,39,911/-, the updated application fee register was not produced to audit for scrutiny. Hence, the same may be produced to next audit for verification.

Dr. P. Ravichandran,
Member Secretary,
Coastal Aquaculture Authority,
Chennai — 600 091.

Yours sincerely,

Para wise Clarification for Management Letter

Para No.	Observations In Management Letter	Clarification
1.	Registration fee and processing fees collected by CAA are maintained in four separate earmarked funds. However, instead of accounting the expenditure incurred and interest earned from the respective earmarked funds in the same funds, the institute has created two separate earmarked funds for the expenditure incurred and interest earned on the said four funds.	Initially CAA had Bank Account with Indian Overseas Bank Nungambakkam when the Office was operating from ShastriBhavan. Consequent upon shifting the Office to present address, the Earmarked Fund account with that of IOB is idle and all the transactions for the period 15-16 are carried in the Earmarked Fund Account with that of Indian Bank, Adambakkam Branch. Also a letter has been issued to the Bank Manager IOB Nungambakkam branch to close the account. Further, regarding accounting the expenditure incurred and interest earned from the respective earmarked funds pointed out by audit will be complied.
2.	The funds available in the GPF/CPF were lying in SB Account and were incorrectly disclosed as investment in balance sheet, which has to be disclosed under 'current assets' in balance sheet.	Regarding funds available in the GPF/CPF Bank Accounts, it will be disclosed under Current Assets in the Balance Sheet as pointed out by Audit.
3.	Accrued Interest on investment has to be separately disclosed in financial statements.	Regarding interest on investment it will be disclosed separately in financial statements as pointed out by Audit.
4.	Incorrect accounting of refund of Advance in current year administrative expenses instead of adjusting the same from current assets.	Regarding incorrect accounting of refund of advance for a sum of Rs.6211/-, necessary correction will be carried in next year accounts as pointed out by audit.
5.	The updated Application Fee Register may be produced before the next audit for verification.	The updated application fee register for 2015-2016 will be produced to next audit for verification.

Para wise clarification for Separate Audit Report 2015-2016 Coastal Aquaculture Authority Chennai

Sl No.	Para No In SAR	Clarification
A.	General	
A.1	CAA has not made any provision for gratuity and leave encashment in financial statements for the year 2015-16 as stated in the significant accounting policies. No provision is made for pension liability also.	Necessary provision will be made in the financial statements regarding liability in respect of gratuity, leave encashment and pension as pointed out by Audit.
A.2	The difference of Rs.12.00 lakhs found between Earmarked Funds closing balance on the liabilities side and corresponding earmarked fund assets needs to be reconciled.	The Earmarked funds will be reconciled as pointed out by audit.
B.	Effect of Revision in Accounts	
	The accounts of the Authority were revised based on audit comments, which showed increase in assets and liabilities ; decreased income and increased expenditure.	As it is effects of revision based on audit comments, hence may be treated as nil
C.	Grants in Aid	
	Nil balance over the grants-in-aid received by CAA.	No observation made by audit hence may be treated as nil
	Annexure	
1.	Adequacy of Internal Audit System: No internal Audit report is furnished by the CA firm for the year 2015-16	Follow up action taken for necessary compliance, with internal auditors

2.	Adequacy of Internal Control System : There is no delegation of duties / powers among staff and accounting and administrative manual and no cash book is prepared for CPF/ GPF/ Pension fund accounts. No records available to verify the number of applications for farms / hatcheries registration received, fee collected and registration certificates issued to farms / hatcheries and manufacturers of feed products.	Follow up action taken for necessary compliance for delegation of duties/ powers among staff. Regarding Accounting and Administrative manual action will be taken for compliance. Necessary action will be taken for regulating the Receipt of Number of Application received, Fee collected, and registration certificates issued to farmers of farms ect., as per CAA Act in addition to existing procedures for compliance .
3& 4	Report on Physical verification of Fixed Assets are not available	Necessary action will be taken for compliance.
5.	The Authority was regular in payment of Statutory dues.	No observation made by audit hence may be treated as nil

Ref: No.PDA(c) CE/II/28-46/2016-17/64 Dt.31/10/2016

